चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 14

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2006
20 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 4 Feb 2008

(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 14, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2006/20 श्रावण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 280	2-51
अतारांकित प्रश्न संख्या	2051 से 2158	51-250
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन के कथित रूप से लीक हो जाने के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		251-253
सभा पटल पर रखे गए पत्र		254-272
लोक लेखा समिति		
उनतीसवां प्रतिवेदन		272
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति		
आठवां प्रतिवेदन		272
नैरोबी में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों तथा पीठासीन अधिकारियों के 18वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन		273
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षक तथा वन संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में		
श्री प्रियरंजन दासमुंशी		273
सभा का कार्य		274-277
सभा के नेता तथा विपक्ष के नेता द्वारा वक्तव्य		
सभा के कार्यसंचालन के संबंध में राजग के अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में		278-281

विषय कॉलम

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-2007

श्री नवीन जिन्दल 309

श्री खारबेल स्वाईं 312

श्री रवि प्रकाश वर्मा 317

श्री मोहन रावले 321

श्री ब्रह्मानंद पंडा 324

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 326

श्री जुएल ओराम 329

श्री असादूद्दीन ओवेसी 332

श्री सुनील खां 335

श्री शैलेन्द्र कुमार 337

श्री तापिर गाव 338

श्री किन्जरपु येरननायडु 340

श्री गिरिधर गमांग 343

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 344

श्री छेवांग थुपस्तन 345

श्री पी. चिदम्बरम . . 348-358

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 359

खंड 2, 3 और 1 360

पारित करने के लिए प्रस्ताव 360

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 2006-2007

श्री लालू प्रसाद . . 361, 463-473

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 362

विषय	कॉलम
डा. राजेश मिश्रा	365
श्रीमती मिनाती सेन	370
श्री रेवती रमन सिंह	373
श्री राम कृपाल यादव	375
श्री ए. कृष्णास्वामी	381
श्री मो. ताहिर	387
श्री ब्रह्मानंद पंडा	388
श्री प्रबोध पाण्डा	390
प्रो. रासा सिंह रावत	392
श्री अधीर चौधरी	397
श्री लोनाप्पन नम्बाडन	399
श्री शैलेन्द्र कुमार	402
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	404
श्री मधुसूदन मिस्त्री	406
श्री गजेश सिंह	407
श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	411
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	412
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	413
श्री अर्जुन सेठी	416
श्री पी. करुणाकरन	417
श्री आलोक कुमार मेहता	419
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	421
श्री जयप्रकाश	423
श्री एस.के. खारवेनथन	425
श्रीमती सुस्मिता बाउरी	428
श्री अशोक अर्गल	430

विषय	कॉलम
श्री शंखलाल मांझी	433
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	435
श्री रवि प्रकाश वर्मा	438
डा. सत्यनारायण जटिया	441
श्री भर्तृहरि महताब	443
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	447
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	449
डा. करण सिंह यादव	452
श्री वनलाल जावमा	455
श्री मंजुनाथ कुन्नूर	457
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	459
श्री तापिर गाव	460
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2006	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लालू प्रसाद	473
खंड 2, 3 और 1	475-476
पारित करने के लिए प्रस्ताव	476
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	477-478
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	477-486
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	487-488
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	487-490

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2006/20 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। प्रश्न संख्या 261।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बाढ़ आई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य, मैंने आपकी सूचना को स्वीकृति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे नहीं लिया जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 261। कृपया बैठ जाइये कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मैं श्री आचार्य से अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह करता हूं। आप सब बैठ जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके बैठने से सबको सुविधा हो जाएगी। आप सब बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अब हम प्रश्न 261 लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री आचार्य, मैंने उस निलम्बन नोटिस को अस्वीकृत कर दिया है। मैं सभा के सभी सदस्यों से सहयोग करने का आग्रह करता हूं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूं। कृपया बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मै. केवल यही कह सकता हूं कि संसद के इतिहास में यह एक अन्य दुखद दिवस है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

लघु वित्त संस्थाएं

***261. श्री अधीर चक्रवर्ती :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या लघु (माइक्रो) वित्त संस्थाएं जो जनसंख्या के गरीब वर्गों के साथ सीधे कार्य करती हैं उनसे ऊंची ब्याज दरें वसूल कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) गरीब लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) ऐसी कुछ सूचनाएं हैं कि आंध्र प्रदेश में परिचालन कर रही कुछ लघु वित्त संस्थाएं (एमएफआई) अधिक ब्याज-दर प्रभारित कर रही हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार, नाबार्ड, बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) एवं एमएफआई के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में साथ लेकर अपने संयोजन के अंतर्गत लघु वित्तीय क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने एवं उन्हें सुलझाने के लिए एक समन्वय मंच का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सी.ए.बी.), पुणे के माध्यम से देश कुछ चयनित राज्यों में लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) की लागत एवं मार्जिन का अध्ययन कराया। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नांकित हैं:-

(i) एमएफआई द्वारा प्रभारित लागतों में दिए गए ऋण उत्पाद, ग्राहकों की कुल संख्या, ऋण के आकार, उधार राशियों की लागत, इत्यादि पर निर्भर करते हुए व्यापक अंतर होता है।

(ii) एमएफआई की कर्मचारी लागत गणनीय रूप से अधिक है।

(iii) एमएफआई द्वारा प्रभारित ब्याज-दर में पारदर्शिता की कमी है।

(iv) एमएफआई के कीमत-लागत अंतर में निधि लागत, परिचालन क्षमता, संगठनात्मक नवीकरण, इत्यादि के कारण व्यापक अंतर होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कराए गए अन्य अध्ययन से पता चला कि अधिकांश मामलों (88%) में एमएफआई द्वारा प्रभारित ब्याज-दर 30% प्रतिवर्ष से कम थी। तथापि, अग्रिम प्रशासनिक/प्रक्रिया संबंधी शुल्क, गैर-ब्याज वाली नकदी जमानत, अनिवार्य आवर्ती जमाराशि, इत्यादि, साथ ही, एक समान ब्याज दर जैसी अतिरिक्त शुल्क पर प्रभारित दरों के कारण उधार की वास्तविक लागत अपारदर्शी हो जाती है।

(घ) मार्च, 2006 तक 22 लाख से अधिक एसएचजी को ऋण से जोड़ा गया है, इसमें 11,397.55 करोड़ रुपए का संचयी बैंक ऋण अंतर्ग्रस्त है। वित्तीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को कारोबारी सुविधादाता एवं कारोबारी प्रतिनिधि मॉडलों के प्रयोग के माध्यम से वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बिचौलिए की सेवाओं के उपयोग की अनुमति दी गई है।

सरकार ने 2006-07 के दौरान 3 लाख रुपए तक के मूलधन पर 7% प्रतिवर्ष की दर से किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ब्याज दर के संबंध में 2% की आर्थिक सहायता देने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

विदेश स्थित भारतीय बैंक

*262. **श्री सीताराम सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु मुख्य मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या कतिपय देश कुछ भारतीय बैंकों को अपने देश में शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या ऐसे देशों के बैंकों की शाखाएं भारत में हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन देशों को अपने बैंकों की शाखाएं भारत में खोलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(च) इन देशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने में सहायता पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने के विचार हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय बैंकों को जोखिम

भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर), निवल अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए), इत्यादि एवं साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में उनकी संपूर्ण क्षमता जैसे कुछ विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर विदेश में शाखाएं खोलने एवं अनुषंगियां/संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) से (च) कुछ भारतीय बैंकों ने विदेश में मेजबान विनियामकों की कुछ विनियामक आवश्यकताओं के कारण अपने कार्यालयों को खोलने में होने वाली कठिनाइयों की सूचना दी है। जब कभी भी भारतीय बैंक विदेश में अपनी शाखाओं/कार्यालयों को खोलने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की सूचना देते हैं, द्विपक्षीय परामर्श के माध्यम से उन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी अपनी नीति संबंधी दिशानिर्देशों एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार भारत में शाखाओं/कार्यालयों को खोलने वाले विदेशी बैंकों के आवेदनों की जांच करता है तथा सरकार से परामर्श करके प्राधिकार जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सौर और पवन ऊर्जा हेतु मॉडल

*263. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौर और पवन ऊर्जा के बारे में अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने हेतु एक मॉडल विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ जिन देशों और निजी एजेंसियों के साथ बातचीत चल रही है उनका ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) देश में निजी क्षेत्र के अलावा संस्थाओं/संगठनों में सौर और पवन ऊर्जा सहित नए तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए एक व्यवस्था पहले से मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

*264. **श्री वी.के. ढुम्मर :**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण हेतु कई विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन ताप विद्युत परियोजनाओं का जिनका यह कार्य अब तक पूरा हो चुका है उनकी कुल क्षमता सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक इस पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) शेष परियोजनाओं से संबंधित कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है;

(च) इन परियोजनाओं के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण संबंधी कार्य के पूरा होने के पश्चात् इनकी उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ जापान एवं जर्मनी से किसी वित्तीय/तकनीकी सहायता की मांग की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी हां। भारत सरकार ने 10वीं योजना के आरंभ में रा.वि. बोर्डों/यूटीलिटियों के साथ परामर्श करके 10वीं योजना के दौरान 9200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जीवन विस्तार कार्य किये जाने हेतु कुल 10413 मेगावाट क्षमता की 106 पुरानी थर्मल यूनिटों को अभिज्ञात किया था।

इसके अतिरिक्त, 57 थर्मल यूनिटों, जिनकी कुल क्षमता 14270 मेगावाट है और जो अपेक्षाकृत नई यूनिटें हैं और अच्छा कार्यनिष्पादन कर रही है, को भी 977 करोड़ रुपये की अनुमालित लागत पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने हेतु अभिज्ञात किया गया है ताकि उनका अच्छा कार्यनिष्पादन बना रह सके।

भारत सरकार ने 10वीं योजना के दौरान 2227.062 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और उन्नयन

हेतु कुल 9977.5 मेगावाट क्षमता की 62 जल विद्युत स्कीमों को भी अभिज्ञात किया है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के पश्चात् 1516.31 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लाभ प्राप्त होने की प्रत्याशा है।

(ख) और (ग) कुल 815 मेगावाट क्षमता वाली 9 थर्मल यूनिटों पर जीवन विस्तार कार्य पूरा हो गया है। इस पर 740.16 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(घ) से (च) 106 थर्मल यूनिटों में से 9 यूनिटों पर जीवन विस्तार कार्य पूरा कर दिया गया है। 8 यूनिटों पर कार्य चल रहा है और 10वीं योजना अवधि के अंत तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। 13 अन्य यूनिटों के संबंध में जीवन विस्तार कार्यों के आदेश दे दिये गये हैं। 14 यूनिटों का पुनरुद्धार/जीवन विस्तार कार्य आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। 32 यूनिटों, जिन्हें पहले जीवन विस्तार कार्यों के लिए शामिल किया गया था को अब ''उत्कृष्टता में साझेदारी'' कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ''उत्कृष्टता में साझेदारी'' कार्यक्रम के जरिए वांछित सुधार प्राप्त करने के पश्चात इन यूनिटों पर जीवन विस्तार कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है यदि इन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया जाता है। शेष 30 यूनिटों के संबंध में आदेश नजदीक भविष्य में दे दिये जाने की संभावना है ताकि 11वीं योजना के दौरान कार्य संभवत: पूरा किया जा सके। सभी यूनिटों पर कार्य (14 यूनिटों को छोड़कर, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं) के 11वीं योजना तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। शेष यूनिटों पर संभवत: होने वाला अनुमानित व्यय 8015 करोड़ रुपये है।

सभी 57 थर्मल यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है और ये यूनिटें 10वीं योजना के दौरान पूरी कर ली जाएंगी। इन यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण पर 429 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही किया चुका है।

जीवन विस्तार कार्यों के पूरा हो जाने के पश्चात् यूनिटों का कार्यशील जीवन 15 वर्ष बढ़ जायेगा और कुछेक यूनिटों के उच्चीकरण के जरिए 213 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। यदि जीवन विस्तार कार्य नहीं किये जाते हैं तो ये यूनिटें समीप भविष्य में निष्क्रिय हो जाएंगी।

इसके अतिरिक्त नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप 57 यूनिटों का वर्तमान कार्यनिष्पादन स्तर बनाये रखा जा सकेगा।

(छ) और (ज) मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु जर्मनी से ऋण सहायता मांगी गई है।

विवरण

वे थर्मल यूनिटें जिनमें विस्तार कार्य 10वीं योजना के दौरान पूरा कर दिया गया है

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्टेशन का नाम	यूनिट स.	वर्तमान निर्धारित क्षमता (मेगावाट)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	छत्तीसगढ़	कोराबा (पूर्व)	1	40	249.66
2.			4	40	
3.			5	120	
4.			6	120	
5.	आंध्र प्रदेश	कोठागुडम	6	105	315.5
6.			7	110	
7.			8	110	
8.	पंजाब	बठिंडा	2	110	115
9.	तमिलनाडु	इन्नौर	2	60	60
	कुल			815	740.16

[अनुवाद]

राष्ट्रीय निवेश कोष

*265. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी उपक्रमों में इक्विटी की बिक्री से प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में जमा करने का है;

(ख) यदि हां, तो एनआईएफ में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस कोष से राशि व्यय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कोष की स्थापना से लेकर अब तक क्षेत्र-वार व्यय की गई राशियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार ने 2005.06 में एक "राष्ट्रीय निवेश कोष" का गठन किया है, जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को जमा कराया जाएगा।

(ख) अब तक राष्ट्रीय निवेश कोष में निधियों का कोई अर्जन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजकोषीय घाटा

*266. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोषीय घाटे को रोकने हेतु किए गए समन्वित प्रयासों के बावजूद इसे रोकने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान हुए राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस राजकोषीय घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र के राजकोषीय घाटे पर हाल के वर्षों में काबू पा लिया गया है और इसमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। केन्द्र का राजकोषीय घाटा तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा निम्नानुसार है:

वर्ष	राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए)		चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान**	वास्तविक
1	2	3	4	5
2003-04	153637	123272	5.6	4.5
2004-05	137407	125202	4.4	4.0
2005-06	151144	146348*	4.3	4.1*
2006-07	148686		3.8	उन.

* अनन्तिम और अलेखापरीक्षित।

**जैसाकि बजट दस्तावेज में इंगित और बजट के समय पर स.घ.उ. अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में हुई गिरावट राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के अनुपालन में केंद्र द्वारा शुरू किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप हुई है। केंन्द्र द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के अलावा, ये शामिल हैं:— राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम का अधिनियमन; छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करते हुए कराधार का विस्तार करना और सेवा कर का दायरा बढ़ना; कर बकायों की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू करना; उदार ब्याज दर व्यवस्था; पेंशन सुधार और गरीबों व समाज के वास्तविक रूप से जरूरतमंद वर्गों को सब्सिडियां लक्षित करने के प्रयास करना।

(ग) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं समय-समय पर देश-विशेष की वृहत आर्थिक रिपोर्टें प्रकाशित करती हैं जिनका स्वरूप सलाहकारी होता है। ऐसी रिपोर्टें, अन्य बातों के अलावा, दर्शाती हैं कि भारत एफआरबीएम अधिनियम तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत राजकोषीय समायोजन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का अनुसरण करके मौजूदा उच्च वृद्धि दर बनाए रख सकता है।

(घ) राजकोषीय नीति का संचालन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 तथा एफआरबीएम नियमावली, 2004 द्वारा निर्धारित होता है। एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत वित्तीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के अनुसरण में राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे के वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत तथा 3.8 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी नीति

*267. **श्री इंसराज जी. अहीर** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास संबंधी राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित नीति का विशेषकर व्यापार और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का एक प्रारूप तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य ऐसे साधनों और प्रौद्योगिकियों को तैयार करना है जिसमें समाज के बहुत बड़े भाग के लोगों की समस्याओं का समाधान निहित हो, कम कीमतों पर उत्पादों और सेवाएं उपलब्ध कराने और उभरती हुई जैव-अर्थव्यवस्था में भारत को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता हो। राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का मूल लक्ष्य नवीन खोज को प्रोत्साहन देने वाले परिस्थिति-तंत्र के उद्भव को समर्थ बनाना है। कार्यनीति में विश्वविद्यालय तंत्र में अधिक विश्वस्तरीय शोधकर्ता तैयार करने, उत्कृष्टता केन्द्रों एवं अंतर-विषयक नेटवर्कों की स्थापना करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं पेटेंटिंग कौशल को सुदृढ़ करने, जैवप्रौद्योगिकी समूहों तथा पार्कों को बढ़ावा देने, एक सशक्त विनियामक तंत्र का निर्माण करने, जैविकों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में सुधार लाने, प्रमुख क्षेत्रों में, जहां कमी हो वहां नए संस्थानों का निर्माण करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति के प्रारूप में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहनों का प्रावधान रखा गया है जिससे जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। यह आशा की जाती है कि जैवप्रौद्योगिकी उद्योग की वार्षिक कुल बिक्री 2010 तक 9.00 बिलियन अमरीकी डॉलर पार कर जाएगी और साथ ही कम से कम 1 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस वृद्धि को सुसाध्य बनाने वाले कारकों का संबंध जैविकों के आयात, निकासी और भंडारण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और सुप्रवाही बनाने, जैवप्रौद्योगिकीय उत्पादों के लिए विनियामक अनुमोदनों में तारतम्यता लाने, अनुसंधान एवं विकास निवेशों को मार्गदर्शन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों को बढ़ावा देने और अनुसंधान व्यापार एवं औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहन देने से है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं जैसे जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट देना; इस क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति देना; इसे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समकक्ष बनाने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए योग्यता शर्तों में कमी लाना; पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क की छूट और इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास में किये गये व्यय हेतु 150% भारित कटौती के रूप में इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।

निजी विद्युत परियोजनाएं

*268. **श्री रामदास आठवले :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में चालू होने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं से परियोजनावार कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने में निजी क्षेत्र के योगदान के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्यारह विद्युत परियोजनाएं जिनमें सात ताप विद्युत तथा चार जल विद्युत परियोजनाएं हैं, के अगले तीन वर्षों के दौरान चालू हो जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं से परियोजना-वार मेगावाट में होने वाली क्षमता अभिवर्द्धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन परियोजनाओं का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) 10वीं योजना के प्रारम्भ में, देश में 1,05,046 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में से, निजी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्थापित क्षमता 9,232 मेगावाट (निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 8.7%) थी अर्थात् 8651 मेगावाट ताप विद्युत एवं 581 मेगावाट जल विद्युत। अनुमान लगाया गया है कि दसवीं योजना में कुल प्रत्याशित 34,024 मेगावाट क्षमता अभिवर्द्धन में से, निजी क्षेत्रों से 4,898 मेगावाट का क्षमता अभिवर्द्धन (निजी क्षेत्र में 14% क्षमता अभिवर्द्धन) अर्थात् 4,198 मेगावाट ताप विद्युत तथा 700 मेगावाट जल विद्युत प्रत्याशित है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता	कार्यों की सामान्य स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1.	ओ.पी. जिंदल टीपीपी फेज-1 व 2 छत्तीसगढ़, मै. जिंदल पावर लि.	1000 (4x250)	**यूनिट-I** – बॉयलर उत्थापन 15.7.05 को शुरू हुआ। – बॉयलर ड्रम 27.2.2006 को उठाया गया। – बॉयलर एचटी 08/06 में निर्धारित है। – टीजी स्थापना कार्य 04/06 से प्रारंभ **यूनिट-2** – बॉयलर उत्थापन आरंभ हुआ। – बॉयलर ड्रम 20.3.06 को उठाया गया। – टीजी उत्थापन 5/06 में शुरू हुआ। **यूनिट-3** – बॉयलर उत्थापन शुरू हुआ। – बॉयलर ड्रम 30.406 को उठाया गया। **यूनिट-4** – बॉयल उत्थापन शुरू होना बाकी है।
2.	सुगेन गैस आधारित सीसीपीपी (अक्खाखोल, गुजरात, मै. टोरेंट पावर जेनरेशन लि.	1128 (3x376)	– एचआरएसजी, जीटी और एसटी माड्यूल, कूलिंग टावर और स्विचयार्ड के सिविल फाउंडेशन कार्य पूरे। – एचआरएसजी माड्यूल सप्लाई जून, 06 में स्थल पर पहुंचनी आरंभ हो गई थी। – कूलिंग टावर (3) निर्धारित समयानुसार निर्माणाधीन हैं। – इंटेक वेल निर्माण तथा मुख्य स्थल में गैर-ईपीएस कार्य पूरे हो चुके हैं। 2 जलाशय (2x60 एम.क्यूसेक) पहले ही पूरे हो चुके हैं।

1	2	3	4
3.	गौतमी सीसीपीपी, आंध्र प्रदेश, मै. गौतमी पावर लि.	464	परियोजना चालू होने के लिए तैयार है किंतु गेल द्वारा प्राकृतिक गैस उपलब्ध न करवाए जाने के कारण स्थिगित है।
4.	कोनासीमा सीसीपीपी, आंध्र प्रदेश, मै. ईपीएस ओकवैल पावर लि.	445	परियोजना चालू होने के लिए तैयार है किंतु गेल द्वारा प्राकृतिक गैस उपलब्ध न करवाए जाने के कारण स्थगित है। स्विचयार्ड की बैकचार्जिंग एपीट्रांस्को द्वारा होती है।
5.	लेनको अमरकंटक (पथड़ी) मेगा टीपीएस फेज-I, छत्तीसगढ़, मै. लेनको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	300	सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त हैं। लेवलिंग और ग्रेडिंग कार्य प्रगति पर है।
6.	डब्ल्यूएचआर पावर प्लांट, गोवा मै. गोवा एनर्जी प्रा.लि.	30	परियोजना की आरंभ तारीख 1.4.04 है। सभी बीओपी के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं बॉयलर उत्थापन कार्य आरंभ। टीजी स्थापना कार्य जुलाई, 2006 के अंत तक प्रारंभ होने की आशा है।
7.	ट्राम्बे विस्तार महाराष्ट्र, मै. टाटा पावर कंपनी	250	ईपीसी 7/06 में सौंपा गया। डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य आरंभ।
	कुल	3617	
जल विद्युत			
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी, उत्तरांचल मै. जेपी पावर वेंचर लि.	400 (4x100)	सभी सिविल एवं हाइड्रो मैकेनिकल कार्य पूरे। यूनिट-1 और यूनिट-2 का क्रमश: 3.6.06 तथा 23.6.06 को समक्रमण किया गया है। यूनिट 3 और 4 का उत्थापन प्रगति पर है।
2.	छुजाचेन एचईपी, सिक्किम मै. गति	99 (2x49.5)	सिविल एवं हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य सौंपे गए। बुनियादी कार्य प्रगति पर हैं।
3.	बुधिल एचईपी, हिमाचल प्रदेश, लेनको	70 (2x35)	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त। सिविल एवं जल यांत्रिक कार्य सौंपे गए।
4.	मलाना-II एचईपी, हिमाचल प्रदेश एवरेस्ट पीसी	100 (2x50)	मै. एल एंड टी को सिविल एवं हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य हेतु ईपीसी ठेका सौंपा गया। बुनियादी कार्य प्रगति पर है। टेलरेस टनल का निर्माण प्रगति पर है।
	कुल	669	
	कुल योग	4286	

[अनुवाद]

बंद हो चुके सहकारी बैंक

*269. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री अनंत कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत बड़ी संख्या में सहकारी बैंक आर्थिक रूप से अक्षम एवं बंद हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बैंकों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक जमाकर्ता ऋण बीमा तथा गारंटी निगम के माध्यम से भुगतान न करने वाले सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मुआवजा देता है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंक-वार तथा राज्य-वार, विशेषकर गुजरात के संदर्भ में इस प्रकार से कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 2001 से बैंककारी विनियमन अधिनियम (बीआर अधिनियम), 1949 की धारा 22 के साथ पठित धारा 56(ण) के अंतर्गत 8 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है। इनमें से 3 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक बिहार में तथा एक-एक उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड से हैं। इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 90 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द/अस्वीकार कर दिए गए थे:-

राज्य का नाम	शहरी सहकारी बैंक
1	2
असम	1
आंध्र प्रदेश	15
गुजरात	40
कर्नाटक	5
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	9
महाराष्ट्र	12
राजस्थान	2
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	3
दिल्ली	1

(ग) लाइसेंसों को रद्द किए जाने के कारण हैं: बिना किसी ठोस सुधार के बैंकों की अनिश्चित/अस्थिर वित्तीस स्थिति, नकारात्मक निवल क्षमता और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के साथ पठित धारा 56(ज), 22(3)(क) तथा 22(3)(ख) की अवहेलना, बैंक का कार्य संचालन का तरीका जो वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।

(घ) जी, हां। बीमाकृत बैंक के परिसमापन, पुनर्गठन/परिसमापन की स्थिति में बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा प्रदान की गई जमाराशि बीमा कवर के अंतर्गत 1 लाख रुपए की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक बैंक की सभी शाखाओं में उसी अधिकार और क्षमता से स्वयं जमा की गई धनराशि की वापसी-अदायगी का पात्र है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्ष में इस खाते में 1212.75 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाता है जिसमें उनसे, अपेक्षित सीमा तक, इन बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए कहा जाता है। जहां तक शहरी सहकारी बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए "भावी दृष्टिकोण दस्तावेज" तैयार

किया है कि शहरी सहकारी बैंक संयुक्त रूप से स्वाधिकृत, प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित और नीतिपरक ढंग से प्रबंधित बैंकिंग संस्थानों के सुदृढ़ और स्वस्थ नेटवर्क के रूप में सामने आएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच राज्य सरकारों, अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके परिणामस्वरूप इन सभी राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यबल (टीएएफसीयूबी) का गठन किया गया है। कुछ और राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं और विलय के 17 प्रस्तावों के संबंध में अपनी अनापत्ति से अवगत करा दिया है जिसमें से 12 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

विवरण

डीआईसीजीसी के निपटाए गए दावे (वर्ष-वार/राज्य-वार/बैंक-वार)

(लाख रुपए में)

वर्ष	राज्य	बैंकों की संख्या	राशि
1	2	3	4
2003-04	आंध्र प्रदेश	14	16996.74
	गुजरात	7	3196.26
	हरियाणा	1	300.47
	कर्नाटक	1	30.38
	मध्य प्रदेश	2	2128.82
	महाराष्ट्र	5	2081.67
	तमिलनाडु	1	331.68
	जोड़		25066.02
2004-06	आंध्र प्रदेश	2	119.64
	गुजरात	4	61038.51
	महाराष्ट्र	2	683.97
	उड़ीसा	1	98.00
	जोड़		61940.12
2005-06	आंध्र प्रदेश	8	989.73
	बिहार	1	190.00
	गुजरात	19	29894.65
	कर्नाटक	1	233.77
	मध्य प्रदेश	2	112.17
	महाराष्ट्र	6	2655.20
	राजस्थान	1	47.88
	उत्तरांचल	1	145.65
	जोड़		34269.05
	कुल जोड़		121275.19

गुजरात में डीआईसीजीसी के निपटाए गए दावे

	2003-04	राशि
	1	2
1	श्री भाग्यलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	340.33
2	अहमदाबाद महिला सहकारी बैंक लि., गुजरात	331.09
3	अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	373.44
4	द जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अहमदाबाद गुजरात	411.26
5	भावनगर वेलफेयर को-ऑपरेटिव बैंक लि.,	355.08
6	संतराम को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	1155.54

	1	2
7	पालना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात	229.52
	जोड़	3196.26

2004-05

1	नायक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	255.31
2	जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	7025.57
3	चारोतर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात	20039.27
4	विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात	33718.36
	जोड़	61038.61

2005-06

1	बड़ौदा पीपील्स को-ऑपरेटिव बैंक, बड़ौदा गुजरात	5619.85
2	द को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेथ, गुजरात	480.14
3	श्री पटनी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात	839.26
4	द क्लासिक को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत गुजरात	57.26
5	साबरमती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात	2345.63
6	मटर नागरिक सहकारी बैंक लि. गुजरात	145.33
7	डायमंड जुबली को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	6063.44
8	पेटलाड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	676.24
9	नाडियाड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	2598.41
10	श्री विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	2129.12
11	टेक्सटाइल प्रोसेर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	535.56
12	प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	1277.29
13	उजावर को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	157.06
14	सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात	171.70
15	श्री विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	797.30
16	सूर्यपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत गुजरात	5471.14
17.	श्री सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद	10.43
18.	पेटलाड नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात	162.60
19.	श्रीनाथजी को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात	356.89
	जोड़	29894.65

[हिन्दी]

बेहतर ग्राहक सेवाएं

*270. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री निखिल कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन बैंक्स एसोसियेशन सेवाओं की कमी के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने की नीति की पक्षधर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा नीति का ब्यौरा क्या है तथा बेहतर ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इन बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सतत आधार पर उपाय किए जाते है। 1 जनवरी, 2006 से, बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए संशोधित बैंकिंग ओमबड्समैन योजना शुरू की गई है। ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने और अलग-अलग बैंकों द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता का पालन न करने, क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों, बैंकों और बैंकों के एजेंटों आदि द्वारा आश्वासित सेवाएं प्रदान करने में कमियों आदि जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों को सम्मिलित करने के लिए इस योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

भारतीय बैंक संघ ने अलग-अलग ग्राहकों के साथ लेन-देन करते समय सदस्य बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए उचित व्यवहार संहिता तैयार की है, जो 1 जून, 2004 से प्रभावी है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी, 2006 में एक स्वतंत्र निगरानीकर्ता के रूप में स्वतंत्र भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानदंड बोर्ड की स्थापना भी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक उन कोडों और मानदंडों के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन पर वे सहमत हुए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नैनो-प्रौद्योगिकी विकास

*271. **श्री असादुद्दीन ओवैसी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने नैनो-प्रौद्योगिकी और बायो-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वायत्त प्रबंधन के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय नैनो-प्रौद्योगिकी विकास निधि और बायो-प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तर्ज पर एक राष्ट्रीय नैनो-प्रौद्योगिकी और बायो-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया द्वारा मार्च, 2006 में नई दिल्ली में आयोजित ज्ञान सम्मेलन 2006 में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों द्वारा यह सिफारिश की गई कि एक स्वायत्त प्रबंधन के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कोष और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कोष का सृजन इन दोनों उच्च प्रौद्योगिकी (हाई-टेक) क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन की सिफारिशों में सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए वित्त पोषण संबंधी पहलुओं पर बल देने के अतिरिक्त शैक्षिक एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों, मौलिक अनुसंधान, संस्थान का निर्माण, अवसंरचनात्मक सहायता, उद्योग-संस्थान सहक्रियाशीलता आदि पर बल दिया गया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नए भारतीय नैनो-प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई एन बी टी) को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई आई टी) अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी) की तर्ज पर सृजित किया जाना चाहिए।

(घ) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार का कई शैक्षिक एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों की शुरूआत करने, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना करने, बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से संस्थान-उद्योग सम्मिलित परियोजनाओं का संवर्धन करने, अपने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन के भाग के रूप में बिजनेस इंक्यूबैटरों की स्थापना के माध्यम से उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने आदि के लिए कई बड़े कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा देश में कई संस्थानों में जैव प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा के लिए मानक स्थापित करते हुए पहले से ही अत्यंत सफल स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी में बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास संस्थानों की भी स्थापना की है तथा अन्य बातों के साथ-साथ अपने लघु व्यापार नवोन्मेष अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई) के माध्यम से नवोन्मेष में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया है। निदानात्मक (डाइग्नोस्टिक) किटों तथा जैव मालेक्यूल्स डिलीवरी के लिए नए प्लेटफार्म के विकास हेतु नैनो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया गया है। सरकार देश में नैनो प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक विकास के प्रति वचनबद्ध है और उक्त ज्ञान सम्मेलन के दौरान दिए गए नए सुझाव नए कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए उपयोगी होंगे।

[हिन्दी]

पावरग्रिड कारपोरेशन

*272. **श्री मोहन रावले :***
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पावरग्रिड कारपोरेशन की दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है, जैसा कि दिनांक 14 जुलाई, 2006 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर शुरू किए जाने का विचार है;

(ग) इन पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) ये परियोजनाएं संभवत: कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) जी, हां। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के "पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-II" तथा "पार्बती-III जल विद्युत परियोजरा से संबद्ध पारेषण प्रणाली स्कीम" के लिए निवेश अनुमोदन जुलाई, 2006 में जारी कर दिए गए हैं।

पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-II के अंतर्गत पारेषण लाइनें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरेंगी। यह परियोजना अन्य क्षेत्रों से आयातित विद्युत का आहरण तथा पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न भार केन्द्रों को इसका वितरण करने में सुगमता लाएगी। इससे पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। इस स्कीम के अंतर्गत पारेषण प्रणाली का एक हिस्सा निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता से कार्यान्वित किया जाना विचारित है। परियोजना की अनुमानित लागत 5221.23 करोड़ रुपये है। स्कीम को निवेश अनुमोदन की तारीख से 48 महीनों के भीतर कार्यान्वित किया जाता है।

"पार्बती-III जल विद्युत परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली" नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के पार्बती-III एचईपी से विद्युत की प्राप्ति तथा उत्तरी क्षेत्र के लाभार्थियों को विद्युत वितरित करने में सुगमता लाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत पारेषण लाइनें हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरेगी। परियोजना के अनुमानित लागत 557.24 करोड़ रुपये है। स्कीम को उत्पादन परियोजना के आरंभन के अनुरूप निवेश अनुमोदन की तारीख से 42 महीनों के अंदर कार्यान्वित किया जाना है।

ब्याज दर

*273. **श्री काशीराम राणा :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास एवं उपभोक्ता ऋणों पर ब्याज दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो ब्याज दर में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) ब्याज दर में किन कारणों से वृद्धि की गई है;

(घ) क्या इस वृद्धि से आवास क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को 17 अक्तूबर, 1994 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के तहत अविनियमित कर दिया गया है। बैंक ब्याज-दर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा 2 लाख रुपए तक के ऋण पर प्रभारित ब्याज की दर आधार मूल उधार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज की दर बाजार पर निर्भरित है तथा किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के पूर्व बैंकों द्वारा साधारणतया निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है:-

(क) बैंकों में सामान्य कुल ऋण उठाव

(ख) ऋण प्रबंधन में बैंक का अनुभव

(ग) बैंक की चलनिधि स्थिति

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की नीति

(ङ) बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित ब्याज-दर

(च) मुद्रा स्फीति की प्रचलित दर

(छ) निधि लागत।

सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने हाल ही में आवास ऋणों एवं उपभोक्ता ऋणों की ब्याज-दर में वृद्धि की है। बैंकों का विचार है कि ब्याज-दर में की गई वृद्धि मामूली सी है तथा इसका आवास क्षेत्र में किसी प्रतिकूल प्रभाव की पूर्वकल्पना नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

*274. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू/औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) सरकार को विद्युत वितरण में चोरी व दुरुपयोग के मामले की जानकारी है। तथापि, चूंकि प्रणाली में चोरी की मात्रा का सही-सही आंकलन करना संभव नहीं है, इसलिए मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एवं सी) हानियों की संकल्पना विकसित की गई थी ताकि चोरी व दुरुपयोग, असंतोषजनक मीटरिंग व बिलिंग और बकाया राशि वसूल न किये जाने के कारण होने वाली हानियों समेत न केवल तकनीकी बल्कि वाणिज्यिक सभी हानियों को आंका जा सके।

वर्ष 2001-02 के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटीलिटियों को राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 38.18% थीं जो वर्ष 2004-05 के दौरान कम हो कर 33.82% हो गईं।

सरकार, दुरुपयोग/चोरी समेत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए उपाय करना पहले ही आरंभ कर चुकी है। ये निम्नवत हैं–

(क) तकनीकी उपाय :

- कुशल मीटरों की अधिष्ठापना;
- कमजोर वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण;
- एच टी:एल टी अनुपात में वृद्धि;
- वितरण सब-स्टेशनों का पुन:स्थापना और/अथवा अतिरिक्त वितरण सबस्टेशनों का प्रावधान;
- कम संख्या में उपभोक्ताओं के प्रयोजनार्थ कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना; तथा कम गैर-भार हानियों वाले स्थानों पर वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना;
- शंट कैपेसिटरों की स्थापना;
- उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) को अपनाया जाना;
- वितरण नेटवर्क का नियमित अनुरक्षण;
- आंकड़ा संकलन समेत उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क की जी आई एस मैपिंग; और
- आई टी हस्तक्षेप।

(ख) वाणिज्यिक उपाय :

- मीटरिंग एवं बिलिंग में सुधार;
- राजस्व संग्रहण में सुधार; और
- ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण।

(ग) प्रबंधकीय उपाय :

- ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण अपनाया जाना;
- भावी विस्तार हेतु उपयुक्त नेटवर्क आयोजना;
- संबद्ध पारेषण प्रणाली समेत वितरण प्रणालियों के चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु नियमित आधार पर दीर्घकालीन योजनाओं की तैयारी; और
- कार्मिकों को प्रशिक्षण।

(घ) नीतिगत उपाय :

- विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार सतर्कता एवं कानूनी उपाय करना, विशेष न्यायालय व पुलिस स्टेशनों की स्थापना आदि; और
- उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु तथा रा.वि. बोर्डों/यूटीलिटियों द्वारा नकद हानि में कमी किये जाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान

करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन।

एपीडीआरपी के अंतर्गत कुल 19180.46 करोड़ रुपये की कुल लागत से 583 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके विरुद्ध सरकार द्वारा 6306.86 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

11 के वी फीडर मीटरिंग 96% पूरी की गई है जबकि उपभोक्ता मीटरिंग 93% पूरी की गई है।

गैस/नाफ्था आधारित विद्युत परियोजनाएं

*275. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी द्वारा कई परियोजनाओं में ईंधन के रूप में गैस और नाफ्था का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक रूप से औसतन कितनी संस्थापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादन में प्रति वर्ष औसतन कितनी लागत आती है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं को ईंधन के रूप में गैस/नाफ्था की अबाधित आपूर्ति के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के सात कंबाईंड साइकिल पावर संयंत्र हैं, जो ईंधन के रूप में गैस और/अथवा नाफ्था का प्रयोग कर रहे हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

क्र. स.	विद्युत संयंत्र	ईंधन (मुख्य/गौण)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2005-06 में औसत क्षमता उपयोग/संयंत्र भार घटक (%)	2005-06 में लाभार्थियों के लिए ऊर्जा लागत (रुपये/कि.वा.घं.)
1.	अंता गैस पावर प्रोजेक्ट (जीपीपी)	गैस/नाफ्था	413	76.5	2.41
2.	औरैया जीपीपी	गैस/नाफ्था	652	73.7	2.74
3.	दादरी जीपीपी	गैस/एचएसडी	817	74.2	2.81
4.	कवास जीपीपी	गैस/नाफ्था	645	50.2	4.31
5.	झनोर गांधार जीपीपी	गैस	648	77.8	2.25
6.	फरीदाबाद जीपीपी	गैस/नाफ्था	430	78.1	2.28
7.	राजीव गांधी (कायमकुलम) कंबाईंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट (आरजीसीसीपीपी)	नाफ्था	350	11.4	9.41#

आर जी सी सी पी पी की ऊंची लागत कम शेड्यूल और उत्पादन के कारण है।

• हाई स्पीड डीजल।

(ङ) से (च) एन टी पी सी लि. को, 13.74 मिलियन मीट्रिक स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) के लिए संबंधित कीमत निर्धारण कार्यविधि (ए पी एम) के अंतर्गत गैस लिंकेज प्रदान किया गया है और इसमें से गैस अथारिटी ऑफ इंण्डिया लि. (गेल) से अनुबंधित परिमाण 12.93 एम एम एस सी एम डी है। बहरहाल इसकी तुलना में एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजनाओं के लिए वास्तविक गैस आपूर्ति निम्नानुसार है:-

अवधि	2005-06	अप्रैल, 06 से जुलाई, 06
एमएमएससीएमडी में गैस आपूर्ति	9.61	10.24

एन टी पी सी लि. ने अपनी गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस आपूर्ति कमी को आंशिक रूप से दूर करने के लिए गेल से गैस एवं रिगैसीफाइड लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (आर एल एन जी), गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (जी एस पी जी) से गैस तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. (आई ओ सी एल) एवं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बी पी सी एल) से आर एल एन जी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। 4.2 एम एम एस सी एम डी अतिरिक्त गैस आपूर्ति व्यवस्था में से वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त गैस की अतिरिक्त मात्रा 1.3 एम एम एस सी एम डी और अप्रैल, 06 से जुलाई, 06 के दौरान प्राप्त मात्रा 0.74 एम एम एस सी एम डी है।

इसके अलावा एनटीपीसी लि. ने अभी हाल ही में गेल, बी. पी. सी. एल., आई. ओ. सी. एल. तथा हजारिया एल एन जी प्रा. लि. से परियोजना स्थल पर आल एल एन जी प्राप्त करने के लिए अल्पावधिक अनुबंध किए हैं। विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा स्थलों पर आर एल एन जी की वर्तमान में सुनिश्चित आपूर्ति निम्नानुसार है:-

आपूर्तिकर्त्ता	मात्रा (एमएमएससीएम) (लगभग)
गेल	100
आईओसीएल	18
बीपीसीएल	25
हजीरा एलएनजी	280

जून, 2006 के बाद इन अल्पावधिक अनुबंधों की तुलना में एनटीपीसी को जून, 2006 के दौरान 2.90 एमएमएससीएमडी और जुलाई, 06 के दौरान 3.33 एल एम एस सी एम डी गैस प्राप्त हुई है।

वैश्विक स्थितिसूचक प्रणाली

*276. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने भूतल परिवहन में अनुप्रयोग हेतु वैश्विक स्थितिसूचक प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली चालकों को दुर्घटनाओं से बचने विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से बचने में सहायता करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार वैश्विक स्थितिसूचक प्रणाली (जी.पी.एस.) के साथ राष्ट्रीय भौगोलिक आंकड़ा अवसंरचना पर कार्य कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) वैश्विक स्थितिसूचक प्रणाली (जी पी एस) एक उपस्कर है जो अब बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अंकीय नक्शों के साथ संयोजन से जी पी एस को भूतल परिवहन में विभिन्न उपयोगों में लगाया जा सकता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 7 महानगरों के लिए बड़े पैमाने पर अंकीय नक्शे तैयार किए हैं जो रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

(ख) जी पी एस का मूल कार्य कृत्रिम उपग्रहों के साथ संयोजन द्वारा किसी स्थान की (अक्षांश और देशान्तर) की स्थिति का निर्धारण करना है। यह समुद्रों में जहाजों और नावों तथा सड़कों पर वाहनों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। एक बार स्थिति की ठीक-ठीक जानकारी हो जाने पर इससे अंकीय नक्शों के उपयोग द्वारा गन्तव्य स्थानों के लिए सबसे छोटे मार्गों या वैकल्पिक मार्गों अथवा सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी।

(ग) जी, नहीं। चालकों को दुर्घटनाओं से बचने में केवल जी पी एस के उपयोग से ही मदद नहीं मिलती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय भौगोलिक आंकड़ा अवसंरचना (एन एस डी आई) के गठन को हाल ही में स्वीकृति दी है और इस संबंध में भारत सरकार के संकल्प को शीघ्र ही राजपत्रित कर दिया जायेगा। एन एस डी आई अधिकाधिक रूप से व्यापक स्वीकार्य मानदण्डों पर आधारित है अत: जी पी एस के साथ इसकी संगतता रहेगी।

भूमिहीन परिवारों को आवास

277. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवासों के आबंटन हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की पहचान की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख के अनुसार ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत उन्हें आबंटित किए गए/किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) आवासों के निर्माण की गति बढ़ाने तथा ऐसे परिवारों को उनके तत्काल आबंटन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत बेघर ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मकानों का निर्माण आमतौर पर लाभार्थियों द्वारा अपने भूखण्ड पर ही किया जाता है। तथापि, यदि चुने गए लाभार्थी के पास भूखण्ड नहीं है तो यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/ग्राम पंचायत की है कि वे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत चुने गए ऐसे लाभार्थी को भूखण्ड उपलब्ध कराएं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन गरीबी अनुपात तथा आवास की कमी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाता है। इस समय, इस प्रयोजन के लिए 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक द्वारा दिए गए आवास की कमी के आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। इस जानकारी के अनुसार राज्यवार ग्रामीण आवास की कमी के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार आबंटित केन्द्रीय निधियों तथा बनाए गए मकानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है तथा कोई भी सरकारी विभाग या बाहरी एजेंसी इस निर्माण कार्य में शामिल नहीं होती है। लाभार्थियों को निधियां निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर दो या तीन किस्तों में रिलीज की जाती हैं।

विवरण-I

2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार आवास की कमी

(इकाई सं. में)

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1350282
2.	अरुणाचल प्रदेश	105728
3.	असम	2241230
4.	बिहार	4210293
5.	चंडीगढ़	1232
6.	छत्तीसगढ़	115528
7.	दिल्ली	7200

1	2	3
8.	गोवा	6422
9.	गुजरात	674354
10.	हरियाणा	55572
11.	हिमाचल प्रदेश	15928
12.	जम्मू व कश्मीर	92923
13.	झारखण्ड	105867
14.	कर्नाटक	436638
15.	केरल	261347
16.	मध्य प्रदेश	207744
17.	महाराष्ट्र	612441
18.	मणिपुर	69062
19.	मेघालय	148657
20.	मिजोरम	30250
21.	नागालैंड	97157
22.	उड़ीसा	655617
23.	पंजाब	75374
24.	राजस्थान	258634
25.	सिक्किम	11944
26.	तमिलनाडु	431010
27.	त्रिपुरा	174835
28.	उत्तर प्रदेश	1324028
29.	उत्तरांचल	53521
30.	पश्चिम बंगाल	974479
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	17890
32.	दादरा व नगर हवेली	1926
33.	दमन व दीव	787
34.	लक्षद्वीप	190
35.	पाण्डिचेरी	7778
	कुल	14833868

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू अर्थात् 2003-04, 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटित निधियों तथा बनाए गए/उन्नयन किए गए मकानों की संख्या

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित निधियां				बनाए गए/उन्नयन किए गए मकानों की सं.			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1366937	17981.83	24399.42	25939.14	105295	126039	132521	5191
2.	अरुणाचल प्रदेश	62775	825.98	949.43	1018.68	6646	4162	5327	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	14124.59	18584.99	20994.23	22525.46	78752	129495	104353	11353
4.	बिहार	37131.83	48846.34	72020.72	76565.57	183792	252026	331651	22923
5.	छत्तीसगढ़	2337.51	3074.96	3773.17	4011.28	18302	20134	26578	572
6.	गोवा	88.32	116.18	150.28	159.77	233	428	615	20
7.	गुजरात	3928.46	5167.82	11966.03	12721.14	31189	33654	65602	6116
8.	हरियाणा	1328.34	1747.40	1680.04	1786.06	9175	8845	9743	700
9.	हिमाचल प्रदेश	58766	773.06	592.56	629.95	3841	4749	3031	54
10.	जम्मू व कश्मीर	702.96	924.74	1840.52	1956.67	8412	7252	8231	249
11.	झारखंड	10909.67	14351.50	6423.93	6829.31	60290	66081	75403	एनआर
12.	कर्नाटक	7070.71	9301.41	9400.43	9993.64	49833	50707	56944	9494
13.	केरल	4381.56	5763.87	5227.51	5557.39	39825	39831	36413	2848
14.	मध्य प्रदेश	8157.24	10730.71	7504.14	7977.69	65768	75365	59420	7036
15.	महाराष्ट्र	12545.56	16503.47	14714.56	15643.12	103135	105449	94054	5277
16.	मणिपुर	748.47	984.83	824.15	884.26	1666	5820	4962	एनआर
17.	मेघालय	994.44	1308.47	1435.38	1540.07	6465	4665	6678	213
18.	मिजोरम	238.73	314.12	305.89	328.20	2202	2052	2182	एनआर
19.	नागालैंड	641.95	844.67	949.84	1019.11	5966	5099	7949	1454
20.	उड़ीसा	11004.35	14476.04	14149.75	15042.66	154205	89891	87070	4617
21.	पंजाब	879.95	1157.56	2077.71	2208.83	6050	4460	7868	554
22.	राजस्थान	3706.70	4876.10	6013.11	6392.56	41888	31070	38471	2269
23.	सिक्किम	172.10	226.45	181.66	194.91	2041	1584	1296	389
24.	तमिलनाडु	6864.39	9030.00	9768.97	10385.44	57069	58687	66434	183
25.	त्रिपुरा	1451.97	1910.49	1849.42	1984.31	15003	12132	11902	593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उत्तर प्रदेश	25028.00	32923.88	32348.75	34390.12	190950	199096	185541	7407
27.	उत्तरांचल	2599.55	3419.68	1621.77	1724.11	21666	26376	21722	580
28.	पश्चिम बंगाल	14752.84	19407.12	19518.40	20750.10	90601	155598	99259	6849
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	166.27	218.73	309.46	328.99	671	337	90	एनआर
30.	दादरा व नगर हवेली	87.26	114.78	51.56	54.82	14	108	101	13
31.	दमन व दीव	36.12	47.51	23.07	24.52	7	9	6	1
32.	लक्षद्वीप	2.83	3.72	20.00	21.26	14	16	48	33
33.	पाण्डिचेरी	82.55	108.59	154.14	163.86	264	88	238	एनआर
	कुल	187050.00	246067.00	273240.00	290753.00	1361230	1521305	1551703	97190

7.8.2006 की स्थिति के अनुसार।

एन आर = असूचित।

[हिन्दी]

डीजीसीईआई द्वारा कंपनियों पर छापे

*278. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सीमा और शुल्क और उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई) द्वारा कितने छापे मारे गए;

(ख) इससे कितना राजस्व एकत्रित किया गया; और

(ग) राजस्व आसूचना को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा मारे गए छापों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	छापों की संख्या
2004-05	317
2005-06	327

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा मारे गए छापों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इनसे एकत्रित किया गया राजस्व इस प्रकार है:-

वर्ष	उपर्युक्त "क" मामलों से एकत्रित किया गया राजस्व (करोड़ रु. में)
2004-05	82.47
2005-06	85.46

(ग) विभाग के अपवंचन रोधी प्रयासों को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। उठाए गए कदमों में निम्न शामिल है:–

(i) अपवंचन संभाव्य वस्तुओं और इकाइयों के संबंध में कार्यनीतिगत आसूचना का विकास करना।

(ii) कार्य प्रणाली परिपत्रों को जारी करके आसूचना का प्रचार प्रसार करना।

(iii) इन्फारमर नैटवर्क को सुदृढ़ करना।

(iv) अन्य इकाइयों में अपवंचन की इसी प्रकार की कार्य प्रणाली में अंतर्ग्रस्त मामलों को दर्ज करना।

(v) अत्यधिक राजस्व वाले तथा/अथवा आवर्ती प्रभाव वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित करना।

विवरण

2004-05

राज्य	कंपनियों की सं. जहां छापा मारा गया
1	2
कर्नाटक	20
केरल	2
गोवा	5
दिल्ली	11
यू.पी.	8
पंजाब	17
हरियाणा	4
राजस्थान	4
जम्मू एवं कश्मीर	2
तमिलनाडु	26
आंध्र प्रदेश	13
गुजरात	87
मध्य प्रदेश	17
महाराष्ट्र	30
छत्तीसगढ़	8
दमन एवं सिलवासा संघ राज्य क्षेत्र	*3*
मेघालय	2
पश्चिम बंगाल	37
उड़ीसा	14
झारखंड	3
असम	2
दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	1
हिमाचल प्रदेश	1
जोड़	317

2005-06

राज्य	कंपनियों की सं. जहां छापा मारा गया
1	2
कर्नाटक	27
केरल	2
हरियाणा	6
दिल्ली	26
यू.पी.	4

1	2
पंजाब	18
राजस्थान	5
तमिलनाडु	30
आंध्र प्रदेश	13
गुजरात	40
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	43
छत्तीसगढ़	5
गोवा	2
दमन एवं सिलवासा संघ राज्य क्षेत्र	5
पश्चिम बंगाल	73
उड़ीसा	10
झारखंड	1
त्रिपुरा	1
असम	2
अरुणाचल प्रदेश	1
जोड़	327

वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश

*279. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों विशेषकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों में करोड़ों रुपयों का निवेश किया गया है और इसे गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सकारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 58,901 करोड़ रुपए की थीं, जिनमें से शीर्ष की दस चूककर्ता कंपनियों ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से 3,908 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, आईडीबीआई लि. के मामले में कुल 1,116 करोड़ रुपए की अनुपयोज्य आस्तियों में से चार प्रमुख औद्योगिक घराने 405 करोड़ रुपए की अनुपयोज्य आस्तियों के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, सभी बैंकों में कुल अग्रिम राशि के अनुपात के रूप में अनुपयोज्य आस्तियों में लगातार कमी आई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	सकल अनुपयोज्य आस्तियां/ अग्रिम राशि	निवल अनुपयोज्य आस्तियां/अग्रिम राशि
2001-02	10.4	5.5
2002-03	8.8	4.4
2003-04	7.2	2.9
2004-05	5.2	2

वर्ष 2005-06 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए के अनंतिम आंकड़े 3.85% हैं तथा निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए 1.44% है।

(ग) इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

i बैंकों ने ऋण जोखिम की पहचान, निगरानी और प्रबंधन हेतु संस्थागत ढांचा बनाकर जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाया है।

ii बैंकों की प्रबंधन समिति और निदेशक बोर्ड शीर्ष के 300 अनुपयोज्य आस्ति खातों और 1 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक के अनुपयोज्य आस्ति खातों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा कर रहे हैं।

iii कंपनी ऋणों के पुनर्गठन हेतु कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना बनाई गई है।

iv सरकारी क्षेत्र के बैंकों से आशा की जाती है कि अनुपयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली हेतु कार्य योजना बनाएं।

v बैंक लोक अदालत मंच के जरिए समझौता वार्ता द्वारा कई मामले निपटा रहे हैं।

vi बैंकों को अतिदेय ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हेतु प्रवर्तन अधिनियम, 2002" लागू किया गया है।

vii सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षाकृत छोटे अनुपयोज्य आस्ति खातों को बट्टे खाते डालने पर समुचित ध्यान देने और कम से कम उन अनुपयोज्य आस्ति खातों, जिनमें 50,000 रुपए से कम के ऋण हों, के समाशोधन हेतु समयबद्ध योजना के संबंध में सूचित करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत परियोजनाओं के विस्थापितों को मुआवजा

*280. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की विभिन्न परियोजनाओं में निपटान के लिए पुनर्वास और मुआवजे के बहुत से मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) एनटीपीसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि एनटीपीसी द्वारा राज्य सरकारों के पास जमा की जाती है ताकि इस राशि का सुपात्र व्यक्तियों को भुगतान हो सके। आपवादिक परिस्थितियों में, जहां कोई व्यक्ति अपने क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए नहीं आता है या जहां कानूनी उत्तराधिकारी को लेकर कोई विवाद है, वहां क्षतिपूर्ति राशि राज्य सरकार विवाद समाधान को लंबित रखते हुए ट्रेजरी में जमा करा देती है। ऐसे मामले जहां प्रभावित व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि में वृद्धि का दावा करते हुए अदालत में जाता है, वहां क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अदालत के निर्णय के अनुसार किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, एनटीपीसी द्वारा राज्य सरकार के पास जमा करा दी जाती है। जब कभी भी राज्य सरकारों ने एनटीपीसी से क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है, इसे एनटीपीसी द्वारा उनके पास जमा कराया गया है।

जहां तक परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के पुनःस्थापना एवं पुनर्वास (आर एंड आर) का संबंध है, इस संबंध में एनटीपीसी सभी स्टेकहोल्डरों, यथा पीएपी, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के अपने प्रत्येक संयंत्र के प्रतिनिधियों के परामर्श एवं प्रतिभागिता से वर्ष 1993 से अपने आर एंड और नीति के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास कार्य योजना तैयार करता है। पुनर्वास कार्य योजना में केवल व्यक्ति का पुनःस्थापन एवं पुनर्वास लाभ ही नहीं बल्कि इसमें परियोजना प्रभावित लोगों के लिए समुदाय विकास कार्य, कल्याणकारी कार्य भी प्रस्तावित हैं। इन पुनर्वास कार्य योजनाओं में विभिन्न कार्यों के लिए एक निर्धारित बजट है और इन्हें राज्य सरकार तथा पीएपी के प्रतिनिधियों समेत सभी स्टेक-होल्डरों की सक्रिय प्रतिभागिता के साथ समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाता है।

वर्ष 1993 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए तैयार पुनर्वास कार्य योजना के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	पुनर्वास कार्य योजना की स्थिति
1	2	3	4
1.	कायमकुलम	केरल	पूरी एवं बंद
2.	रिहंद-II (राख कुंड क्षेत्र)	उ.प्र.	पूरी एवं बंद
3.	ऊंचाहार-II (राख कुंड क्षेत्र)	उ.प्र.	पूरी एवं बंद
4.	औरैया-II	उ.प्र.	पूरी एवं बंद

1	2	3	4
5.	विंध्याचल-II (राख कुंड क्षेत्र)	उ.प्र.	पूरी एवं बंद
6.	फरीदाबाद	मध्य प्रदेश	पूरी एवं बंद
7.	सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	पूरी एवं बंद
8.	कोरबा (राख कुंड क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	पूरी एवं बंद
9.	सीपत	छत्तीसगढ़	कार्यान्वयनाधीन
10.	बाढ़	बिहार	कार्यान्वयनाधीन
11.	अंता-II	राजस्थान	कार्यान्वयनाधीन
12.	कोल डैम	हि.प्र.	कार्यान्वयनाधीन
13.	तालचेर कानिहा	उड़ीसा	कार्यान्वयनाधीन
14.	तालचेर थर्मल (राख कुंड क्षेत्र)	उड़ीसा	निरूपण के अधीन
15.	लोहरीनाग पाला	उत्तरांचल	कार्यान्वयनाधीन
16.	तपोवन विष्णुगाड	उत्तरांचल	कार्यान्वयनाधीन
17.	नार्थ करनपुरा	झारखंड	निरूपण के अधीन

पुनर्वास कार्य एवं क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के अतिरिक्त सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध एवं जिम्मेवार संगठन के रूप में एनटीपीसी न केवल परियोजना प्रभावित लोगों के पुनःस्थापन एवं पुनर्वास को काफी महत्व देता है, बल्कि जहां भी इसकी परियोजनाएं एवं केन्द्र स्थित हैं, उनके समुदाय एवं समाज के विकास पर भी बल देता है। परियोजना-वार-राज्य भूमि विस्थापितों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

एनटीपीसी की आर एंड आर नीति के अनुसार भूमि विस्थापितों के ब्यौरे

क्र. स.	परियोजना	राज्य	लक्षित व्यक्ति (भूमि विस्थापित)	आवास (प्रभावित आवास	आर एंड आर व्यय/ आरएपी बजट	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	कायमकुलम	केरल	2244	62	710	मार्च, 2001 में आर एंड आर बंद।
2.	*रिहंद-II* (राख कुंड क्षेत्र)	उ.प्र.	*182*	*118*	*369*	दिसंबर, 2001 में आर एंड आर बंद।

1	2	3	4	5	6	7
3.	उंच्वाहार-II (राख कुंड क्षेत्र)	उ.प्र.	480	शून्य	326	मार्च, 2001 में आर एंड आर बंद।
4.	औरैया-II	उ.प्र.	102	शून्य	81	मार्च 2005 में आर एंड आर बंद। आर एंड आर लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं। केवल समुदाय विकास कार्य।
5.	विंध्याचल-II (राख कुंड क्षेत्र)	मध्य प्रदेश	1152	384	1994	दिसंबर, 2001 में आर एंड बंद।
6.	फरीदाबाद	हरियाणा	97	07	192	सितंबर 2002 में आर एंड आर बंद। आर एंड आर लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं। केवल समुदाय विकास कार्य।
7.	सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	2577	71	आर एंड आर लाभ समेत रु. 2.25 लाख प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति राशि जारी करते समय वार्ता आधारित समाधान।	जून, 2005 में आर एंड आर बंद। इसके अलावा समुदाय विकास कार्य पर 574 लाख रु. खर्च किए गए।
8.	कोरबा (राख कुंड क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	490	शून्य	327	जुलाई 2002 में आर एंड आर बंद।
9.	सिपत	छत्तीसगढ़	2197	31	पुनर्वास कार्य योजना 3525 लाख रु. में अनुमोदित।	अगस्त 2000 से क्रियान्वयनाधीन।
10.	बाढ़	बिहार	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	शून्य	प्लांट और राख कुंड क्षेत्र के लिए 3600 लाख रु. पर आरएपी अनुमोदित।	मार्च 2005 से क्रियान्वयनाधीन।
11.	अंता-II	राजस्थान	331	26	230 लाख रु. पर आरएपी अनुमोदित।	मार्च 2005 से क्रियान्वयनाधीन। आर एंड आर लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं। केवल समुदाय विकास कार्य।
12.	कोल डैम	हि.प्र.	1085	448	2896 लाख रु. पर आरएपी अनुमोदित।	जून 2003 से क्रियान्वयनाधीन।
13.	तालचर कानिहा	उड़ीसा	1593	144		शेष कुछ व्यक्तियों के लिए नौकरी के प्रावधान को छोड़कर सभी कार्य पूरे।

1	2	3	4	5	6	7
14.	तालचेर थर्मल (राख कुंड क्षेत्र)	उड़ीसा	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	शून्य		निरूपण के अधीन।
15.	तपोवन विष्णुगाड	उत्तरांचल	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	आर एंड आर लाभ समेत रु. 20 लाख प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति राशि जारी करते समय वार्ता आधारित समाधान।	ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार राज्य सरकार ने वार्ता आधारित समाधान पर सहमति दे दी है। क्रियान्वयनाधीन। किंतु समुदाय विकास कार्य निरूपण के अधीन है।
16.	लोहरीनाग पाला	उत्तरांचल	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	आर एंड आर लाभ समेत रु. 20 लाख प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति राशि जारी करते समय वार्ता आधारित समाधान।	ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार राज्य सरकार ने वार्ता आधारित समाधान पर सहमति दे दी है। क्रियान्वयनाधीन। किंतु समुदाय विकास कार्य निरूपण के अधीन है।
17.	नार्थ करनपुरा	झारखंड	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।		निरूपणाधीन।

राजसहायता हेतु पात्रता

2051. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजसहायता के लिए पात्र प्राथमिकता वर्गों की पहचान करने के लिए कोई मानदंड और संस्थानिक तंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजसहायता का लाभ गैर-प्राथमिकता प्राप्त वर्गों को मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस आधार पर कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजसहायता के बिल को कम करने के लिए राजसहायता प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य तत्व क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सरकार को समस्त राजसहायता (सब्सिडी) को समाज के निर्धन और वास्तव में जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाने का अधिदेश दिया गया है। इस अधिदेश के अनुसरण में, सरकार ने राजसहायता के संबंध में संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पर दिनांक 8 फरवरी, 2005 को वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के आधार पर तथा यथोचित विचार-विमर्श के बाद, मुख्यतया खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम संबंधी सुनिश्चित राजसहायता को लक्षित करने से संबंधित नीति बनाई जाएगी।

(ग) और (घ) हालांकि खाद्य राजसहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए होती है, अन्य दो राजसहायताएं अर्थात् उर्वरक और पेट्रोलियम संबंधी राजसहायता सभी उपभोक्ताओं को

उपलब्ध सार्वभौमिक राजसहायताएं हैं। अनेक समीक्षाओं और मूल्यांकन अध्ययनों में कहा गया है कि खाद्य राजसहायता के मामले में भी, खाद्यान्नों के गैर-कानूनी तरीके से बाजार में पहुंच जाने के अलावा, ये लाभ उन वर्गों को भी पहुंचते हैं जो जरूरतमंद नहीं हैं। सरकार ने ऐसी हेरा-फेरी के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की मात्रा निर्धारित नहीं की है क्योंकि इनमें से अधिकतर गतिविधियां गुप्त होती हैं और कोई भी अनुमान लगाना ज़रा अवास्तविक होगा।

(ङ) और (च) गरीबों को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को राजसहायता मुहैया कराकर उनकी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं पूरा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय है। राजसहायताएं सकारात्मक बाहरी कारकों के साथ मिलकर वस्तुओं के कम उपभोग की स्थिति में सुधार ला सकती हैं। सरकार अपने कल्याणकारी दायित्व को निभाने के लिए प्रतिबद्ध तो है ही, वहीं मौजूदा प्रयासों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राजसहायता को पारदर्शी, सुव्यवस्थित बनाकर और लक्षित करके उसके लाभों को बढ़ाया जाए।

भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र संबंधी मानचित्र में संशोधन

2052. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में ऐसे स्थानों के क्या नाम हैं जिन्हें भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र संबंधी मानचित्र के अनुसार अति संवेदनशील क्षेत्र और कम संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र संबंधी मानचित्र को संशोधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो [आईएस 1893 (पार्ट 1): 2002] ने भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण इत्यादि से प्राप्त विभिन्न वैज्ञानिक इनपुटों के आधार पर देश को सीसमिक संवेदनशीलता के आधार पर निर्भर करते हुए अर्थात् कम, साधारण, तीव्र अति तीव्र चार सीसमिक मंडलों (मंडल II से IV) में बांटा है। सीसमिक मंडलीकरण मानचित्र के अनुसार, तमिलनाडु के क्षेत्र मंडल II और III के तहत आते हैं। मंडल III और II में आनेवाले तमिलनाडु के महत्वपूर्ण स्थानों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मंडल III (साधारण)	मंडल II (कम)
1.	चेन्नई	इरोडे
2.	कोयमबटूर	डिंडीगुल
3.	कुड्डलोर	मदुरै
4.	कांचीपुरम	विरुद्धूनगर
5.	कलपक्कम	तूतीकोरीन
6.	तिरुवानामलै	तिरुचिरापल्ली
7.	सालेम	अरियालूर
8.		थिरुवेलूर
9.		तंजावूर
10.		पेराम्बलूर

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो ने मंडलीकरण मानचित्र को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है तथा यह समिति इस विषय पर विचार कर रही है।

सेवा कर मानदंड संबंधी समिति

2053. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा कर प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी मानदंडों का सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सेवा कर में जारी परिपत्रों, अनुदेशों, स्पष्टीकरणों की समीक्षा करने तथा सेवा कर में ऐसे विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिनके लिए स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, सरकार द्वारा एक विख्यात विशेषज्ञ को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) उन्हें दिनांक 15.09.2006 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

जिला गरीबी पहल कार्यक्रम

2054. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने जिला गरीबी पहल कार्यक्रम (डीपीआईपी) के अंतर्गत कर्नाटक के पिछड़े जिलों के ग्रामीणें के जीवन स्तर के उत्थान हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं का निरीक्षण और आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार कर्नाटक और अन्य राज्यों में इन परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए विश्व बैंक से और अधिक सहायता मांगने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में कर्नाटक में जिला गरीबी पहल कार्यक्रम (डीपीआईपी) पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान में विश्व बैंक की सहायता से तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उन्मूलन परियोजना कार्यान्वयनाधीन है और ग्रामीण जीविकोपार्जकता में सुधार के लिए दो परियोजनाएं, बिहार और उड़ीसा राज्यों में एक-एक तैयार की जा रही हैं। अन्य राज्यों में भी जैसे ही उनसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों संबंधी विशेषज्ञ समिति

2055. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के काम-काज में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए वर्ष 1992 में श्री एम. नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक "विशेषज्ञ समिति" का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सरकारी व्यष्टि-प्रबंधन संबंधी कमियों की जांच करने और बैंकों को स्वायत्तता देने के लिए एक और "विशेषज्ञ समिति" के गठन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) श्री एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में अगस्त, 1991 में वित्तीय प्रणाली से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने नवम्बर, 1991 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जिन सुधार उपायों को शुरू किया गया था उनमें सांविधिक चलनिधि अनुपात एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी, ब्याज-दर ढांचे का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता के संदर्भ में मानदंडों को तैयार करना, आय पहचान एवं प्रावधानन संबंधी अपेक्षाएं, बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तुलनपत्र एवं लाभ और हानि संबंधी फार्मेट में संशोधन, शाखा के लाइसेंसीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का संशोधन, पूंजी बाजार के उदारीकरण के लिए उपाय, भारतीय प्रतिपूर्ति विनिमय बोर्ड को सांविधिक शक्ति प्रदान करना, कर रियायत के क्षेत्र में विभिन्न म्यूचुअल फंडों का समान व्यवहार, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) इस समय, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बहुमंजिले फ्लैटों हेतु अनुमति

2056. श्री संजय धोत्रे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास नए मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले अपार्टमेन्ट के निर्माण संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रारूप में निर्मित आवास में, जहां तक संभव हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी से ऐसे आवास का विकास करने हेतु संसाधन के रूप मेंर भूमि की अवधारणा अपनाकर स्लम और झुग्गी-झौपड़ी वासियों का पुनर्स्थापन करने का विचार किया गया है।

सरकार ने स्लम वासियों के लिए बहु-मंजिले मकानों का निर्माण करने हेतु तेहखण्ड में निजी क्षेत्र की भागीदारी से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। स्लम वासियों को पुन: बसाने के लिए लगभग 3200 ईडब्ल्यूएस मकान मुहैया कराने के प्रयोजन हेतु लगभग 16 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है।

[अनुवाद]

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

2057. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार को कतिपय राज्यों से विशेषकर कर्नाटक से भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित धनराशि की दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सहायता राज्य-वार किन क्षेत्रों के लिए मांगी गई है; और

(ग) प्रभावित राज्यों को धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) एक मांग आधारित योजना है जिसमें निधियां किस्तों में जारी नहीं की जाती हैं। राज्य सरकारों रसे प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और निधियां, योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक प्रगति और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती हैं। इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निधियां डाटा एंट्री कार्य को आरंभ करने, तहसील/तालुक और उप-प्रभाग स्तरों पर कम्प्यूटर केन्द्र, राज्य स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। चूंकि राज्यों द्वारा इन कार्यकलापों को चरणों में आरंभ किया जाता है, अत: निधियां प्राप्त हुए प्रस्तावों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर उपलब्ध करायी जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

क्र. स.	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश		531.50	506.45	
2.	असम			542.50	
3.	बिहार		100.00	264.46	
4.	गुजरात	372.50	495.00		
5.	हरियाणा			843.76	
6.	हिमाचल प्रदेश	81.40	438.00	326.00	
7.	कर्नाटक	389.50	497.40		

1	2	3	4	5	6
8.	केरल			305.90	
9.	मध्य प्रदेश	542.50	286.30	388.00	
10.	महाराष्ट्र	826.54	296.00	787.60	
11.	मणिपुर			88.35	
12.	मिजोरम	20.00		127.00	
13.	नागालैण्ड		15.00	20.00	
14.	उड़ीसा	277.00	230.00	599.40	93.22
15.	राजस्थान			1332.20	
16.	सिक्किम	82.70		10.00	
17.	तमिलनाडु	406.50	605.20	200.21	666.65
18.	त्रिपुरा		148.00		
19.	उत्तर प्रदेश			1561.99	
20.	पश्चिम बंगाल		355.00	870.20	
21.	छत्तीसगढ़		164.00	459.60	
22.	झारखण्ड	547.20			
23.	उत्तरांचल		400.60	653.44	820.51
24.	पांडिचेरी	31.35		37.00	
	योग	3577.19	4562.00	9924.06	1580.38

(*30.6.2006 तक)

जड़ी-बूटियों से जैव-ईंधन

2058. श्री हितेन बर्मन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसंधानकर्ताओं ने जड़ी-बूटियों से बनाए जाने वाले ऑटोमोटिव जैव-ईंधन के वैकल्पिक स्रोत का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परीक्षणों के आधुनातन क्या परिणाम निकले हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के बीजों से ट्रांसइस्टेरिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से निष्कर्षित वनस्पति तेलों से बायो-डीजल का उत्पादन एक सुस्थापित प्रक्रिया है। बायो-डीजल का उपयोग ऑटोमोटिव क्षेत्र में पेट्रोलियम डीजल ईंधन के साथ 20% तक मिश्रणों के रूप में किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए मौजूदा इंजनों में कोई खास संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अखाद्य वनस्पति तेलों जैसे जटरोफा करकस और पोंगामिया पिनाटा से बायो-डीजल के उत्पादन हेतु प्रोसेस पैरामीटरों को ईष्टतम बनाने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में उनके प्रयोग हेतु परीक्षण करने के लिए कुछ अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रायोजित की हैं।

भारत-मॉरीशस के बीच दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधि (डी टी ए टी)

2059. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान भारत-मॉरीशस के बीच दोहरे कराधान के परिहार संबंधी संधि (डी टी ए टी) की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना मॉरीशस के साथ हुई संधि की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय का उद्देश्य मॉरीशस तथा भारत दोनों में एक ही आय के दोहरे कराधान को समाप्त करना है। दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं:-

(i) अनुच्छेद 7—एक राज्य के किसी उद्यम के कारोबार लाभ दूसरे राज्य में तभी कराधेय होते हैं यदि इसका दूसरे राज्य में कोई स्थायी संस्थापन हो।

(ii) अनुच्छेद 10 तथा अनुच्छेद 12—लाभांश तथा रॉयल्टियों के लिए स्रोत देश में रोक की दरें निम्नवत हैं:-

(क) लाभांश की सकल राशि का 5% यदि हिताधारी स्वामी एक कंपनी है जो लाभांश प्रदान करने वाली कंपनी की पूंजी का कम से कम 10%, एवं अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 15% प्रत्यक्ष रूप से धारण करती है।

(ख) रायल्टियों की सकल राशि का 15%

(iii) अनुच्छेद 13—अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत अभिलाभ कराधेय हैं जहां सम्पत्ति स्थित है। किसी कंपनी के शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभ निवेशक के निवास देश में कराधेय हैं।

(iv) अनुच्छेद 8—अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों अथवा एयरक्राफ्ट के प्रचालन से प्राप्त लाभ केवल उसी देश में कराधेय हैं जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है।

(iii) अनुच्छेद 23—साख प्रणाली के माध्यम से दोहरी कराधान का समापन है। स्रोत राज्य में आय पर संदत्त कर के लिए साख को निवास राज्य में ऐसी आय पर देय कर के आधार पर दी जानी है।

(ख) विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और मॉरीशस सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय पर पुन: विचार करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में संगत प्रयास किए हैं। सरकार, भारत और मॉरीशस के बीच कर संबंधी मामलों पर सूचना का अदान-प्रदान करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं 'संधि के दुरुपयोग' को रोकने के लिए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में समुचित उपबंधों को शामिल करने की संभावनाओं पर मॉरीशस सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

(घ) (ग) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षित पेयजल हेतु मानक

2060. श्री नवीन चिन्दल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित पेयजल हेतु मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इन मानकों का पालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन मानकों को लागू करने से कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय मानक तैयार करने में सहायता के प्रयोजन से विशेष रूप से जल एवं स्वास्थ्य नियामकों, नीति निर्धारकों और उनके सलाहकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित आई एस-10500 मानकों का पालन करने का अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

एक-मुश्त निपटान योजना

2061. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी बैंकों द्वारा एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत बैंक-वार कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ख) उक्त योजना के फलस्वरूप सहकारी "राष्ट्रीयकृत" बैंकों को कुल कितनी हानि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) शहरी सहकारी बैंकों के अलावा सहकारी बैंकों द्वारा एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत देशभर में 98151 खातों का निपटान किया गया है जिनमें 298.94 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त थी। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देने वाली वर्तमान प्रणाली ओटीएस मामले के निपटान से संबंधित आंकड़े एकत्रित नहीं करती है। ओटीएस तंत्र के माध्यम से बैंक बड़ी मात्रा में धन वसूलने में सक्षम रहे हैं।

[अनुवाद]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास लंबित मामले

2062. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के पास वर्ष 2000 के दौरान चोरी हुए शेयरों के कुछ दावे लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिभूति कंपनियों ने एफआईआर के निष्कर्षों को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिभूति कंपनियों ने दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की है;

(ङ) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मुंबई पुलिस द्वारा उनके कर्मचारियों को दोषी न पाए जाने के बावजूद दावा देने से इंकार कर दिया;

(च) यदि हां, तो एश्योरेंस कंपनियों द्वारा ऐसे दावों से इंकार करने के क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दावाकर्ताओं को और अधिक देरी किए बिना राहत देने के लिए उक्त लंबित दावों के निपटान हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा पर जुर्माना

2063. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो जुर्माना लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कृत्य के लिए किसी बैंक अधिकारी को जिम्मेदार माना गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कृत्य के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल 1999

से मार्च 2002 के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/ सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाये रखने के उद्देश्य से अपनी मांग एवं मीयादी देयताओं (डीटीएल)/निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) को उचित रूप में संगणित नहीं किये जाने के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया था।

(ग) उक्त अवधि के लिए एनडीटीएल की संगणना/पुनर्संगणना विभिन्न दलों द्वारा भिन्न तरीके अपना कर चार बार की गयी थी किंतु ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करने एवं अलग करने की पूर्व संगणना प्रणाली की अपर्याप्तता को देखते हुए प्राप्त परिणाम असंगत एवं अनिर्णायक थे। इसके अलावा, बैंक ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्योवदन दिया है कि यह चूक जानबूझकर नहीं की गई थी तथा बैंक का विनियामक की अनुपालना संबंधी रिकार्ड दोष रहित रहा है। अत:, बैंक के किसी भी अधिकारी को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवास संबंधी खन्ना समिति की रिपोर्ट

2064. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खन्ना समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) गरीब तथा कम आय और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु अपनी शक्तियों को खो देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए किसी नई एजेंसी का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) तेजेन्द्र खन्ना समिति ने 13.5.2006 को सरकार को प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के योजनागत कार्यों, आवास गतिविधियों, निगरानी तंत्र और नियामक भूमिका से संबंधित पहलुओं सहित इसकी भूमिका में परिवर्तन करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके इस मामले पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

एन टी पी सी का विनिवेश

2065. श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी उपक्रमों में सरकार की उपक्रम-वार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है;

(ख) आई पी ओ में जनता को उपक्रम-वार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार पब्लिक ऑफर के माध्यम से एन टी पी सी का और विनिवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के संबंध में यह जानकारी प्रत्येक वर्ष लोक उद्यम सर्वेक्षण में लोक उद्यम विभाग द्वारा संकलित की जाती है। लोक उद्यम सर्वेक्षण 2004-05, जिसे मार्च 2006 में संसद के पटल पर रखा गया था और जो एक प्रकाशित दस्तावेज है, में उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 237 उद्यमों में कुल इक्विटी 1,17,787 करोड़ रुपए थी। इसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 98,312 करोड़ रुपए था जो 83.47% बनता है। केन्द्र सरकार तथा अन्य पार्टियों द्वारा धारित इक्विटी का उद्यम-वार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 2004-05 के खण्ड-I के विवरण 17 में दिया गया है।

(ख) आरम्भिक सार्वजनिक पेशकशों में जनसाधारण को दिए गए शेयरों की प्रतिशतता से संबंधित उद्यम-वार सूचना लोक उद्यम विभाग में नहीं रखी जाती है, जो कि नोडल विभाग है।

(ग) एनटीपीसी में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से और विनिवेश करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात मूल्य की वसूली

2066. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक निर्यातक के लिए निर्यात की तारीख से लेकर छह महीनों के भीतर माल के पूरे निर्यात मूल्य की वसूली करना तथा उसे स्वदेश भेजना अपेक्षित होता है;

(ख) क्या 180 दिनों की अनुमत्य अवधि से ज्यादा निर्यात आय की भारी रकम वसूली हेतु लंबित पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया निर्यात आय की वसूली हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। फिर भी, निम्नलिखित एककों को निर्यात की तारीख से 12 महीने के भीतर निर्यात प्राप्तियों के मूल्य वसूलने और प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी गई है:-

(i) विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित 'स्थिति धारक',

(ii) इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्कों; सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कों और बायोटेक्नोलोजी पार्कों के अंतर्गत स्थापित 100% निर्यातोन्मुखी एकक।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित एककों के लिए निर्यात प्राप्तियों को वसूलने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है।

(ख) और (ग) प्राधिकृत डीलरों द्वारा यथा सूचित आंकड़ों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर, 2005 को समाप्त आधे वर्ष के लिए 6 महीने से अधिक बकाया निर्यात की राशि 20,866.47 करोड़ रुपए है। यह तदनुरूप अवधि के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के आंकड़ों के अनुसार 4,98,124 करोड़ रुपए की कुल निर्यात राशि का 4.1% बैठता है।

(घ) डीजीएफटी द्वारा प्रशासित निर्यात संवर्धन योजनाओं का लाभ लेकर किए गए निर्यातों के संबंध में निर्यात प्राप्तियां न वसूलने के मामले में डीजीएफटी कार्यालय ली गई शुल्क छूट/निष्प्रभावीकरण लाभ की वसूली हेतु निर्यातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही शुरू करता है और एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 के उपबंधों और उसके अंतर्गत निर्धारित नीति व प्रक्रियाओं के अनुसार शास्ति, यदि कोई हो, लगाता है। यदि चूककर्ता फर्म इसका भुगतान नहीं करती तो विवाचन प्राधिकारी इस फर्म को दोषी घोषित करता है और जिससे डीजीएफटी द्वारा फर्म को सभी निर्यात लाभ आस्थगित कर दिए जाते हैं और आवेदक का आयातक-निर्यातक कोड नंबर आस्थगित/निरस्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की मशीनरी के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली हेतु कदम उठाए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत डीलरों/बैंकों को भी निदेशित किया है कि निर्यात बिलों की वसूली का अनुवीक्षण करें और जहां बिल देय तारीख से आगे बकाया रहते हों, वहां संबंधित निर्यातक के साथ तरीके से और तत्परता से कार्रवाई करें। यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाना भी अपेक्षित है।

चिकित्सीय उपकरणों की गुणवत्ता

2067. **श्री रायापति सांबाशिवा राव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सीय उपकरणों और यंत्रों के विनिर्माण तथा रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्राधिकरण का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) सरकार के पास देश में चिकित्सीय उपकरणों और यंत्रों के विनिर्माण तथा रखरखाव को मानीटर अथवा सुनिश्चित करने के लिए अलग से कोई विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नाबार्ड के लिए "कैपिटल गेन्स बॉण्ड्स विन्डो"

2068. **डा. के.एस. मनोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नाबार्ड के लिए "कैपिटल गेन्स बॉण्ड्स विन्डो" पुन: खोलने पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नाबार्ड को निगम आयकर से छूट देने पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2069. **श्री योगी आदित्यनाथ** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नेपाल, नेपाल से भारत आने वाली नदियों पर कुछ जल विद्युत परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) जी, हां। भारत और नेपाल नेपाल से भारत की ओर बहने वाली नदियों पर कुछ जल विद्युत परियोजनाओं पर मिल कर कार्य कर रहे हैं। जल विद्युत घटक वाली पांच प्रमुख परियोजनाओं अर्थात् करनाली बहुद्देश्यीय परियोजना, पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना, सप्त-कोसी हाई डैम बहुद्देशीय परियोजना और सन कोसी स्टोरेज-कम-डायवर्जन योजना, बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना और अपर करनाली जल विद्युत परियोजना पर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श चल रहा है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी की पश्चात् ही कार्यान्वयन हेतु लिया जा सकता है, यदि ये तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य पायी जाती हैं और यदि दोनों देशों के बीच आपसी करार पर हस्ताक्षर हो जाते हैं।

विवरण

नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

(I) **करनाली बहुद्देशीय परियोजना**

यह परियोजना नेपाल में करनाली नदी पर प्रस्तावित है जो कि भारत में घाघरा के नाम से जानी जाती है, करनाली बहु-उद्देश्य परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट नेपाल सरकार द्वारा 1989 में विदेशी परामर्शदाताओं मै. हिमालयन पावर कंसलटैन्ट्स (एचपीसी) से तैयार करवाई गई थी। दो देशों के बीच विचार-विमर्श हुए हैं और बहुत से मुख्य पैरामीटरों पर अभी सहमति होनी बाकी है।

(II) **पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना**

पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना महाकाली नदी पर प्रस्तावित है जो कि भारत में शारदा के नाम से जानी जाती है और फरवरी, 1996 में भारत और नेपाल सरकार के बीच हस्ताक्षरित इन्टीग्रेटिड महाकाली ट्रीटी के अंतर्गत शामिल है। केंद्रीय जल आयोग (सी डब्लू सी) द्वारा एक ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है; जिस पर नेपाल सरकार द्वारा सहमति अभी दी जानी है।

(III) **सप्त कोसी हाई डैम बहुद्देशीय परियोजना (3300 मेगावाट) और सन कोसी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम**

सप्त कोसी हाई डैम बहुद्देशीय परियोजना और सन कोसी स्टोरेज कम डायवर्जन स्कीम नेपाल में कुरूल के निकट कोसी नदी पर स्थापित की जानी प्रस्तावित है। परियोजना बिहार में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण लाभ प्रदान करेगी और इसके विद्युत उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत को प्राप्त होगा। परियोजना पर व्यवहार्यता रिपोर्ट 1981 में सी डब्ल्यू सी द्वारा तैयार की गई थी। सर्वेक्षण एवं जांच तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयार हेतु 17.8.2004 को विराट नगर में संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है।

(Iv) **बूढ़ी गंडकी जल-विद्युत परियोजना (600 मेगावाट)**

बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना बेनीघाट के समीप मध्य-पश्चिमी नेपाल में गंडक की एक सहायक नदी, बूढ़ी गंडकी नदी पर स्थापित की जानी प्रस्तावित है। क्षेत्र अन्वेषणों/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य वैपकास को सौंप जाना प्रस्तावित है।

(v) **अपर करनाली जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट)**

अपर करनाली जल विद्युत परियोजना नेपाल के पश्चिमी भाग में करनाली नदी पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ''रन ऑफ दि रिवर'' परियोजना है। अपर करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट कैनेडियन इंटरनैशनल वाटर एंड एनर्जी कन्सलटैन्टस (सी आई डब्ल्यू ई सी) द्वारा तैयार की गई थी। स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) के रूप में नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा अपर करनाली परियोजना के विकास की संभाव्यता विचाराधीन है।

विश्व बैंक सर्वेक्षण

2070. श्री गणेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि देश में लोक सेवाओं में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के सर्वेक्षण में क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) विश्व बैंक के सर्वेक्षण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सर्वेक्षण के आधार पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विश्व बैंक के हाल ही के प्रकाशन ''इंडिया इन्क्लूसिव ग्रोथ एड सर्विस डिलीवरी : बिल्डिंग ऑन इण्डियन सक्सेस'', में चुनावी प्रजातंत्र में अति अधिक सफल रहने और क्रय शक्ति तुल्यता के संदर्भ में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भारत की सराहना करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने और सभी क्षेत्रों, इलाकों और लोगों तक त्वरित विकास के लाभों को पहुंचाने की चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

(ग) और (घ) सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। अपनी विकास योजनाओं की सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए भारत सरकार अपने विगत के अनुभव और उपलब्ध ज्ञान की लाभ उठाती है ताकि निष्पादन, जवाबदेही और निगरानी में वृद्धि के लिए परिणामी बजट जैसे सुदृढ़ तंत्रों द्वारा निर्धन वर्ग को अधिकतम लाभ हो सके।

[अनुवाद]

पीएफसी/आरईसी से ऋण

2071. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांगी गई ऋण राशि प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने 1.1.2006 से 1.8.2006 के दौरान महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं के लिए विभिन्न संगठनों को ऋण मंजूर किए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने भी 27.7.2006 को भुसावल विस्तार थर्मल विद्युत परियोजना (2x500 मेगावाट) हेतु महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल) को 3693 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।

मूल्यांकनों के पूरा न होने और आवश्यक निवेशों के न किए जाने के कारण, पीएफसी और आरईसी द्वारा 5 उत्पादन परियोजनाओं, 16 पारेषण परियोजनाओं एवं 2 वितरण परियोजनाओं के संबंध में ऋण मंजूर नहीं किया है।

विवरण

पीएफसी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से स्वीकृत ऋण

(करोड़ रुपये में)

यूटिलिटी	विद्युत परियोजना/ब्यौरेवार	ऋण स्वीकृति की तारीख	पीएफसी द्वारा स्वीकृत ऋण राशि
1	2	3	4
महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लि.	(1) खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन विस्तार (1x5 मेगावाट)	26 मई, 2006	1753.00

1	2	3	4
	(2) न्यू पारस टीपीएस विस्तार यूनिट-2	07 फरवरी, 2006	888.00
	(3) न्यू पारली टीपीएस विस्तार यूनिट-2 (1x250 मेगावाट)	03 जनवरी, 2006	830.00
	(4) पारली टीपीएस विस्तार (1x250 मेगावाट)	16 जून, 2003	171.00
	(5) चन्द्रपुर टीपीएस यूनिट-5 (500 मेगावाट) का आर एंड एम	30 जून, 2006	128.00
		कुल	3770
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांसमिशन कंपनी लि.	(1) भिवंडी में-II एस/एस टीआरएफ की स्थापना 50 एमवी 220/132 केवी	21 अप्रैल, 2006	2.40
	(2) खापरखेड़ा एस/एस में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना	19 जून, 2006	2.10
	(3) जिले में काले 110 केवी उपकेंद्र में 10 एमवीए, 110/33 केवी ट्रांसफार्मर को बदलना	07 जून, 2006	1.37
	(4) 110 केवी इचालक में अतिरिक्त 1x25 एमवीए, 110/33 केवी टी/एफ की स्थापना	21 अप्रैल, 2006	0.88
	(5) एबीटी मीटरिंग सिस्टम का कार्यान्वियन	21 अप्रैल, 2006	3.97
	(6) बाभलेश्वर में 400 केवी आर एंड एम की प्राप्ति	18 मई, 2006	4.90
	(7) पुणे के आसपास ईएचवी नेटवर्क	22 जून, 2006	93.00
	(8) पड़घे और चन्द्रपुर में 2,298 6एमवीए सिंगल फेज कन्वर्टर ट्रांसफार्मर प्राप्त करना	22 जून, 2006	60.00
	(9) कालवा सर्किल के अंतर्गत ईएचवी लाईन का आर एंड एम	18 मई, 2006	19.00
	(10) वसई जिला थाणे में 220/110 केवी उपकेंद्र की अधिष्ठापना	18 मई, 2006	14.90
	(11) प्रियाद इंड थाणे में 220/22 केवी उपकेंद्र की अधिष्ठापना	19 जून, 2006	14.14
	(12) तालांडांगे में 5 स्टार एमआईडीसी हेतु 220/33 केवी उपकेंद्र की अधिष्ठापना	30 जून, 2006	8.15
	(13) फायर स्टॉप मोर्टार सील एवं फायर रिटार्डेंट केबल कोटिंग कंपनी	21 अप्रैल, 2006	7.83

1	2	3	4
	(14) कोलेचेम और कोलशेत में 220 केवी उपकेंद्र की रूपांतरण संवर्धन	18 मई, 2006	7.38
	(15) कालवा में 400 केवी एस/एस हेतु स्पेयर इंटरकनैक्टिंग ट्रांसफार्मर	30 जून, 2006	4.20
	(16) वाडा एस/एस में 1x50 एमवीए, 220/2 केवी अतिरिक्त तीसरा ट्रांसफार्मर	18 मई, 2006	3.56
	(17) कोराडी उठपकेंद्र में 1 400/220/20 केवी 100 एमवीए स्पेयर ट्रांसफार्मर की प्राप्ति	18 मई, 2006	3.20
	(18) खराडी जिले में 132/22 केवी विद्युत ट्रांसफार्मर का संवर्धन	19 जून, 2006	3.17
	(19) 110 केवी जयरिंगपुर, उपकेंद्र, कोल्हापुर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	30 जून, 2006	2.46
	(20) कालवा उपकेंद्र हेतु एक 400/200/20 केवी 200 एमवीए की प्राप्ति	30 जून, 2006	4.2
	(21) चन्द्रपुर पड़घे बाइपोल हेतु एएएसी अर्थवायर जीआई वायर का बदलना	01 अगस्त, 2006	2.28
		कुल	263.09
महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	(1) एमआईडीसी में सभी एचटी कंस्ट्रक्शन और एल कंस्ट्रक्शन (सी एंड आई) हेतु स्कीम)	25 मई, 2006	38.02
	(2) सांगली और शोलापुर में आउटडोर द्वारा पुराने 11 केवी इंडोर स्विचगीयर को बदलना	21 मई, 2006	5.48
	(3) औरंगाबाद अर्बन 1 डिवीजन में सेंटर ऑफ एक्सलेंस का निर्माण	30 जून, 2006	131.70
	(4) औरंगाबाद अर्बन 1 डिवीजन में अमरीकी अनुदान सहायता	30 जून, 2006	3.80
		कुल	179
महाराष्ट्र सरकार सिंचाई विभाग	(1) काल-कुंभे एचईपी (1x15+1x10 मेगावाट)	5 जनवरी, 2006	154.00
		कुल योग	4366.09

विस्थापित लोगों हेतु नीति

2072. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत ऐसी कोई महत्वपूर्ण विकास परियोजना नहीं है जिसके लिए लोग विस्थापित किए जाएं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन

2073. **श्री रूपचन्द मुर्मू :**
श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन :
श्री राकेश सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) सरकार को इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आयोग में सशस्त्र बलों तथा अन्य सेवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है/दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने का इरादा रखती है;

(ज) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग के गठन का अनुमोदन किया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होंगे।

(ग) वेतन आयोग को 18 माह की अवधि के लिए गठित किए जाने का प्रस्ताव है तथा अपने प्रचालन की अवधि के दौरान आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

(घ) से (च) आयोग में सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करते समय इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा।

(छ) से (झ) वेतन आयोग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दिए जाने के मामले पर भी विचार करेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा नियोजन

2074. **श्री चै.एम. आरुन रशीद** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के उद्योगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत नियोजन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए और अनुवर्ती कार्रवाई की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम एक केन्द्रीय विधान है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को योजनाएं बनानी होती हैं और काम करने की इच्छा रखने वाले जॉब कार्डधारकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यों का पता लगाना होता है। निधियों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इस

अधिनियम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र के उद्योग शामिल नहीं किए जाते हैं।

विकलांगों के लिए योजनाएं

2075. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
श्री सूरज सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नि:शक्तों के कल्याण व पुनर्वास योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वरीयता आधार पर फ्लैटों के आबंटन हेतु कोई योजना क्रियान्वित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 में इस योजना को अचानक बंद करने की परिस्थितियां और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इरादा इस योजना को पुन: क्रियान्वित करने का है;

(ङ) इस योजना को बंद किए जाने से पूर्व आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है और किस आधार पर विगत आवेदनों को अस्वीकृत किया गया था; और

(च) क्या सरकार का विचार शारीरिक तथा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आवास क्षेत्र में कोई योजना शुरू करने अथवा कोई अन्य राहत पहुंचाने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों का बिना बारी आधार पर आवंटन करने के संबंध में 17 जनवरी, 1997 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इस प्रकार के विवेकाधीन आवंटन के लिए पात्र श्रेणियों में अन्य के साथ-साथ शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति भी शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों से बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण व निपटान की योजना तथा निम्न आय व मध्यम आय वर्गों के लिए फ्लैटों के निर्माण की योजना का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इस तथ्य पर विचार करते हुए सरकार ने 19 जून, 2000 को डीडीए फ्लैटों को बिना बारी आधार पर आवंटन कुछ शर्तों व निबंधनों के अध्यधीन केवल उन सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं तक ही सीमित कर दिया है जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो अथवा जो आतंकवादियों द्वारा मारे जाएं। यह नीति लागू है।

(ङ) तत्कालीन लागू नीति के आधार पर निर्णय किया गया। शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी में आने वाले आवेदक इस श्रेणी के लिए डीडीए द्वारा किए गए 1% आरक्षण के तहत फ्लैटों के आवंटन हेतु आवेदन करने के पात्र हैं।

(च) डीडीए ने बताया है कि उनके द्वारा अपनी सभी आवास योजनाओं में शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण रखा गया है तथा यह आरक्षण अभी भी लागू है। इस प्रकार के व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन हमेशा भूतल पर और किराया खरीद आधार पर किया जाता है जिसमें प्रारंभिक राशि के रूप में कुल लागत का 25% लिया जाता है और शेष राशि किश्तों में अदा की जा सकती है।

[अनुवाद]

बैंगलोर का विकास

2076. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बैंगलोर में शहरी अवसंरचना के शीघ्र विकास हेतु भारी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित निधियों का दुरुपयोग

2077. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के राज्यों को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर में केन्द्रीय निधियों के दुरुपयोग की रिपोर्टें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रिसाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) एन.एल.सी.पी.आर. तथा एन.ई.सी. स्कीमों के तहत् वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक दसवीं योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय में निधियों के दुरुपयोग से संबंधित कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	एन.एल.सी.पी.आर.				एन.ई.सी.			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	52.65	61.19	39.43	83.96	36.53	41.16	33.31	48.92
2.	असम	140.07	113.94	249.07	219.11	83.31	154.63	122.92	84.33
3.	मणिपुर	74.93	18.05	58.98	44.85	10.23	11.35	20.10	19.27
4.	मेघालय	23.77	49.99	21.71	27.50	19.98	16.07	21.94	27.95
5.	मिजोरम	83.43	99.55	42.38	41.04	16.49	24.15	50.62	42.21
6.	नागालैंड	70.85	84.17	73.06	97.95	28.55	32.45	20.92	25.18
7.	सिक्किम	44.19	53.24	59.75	53.21	0.00	13.66	23.98	15.86
8.	त्रिपुरा	60.11	69.87	105.62	111.55	60.57	28.81	30.58	25.93
	कुल	550.00	550.00	650.00	679.17	255.66	322.28	324.37	289.65

राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि

2078. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना किसानों को रियायती फसल ऋण देने के लिए सतत, दीर्घावधिक व्यवस्था करने हेतु "नाबार्ड" के अंतर्गत एक समर्पित "राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि" के गठन की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड के क्रियाकलापों का विस्तार करने हेतु इसे सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के साथ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि परिचालन) [एनआरसी (एलटीओ)] तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि, जिनका प्रबंधन भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा किया जाता था, जैसी दो निधियों को नाबार्ड को अंतरित कर दिया गया था तथा इनका पुनर्नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि के रूप में किया गया। 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, एनआरसी (एलटीओ) निधि एवं एनआरसी (स्थिरीकरण) निधि के तहत बकाया राशि क्रमश: 13,183 करोड़ रुपए एवं 1522 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (अल्पावधि परिचालन) के निधि सृजन के पक्ष में नहीं है।

(ग) और (घ) नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अधिदेशित एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जिसमें भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की क्रमश: 27.5% एवं 72.5% शेयरधारिता है। वर्तमान में, 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड, जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी के 38.78% के अनुपात (सीआरएआर) के साथ, पर्याप्त रूप में पंजीकृत है।

[हिन्दी]

एम.आर.टी.पी. आयोग में सीमेंट कंपनियां

2079. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार (एम.आर.टी.पी.) आयोग ने कुछ सीमेंट कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एम.आर.टी.पी. आयोग द्वारा किन अनियमितताओं का पता लगाया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) एम.आर.टी.पी. आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। जांच का कार्य आयोग के समक्ष निर्णयाधीन है। चूंकि, ऊपर उल्लिखित मामले आयोग के समक्ष जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं, इनमें पाई गई अनियमितताएं या उसमें आदेशित कार्रवाई, यदि कोई हो, तो यह कार्यवाही की समाप्ति पर ही जानी जा सकेगी।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा दर्ज किए गए मामलों का विवरण तथा उन कंपनियां के नाम निम्नानुसार है

क्र. सं.	जांच सं./ फाइल सं.	प्रतिवादी सहित जांच का शीर्षक	मामले का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	आरटीपीई 99/1990	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) (डीजी (आई एण्ड आर)) बनाम सीमेन्ट उत्पादक संघ एवं अन्य	डीजी (आईएण्डआर) ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 10 (क) (iii) के तहत सीमेन्ट उत्पादक, बम्बई एवं 44 अन्य सीमेन्ट उत्पादकों के विरुद्ध आवेदन दर्ज किया है। ऐसा आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों द्वारा सीमेन्ट के मूल्य मनमाने तथा अनुचित ढंग से निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी क्षेत्र के बहुत से सीमेन्ट उत्पादकों के मूल्यों में बहुत ही कम विविधता है जबकि उत्पादन की लागत एक समान नहीं है। मामले को दिनांक 28.11.2006 को प्रतिवादियों की गवाही की प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

1	2	3	4
2.	एमआरटीपीई 2/1992	डीजी (आई एण्ड आर) एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनी लि., मुंबई	डीजी (आईएण्डआर) ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 1969 की धारा 10 के तहत एशोसिएटेड सीमेन्ट कं. लि. मुंबई के विरुद्ध आवेदन दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी समय-समय पर मूल्य-वृद्धि करते हैं जबकि उत्पादन लागत में कोई वृद्धि नहीं होती है इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के लाभ में अनुचित वृद्धि हुई है। इस मामले को दिनांक 21.08.2006 को अंतिम वाद-विवाद के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
3.	आरटीपीई 83/2000	डीजी (आई एण्ड आर) मैं. गायत्री एजेंसीज़ कांचीपुरम बनाम सीमेन्ट उत्पादक संघ चेन्नई एवं अन्य	मैं. गायत्री एजेंसीज़ द्वारा धारा 10(क)(i) के तहत सीमेन्ट उत्पादक संघ, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी, शिकायतकर्ता को सीमेन्ट के मूल्य, बिक्री एवं वितरण के मामले में तरह-तरह के प्रतिबंध लगाकर स्वतंत्रता नहीं देता। मामले को जांच के लिए डीजी (आईएण्डआर) ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दर्ज की जिसमें यह कहा गया कि प्रतिवादी एमआरटीपी अधिनियम की धारा 33(1)(घ) एवं धारा (2)(ण) के तहत प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार में शामिल हैं। मामला विचारार्थ दिनांक 21.08.2006 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
4.	आरटीपीई 21/2001	श्री सर्वजीत एस मोखा एवं अन्य बनाम सीमेंट उत्पादक संघ एवं अन्य	श्री सर्वजीत मोखा व अन्य द्वारा धारा 10(क)(i) एवं 6ख (क) के तहत सीमेन्ट उत्पादकों के संघ एवं 10 अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि उक्त सीमेन्ट उत्पादकों ने एक कारटेल बनाया है तथा मूल्यों में वृद्धि कर दी है। 11 प्रतिवादियों के विरुद्ध जांच के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आयोग के समक्ष कार्रवाईयों को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 10.05.2005 को स्थगित कर दिए गये हैं। मामले को दिनांक 13.10.2006 के लिए आगे विचारार्थ स्थगित कर दिया गया है।
5.	आरटीपीई 32/2006	डीजी (आईएण्डआर) बनाम गुजरात अंबुजा सीमेन्टस लि. एवं अन्य	डीजी (आईएण्डआर) ने एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(iii) जो धारा 37 के साथ पठित है, के तहत गुजरात अंबुजा सीमेन्टस् लि. एवं दो अन्य के विरुद्ध आवेदन दर्ज किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने अभिसंधि के द्वारा सीमेन्ट की कृत्रिम कमी पैदा की जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई, जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार है जैसा कि एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 2(ण) जो धारा 33 (1) (घ) के साथ पठित है, में परिभाषित है। मामले को

1	2	3	4
			आयोग के समक्ष दिनांक 31.08.2006 को विचारार्थ सूचीबद्ध किया गया है।
6.	फाइल सं. 30(79) 2006		एमआरटीपी आयोग ने डीजी (आईएण्डआर) को यह निर्देश दिया है कि वे मई 2006 के दौरान प्रिंट मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सीमेन्ट के मूल्य में अचानक एवं तेज वृद्धि की जांच करें। ऐसी रिपोर्ट दी गई थी कि सीमेन्ट के मूल्य में दो महीनों की अवधि के दौरान 140 रुपए से बढ़कर 220-240/- रुपए प्रति बैग वृद्धि हुई। ऐसी रिपोर्ट भी दी गई कि सीमेन्ट उत्पादक कारटेल में शामिल हो चुके हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

2080. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए किन्हीं बीमा एवं ऋण योजनाओं की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई;

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए शिक्षा ऋणों के संवितरण हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) देश में छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए बाधा रहित ऋण को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कुछ बैंकों ने बीमा कंपनियों के साथ मिलकर शिक्षा ऋणों के साथ विभिन्न बीमा कवरेज का ऑफर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान दिए गए कुल राज्य-वार बकाया शिक्षा ऋणों (यथा उपलब्ध) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को निवल बैंक ऋण का 40% देने की सलाह दी गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अलग-अलग व्यक्तियों को भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपये और विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपये की सीमा तक के शिक्षा ऋण शामिल हैं।

(घ) बैंकों को वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर एवं अपने बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार भारत एवं विदेश में अध्ययन के लिए अधिक राशि मंजूर करने और उच्च प्रतिभाशाली/योग्य विद्यार्थियों को प्रतिभूति के बिना सहायता देने के लिए उच्च प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करने का विवेकाधिकार है। भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को शिक्षा-ऋण योजना को पर्याप्त प्रचार देने के लिए कहा है।

विवरण

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान दिए गए राज्यवार कुल बकाया शिक्षा ऋण

(रुपए हजार में)

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	460736	784523	1205843

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	186344	146612	254752
3.	जम्मू एवं कश्मीर	87291	36090	224534
4.	पंजाब	690609	998808	1699436
5.	राजस्थान	505168	885601	1279185
6.	चण्डीगढ़	136193	221264	436805
7.	दिल्ली	1584052	1969593	3382972
8.	असम	71496	166404	243790
9.	मणिपुर	7241	9307	23690
10.	मेघालय	9926	25500	36065
11.	नागालैंड	3121	491	5930
12.	त्रिपुरा	4451	10726	37707
13.	अरुणाचल प्रदेश	4953	10157	2618
14.	मिजोरम	3584	8606	10659
15.	सिक्किम	3749	4628	39441
16.	बिहार	515425	694661	931302
17.	झारखण्ड	226054	397803	735264
18.	उड़ीसा	602089	644531	1180071
19.	पश्चिम बंगाल	790640	1325077	2081355
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2013	4084	6476
21.	मध्य प्रदेश	836851	1585373	2385941
22.	छत्तीसगढ़	151885	298162	365084
23.	उत्तर प्रदेश	1514345	2612588	3326970
24.	उत्तरांचल	174040	312323	535292
25.	गुजरात	1072487	1384317	3696349
26.	महाराष्ट्र	3026960	4111706	5763658
27.	दमन एवं दीव	578	677	2364
28.	गोवा	67365	104444	189445
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1478
30.	आंध्र प्रदेश	7053530	8406356	13523213
31.	कर्नाटक	2913671	3889486	5518371
32.	केरल	3008301	4246469	7570622
33.	तमिलनाडु	4737508	6391014	10014120
34.	पांडिचेरी	75148	107141	232358
35.	लक्षद्वीप	42	0	163

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा बीमा

89. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री संजय धोत्रे :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुप्रीय सिंह :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री के.सी. सिंह "बाबा" :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीमा कंपनियों का प्रस्ताव 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मेडिक्लेम बीमा कवर के दायरे से बाहर करने का है जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 2006 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एवं बीमा कंपनियों को उपयुक्त निदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा बीमा हेतु विद्यमान मानदण्ड क्या हैं;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को पालिसी बिक्री पर अभिकर्ता कमीशन में कमी की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा 55 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को मेडीक्लेम बीमा के लाभ से वंचित करने कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) संतोषजनक चिकित्सा परीक्षण के अध्यधीन 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से मेडीक्लेम प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं। चिकित्सा दावा पालिसी 80 वर्ष के आयु तक के व्यक्तियों द्वारा ली जा सकती है। तथापि, यदि पालिसी का बिना रूके, लगातार नवीकरण किया जाता है तो पालिसी को 90 वर्ष की आयु तक जारी रखा जा सकता है।

(च) और (छ) वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अधिक बीमा दावा के अनुभव को ध्यान में रखकर, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 55 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों से एजेंटों द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तावों के प्रचार करने पर उनको मिलने वाले एजेंसी कमीशन को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। फिर भी, 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एजेंट को शामिल किए बिना कंपनी के हामीदारी कार्यालय से सीधे ही बीमा पालिसी प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी

2082. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण उद्योग को प्रौद्योगिकी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या ग्रामीण उद्योगों को सूचना प्रदान करने के लिए भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है; और

(घ) ऐसी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लाभार्थियों की संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण भारत में अप्रैल, 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। एसजीएसवाई एक व्यापक कार्यक्रम है। एसजीएसवाई का उद्देश्य सामाजिक जागरण की प्रक्रिया, स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय-सर्जक परिसंपत्तियों के प्रावधान के जरिए सहायताप्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) को स्व-सहायता समूहों में संगठित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एसजीएसवाई के अंतर्गत स्थायी माइक्रो-इण्टरप्राइजेज का विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक प्रमुख क्रियाकलाप के लिए निर्धारित की गई प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिए कि स्वरोजगारी इसकी आसानी से देख-रेख कर सकें और साथ ही इससे वस्तु या सेवा किसी के भी संबंध में अच्छे उत्पाद तैयार हो सकें। प्रत्येक प्रमुख क्रियाकलाप के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो कौशल विकास सुनिश्चित करने वाली और उत्पादन की गुणवत्ता तथा वसूली के संबंध में निष्पादन की निगरानी करने वाली प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। स्थानीय स्थिति के आधार पर ऐसी एजेंसी का विकल्प अलग-अलग हो सकता है। ये अपने आप में लाइन विभाग या इंजीनियरिंग कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, पोलीटेक्निक्स, संबद्ध क्षेत्र में योग्यता रखने वाली आई टी आई या आवश्यक योग्यता वाले गैर-सरकारी संगठन जैसी कोई भी तकनीकी संस्था हो सकती हैं। इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय भी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं जो ग्रामीण उद्योगों को ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी मुहैया कराती हैं।

(घ) प्रशिक्षित किए गए/कौशल उन्नयन किए गए लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान लाभार्थियों की सं.
1	2	3
1.	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	18,20,551

1	2	3
2.	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	46,566
3.	समेकित हथकरघा प्रशिक्षण योजना	13,000
4.	हथकरघा निर्यात योजना	480
5.	डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	40,274*
6.	बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	14,000 (अनंतिम)

*विगत तीन वर्षों के दौरान

[अनुवाद]

आई.एफ.सी.आई. का पुनरुद्धार

2083. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली पूरी तरह कर ली है और अब वित्तीय रूप से सुदृढ़ स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वित्तीय संस्था को सहायता देने एवं इसके खोये हुए गौरव को पुनर्बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 7,735 करोड़ रुपए थीं। 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार निवल एनपीए (प्रावधान रहित सकल एनपीए) 667 करोड़ रुपए था।

(ग) भारत सरकार (जीओआई) ने छोटे एवं खुदरा निवेशकों, विदेशी उधारदाताओं एवं एसएलआर बांडों से संबंधित आईएफसीआई की देनदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें 5,220 करोड़ रुपए राशि वाले वित्तीय पैकेज हेतु अनुमोदन दिया है। भारत सरकार ने 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार 2,922 करोड़ रुपए संवितरित किये हैं। तथापि, भारत सरकार की आईएफसीआई में कोई शेयरधारिता नहीं है और तदनुसार यह उनके निदेशक मंडल पर निर्भर है कि वे आईएफसीआई की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए और कदम उठाएं।

[हिन्दी]

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

2084. **श्री श्रीपाद येसो नायक :**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2005-06 और 2006-07 के दौरान देश के विभिन्न भागों में अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होना निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हो गई हैं और चालू हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2010-11 तक पूरी होने के लिए निर्धारित परियोजनाओं पर निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुरूप हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इन परियोजनाओं की कुल बढ़ी हुई लागत क्या है; और

(छ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से 2886 मे.वा. क्षमता चालू की जानी थी, जिसमें से 1340 मे.वा. क्षमता वर्ष के दौरान चालू की गई। वर्ष 2006-07 के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से 3884 मे.वा. क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है, जिसमें से अब तक 665 मे.वा. क्षमता चालू कर दी गई है। इन चालू परियोजनाओं ने विद्युत उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07

के दौरान चालू तथा निर्धारित समय से पिछड़ रही परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(घ) और (ङ) कुल मिलाकर 13210 मे.वा. संस्थापित क्षमता की 40 जल विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें वर्ष 2010-11 तक पूरा किया जाना है, के ब्यौरे संलगन विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) निर्माणाधीन लागत आधिक्य वाली जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलगन विवरण-III में दिए गए हैं।

(छ) इन परियोजनाओं को निर्धारित समयानुसार पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है:–

- राज्यों के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वे आरंभ से ही परियोजनाओं की मॉनिटरिंग में कार्यरत हैं।
- मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। परियोजना कार्यों में तेजी लाने तथा परियोजना प्राधिकारियों की सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना विशिष्ट समन्वयकर्ता अभिज्ञात किए गए हैं।
- सचिव (विद्युत) द्वारा व्यापक तिमाही समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय आदि के साथ आवधिक अंत:-मंत्रालयीन समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- निजी परियोजना विकासकर्ताओं और राज्य सरकारों के साथ आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं।
- परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संविदा दस्तावेजों में प्रोत्साहन खंड शामिल करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- परियोजना प्राधिकारियों को परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर पुरस्कृत करने के पुरस्कार स्कीमें तैयार की गई हैं।

विवरण-I

2005-06 और 2006-07 के दौरान हाइड्रो जेनरेशन क्षमता अभिवृद्धि
(कार्यक्रम बनाम उपलब्धि)

क्र. स.	परियोजना का नाम आई.सी.	राज्य	कंपनी	क्षमता (मे.वा.) लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6
2005-06					
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	धौलीगंगा 4x70 मे.वा.	उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	70
		उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	70
		उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	70
		उत्तरांचल	एनएचपीसी	70	70
2.	दुलहस्ती 3x130 मे.वा.	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	130	
		जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	130	

1	2	3	4	5	6
		जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	130	
3.	टिहरी चरण-1 4x250 मे.वा.	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
		उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
		उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
		उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
		उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र):		1670	280
4.	सरदार सरोवर आरबीपीएच 6x200 मे.वा.	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	200
		गुजरात	एसएसएनएनएल	200	200
		गुजरात	एसएसएनएनएल	200	200
		गुजरात	एसएसएनएनएल	200	200
5.	पायकारा अल्टिमेट 3x50 मे.वा.	तमिलनाडु	टीएनईबी	50	50
		तमिलनाडु	टीएनईबी	50	50
		तमिलनाडु	टीएनईबी	50	50
6.	लारजी 3x42 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	42	
		हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	42	
		हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	42	
7.	भावनानी बराज-I 2x15 मे.वा.	तमिलनाडु	टीएनईबी	15	
		तमिलनाडु	टीएनईबी	15	
8.	अलकाटी डेम 1x15 + 5x55 मे.वा.	कर्नाटक	केपीसीएल	55	55
		कर्नाटक	केपीसीएल	55	55
		उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र):		1216	1060
		कुल		2886	1340

1	2	3	4	5	6
2006-07					
केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	टिहरी चरण-I 4x250 मे.वा.	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	250
		उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
		उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
		उत्तरांचल	टीएचडीसी	250	
2.	दुलहस्ती 3x130 मे.वा.	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	130	
		जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	130	
		जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	130	
3.	तीस्ता-V 3x42 मे.वा.	सिक्किम	एनएचपीसी	170	
		सिक्किम	एनएचपीसी	170	
		सिक्किम	एनएचपीसी	170	
		उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र):		1900	250
4.	लारजी 3x42 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	42	
		हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	42	
		हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	42	
5.	मनेर भाली 4x76 मे.वा.	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	
		उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	
		उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	
		उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	76	
6.	घाटघर 2x125 मे.वा.	महाराष्ट्र	जीओएमआईडी	125	
		महाराष्ट्र	जीओएमआईडी	125	
7.	सरदार सरोवर आरबीपीएच 6x200 मे.वा.	गुजरात	एसएसएनएनएल	200	200

1	2	3	4	5	6
8.	माडिखेडा 2x20 मे.वा.	मध्य प्रदेश	एमपीजीसीएल	20	
		मध्य प्रदेश	एमपीजीसीएल	20	
9.	बानसागर टॉस पीएच-IV	मध्य प्रदेश	एमपीजीसीएल	10	
		मध्य प्रदेश	एमपीजीसीएल	10	
10.	भावनानी बराज-I 2x250 मे.वा.	तमिलनाडु	टीएनईबी	15	15
		तमिलनाडु	टीएनईबी	15	
11.	प्रियदर्शनी जुराला 6x39.1 मे.वा.	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	39	
12.	कुट्टियाडी अतिरिक्त 2x50 मे.वा.	केरल	केएसईबी	50	
		केरल	केएसईबी	50	
13.	बालीमेला विस्तार 2x75 मे.वा.	उड़ीसा	ओएचपीसी	75	
		उड़ीसा	ओएचपीसी	75	
14.	पुरूलिया पीएसएस 6x255 मे.वा.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	225	
15.	करबी लंगपी 2x50 मे.वा.	असम	एसईबी	50	
		असम	एसईबी	50	
		उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र):		1584	215
16.	विष्णु-प्रयाग 4x400 मे.वा.	उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	100
		उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	100
		उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	
		उत्तरांचल	जेपीपीवीएल	100	
		उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र) :		400	200
		कुल क+ख (2006-07)		3884	665

(स्रोत: सीईए)

विवरण-II

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(एमएनईएस के अंतर्गत नवीकरण योग्य स्रोतों को छोड़कर)

6.8.2006 की स्थिति के अनुसार

क्र. स.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	संभावित आरंभन*
1	2	3	4	5	6
1.	पार्बती चरण-II 4x200 = 800 मे.वा.	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800	जून-सित., 2009
2.	चमेरा-III 3x77 = 231 मे.वा.	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	231	अप्रैल-अगस्त, 2010
3.	पार्बती-III 4x130 = 520 मे.वा.	यू-1 से यू-4	भहिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	520	अगस्त-नवम्बर, 2010
4.	कोल डेम 4x200 = 800 मे.वा.	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800	नवम्बर, 2008-अप्रैल, 2009
5.	दलहस्ती 3x130 = 390 मे.वा.	यू-1 यू-2 यू-3	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	130 130 130	दिसम्बर, 2006 जनवरी, 2007 फरवरी, 2007
6.	ऊरी-II 4x60+240 मे.वा.	यू-I से यू-4	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	240	अगस्त-नवम्बर, 2009
7.	सेवा-II 3x40 = 120 मे.वा.	यू-I से यू-3	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	120	जुलाई-सितंबर, 2007
8.	टिहरी चरण I 4x250=1000 मे.वा. (यूनिट # 4 चालू)	यू-3 यू-2 यू-1	उत्तरांचल/टीएचडीसी	250 250 250	अगस्त, 2006 सित., 2006 अक्टूबर, 2006
9.	कोटेश्वर 4x100 = 400 मे.वा.	यू-I से यू-4	उत्तरांचल/टीएचडीसी	400	दिसंबर, 2008- मार्च, 2009
10.	ओंकारेश्वर 8x65 = 520 मे.वा.	यू-I से यू-8	मध्य प्रदेश/एनएचडीसी	520	जुलाई-अक्टूबर, 2007

1	2	3	4	5	6
11.	तीस्ता लो डेम-III 4x33 = 132 मे.वा.	यू-1 से यू-4	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	132	जनवरी,-मार्च, 2008
12.	तीस्ता लो डेम-IV 4x40 = 160 मे.वा.	यू-1 से यू-4	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	160	जून-सित., 2009
13.	तीस्ता चरण V 3x170 = 510 मे.वा.	यू-1 यू-2 यू-3	सिक्किम/एनएचपीसी	170 170 170	फरवरी, 2007 मार्च, 2007 मार्च, 2007
14.	सुबानसिरी लोअर 8x250 = 2000 मे.वा.	यू-I से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2000	अप्रैल-सितम्बर, 2010
15.	कामेंग 4x150 = 600 मे.वा.	यू-I से यू-4	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	600	जुलाई-अक्टूबर, 2010
			उप-जोड़ (केंद्रीय)	8173	
	राज्य क्षेत्र				
16.	लारजी 3x42 = 126 मे.वा.	यू-I यू-2 यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीएसईबी	42 42 42	अगस्त, 2006 सितंबर, 2006 अक्टूबर, 2006
17.	उहल-III 3x33.33 = 100 मे.वा.	यू-I से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीएसईबी	100	मई-सितंबर, 2008
18.	बगलिहार-I 3x150 = 450 मे.वा.	यू-I से यू-3	जम्मू और कश्मीर/जेकेपीडीसी	450	अक्टूबर-दिसंबर, 2007
19.	मरेनी भाली-II 4x76 = 304 मे.वा.	यू-I यू-2 यू-3 यू-4	उत्तरांचल/यूजेवीएनएल	76 76 76 76	दिसंबर, 2006 जनवरी, 2007 फरवरी, 2007 मार्च, 2007
20.	माडिखेडा 2x20 = 40 मे.वा.	यू-1 यू-2	मध्य प्रदेश/एमपीजीसीएल	20 20	अगस्त, 2006 सित., 2006
21.	बानसागर टॉस पीएच IV 2x10 = 20 मे.वा.	यू-1 यू-2	मध्य प्रदेश/एमपीजीसीएल	10 10	अगस्त, 2006 सित., 2006

1	2	3	4	5	6
22.	घाटघर पीएसएस 2x215 = 20 मे.वा.	यू-1 यू-2	महाराष्ट्र/जीओएमआईडी	125	जनवरी, 2007 मार्च, 2007
23.	प्रियदर्शिनी जुराला 6x39 = 50 मे.वा.	यू-1 यू-2 से यू-6	आंध्र प्रदेश/एपीजीईएनसीओ	39 195	मार्च, 2007 जुलाई, 2007-नवम्बर, 2008
24.	नागार्जुन सागर टीआर 2x25 = 50 मे.वा.	यू-1 और यू-2	आंध्र प्रदेश/एपीजीईएनसीओ	50	जुलाई-नवम्बर, 2008
25.	कुट्टियाडी अति. विस्तार 2x25 = 50 मे.वा.	यू-1 यू-2	केरल/केएसईबी	50 50	फरवरी, 2007 मार्च, 2007
26.	अदिरापल्ली* 2x80+2x1.5 = 163 मे.वा. (* मुकदमा चल रहा है)	यू-1 से यू-4	केरल/केएसईबी	163	पीएच-I जनवरी-मार्च, 2010 पीएच-II जनवरी-मार्च, 2010
27.	वराही विस्तार 2x115+230 मे.वा.	यू-1 और यू-2	कर्नाटक/केपीसीएल	230	जनवरी-मार्च, 2009
28.	भवानी बराज I 2x15 = 30 मे.वा.	यू-2	तमिलनाडु/टीएनईबी	15	सितंबर, 2006
29.	भवानी बराज II 2x15 = 30 मे.वा.	यू-1 और यू-2	तमिलनाडु/टीएनईबी	30	फरवरी-मार्च, 2010
30.	भवानी बराज III 2x15 = 30 मे.वा.	यू-1 और यू-2	तमिलनाडु/टीएनईबी	30	फरवरी-मार्च, 2010
31.	बालीमेला विस्तार 2x75 = 150 मे.वा.	यू-1 यू-2	उड़ीसा/ओएचपीसी	75 75	फरवरी-मई, 2007 मार्च, 2007
32.	पुरूलिया पीएसएस 4x225 = 900 मे.वा.	यू-1 से यू-4	पश्चिम बंगाल/डब्ल्यूबीएसईबी	222 675	फरवरी-मई, 2007 अगस्त-नवम्बर, 2007
33.	कारबी लंगपी 2x50 = 100 मे.वा.	यू-1 यू-2	असम/एएसईबी	50 50	दिसम्बर, 2006 फरवरी, 2007
34.	मिन्टडु 2x42 = 84 मे.वा.	यू-1 और यू-2	मेघालय/मेघालय एसईबी	84	अप्रैल-जून, 2008
			उप-जोड़ (राज्य) :	3391	

1	2	3	4	5	6
35.	एलाइन दुहंगन 2x96 = 192 मे.वा.	यू-1 और यू-4	हिमाचल प्रदेश/एडीएचपीएल	96 96	मई, 2008 जून, 2008
36.	करछम वाग्टू 4x250 = 1000 मे.वा.	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/जेपीकेपीएल	250 250 250 250	जून, 2010 सित., 2010 दिसम्बर 2010 मार्च, 2011
37.	बुधिल 2x35 = 70 मे.वा.		हिमाचल प्रदेश/एलएएनसीओ	70.00	नवम्बर-दिसंबर, 2008
38.	मलाना-II 2x50 = 100 मे.वा.		हिमाचल प्रदेश/एवरेस्ट पीसी	100.00	जून-अगस्त, 2008
39.	विष्णु प्रयाग 4x100 = 400 मे.वा.	यू-3 यू-4	उत्तरांचल/जेपीवीएल	100 100	अगस्त, 2006 अक्टूबर, 2006
40	चुजाचेन 2x49.5 = 99 मे.वा.		सिक्किम/गाटी	99.00	फरवरी-मार्च, 2006
			उप-जोड़ (निजी) :	1661	
			उप-जोड़ (हाइड्रो) :	13210	

(स्रोत: सीईए)

*यह परियोजना प्राधिकारियों/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन पर आधारित है।

विवरण-III

बढ़ी हुई लागत वाली जल विद्युत परियोजनाएं

6.8.06 की स्थिति के अनुसार
(रुपये करोड़ में)

क्र. स.	परियोजना का नाम क्षमता/ एजेंसी/राज्य	*अनुमोदित लागत	**अद्यतन लागत	लागत वृद्धि (प्रतिशत में)	वृद्धि करोड़ रुपये में (4-3)
1	2	3	4	5	6
1	दुलहस्ती (3x130 मे.वा.) जम्मू व कश्मीर एनएचपीसी,	3559.77 (11/96)	4924.56 (प्रत्याशित)	38.33	1364.79

1	2	3	4	5	6
2.	तीस्ता-V (3x170 मे.वा.) एनएचपीसी, सिक्किम	2198.04 (4/99)	2430.5 (प्रत्याशित)	10.57	232.46
3	सेवा-II (3x40 मे.वा.) जम्मू व कश्मीर एनएचपीसी	665.46 (9/02)	770.70 (प्रत्याशित)	15.81	105.24
4	तीस्ता लो डेम-III (4x33 मे.वा.) एनएचपीसी, पश्चिम बंगाल	768.92 (12/02)	845.46 (प्रत्याशित)	9.95	76.54
5.	पार्वती-II (4x200 मे.वा.) एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	3919.59 (12/01)	4219.94 (प्रत्याशित)	7.66	300.35
6.	टिहरी-I (4x250 मे.वा.) टीएचडीसी, उत्तरांचल	6621.32 (03/04)	8000.00	20.8	1378.68
7.	लारजी (3x42 मे.वा.) एचपीएसईबी, हिमाचल प्रदेश	875.70 (8/01)	1221.42 (03/004) (प्रत्याशित)	39.47	345.72
8.	बगलिहार-I (3x150 मे.वा.) जेकेपीडीसी, जम्मू और कश्मीर	4000.00	4300.00	7.5	300.00
9.	मनेरी भाली-II (4x76 मे.वा.) जेवीएनएल, उत्तरांचल	1249.18 (2/99)	1714.41 (अनुमानित)	37.24	465.31
10.	बाण सागर टॉस पीएच-IV	84.97 (97-98)	133.10 (3/2002)	159.66	82.04
11.	वराही (2x115 मे.वा.) केपीसीएल, कर्नाटक	280.55	307.00	9.43	26.45
12.	भवानी काटालई I (2x15 मे.वा.) टीएनईबी, तमिलनाडु	90.62	194.53 (03-04)	114.67	103.91

1	2	3	4	5	6
13.	भवानी काटालई बराज-II (2x15 मे.वा.) टीएनईबी, तमिलनाडु	99.50	165.21	66.05	65.71
14.	भवानी काटालई बराज-III (2x15 मे.वा.) टीएनईबी, तमिलनाडु	97.14	166.92	71.83	69.78
15.	बालीमेला विस्तार (2x75 मे.वा.) ओएचपीसी, उड़ीसा	211.00	212.40 (04/00)	0.6	1.4
16.	कारबी लंगपी (2x50 मे.वा.) एएसईबी, असम	36.36 (09/76)	557.42 (12/04)	1434	521.06
17.	मिन्टडू (2x42 मे.वा.) मेघालय एसईबी, मेघालय	285.36 (01/99) आईडीसी रहित	358.38 (01/03) आईडीसी रहित	25.58	73.02
18.	विष्ण प्रयोग (4x100 मे.वा.) मै. जेपीवीएल, उत्तरांचल	1614.66	1717.00	6.34	102.34

(स्रोत: सीईए)

* कॉलम 3 के आंकड़े समक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुमानित लागत दर्शाते हैं। कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े वह मूल्य स्तर इंगित करते हैं जिसपर अनुमान तैयार किया गया।

** यह अनुमानित पहले की गई खर्च तथा परियोजना पूरा करने तक संभावित खर्च पर आधारित है।

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन

2085. **श्री रशीद मसूद** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा पेनल को संस्थापित करने हेतु भवन उप-नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) कुछ श्रेणियों के भवनों में सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना को अनिवार्य बनाने की दृष्टि से शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों को भवन उपनियमों में

संशोधन करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें। इस संबंध में स्थानीय निकायों की सहायता करने के उद्देश्य से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को एक मॉडल विनियम/उपनियम भी परिचालित किया गया है। स्थानीय निकायों द्वारा उनके वर्तमान भवन उपनियमों में इस मॉडल विनियम/उपनियम को शामिल कर लिए जाने के बाद उन श्रेणियों के भवनों के लिए सौर सहायता से चलने वाली जल तापन प्रणालियों का होना अनिवार्य हो जाएगा।

अब तक आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ की सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा चंडीगढ़ ने अपने संबंधित राज्यों में कार्यशील भवनों में सौर जल तापकों को अनिवार्य बनाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) अन्य संवर्धनात्मक उपायों एवं प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सौर ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों की संस्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत सौर तापीय प्रणालियों तथा युक्तियों जैसे सौर जल तापकों, सौर कुकरों, सौर शुष्ककों, सौर वायु तापन/स्टीम उत्पादन प्रणालियों, सौर भभकों (सोलर स्टिल्स) आदि और रोशनी, जल पंपन, तथा विद्युत उत्पादन आदि के लिए सहायता का प्रावधान है। ऊर्जा कुशल सौर भवनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा उपकरणों सहित अक्षय ऊर्जा उत्पादों की बिक्री तथा सेवा के लिए अक्षय ऊर्जा दुकानों की स्थापना की जा रही है। प्रशिक्षण तथा जागरूकता सृजन कार्यकलापों की भी सहायता की जा रही है।

डी.डी.ए. फ्लैटों के चूककर्त्ता

2086. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा किराया क्रय आधार पर फ्लैटों के आबंटियों ने देय किस्तों के भुगतान में चूक की है;

(ख) यदि हां, तो देय किस्तों का भुगतान करने में चूक करने वाले आबंटियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या डी.डी.ए. ने ऐसे सभी आबंटियों को उनके द्वारा कब्जा किए गए फ्लैटों की बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो 31.7.2006 तक कितने आबंटियों द्वारा देय राशि जमा की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने उन फ्लैटों का आबंटन निरस्त करने के लिए कार्रवाई की है जिनके विरुद्ध अभी भी बकाया देय है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि किराया-खरीद आधार पर फ्लैटों के आबंटियों में से कई आबंटियों ने देय किस्तों के भुगतान में चूक की है पर एक निश्चित समय में चूककर्त्ताओं की कुल संख्या का कोई केन्द्रित रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि आबंटियों के निजी खाता के आधार पर चूककर्त्ताओं को उनके कब्जे वाले फ्लैटों की बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किये जाते हैं।

(घ) इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 13,338 आबंटियों ने जुर्माना राहत स्कीम, 2001 में, जिसे दिनांक 31.3.2006 को बंद कर दिया गया, अपनी बकाया राशि का भुगतान किया है।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यदि चूककर्त्ता देय राशि का भुगतान नहीं करता है तो नियमों/नीतियों के अनुसार कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फ्लैट का आबंटन निरस्त किया जाता है।

[अनुवाद]

जलापूर्ति एवं पर्यावरण हेतु विश्व बैंक से ऋण

2087. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान विश्व बैंक ने जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित परियोजना हेतु कोई ऋण उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए धन में से परियोजना-वार विभिन्न राज्यों को कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों का ब्यौरा क्या है और वित्तीय वर्ष 2005-06 की समाप्ति के पश्चात् उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक की राज्य-वार स्थिति रिपोर्ट क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान विश्व बैंक ने कर्नाटक राज्य सरकार को कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना (एलएन 4730) नामक केवल एक ही परियोजना के लिए 39.5 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता राशि उपलब्ध करायी है। परियोजना दिनांक 18.2.2005 को हस्ताक्षरित की गई थी और दिनांक 18.5.2005 से प्रभावी हुई। परियोजना के लक्ष्य हैं, सहभागी शहरी स्थानीय निकायों को सहायता करना और जल आपूर्ति सेवाओं का कुशल और वाणिज्योन्मुख व्यवस्था को अनवरत बनाए रखना। कर्नाटक राज्य सरकार परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के लिए 39.5 मिलियन अमरीकी डालर की कुल ऋण की राशि में से दिनांक 30.6.2006 तक कुल 11 मिलियन अमरीकी डालर की राशि संवितरित की गई है।

(ग) और (घ) दिनांक 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार चल रही उन परियोजनाओं के ब्यौरे जिनमें विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाएं (30.06.2006 की स्थिति के अनुसार)

(मि. अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	कुल राशि	दिनांक 30.6.06 तक संवितरण
1	2	3	4	5
	राज्य क्षेत्र परियोजनाएं			
1.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	16-जुलाई-02	108	69.6
2.	आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता अभिक्रम परियोजना	11-अप्रैल-00	111	103.56
3.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	20-फरवरी-03	150.03	120.00
4.	असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	14-दिसंबर-04	154	13.37
5.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	24-अप्रैल-03	92.56	11.53
6.	गुजरात आपातकाली भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना	02-मई-02	442.8	290
7.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	05-सितंबर-00	381	241.24
8.	हिमाचल प्रदेश मध्य-हिमालयी वाटर शेड विकास परियोजना	13-दिसम्बर-05	60	5.24
9.	कर्नाटक समुदाय-आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	25-अप्रैल-02	98.9	31.46

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	14-मई-06	216	0
11.	कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना	29-जूनद-06	120	0
12.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	24-मई-01	360	270.68
13.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	08-अप्रैल-04	39.5	11
14.	कर्नाटक वाटर शेड विकास परियोजना	21-जून-01	100.4	43.5
15.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	18-दिसंबर-01	151.6	74.09
16.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना	07-नवम्बर-00	65.5	42.49
17.	केरल राजय परिवहन परियोजना	14-मार्च-02	255	116.218
18.	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता अभिक्रम परियोजना	07-नवम्बर-00	110.1	87.04
19.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना	07-सितंबर-04	394.02	22
20.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई ''जल स्वराज्य'' परियोजना	26-अगस्त-03	181	46.02
21.	महाराष्ट्र, जल क्षेत्र सुधार परियोजना	23-जून-05	325	32
22.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	18-जून-02	542	176.02
23.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	14-मार्च-02	60	34
24.	राजस्थान जिला निर्धनता अभिक्रम परियोजना	25-अप्रैल-00	100.48	68.72
25.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	11-मार्च-04	89	12.73
26.	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	21-जून-01	74.4	57.46
27.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना	19-फरवरी-02	140	60.23
28.	तमिलनाडु अधिकारिता और निर्धनता उन्मूलन परियोजना	12-जुलाई-05	120	6.85
29.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	16-दिसंबर-04	110.83	13.37
30.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	17-जून-03	348	78.24
31.	तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	05-जुलाई-05	300	17
32.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	25-अप्रैल-00	110	52.2

1	2	3	4	5
33.	उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय भूमि सुधार परियोजना	15-दिसंबर-98	194.1	196.62
34.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	19-दिसंबर-02	488	139.5
35.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना	19-फरवरी-02	149.2	30.47
36.	इलाहाबाद बाई-पास परियोजना	14-अक्तूबर-03	240	71.47
37.	उत्तरांचल विद्युतीकरण वाटर शेड विकास परियोजना	20-मई-04	69.62	6.62
	बहुराज्यीय/केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना			
38.	एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोजेक्ट	20-अप्रैल-04	500	385.88
39.	खाद्य और औषधी क्षमता निर्माण परियोजना	05-जून-03	54.03	13.5
40.	ग्रैंडट्रैंक रोड सुधार परियोजना	21-जून-01	589	352.487
41.	हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट चरण-II	24-अगस्त-04	104.98	0.53
42.	भारत: आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना	03-मई-05	465	52
43.	इंटीग्रेटेड डीजीज सुरवेलेंस प्रोजेक्ट	08-जुलाई-04	68	7.28
44.	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	21-दिसंबर-04	620	96
45.	राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना	18-अप्रैल-06	200	0
46.	पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-III	19-जनवरी-06	400	0
47.	ग्रामीण सड़क परियोजना	23-सितम्बर-04	399.5	128.39
48.	द्वितीय पावरग्रिड प्रणाली विकास परियोजना	03-मई-01	450	396
49.	द्वितीय अक्षय ऊर्जा	27-जून-00	130	75
50.	एसएसई वित्त पोषण और विकास	30-नवम्बर-00	120	100
51.	आर्थिक सुधार परियोजना के लिए तकनीकी सहायता	12-मई-00	45	18
52.	तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना	14-नवंबर-02	250	72.4
53.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	08-जून-00	516	350.55
54.	तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	07-सितम्बर-00	64.9	57.1
	जोड़		12028.45	4757.655

समुद्र तटीय क्षेत्र का विकास

2088. श्री चाडिगा रामकृष्णा : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में समुद्र तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है;

(ख) समुद्र तट के निकट रहने वाली जनसंख्या हेतु आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ग) क्या समुद्र तटीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित कोई दिशानिर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) आंध्र प्रदेश (ए.पी.) राज्य में तटीय क्षेत्र की लंबाई लगभग 973 किमी. है।

(ख) आंध्र प्रदेश के समुद्र की ओर के तटीय क्षेत्र में बसने वाले लोगों की सहायता के लिए, सरकार कच्छ वनस्पति पौधारोपण, आश्रय स्थलों के निर्माण को सुधारने और विकसित करने के लिए मात्स्यिकी बंदरगाहों को सुधारने तथा स्थापित करने और आंध्र प्रदेश के समस्त तटीय क्षेत्र के समानांतर पर्यटक सैरगाहों सहित संबंधित उद्योगों की स्थापना करने जैसे उपाय कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए दिशा-निर्देशों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से, पर्यटकों/ आगंतुकों के अस्थायी आवास के लिए सीआरजेड-III के निर्दिष्ट क्षेत्रों में बीच रिजार्ट/होटलों के विकास के लिए दिशा-निर्देश

पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से पर्यटकों/आगंतुकों के अस्थायी आवास के लिए सीआरजेड-III के निर्दिष्ट क्षेत्रों में बीच रिजार्ट/होटलों का निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:–

परियोजना प्रस्तावक उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर (भूमि की ओर चौड़ाई के भीतर) और निम्न ज्वार और उच्च ज्वार रेखा के बीच क्षेत्र के भीतर अस्थायी निर्माण और घेराबंदी या ऐसे अन्य अवरोधों सहित कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

वनस्पति कवर सहित विद्युतयुक्त घेराबंदी और कंटीली तार घेराबंदी की निजी संपत्तियों के आसपास इस शर्त के अध्यधीन अनुमति दी जा सकती है कि ऐसा घेराबंदी से बीच पर आने जाने में जनता को कोई रुकावट नहीं आए।

(i ख) बालू टीलों को समतल करने का कार्य नहीं किया जाएगा।

(i ग) गोल खंभों, नेट खंभों और लैम्प खंभों को छोड़कर खेल सुविधाओं के लिए किसी स्थायी संरचना की अनुमति नहीं होगी।

(i घ) तहखानों के निर्माण की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन दी जा सकती है कि राज्य भू-जल प्राधिकरण से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है कि इस प्रकार के निर्माण के लिए क्षेत्र में भू-जल के मुक्त प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य भू-जल प्राधिकरण इस प्रकार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

विवेचन :

तथापि, एफएसआई की गणना के प्रयोजनों के लिए "कोई निर्माण नहीं क्षेत्र" में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। कोई निर्माण नहीं क्षेत्र के भीतर आनेवाले भाग के 50 प्रतिशत सहित समस्त भूखंड क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा।

(i) कुल भूखंड आकार 0.4 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए तथा सभी तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र भूखंड आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् एफएसआई 0.33 से अधिक नहीं होना चाहिए। खाली स्थान उपयुक्त वनस्पति कवर के साथ समुचित रूप से प्राकृतिक दृश्य से परिपूर्ण होना चाहिए;

(ii) निर्माण परिवेशी प्राकृतिक दृश्य और स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होना चाहिए;

(iii) छत की उच्चतम रिज तक निर्माण की कुल ऊंचाई, 9 मीटर से अधिक न हो तथा निर्माण 2 तल (भूतल + एक ऊपरी तल) से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iv) भू-जल का एचटीएल की 200 मी. के भीतर दोहन नहीं किया जाना चाहिए, 200 मीटर-500 मीटर क्षेत्र के भीतर, इसका दोहन केवल केन्द्रीय/राज्य भू-जल बोर्ड की सहमति से किया जा सकता है;

(v) भवन, तरण-ताल की नींव संरचना को छोड़कर बालू निकालने, बालू स्ट्रेचों को समतल करने अथवा खोदने के लिए उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(vi) परियोजना क्षेत्र से शोधित निस्सारों, ठोस अपशिष्टों, उत्सर्जनों और शोर स्तरों इत्यादि की गुणवत्ता केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण बोर्ड सहित और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है;

(vii) निस्सारों और ठोस अपशिष्टों के शोधन के लिए आवश्यक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अशोधित निस्सारों और ठोस अपशिष्टों को जल में अथवा बीच पर न डाला जाए; तथा बीच पर कोई निस्सार/ठोस अपशिष्ट नहीं डाला जाना चाहिए;

(viii) बीच पर जनता के आने-जाने की अनुमति देने के लिए, किन्हीं दो होटलों/बीच रिजार्ट के बीच कम से कम 20 मीटर के अंतराल की व्यवस्था की जानी चाहिए, तथा किसी भी स्थिति में अंतराल 500 मीटर से पृथक नहीं होने चाहिएं;

(ix) यदि परियोजना से वन भूमि को गैर वन भूमि प्रयोजनों के लिए बदला जाना शामिल है, तो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत यथा अपेक्षित अनुमोदन लिया जाना चाहिए। परियोजना के लिए लागू केन्द्रीय/राज्य विधियों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए; और

(x) राज्य/संघ शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

पारितंत्र रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में (जैसे समुद्री पार्क, कच्छ वनस्पति, शैवाल भित्ति, मछली के प्रजनन और अण्डजनन स्थलों, वन्य जीव वासों तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित हो) बीच रिजार्ट/होटलों की निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विवरण-II

तटीय विनियमन जोन का वर्गीकरण

विकास कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए तटवर्ती स्ट्रेचों के भूमि की ओर 500 मीटर तक उच्च ज्वार रेखा को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे :

श्रेणी I (सीआरजेड I)

(i) क्षेत्र जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं जैसे–राष्ट्रीय उद्यान/समुद्री पार्क, अभ्यारण्य, रक्षित वन, वन्य जीव वास, मैनग्रोव, मूंगा/कोरलरीफ मछली तथा अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन और अण्डजनन स्थलों से सटे क्षेत्र, अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य/ऐतिहासिक/परंपरागत पैतृक क्षेत्र, जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र, वैश्विक गर्मी के परिणामस्वरूप समुद्र सतह में बढ़ोतरी के कारण संभावित जलमग्न होने वाले क्षेत्र तथा वे सभी अन्य क्षेत्र जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा समय-समय पर उद्घोषित किया जाता है।

(ii) निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच का क्षेत्र।

श्रेणी II (सीआरजेड II)

वे क्षेत्र जो पहले ही समुद्र तटरेखा (शोर लाइन) तक अथवा समीप तक विकसित कर दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए "विकसित क्षेत्र" का संदर्भ नगरपालिका सीमाओं के भीतर क्षेत्र से है अथवा अन्य कानूनी शहरी क्षेत्र जो पहले से ही पर्याप्त रूप से निर्मित है तथा जिन्हें नालियों/संपर्क मार्ग तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हैं, जैसे–जल आपूर्ति तथा सिवरेज मेन्स।

श्रेणी III (सीआरजेड III)

वे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत व्यवधानरहित हैं और वे क्षेत्र जो श्रेणी-I और श्रेणी II से संबंधित नहीं है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों (विकसित और अविकसित) में तटीय जोन शामिल होंगे तथा वे भी क्षेत्र जो नगरपालिका सीमा के भीतर अथवा जो अन्य कानूनी रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र में हैं और जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं है।

श्रेणी IV (सीआरजेड IV)

सीआरजेड I, सीआरजेड II, सीआरजेड III में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और छोटे द्वीप समूहों में तटीय स्ट्रेच।

कार्यलापों के विनियमन के लिए मानदंड

सीआरजेड क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में विकास अथवा निर्माण कार्यकलाप, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विनियमित होंगे।

सीआरजेड-I

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाएं और (ख) पाईप लाइनें, ट्रांसमिशन लाइन सहित, संप्रेषण तंत्रों (ग) वे सुविधाएं जो सीआरजेड (i) के तहत अनुमत कार्यकलापों के लिए आवश्यक है को छोड़कर सीआरजेड (I) में नये निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्न ज्वार स्तर (एलटीएल) तथा उच्च ज्वार स्तर (एचटीएल) के बीच, पैरा 12 में यथा निर्दिष्ट कार्यकलापों की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त] एलटीएल और एचटीएल के बीच क्षेत्रों जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें निम्नलिखित को अनुमति दी जा सकती है:– (क) तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और उत्कर्षण (ख) पैरा-2 के उप पैरा ग्राफ II के परन्तुक के तहत यथाविनिर्दिष्ट कार्यकलाप और (ग) औषधालयों, विद्यालयों, जनता वर्षा शरण स्थलों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों, घाटों, जल आपूर्ति, जल निकासी, मल निकासी जो राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के परंपरागत निवासियों के लिए आवश्यक है।

सीआरजेड-II

भवनों की अनुमति केवल मौजूद सड़क (या क्षेत्र की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में अनुमोदित सड़कों) के भूमि की ओर अथवा भूमि की ओर मौजूदा अधिकृत संरचनाओं की अनुमति दी जाएगी। इसके आंतरिक भवनों को प्रस्तावित सड़क/मौजूदा और प्रस्तावित सड़कों/मौजूदा अधिकृत संरचनाओं के भूमि की ओर अनुमति प्राप्त भवन फ्लोर स्पेश इनडेक्स/फ्लोर एरिया रेसियो के मौजूदा मानदंडों सहित मौजूदा स्थानीय शहर तथा देश योजना विनियमनों के अध्यधीन होंगे।

बशर्ते कि भवनों के निर्माण के लिए किन्हीं नई सड़कों (तटीय जोन प्रबंधन योजना में अनुमोदित सड़कों को छोड़कर) भूमि की ओर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। जो किसी मौजूदा सड़क के समुद्र की ओर निर्मित हैं।

अधिकृत भवनों के पुनर्निर्माण के लिए अनुमति दिया जाना मौजूदा एफएसआई/एफएआर मानदंडों तथा मौजूदा उपयोग में परिवर्तन किए बिना, के अध्यधीन हैं।

भवनों की डिजाइन और निर्माण आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य और स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होंगे।

सीआरजेड-III

उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को ''कोई विकास नहीं जोन'' के रूप में चिन्हित किया जाना है। वर्तमान प्राधिकृत संरचना में विद्यमान एफएसआई की संरचना में मरम्मत को छोड़कर विद्यमान कुर्सी क्षेत्र तथा मौजूदा सघनता से अधिक तथा ऐसे कार्यकलापों के लिए आवश्यक सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए अधिसूचना के तहत अनुमत कार्यकलापों के लिए निर्माण की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी तथा मल निकासी की अनुमति दे सकता है। तथापि इस जोन में निम्नलिखित उपयोगों को अनुमति दी जा सकती है—कृषि, उद्यान, बागीचा, चारागाह, पार्क, खेल मैदान, जंगलात तथा समुद्र जल से नमक उत्पादन।

अनुलग्नक II में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों की शर्तों के अधीन पर्यटकों/आगंतुकों के अस्थायी निवास के लिए होटलों/बीच रिजार्टों के निर्माण के लिए अनुमत पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमईएफ) के पूर्व अनुमोदन से सीआरजेड-III के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा के 200 से 500 मीटर के बीच के खाली भूखंडों का विकास।

अब तक अनुमत उच्च ज्वार रेखा के 200 और 500 मीटर के बीच रिहायशी इकाइयों का निर्माण/पुनर्निर्माण जैसे मौजूदा मात्स्यिकी गांवों और गावधानों की पंरपरागत अधिकारों/प्रथागत उपयोगों की परिधि। इस प्रकार के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए भवन अनुमति इन शर्तों के अध्यधीन होगी कि रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या मौजूदा इकाइयों की संख्या से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए; सभी तलों पर कुल निर्मित स्थान भूखंड आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा निर्माण 2 तलों (भूतल और प्रथम तल) से अधिक नहीं होगा। निर्माण अनुमत कार्यकलापों ऐसे कार्यकलापों के लिए आवश्यक सुविधाओं सहित अधिसूचना के तहत अनुमति है। राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट कोई प्राधिकरण जनता वर्षा आश्रय, सामुदायिक शौचालय, जल आपूर्ति, जल निकासी, मल निकासी, सड़कों और पुलों के निर्माण की अनुमति दे सकता है। उक्त प्राधिकरण स्कूलों और औषधालयों, क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए उन पंचायतों के लिए जिनका प्रमुख भाग सीआरजेड के भीतर आता हे यदि ऐसी सुविधाओं

के निर्माण के लिए कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं है, के निर्माण की भी अनुमति दे सकता है।

उक्त (i) से (iii) के अधीन प्राप्त किसी मौजूदा अधिकृत भवन का पुनर्निमाण/परिवर्तन।

सीआरजेड-IV

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह :

एचटीएल की 200 मीटर के भीतर भवनों के नई निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उच्च ज्वार रेखा से 200 और 500 मीटर के बीच भवन 2 तलों (भूतल और प्रथम तल) से अधिक नहीं होंगे, सभी तलों का कुल निर्मित क्षेत्र भूखंड आकार के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी।

भवनों का डिजाइन और निर्माण आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य और स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होना चाहिए।

बीचों और तटीय जल क्षेत्रों से कोरलों का उपयोग निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

बीचों और तटीय जलक्षेत्रों से बालू का उपयोग केवल 30 सितम्बर 2002 तक ही निर्माण प्रयोजन के लिए किया जा सकता है तथा इसके पश्चात् इसका उपयोग निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

कोरल संघटनों में और उनके आसपास निकर्षण और अंतर्जल विस्फोट की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

तथापि, कुछ द्वीपों में से तटीय स्ट्रेचों को, पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से सीआरजेड-I अथवा II या III श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट स्ट्रेचों, संबंधित श्रेणियों के लिए दिए गए उपयुक्त विनियमन लागू होंगे।

लक्षद्वीप और छोटे द्वीप समूह :

भवनों के निर्माण की अनुमति देने के लिए, उच्च ज्वारीय रेखा से दूरी, द्वीपों के आधार पर निर्भर करते हुए तय की जाएगी। यह विशेषज्ञों के साथ परामर्श और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन से जल विज्ञानी पहलुओं कटाव और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता सहित विशिष्ट प्रयोजनों और स्थानीय दशाओं के लिए भू-उपयोग अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक द्वीप के लिए निर्धारित की जाएगी;

एचटीएल से 500 मी. भीतर के भवनों में 2 तल (भूतल और प्रथम तल) से अधिक नहीं होने चाहिए, सभी तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र भूखंड आकार के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए;

भवनों का डिजाइन और निर्माण आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य और स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होना चाहिए;

बीचों और तटीय जल क्षेत्र से कोरलों और बालू का निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा;

कोरल संघटनों में और उनके आसपास निकर्षण और अंतर्जल विस्फोट की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

तथापि, कुछ द्वीपों में से तटीय स्ट्रेचों को, पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से सीआरजेड-I अथवा II या III श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट स्ट्रेचों, संबंधित श्रेणियों के लिए दिए गए उपयुक्त विनियमन लागू होंगे।

एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत कामगारों हेतु बीमा योजना

2089. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.आर.ई.जी.ए. कामगारों हेतु लागू की जाने वाली प्रस्तावित बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) इस योजना को एन.आर.ई.जी.ए. में शामिल श्रम बल हेतु कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) एनआरईजीए के अंतर्गत बीमा योजना का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, एक योजना बनाने के लिए बीमा कंपनियों के साथ प्रारंभिक विचार- विमर्श शुरू किया गया है तथा उनके साथ एक बैठक भी की गई है। बीमा कंपनियों को अपनी योजनाओं का खाका उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नियोजन अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति

2090. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रति पांच पंचायतों पर एक कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति करने हेतु सभी राज्यों को कोई निर्देश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में संबंधित राज्यों विशेषकर झारखंड द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से एनआरईजीए के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को 2% प्रशासनिक खर्च की सीमा के भीतर प्रत्येक 10 पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायता को 4000/- रु. प्रति माह की दर से मजदूरी दिए जाने की अनुमति भी दी है।

(ख) राज्य उपलब्ध श्रमशक्ति में से एनआरईजीए के लिए अतिरिक्त तकनीकी श्रमशक्ति की व्यवस्था करने और खर्च की अधिकतम सीमा में यथासंभव अतिरिक्त भर्ती करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। झारखंड में तकनीकी सहायकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। गुजरात सरकार ने जिला तथा तालुक स्तर पर 6 उप-अभियंताओं, 471 सहायक अभियंताओं/अतिरिक्त सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की है। राजस्थान ने एनआरईजीए जिलों में 140 सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं की तैनाती की है। केरल ने एनआरईजीए के लिए कुछ अभियंताओं की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश में 700 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति संबंधी कार्रवाइ चल रही है। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने 10 पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक के लिए अनुमति दे दी है। कुछ राज्यों ने विद्यमान स्टाफ को पुन: तैनात किया है। उत्तर प्रदेश ने अभियंताओं का पैनल बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की आऊटसोर्सिंग

2091. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक वर्कर्स यूनियन, रिजर्व बैंक इम्प्लॉईज एसोसिएशन और एआईआरबी ऑफिसर एसोसिएशन ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों यथा समाशोधन संचालन का निजी पक्षों को हस्तांतरण इत्यादि की आऊटसोर्सिंग पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के चार मान्यता प्राप्त संघ, नामत: भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ, अखिल भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ, अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ एवं अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार संघ ने भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की स्थापना एवं समाशोधन गृह/राष्ट्रीय समाशोधन प्रकोष्ठ (एनसीसी) के कार्यों की आऊटसोर्सिंग सहित कुछ मुद्दों पर एक समान निर्णय लेने/कार्रवाई करने के लिए एकजुट हुए हैं तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक संयुक्त मंच तैयार किया है।

(ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के तत्वाधान में सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समूह द्वारा एनपीसीआई की स्थापना की जा रही है ताकि बेहतर एवं अर्थक्षम भुगतान तंत्र एवं निपटान प्रणाली हो, जो एक बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार भी करेगा एवं प्रौद्योगिकी मानकीकरण को सुकर बनाएगा। एनपीसीआई की स्थापना के पश्चात भी, लेनदेन का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक में बना रहेगा तथा बैंक भुगतान एवं निपटान प्रणाली को नियंत्रित करना एवं उन पर निगरानी रखना जारी रखेगा। एनसीसी के कार्य को आऊटसोर्सिंग द्वारा कराने अथवा अंतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस कार्य को भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी, जो एनपीसीआई में प्रतिनियुक्ति पर होंगे, द्वारा किया जाएगा, जैसा कि अब तक किया जाता रहा है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन

2092. **श्री सुरेश कलमाडी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अगले तीन वर्षों में 803 करोड़ रुपये के निवेश से ईस्ट-वेस्ट पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी,

हां। पूर्वी-पश्चिमी पारेषण कॉरीडोर सुदृढ़ीकरण योजना हेतु निवेश अनुमोदन 23 जून, 2006 को जारी किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 803.70 करोड़ रुपये है। योजना निवेश अनुमोदन की तारीख से 36 माह के भीतर कार्यान्वित की जानी निर्धारित है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच अधिक क्षमता अंत:संबद्धता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र तक अतिरिक्त विद्युत स्थानांतरित करने और अंत:संबंद्ध ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थायित्व को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास

2093. **श्री वृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कई गैर-सरकारी संगठनों को धन आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को उपलब्ध कराए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अर्थक्षम ग्राम समूह का विकास करने में गैर-सरकारी संगठनों और कारपोरेट क्षेत्र को सक्षम बनाने हेतु विश्व बैंक से सहयोगी बनने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नये कैपिटल बांडों को जारी करना

2094. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों के लाभ हेतु नये कैपिटल गेन बांड्स जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बांडों से होने वाली सुनिश्चित आय की दर कितनी है;

(घ) क्या बांडों में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज देयता शून्य होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु विशेष पैकेज

2095. **श्री कीरेन रिजीजू** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश हेतु धन राशि जारी करने के संबंध में अपनाए गए मानदंड में छूट दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण अरुणाचल प्रदेश हेतु विभिन्न योजनाओं के लागत संघटक में वृद्धि की जानी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किसी विशेष पैकेज पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा हवाला से संबंधित गिरफ्तारियां

2096. **डा. के. धनराजू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) ने धन के हवाला लेन-देन में लिप्त बहुत से लोगों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक गिरफ्तार किए गए लोगों तथा जब्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इस व्यापार को रोकने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए शून्य।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय सीमा शुल्क कार्यालयों को सतर्क रहने और हवाला के जरिए पैसे के लेन-देन को विफल करने हेतु सावधान कर दिया गया है। हवाला लेन-देन को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभभोगियों की सूची

2097. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों में इंदिरा आवास योजना जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभभोगियों की सूची उचित रूप से तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे आने वाली श्रेणी, जो कि बहुत सी समाज कल्याण तथा विकास योजनाओं का पैमाना है के अंतर्गत आने वाले लाभभोगियों की सूची की समीक्षा करने के निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में बीपीएल जनगणना करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देता है ताकि इंदिरा आवास योजना सहित मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सहायता देने के लिए ग्रामीण गरीब परिवारों की पहचान की जा सके। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहली बीपीएल जनगणना, 1992 में की गई थी तथा 9वीं योजना के लिए 1997 में सर्वेक्षण किया गया था। मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी ग्रामीण परिवारों के अंक आधारित रैंकिंग के आधार पर बीपीएल जनगणना, 2002 करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके लिए विशेषज्ञ दल की सिफारिश के आधार पर 13 आर्थिक मानदंड निर्धारित किए गए थे। ग्रामीण परिवारों की स्थिति के निर्धारण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई थी।

[हिन्दी]

डाक घरों को आयकर संग्रहण की आऊटसोर्सिंग

2098. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल पटले :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर रिटर्न भरने में निर्धारितियों को आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में डाक घरों में आयकर रिटर्न स्वीकार करने की अनुमति देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्रस्ताव कब प्रभावी होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) परम्परागत रूप से, आयकर विभाग स्थानीय आयकर कार्यालयों अथवा कुछ अन्य उपयुक्त स्थान में केन्द्रीय रूप से विवरणियों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शहर में व्यापक व्यवस्था करता रहा है। केन्द्रीकृत रूप से विवरणी प्राप्त करने से अनेक करदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा हो रही थी क्योंकि उन्हें केन्द्रीकृत प्राप्ति केन्द्रों तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त, उन्हें लंबी कतार में प्रतीक्षा भी करनी पड़ती थी। अत: सरकार ने 26 जुलाई, 2006 से विवरणियां प्राप्त करने के लिए पूरे देश में लगभग 1900 डाक घरों को अनुमति देकर विवरणियों की प्राप्ति को विकेन्द्रित करने को उचित समझा। ऐसे डाकघरों की सूची वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू इनकमटैक्सइंडिया.गोव.इन तथा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू इंडियापोस्ट.गोव.इन पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना

2099. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून और जुलाई, 2006 के दौरान नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन कितनी बार रुका;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप शेयर धारक राजकोष को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस जलाशय में गाद की सीमा निर्धारित सीमा को पार कर गई है;

(ङ) यदि हां, तो गाद की निर्धारित सीमा क्या है;

(च) गाद को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि विद्युत उत्पादन प्रभावित न हो;

(छ) क्या यह परियोजना चल रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन, जून, 2006 के दौरान दो बार तथा जुलाई 2006 के दौरान 9 बार निम्नलिखित विवरणानुसार रुका:–

(i)	जून, 2006	–	2 बार जलाशय की समान्य सफाई हेतु
(ii)	जुलाई, 2006	–	2 बार जलाशय की समान्य सफाई हेतु तथा 7 बार सतलुज नदी में गाद की भारी मात्रा के कारण

संयंत्र जून एवं जुलाई 2006 के दौरान 311 घंटे के लिए बंद रहा। इसमें गाद बहाने के कारण 34 घंटे की बंदी तथा नदी जल में भारी मात्रा में गाद आने के कारण 277 घंटे की बंदी शामिल है।

(ग) जलाशय की सफाई के कारण शेयर धारकों को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि यह तलछट प्रबंधन की एक तकनीकी आवश्यकता है तथा डिजाइन एनर्जी में इस का ध्यान पहले ही रखा जाता है।

जून तथा जुलाई 2006 के दौरान नदी जल में भारी मात्रा में गाद आने के कारण संयंत्र को 277 घंटे (11.57 दिनों के समतुल्य) बंद करने के परिणामस्वरूप, शेयर धारक राजकोष को 61.58 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई।

(घ) जी, हां।

(ङ) जब भी कभी नदी जल में गाद की सांदता 4000 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) की अनुमत सीमा को पार कर जाती है, तब

संयंत्र की सुरक्षा के लिए तथा टरबाईन के जल में रहने वाले कल-पुर्जों को क्षरण से बचाने के लिए, संयंत्र को बंद कर दिया जाता है।

(च) सतलुज नदी में भारी गाद से निजात पाने के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं:-

(i) विनिर्दिष्ट/अनुमत्य सीमा से ऊपर गाद स्तर बढ़ने पर यूनिटों को बंद कर दिया जाता है जैसा कि पावर स्टेशन के प्रचालन मैनुअल में निर्धारित किया गया है।

(ii) पानी के नीचे के कलपुर्जों की हाई वेलॉसिटी आक्सीजन फ्यूल (एचवीओएफ) के जरिए टंगस्टन कारबाईड कोटिंग से कोटिंग की गई है, ताकि गाद से अपघर्षण की प्रतिरोधशक्ति में सुधार हो सके।

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के जरिए कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान का कड़ाई से कार्यान्वयन जो लगभग 29.75 करोड़ रु. बैठता है।

(iv) बांध अक्ष से ऊपरी क्षेत्र में, क्वार्टज वाली गाद की भारी मात्रा नदी जल में लाने वाले चिह्नित नालों का उपचार।

(v) सतलुज नदी में अपशिष्ट मलबा फेंकने को रोकना।

(vi) गाद को कम करने के लिए नाथपा बांध जलाशय की साप्ताहिक सफाई।

(छ) और (ज) जी, हां। जून एवं जुलाई में संयंत्र ने लगभग 375 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 1,598 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया। फिर भी, 24.7.2006 से सतलुज नदी में गाद की भारी मात्रा होने के कारण, संयंत्र 24.7.2006 से चलाया नहीं जा रहा है तथा जैसे ही गाद की मात्रा अनुमत सीमा तक आ जाएगी, उत्पादन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

वनस्पति पर आयात शुल्क

2100. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से किसी सीमा शुल्क के बिना वनस्पति का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में वनस्पति का आयात किया गया;

(ग) क्या वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात से घरेलू उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है क्योंकि श्रीलंका तथा नेपाल से आयातित पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क लगता है;

(घ) यदि हां, तो देश में वनस्पति उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) पाम आयल के आयात पर 89 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का क्या औचित्य है जबकि वनस्पति का श्रीलंका से शून्य सीमा शुल्क पर आयात किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) नेपाल (एक वर्ष में एक लाख मिट्रिक टन तक), भूटान और श्रीलंका से शून्य बुनियादी सीमा शुल्क पर वनस्पति के आयात की अनुमति है।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रीलंका, नेपाल और भूटान से विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान आयातित वनस्पति की मात्रा निम्न प्रकार थी:

(मिट्रिक टन में)

देश	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-दिसम्बर)
श्रीलंका	शून्य	22151	138096
नेपाल	45015	18658	60411
भुटान	शून्य	शून्य	2733

(ग) घरेलू वनस्पति उद्योग ने श्रीलंका और नेपाल से वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात के प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत की है।

(घ) नेपाल से वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात को एक वित्त वर्ष में 1 लाख मिट्रिक टन के कोटे तक सीमित रखा गया है। जहां तक श्रीलंका का संबंध है, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में (i) श्रीलंका से वनस्पति के आयात को सारणीबद्ध करना और (ii) ऐसे

आयातों के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत विहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य बनाना शामिल है।

(ङ) श्रीलंका से शून्य दर पर वनस्पति का आयात भारत-श्रीलंका उनमुक्त व्यापार करार के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पाम तेल किसी करार के अंतर्गत शामिल नहीं है। पाम तेल सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घरेलू खाद्य तेल उद्योग को संरक्षित करने की आवश्यकता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए पंजीकरण शुल्क

2101. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए पंजीकरण शुल्क में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए 26 जून, 2006 से प्रभावी पंजीकरण/नवीकरण शुल्क 5,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डालर और उपलेखों के लिए 1,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2,000 अमरीकी डालर कर दिया है। एफआईआई के पंजीकरण/नवीकरण की वैधता 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऋण

2102. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारत सरकार ने समाज के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्गों को ऋण मुहैया कराने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जैसी योजनाएं तैयार की हैं।

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान एसजीएसवाई और एसजेएसआरवाई के अंतर्गत बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए एसजीएसवाई तथा एसजेएसआरवाई के अंतर्गत बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. स.	राज्य	एसजीएसवाई		एसजेएसआरवाई	
		2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13791.44	11879.34	1762.10	2200.81

1	2	3	4	5	6
2.	असम	5058.59	4768.83	231.99	105.52
3.	बिहार	20586.7	21305.71	462.54	495.58
4.	गुजरात	4216.82	6486.50	892.95	863.47
5.	हरियाणा	2044.67	2691.97	519.10	708.10
6.	हिमाचल प्रदेश	1499.81	1612.19	205.68	107.89
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1529.22	1345.78	437.39	797.71
8.	कर्नाटक	4495.02	4881.17	712.14	878.48
9.	केरल	4138.56	4210.89	904.89	1003.41
10.	मध्य प्रदेश	11055.17	9105.40	1821.25	1745.51
11.	महाराष्ट्र	6589.17	10706.00	1346.48	1642.02
12.	मणिपुर	117.11	161.28	1.75	1.25
13.	मेघालय	416.79	136.40	73.98	12.12
14.	नागालैण्ड	426.52	256.59	175.24	22.81
15.	उड़ीसा	8701.47	7841.50	779.20	592.06
16.	पंजाब	1835.25	1611.46	233.31	78.23
17.	राजस्थान	5901.18	5520.01	1011.65	1518.79
18.	सिक्किम	150.47	103.15	13.35	12.84
19.	तमिलनाडु	8293.52	13181.41	374.93	429.39
20.	त्रिपुरा	930.03	515.90	110.51	92.17
21.	उत्तर प्रदेश	14316.5	17599.51	1803.15	3700.94
22.	पश्चिमी बंगाल	6886.78	8952.90	237.26	445.68
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7.68	14.41	1.09	2.40
24.	अरुणाचल प्रदेश	240.69	144.00	1.30	0.00

1	2	3	4	5	6
25.	चण्डीगढ़	6.26	0.57	15.05	12.79
26.	दादरा एवं नगर हवेली	3.05	26.00	0.00	5.00
27.	गोवा	102.11	191.46	7.11	9.19
28.	मिजोरम	123.08	54.00	0.96	2.60
29.	पांडिचेरी	99.45	309.39	38.13	71.82
30.	लक्षद्वीप	2	0.00	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	0	6.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	6.16	34.86	41.48	82.87
33.	झारखण्ड	5632.73	8302.22	98.92	140.15
34.	छत्तीसगढ़	2838.5	3409.63	419.51	316.22
35.	उत्तरांचल	1871.92	2329.62	332.69	261.36
	कुल	133914.42	149696.05	15067.08	18359.18

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों का वैश्विक विस्तार

2103. **श्री ई.जी. सुगावनम :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों ने वैश्विक विस्तार की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनी-वार किन-किन देशों में इस विस्तार की योजना है; और

(ग) इस विस्तार से क्या लाभ होने की संभावना है तथा इससे कितना राजस्व अर्जित होने की आशा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विदेशों में सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों की उपस्थिति से संबंधित अद्यतन स्थिति तथा उनके भविष्य में विस्तार की योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि इसके वैश्विक विस्तार संबंधी प्रस्तावों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बेहतर प्रयोग का अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापार वृद्धि के लिए भी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त, अधिक मूल्य निर्धारण तथा तकनीकी फीस द्वारा राजस्व अर्जित होगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष 2005-06 में 877 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1025 करोड़ रु. के बढ़े हुए विदेशी व्यापार की आशा करती है। तथापि, भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) वर्ष 2006-07 में अपने विदेशी कार्यालयों से प्रीमियम आय के रूप में 205 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त करने की आशा करता है।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वे देश जहां पेहले से ही परिचालन विद्यमान है	वे देश जहां परिचालन के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	खाड़ी राज्य, श्रीलंका, नेपाल, यू.के., फिजी और मॉरिशस	सऊदी अरब, भूटान, नाइजीरिया और न्यू-जीलैण्ड।
2.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल)	नेपाल और हांग कांग	और अधिक विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
3.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल)	24 देशों में जैसे जापान, हांग कांग, फिलिपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस, यू.के., न्यू-जीलैंड, अबू धाबी (यूएई), दुबई (यूएई), बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, डच कैरिब्बियन, नीदरलैंड्स, एंटिल, फ्रांस, केनेडा, नाइजीरिया, घाना, सियेरा लियोन, लिबेरिया, ट्रिनिडाड एंड टोबेगो, सेंट लूशिया डोमीनिका, सेंट मार्टिन में 19 शाखाएं, दो सहयोगी कंपनियां तथा 3 अनुषंगी कंपनियां।	सऊदी अरब और कतर।
4.	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)	नेपाल, दुबई और कुवैत	सीरिया
5.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल)	–	–
6.	भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	दुबई, लंदन तथा मास्को में एक-एक प्रतिनिधि कार्यालय	दुबई तथा लंदन में प्रतिनिधि कार्यालयों का स्वयंपूर्ण शाखा कार्यालयों के रूप में उन्नयन का प्रस्ताव है। केन्या में एक जनसंपर्क तथा संपर्क कार्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जाता है।

[हिन्दी]

अनधिकृत निर्माण रोकने हेतु तकनीक

2104. श्री इंसराज जी. अहीर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए कोई नई तकनीक विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर नई तकनीक के शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त तकनीक के कब तक परिचालित हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के अंतर्गत, 3-डी जी आई एस आंकड़ा आधारों के सृजन हेतु रशियन अकादमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से एक अनुसंधान परियोजना आरंभ की गयी थी।

(ख) इस तकनीक को चांदनी चौक में वार्ड-1 के छोटे से क्षेत्र में पथप्रदर्शक पैमाने पर आरंभ किया जा रहा है। सभी समसामयिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है और त्रि-आयामी भौगोलिक सूचना प्रणाली की रचना हेतु आंकड़ों को एकीकृत किया जा रहा है। इस आंकड़ा आधार में पहचान परिवर्तन सहित बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसे चांदनी चौक (वार्ड-1) में 20 कि.मी. वाले छोटे क्षेत्र में आरंभ किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) यह प्रौद्योगिकी अभी परीक्षण एवं वैधीकरण के स्तर पर है।

[अनुवाद]

सरकारी मकानों की जीर्णोद्धार

2105. श्री एस.के. खारवेनवन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीर्ण-शीर्ण पुराने क्षेत्रों और उनके बाहरी हिस्सों को पुनर्विकसित करने तथा सरकारी मकानों का जीर्णोद्धार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने रिहायशी क्वार्टरों के बाहरी हिस्सों का जीर्णोद्धार करने के लिए उनकी बाहरी दीवारों की फिनिशिंग करने हेतु बेहतर दिनिर्देश अपनाने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में मुख्य सड़क के सामने के सभी टाईप के क्वार्टरों को लिया जाएगा। उसके बाद सभी क्वार्टरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वर्ष 2006-07 में इन कार्यों के लिए 20.90 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

गुजरात में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2106. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्य में स्टेकहोल्डरों की सहायता से विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं। वर्तमान में कुल 1565.45 मे.वा. की चार ताप विद्युत परियोजनाएं गुजरात में निर्माणाधीन हैं। इन ताप विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अलावा 11वीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्ति के लिए कुल 3950 मे.वा. क्षमता की पांच ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापना हेतु प्रस्तावित हैं। इन ताप विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

11वीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में लाभ हेतु प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	ईंधन	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित परियोजना लागत	अभ्युक्तियां/स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार यूनिट-4 जिला-कच्छ मै. जीएसईसीएल के द्वारा (राज्य क्षेत्र)	लिग्नाइट	75	30469 लाख (3548 लाख रुपए की आईडीसी सहित)	- 15.1.04 को भेल को मुख्य संयंत्र के लिए आदेश सौंपे गए। - परियोजना के अप्रैल, 2007 में चालू होने की आशा है।

1	2	3	4	5	6
2.	धुवरन सीसीपीपी विस्तार जिला-आनन्द मै. जीएसईसीएल के द्वारा (राज्य क्षेत्र)	प्राकृतिक गैस	112.45	35600 लाख	- 24.3.04 को भेल को मुख्य संयंत्र के लिए आदेश सौंपे गए। - परियोजना के अप्रैल, 2007 में चालू होने की आशा है।
3.	सुरत लिग्नाइट टीपीपी विस्तार फेज-II, यूनिट 3 और 4 जिला-सुरत मै. जीआईपीसीएल (राज्य क्षेत्र)	लिग्नाइट	250 (2x250)	119950 लाख	- 31.3.06 को भेल को मुख्य संयंत्र के लिए आदेश सौंपे गए। - यूनिट 3 के नवम्बर, 2008 और यूनिट-8 के मार्च, 2009 में चालू होने की आशा है।
4.	सुगेन सीसीपीपी (अखाखोल) जिला-सुरत	गैस	1128 (प्रत्येक 376 के 3 ब्लॉक)	309600 लाख	- ईपीसी संविदा मै. सिमेंस, जर्मनी के नेतृत्व वाले संघ को 17.6.2005 को सांपी गई। - ब्लॉक-I के मार्च, 2007 में, ब्लॉक-II के दिसंबर, 2007 में तथा ब्लाक-III के फरवरी, 2008 में चालू होने की आशा है। - परियोजना को मेगा परियोजना का दर्जा दिया गया है।
		कुल	1565.45		

विवरण-II

11वीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में लाभ को पहुंचाने हेतु प्रस्तावित नए थर्मल विद्युत

परियोजनाओं की सूची

क्र. स.	कार्यान्वयन एजेंसी/क्षमता/स्कीम का नाम	ईंधन	11वीं योजना में लाभ (मे.वा.)	अभ्युक्तियां/स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सिक्का टीपीपी विस्तार (2 x 250 मे.वा.) मैसर्स जीएसईसीएल	कोयला	500	– मार्च, 2007 तक संविदा पत्र प्राप्त होने की की आशा है। – 2009-10 में चालू होने की आशा।
2.	कवास-II (1300 मे.वा.) मैसर्स एनटीपीसी	गैस	1300	– 11वीं योजना के आरंभिक 2 वर्ष में संविदा पत्र प्राप्त होने की आशा है। – 2009-10 में चालू होने की आशा।

1	2	3	4	5
3.	गांधार-II (1300 मे.वा.) मैसर्स एनटीपीसी	गैस	1300	– 11वीं योजना के आरंभिक 2 वर्ष में संविदा पत्र प्राप्त होने की आशा है। – 2009-10 में चालू होने की आशा।
4.	उत्तरन सीसीपीपी (350 मे.वा.) मैसर्स जीएसईसीएल	गैस	350	– सभी स्वीकृतियां प्राप्त। – 11वीं योजना के आरंभिक 2 वर्ष में संविदा पत्र प्राप्त होने की आशा है।
5.	ऊकाई टीपीएस यूनिट-6 (500 मे.वा.) मैसर्स जीईबी	कोयला	500	– कोयला संबंधी करार की शर्त पर 11वीं योजना में चालू होने का प्रस्ताव है।
		कुल	3950	

भूमि उपयोग नीति में बदलाव

2107. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि के उपयोग में बदलाव की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अंतर्ग्रस्त प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में भूमि के उपयोग में बदलाव की अनुमति दी गई और उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही भू-उपयोग में परिवर्तन करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया जाएगा।

(ख) प्रक्रिया में सार्वजनिक सूचना जारी करना, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करना, जांच बोर्ड को प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर विचार करना, प्राधिकरण की संस्तुति तथा अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्र सरकार का अनुमोदन शामिल है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि 1.1.2003 से 31.7.2006 तक की अवधि के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ 19 बार भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी गई है, जैसे झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास, मैट्रो स्टेशनों की स्थापना, रिहायशी, वाणिज्यिक तथा अन्य सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करना; उद्योगों का पुनर्बसाव इत्यादि।

बैंकों में अदावाकृत जमाराशि

2108. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है कि बैंकों में पड़ी अदावाकृत धनराशि को एक कोष में जमा किया जाना चाहिए और उस कोष का देश में शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को धनराशि जारी किए जाने में विलंब

2109. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना/सूखा प्रवण क्षेत्र परियोजना (डी.पी.ए.पी.) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान को आबंटित की गई धनराशि की अनेक किस्तें जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या संबंधित राज्यों ने इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न ग्रामीण विकास शीर्षों के संबंध में प्रत्येक राज्य को अभी तक कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और राजस्थान के विशेष संदर्भ में शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) 2005-06 के दौरान राजस्थान को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के सामान्य तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) घटकों के संबंध में आबंटित निधियों की दोनों किस्तें रिलीज की गई थीं। जम्मू और कश्मीर के संबंध में एआरडब्ल्यूएसपी के डीडीपी घटक की दूसरी किस्त रिलीज नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा-परीक्षा रिपोर्टें न मिलने के कारण एआरडब्ल्यूएसपी के सामान्य घटक की कोई किस्त रिलीज नहीं की गई थी। जहां तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम का संबंध है ये मांग-जनित कार्यक्रम हैं और इनमें अंतर-राज्यीय आबंटन नहीं किया जाता। स्वीकृतियां राज्य में कुल निम्नीकृत क्षेत्र, चल रहे कार्यों के लिए मांग और राज्यों से प्राप्त नए परियोजना प्रस्तावों को ध्यान में रखकर दी जाती है।

(घ) एआरडब्ल्यूएसपी के सामान्य और डीडीपी घटक के अंतर्गत 2006-07 में किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 2006-07 के दौरान डीपीएपी/डीडीपी राज्यों को की गई रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

एआरडब्ल्यूएसपी के सामान्य और डीडीपी घटकों के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में किया गया

राज्य	2006-07 के दौरान आबंटित राशि (लाख रु. में)		
	सामान्य	डीडीपी	योग
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32.73	लागू नहीं	32.73
आंध्र प्रदेश	19548.00	536.08	20084.08
अरुणाचल प्रदेश	9843.00	लागू नहीं	9843.00
असम	16601.00	लागू नहीं	16601.00
बिहार	16557.00	लागू नहीं	16557.00
चण्डीगढ़	5.46	लागू नहीं	5.46
दादरा व नगर हवेली	5.92	लागू नहीं	5.92
दमन व दीव	13.53	लागू नहीं	13.53
दिल्ली	0.00	लागू नहीं	0.00
गोवा	226.00	लागू नहीं	226.00
गुजरात	12503.00	658.56	13161.56
हरियाणा	4053.00	1499.63	5552.63
हिमाचल प्रदेश	9663.00	43.86	9706.86
जम्मू व कश्मीर	23326.00	161.79	23487.79
कर्नाटक	17467.00	2035.40	19502.40
केरल	6216.00	लागू नहीं	6216.00
मध्य प्रदेश	16759.00	लागू नहीं	16759.00
महाराष्ट्र	32232.00	लागू नहीं	32232.00
लक्षद्वीप	3.64	लागू नहीं	3.64

1	2	3	4
मणिपुर	3379.00	लागू नहीं	3379.00
मेघालय	3893.00	लागू नहीं	3893.00
मिजोरम	2791.00	लागू नहीं	2791.00
नागालैंड	2865.00	लागू नहीं	2865.00
उड़ीसा	9212.00	लागू नहीं	9212.00
पांडिचेरी	38.72	लागू नहीं	38.72
पंजाब	3654.00	लागू नहीं	3654.00
राजस्थान	26425.00	15064.68	41489.68
सिक्किम	1175.00	लागू नहीं	1175.00
तमिलनाडु	12057.00	लागू नहीं	12057.00
त्रिपुरा	3453.00	लागू नहीं	3453.00
उत्तर प्रदेश	27990.00	लागू नहीं	27990.00
पश्चिम बंगाल	14092.00	लागू नहीं	14092.00
छत्तीसगढ़	5839.00	लागू नहीं	5839.00
झारखंड	6474.00	लागू नहीं	6474.00
उत्तरांचल	6707.00	लागू नहीं	6707.00
कुल	315100.00	20000.00	335100.00

विवरण-II

वर्ष 2006-07 (8.8.2006 की स्थिति के अनुसार) के दौरान डीपीएपी एवं डीडीपी के अंतर्गत जारी की गई राशियां

राज्य	8.8.2006 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान की गई रिलीज (लाख रु. में)	
	डीपीएपी	डीडीपी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1282.275	733.900
बिहार	0.000	लागू नहीं
छत्तीसगढ़	0.000	लागू नहीं
गुजरात	738.680	1120.780
हरियाणा	लागू नहीं	0.000
हिमाचल प्रदेश	0.000	524.720
जम्मू और कश्मीर	0.000	0.000
झारखंड	0.000	लागू नहीं
कर्नाटक	709.600	712.980
मध्य प्रदेश	811.025	लागू नहीं
महाराष्ट्र	214.870	लागू नहीं
उड़ीसा	182.825	लागू नहीं
राजस्थान	581.195	6723.057
तमिलनाडु	820.395	लागू नहीं
उत्तरांचल	0.000	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	158.260	लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	0.000	लागू नहीं
कुल	5499.125	9815.437

भारतीय किसानों के लिए बीपीएल मानदंड

2110. **श्री बी.के. तुम्मर :**
श्री हरिसिंह चायड़ा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों का औसत पारिवारिक व्यय सरकार द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित की गई धनराशि से थोड़ा-ही-अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लंबे समय से बी.पी.एल. मानदंडों का बहाना लेकर भारत के गरीब लोगों की बड़ी संख्या (मेगासिटी) को छिपाने की प्रक्रिया में लगी रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी की आवश्यकता के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में गरीबी को पारिभाषित किया था। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी की स्थिति का आकलन योजना आयोग द्वारा विशेषज्ञ समूह के वर्गीकरण (गरीबों के अनुपात तथा संख्या के आकलन संबंधी लकड़वाला समिति) के अनुसार लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए घरेलू उपभोक्ता खर्च संबंधी व्यापक नमूना सर्वेक्षण से किया जाता है। ग्रामीण गरीबी रेखा 327.56 रु. है जिसका 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान लगाया गया था। तथापि, एनएसएसओ ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के आग्रह पर एनएसएसके 59वें दौर के भाग के रूप में 2003 के दौरान कृषिकों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, राष्ट्र स्तर पर 2003 के दौरान कृषकों का प्रति व्यक्ति औसतन मासिक व्यय 502.83 रु. है। यदि 1999-2000 के मूल्यों के हिसाब से 502.83 रु. के प्रति व्यक्ति औसतन मासिक व्यय की अपस्फीति होती है तो यह 487.97 रु. बनता है जो गरीबी रेखा से लगभग 49% अधिक है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन

2111. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुप्रीय सिंह :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषध और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए तैयार किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुसंधान और विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में औषध एवं भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाये हैं और उपाय किये हैं। गत तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 और 2005-06) के दौरान सरकार ने औषध एवं भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रोन्नयन हेतु 232.90 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ग) और (घ) औषध एवं भेषज में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित कुछ अनुसंधान और विकास कार्यक्रम हैं : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) का औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) का नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन एम आई टी एल आई), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर) का प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन, विकास और उपयोगिता (टी पी डी यू) कार्यक्रम, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) की लघु व्यापार नवाचार अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई), भेषज अनुसंधान और विकास हेतु आयकर अधिनियम के तहत भारित कर छूट और मानव संसाधन विकास हेतु अनुसंधान अध्येतावृत्ति का प्रस्ताव।

जनशक्ति की कमी

2112. **श्री अरुण चक्रवर्ती :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में जनशक्ति की कमी से चालू वर्ष के दौरान कर संग्रहणों के लिए निर्धारित बजटीय लक्ष्य प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कर संग्रहणों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और वास्तविक तौर पर अभी तक कितना कर संग्रहण हुआ है; और

(ग) आयकर विभाग में पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) महोदय, पिछले वित्त वर्ष में जनशक्ति की कमी से कर संग्रहण प्रभावित हुआ है। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान यह संग्रहण और अधिक होता यदि पर्याप्त जनशक्ति रही होती तो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में यह संग्रहण और ज्यादा हुआ होता। निगमित आयकर एवं व्यक्तिगत आयकर (अनुषंगी लाभ कर प्रतिभूति संव्यवहार कर, एवं बैंककारी नकद संव्यवहार कर सहित) के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 जुलाई, 2006 तक संग्रहण, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान इन शीर्षों के अंतर्गत संग्रहणों की तुलना में 61.35% अधिक है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कर संग्रहणों के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

(रु. करोड़ में)

कर	निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक संग्रहण (31.07.06 तक)
निगमित आयकर	1,33,010	19,553
व्यक्तिगत आयकर (अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर एवं बैंककारी नकद संव्यवहार कर सहित)	77,409	16,528
कुल	2,10,419	36,081

(ग) आयकर विभाग में जनशक्ति की कमी को, कुछ समय पूर्व स्वीकृत 3,300 पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करके दूर किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नए कानूनों के अधिनियमन एवं कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से सृजित सूचना से उद्भूत होने वाले नए कार्य क्षेत्रों के कारण जनशक्ति की व्यापक अपेक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। विभाग जनशक्ति संसाधनों में वृद्धि करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है तथा इस दिशा में उपाय शुरू कर दिए हैं। प्रस्तावित नए पदों की औपचारिक संस्वीकृति में कुछ समय लगेगा।

औद्योगिक निवेश बैंक

2113. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) को बंद किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैंक को निजी स्वामित्व को बेचने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंक के कर्मचारियों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) को संचित हानि हुई है, जिसके कारण कंपनी की पूंजी एवं उसके संसाधन में क्षरण हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि आईआईबीआई का समापन ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप, आईआईबीआई के लिए अपने परिचालन को जारी रखना संभव नहीं है जिससे आईआईबीआई को अंतत: बंद किया जाना आवश्यक हो सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आईआईबीआई के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में आमेलित किए जाने का विकल्प दिया जाएगा जिसके साथ उनके वेतन की पूर्ण सुरक्षा भी की जाएगी। विकल्प के तौर पर, कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति का विकल्प होगा।

जीवन बीमा के लिए समान पासपोर्ट

2114. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बीमा कंपनियों को अलग-अलग पॉलिसी प्रलेखीकरण तथा भाषाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जीवन बीमा कंपनियों को जीवन बीमा कंपनियों के लिए एक समान फार्मेट तथा भाषा तैयार करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बीमा कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि एक पालिसी प्रलेख में निहित निबंधन तथा शर्तें पालिसी के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ पर आधारित हैं। एक कंपनी को दूसरी कंपनी द्वारा प्रदत्त विशेषताएं, जो अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग होती हैं, पालिसी प्रलेख की विषय-वस्तु को निर्धारित करती हैं। जहां तक भाषा का संबंध है, यह भी विभिन्न कंपनियों में भिन्न होती है। जहां कुछ कंपनियां, द्विभाषी फारमेट्स (अंग्रेजी और हिन्दी) का प्रयोग करती हैं, वहीं अधिकांश कंपनियां अंग्रेजी में पत्राचार करती हैं। तथापि, आईआरडीए ने निर्धारित किया है कि माइक्रो बीमा उत्पादों के मामले में, पालिसी प्रलेख में स्थानिक भाषा का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

(ग) और (घ) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उद्योग के लिए एक समान फॉरमेट तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, इसे उचित शब्दावली सहित सभी उत्पादों के लिए मानक पालिसी बांड्स की ड्राफ्टिंग के कार्य की जिम्मेदारी, नेशनल इंश्योरेंस एकेडेमी, पुणे को सौंपी गयी है। सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा इन मानक पालिसी बांड्स को अपनाए जाने के लिए विचार किया जाता है।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेट्रो रेल

2115. **श्री के.वी.एस.पी. रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित स्थलों तक मेट्रो रेल का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो खेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किए गए रूटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) हो सकता है कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के सभी प्रस्तावित स्थलों को मेट्रो रेल के साथ जोड़ना आवश्यक न हो। सबसे अनुकूलतम मोड का इस्तेमाल करके सरल आवाजाही मुहैया करने के लिए एक समग्र परिवहन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खेलों के लिए सभी आवश्यक निर्माण कार्यों के समय पर पूरा होने की संभावना है।

एसजीएसवाई के अंतर्गत कर्नाटक को निधियां जारी करना

2116. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से मैसूर जिले में कृषि उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विशेष परियोजना प्रस्ताव के संबंध में पहली किस्त जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग केन्द्र सरकार के पास पिछले दो वर्षों से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह किस्त कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर्नाटक के मैसूर में एग्री-एंटरप्राइज़ेज के माध्यम से ग्रामीण जनता के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विशेष परियोजना मार्च, 2005 में स्वीकृत की थी और केन्द्रीय हिस्से की 97.59 लाख रु. तथा 163.04 लाख रु. की पहली किस्त क्रमश: 31 मार्च, 2005 तथा 14 जून, 2005 के स्वीकृति आदेश संख्या 24015/2/2005-एसजीएसवाई-II (एसपी) के माध्यम से रिलीज की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में अतिरिक्त स्टाफ

2117. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटीएम के आने के परिणामस्वरूप बैंकों में अतिरिक्त स्टाफ तथा अधिकारियों की संख्या बढ़ने से कुछ बैंकों में व्यय बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ये कदम उठाने से सरकार को कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) एटीएम को लागू करने के पश्चात् बैंकों के खर्च में किसी विशेष वृद्धि की सूचना नहीं मिली है। अतिरिक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि संबद्ध बैंक की परिचालन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की पुनर्तैनाती की गई है।

[अनुवाद]

पानी की कमी

2118. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की जनसंख्या के चीन की जनसंख्या को भी पार कर जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख महानगरों में विद्युत, पेयजल, आवास की कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात का अध्ययन करने के लिए एक टीम नियुक्त करने का है कि चीन इस स्थिति से कैसे निपट रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2045 में भारत की कुल जनसंख्या 1.501 बिलियन होगी और चीन की कुल जनसंख्या 1.496 बिलियन होगी। यह भी आंकलन किया गया है कि कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत शहरी बस्तियों में रहेगा जिससे निश्चित रूप से मेट्रोपॉलिटन शहरों की मौजूदा अवस्थापना पर जोर पड़ेगा।

(ख) "शहरी विकास" राज्य का विषय होने के कारण प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरी अवस्थापना का विकास तथा नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ऐसी परियोजनाएं बनायी, वित्तपोषित एवं निष्पादित की जाती हैं। राज्य सरकारों को उनके प्रयास में मदद के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। देश के सभी प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरों सहित 63 चुनिंदा शहरों को सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता देने के लिए दिनांक 03.12.2005 को केन्द्र सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शूरू किया गया है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्वायत्तता

2119. श्री रायपति सांबासिवा राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैज्ञानिक समुदाय को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति, कार्मिक विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल कर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयोजन में एक पांच सदस्यीय

समिति का गठन किया गया है जो संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी। समिति (i) नियोजन एवं प्रशासन (ii) परियोजना प्रशासन (iii) वैज्ञानिकों के मामलों और (iv) लेखा परीक्षा एवं दायित्वों के उदारीकरण हेतु उपायों की सिफारिश करेगी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2120. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में भारतीय उच्चतम न्यायालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) चुनने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विषय (स्ट्रीम्स) विशेष में कार्यरत उच्चतम न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी वीआरएस अधिक लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन विषयों (स्ट्रीम्स) का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एक विशेष विषय (स्ट्रीम्स) से जुड़े व्यक्तियों को वीआरएस लेने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बीमा कंपनियों में उपभोक्ता सेवाएं

2121. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा उनके दावों के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों पर से उपभोक्ताओं का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है तथा उनकी उपभोक्ता रेटिंग में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) देश की विभिन्न सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्य को सुचारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा उनके दावों के संबंध में भारतीय सरकारी बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) एसोसिएशन (जिप्सा) ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-मुकदमा दावों का दावा निपटान अनुपात 90.29 प्रतिशत था। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के संबंध में वर्ष 2004-05 में दावा निपटान अनुपात 99.86 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों का यह प्रयास है कि दावा निपटान अनुपात को बढ़ाया जाए और दावा निपटान में होने वाले विलंब को कम किया जाए, जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान की जा सके।

(ग) और (घ) जिप्सा कंपनियों में ग्राहकों का विश्वास इस तथ्य से प्रकट होता है कि वर्ष 2005-06 में शुद्ध प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) को अधिमान्य गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से "सीएनबीसी आवाज अवार्ड" दिया गया। एलआईसी को भी पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार "नं. 1 सेवा ब्रांड" प्रदान किया गया है और भारत में "अधिमान्य बीमा कंपनी" के रूप में माना गया। वर्ष 2006 में एलआईसी ने एनडीटीवी प्रोफिट "बिजनेस लीडर इन इंश्योरेंस" अवार्ड भी जीता।

(ङ) सरकार ने गुणात्मक तथा मात्रात्मक जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ दावों का निपटान, कर्मचारियों की उत्पादकता तथा ग्राहक संपर्क प्रबंध (सीआरएम) शामिल हैं, के आधार पर कंपनियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए कदम उठाए हैं।

एसजेएसआरवाई के अंतर्गत ऋण

2122. **श्री रघुनाथ झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत तथा संवितरित किए जाने के मामलों में सहयोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) एसजेएसआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितना ऋण स्वीकृत तथा संवितरित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को विशिष्ट अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके द्वारा उन्हें स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत हिताधिकारियों को ऋण की मंजूरी एवं संवितरण के मामले में आवश्यक सहयोग देने की सलाह दी गई है। एसजेएसआरवाई के तहत घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी आरबीआई मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके करता है।

(ख) आरबीआई प्राप्त शिकायतों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता। तथापि, बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत का तुरंत निवारण किया जाता है।

(ग) एसजेएसआरवाई के उचित कार्यान्वयन हेतु आरबीआई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

- आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि एसजेएसआरवाई के तहत मंजूर किए गए ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों के रूप में माना जाना चाहिए।
- आरबीआई ने बैंकों से यह भी कहा है कि ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के तहत आवेदनों की मंजूरी एवं ऋणों के संवितरण में अत्यधिक अंतराल/विलंब नहीं हो जिससे पात्र हिताधिकारियों को अनावश्यक कठिनाई होती है।
- शाखा प्रबंधकों को एसजेएसआरवाई योजना के तहत प्रस्तावों की मंजूरी के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार दिए जाने चाहिएं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि हिताधिकारियों को कठिनाई से बचाने के लिए और एसजेएसआरवाई योजना के तहत आवेदनों के निपटान में परिणामी विलंब से बचने के लिए कागजी कार्रवाई को सरल बनाया जाए।
- 25,000 रुपए तक के ऋण के लिए ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
- 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋणों तथा 3 लाख रुपए तक के समूह ऋणों के लिए कोई सम्पार्श्विक/गारंटी जरूरी नहीं है।
- आरबीआई एसजेएसआरवाई के तहत घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके करता है।

(घ) एसजेएसआरवाई के तहत गत 3 वर्षों के दौरान हिताधिकारियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(लाख रुपए)

वर्ष	संस्वीकृत	संवितरित
2004	25051	19278
2005	21492	16368
2006 (अनंतिम)	24501	21299

[हिन्दी]

जल-मल व्ययन प्रणाली

2123. श्री राजेश पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शहरों और कस्बों में जल-मल व्ययन प्रणाली में सुधार के लिए राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमोदित/निरस्त/लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एडीबी तथा विश्व बैंक

2124. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण स्वीकृति और संवितरण तंत्र में परिवर्तन करवाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक ने उन परियोजनाओं का वित्तपोषण बंद कर दिया है जिनमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक ने किन-किन परियोजनाओं का वित्तपोषण बंद कर दिया है;

(ङ) क्या एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक ने यह पाया है कि भारत में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और केन्द्रीय सतर्कता आयोग का तंत्र इस स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नही।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

2125. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों विशेषकर विकासात्मक परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहले ही 2004 के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं पुन:स्थापन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कानून को लागू करने से पहले राज्यों की राय भी ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा और कितने विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जायेगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (च) भारत सरकार ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति-2003 तैयार की है, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में 17 फरवरी, 2004 को प्रकाशित किया गया था। यह राष्ट्रीय नीति सभी संबंधितों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा कार्यपालक अनुदेशों के रूप में है और यह नीति मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवारों या इससे अधिक परिवारों और पर्वतीय क्षेत्रों, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले खण्डों, भारत के संविधान की अनुसूची-V और अनुसूची-VI में वर्णित क्षेत्रों में 250 परिवारों को सामूहिक रूप से विस्थापित करने वाली परियोजनाओं के संबंध में लागू है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में कई राज्य सरकारों की अपनी नीतियां हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय पर एक अधिनियम, नामत: महाराष्ट्र परियोजना प्रभावित व्यक्ति पुनर्वास अधिनियम, 1999 (महाराष्ट्र अधिनियम सं. 2001 का XI) पारित किया है।

नीति का मूल्यांकन करना और नियमन करना एक चल रही प्रक्रिया है। इस विषय पर कानून बनाने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अप्रवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

2126. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी कंपनियों ने देश में अपना व्यापार आरंभ करने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके द्वारा कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्रवार वास्तव में कितना निवेश हुआ है; और

(घ) इन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले 3 वर्षों (अप्रैल, 2003 से मई, 2006) में अप्रवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुमोदित प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरे और वास्तविक निवेश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने अप्रवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए एक उदार, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अपनाई है। इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए इसका निरंतर यौक्तिकीकरण किया जाता है।

विवरण

अप्रैल, 2003 से मई, 2006 तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों का वित्तीय वर्षवार ब्यौरों संबंधी विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र	अप्रैल-मार्च 2003-04 रुपयों में एफडीआई	अप्रैल-मार्च 2004-05 रुपयों में एफडीआई	अप्रैल-मार्च 2005-06 रुपयों में एफडीआई	अप्रैल-मार्च 2006-07 रुपयों में एफडीआई	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातु कर्म उद्योग	146.06	880.95	680.84	160.09	1,867.94
2.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधन)	520.94	759.00	415.71	387.84	2,083.49
3.	बॉयलर और भाप उत्पादक संयंत्र	0.20	2.34	0.00	0.00	2.54
4.	प्राइम मूवर वैद्युत को छोड़कर	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
5.	इलेक्ट्रिक उपकरण (साफ्टवेयर और इलेक्ट्रानिकी सहित)	2,449.32	3,280.58	6,449.06	358.36	12,587.33
6.	दूर-संचार	531.95	588.41	3,023.46	1,383.83	5,527.65
7.	परिवहन उद्योग	1,417.13	815.10	982.99	318.09	3,533.31
8.	औद्योगिक मशीनरी	13.93	40.74	187.52	20.11	262.29

1	2	3	4	5	6	7
9.	मशीन टूल्स	250.75	50.73	100.25	3.43	405.16
10.	कृषि मशीनरी	0.11	0.01	415.97	0.00	416.09
11.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	0.05	0.47	231.30	0.00	231.82
12.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	100.07	56.73	226.21	3.37	386.37
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	40.96	62.46	111.41	4.50	219.33
14.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	9.26	24.05	6.72	0.00	40.03
15.	औद्योगिक उपस्कर	4.16	4.95	1.69	0.00	10.80
16.	वैज्ञानिक उपस्कर	0.07	0.14	0.45	0.00	0.66
17.	उर्वरक	99.29	61.90	19.31	0.00	180.50
18.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	93.69	908.68	1,979.06	81.93	3,063.36
19.	फोटोग्राफिक कच्ची फिलम और कागज	1.35	27.62	0.00	0.00	28.97
20.	रंजक सामान	2.00	5.42	0.00	0.00	7.42
21.	औषध और भेषज	501.67	1,342.91	759.70	10.32	2,614.60
22.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	42.84	196.84	414.67	26.21	680.56
23.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	31.68	12.41	122.90	1.80	168.80
24.	शर्करा	0.25	13.51	13.10	0.00	26.86
25.	किण्वन उद्योग	7.82	41.64	28.57	0.00	78.03
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	510.85	174.08	182.94	3.75	871.63
27.	वनस्पति तेल और वनस्पति	7.79	41.03	54.00	0.74	103.56
28.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	0.00	4.09	388.49	1.74	394.32
29.	रबर पदार्थ	29.31	184.18	150.77	0.70	364.96
30.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	32.18	2.03	4.89	0.34	39.44
31.	कांच	24.11	38.47	3.54	1.37	65.50

1	2	3	4	5	6	7
32.	सिरेमिक्स	6.78	123.09	25.02	4.40	159.29
33.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	44.04	0.73	1,969.82	1.99	2,016.58
34.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	0.50	0.31	465.64	0.00	466.45
35.	रक्षा उद्योग	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
36.	परामर्शी सेवाएं	257.13	1,166.83	206.44	13.61	1,644.02
37.	सेवा क्षेत्रक	1,235.27	2,105.53	2,565.04	1,089.25	6,995.11
38.	होटल और पर्यटन	226.80	168.85	315.59	22.33	733.58
39.	व्यापार	104.66	65.72	123.43	108.95	402.77
40.	विविध उद्योग	1,319.11	1,399.71	1,907.83	1,406.75	6,033.39
41.	अंतर्वाह का आगम*	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
42.	अदला-बदली किए गए स्टॉक	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल जोड़	12,117.36	17,137.87	24,612.74	5,415.81	59,283.78

टिप्पणी 1. इस राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल हैं।

2. उपर्युक्त में अनिवासी भारतीयों से प्राप्त अंतर्वाह शामिल हैं।

3. *चिन्ह वाली क्षेत्रवार सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अप्रैल, 2003 से मई, 2006 तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों का वित्तीय वर्षवार ब्यौरों संबंधी विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र	अप्रैल-मार्च 2003-04		अप्रैल-मार्च 2004-05		अप्रैल-मार्च 2005-06		अप्रैल-मार्च 2006-07		जोड़	
		वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	धातु कर्म उद्योग	29	46.95	28	444.76	6	52.22	0	0.00	63	543.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधन)	40	320.23	27	495.45	13	304.38	0	0.00	80	1,120.96
3.	इलेक्ट्रिक उपकरण (साफ्टवेयर और इलेक्ट्रानिकी सहित	534	840.87	369	761.87	44	129.22	2	0.11	949	1,732.07
4.	दूर-संचार	57	381.72	51	451.21	21	709.94	3	0.09	132	1,542.96
5.	परिवहन उद्योग	95	845.39	53	571.18	20	337.92	2	0.00	170	1,754.50
6.	औद्योगिक मशीनरी	27	12.06	25	78.73	6	94.58	0	0.00	58	185.36
7.	मशीन टूल्स	11	12.74	5	2.86	4	1.17	0	0.00	20	16.77
8.	कृषि मशीनरी	0	0.00	1	2.33	1	0.00	0	0.00	2	2.33
9.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	3	3.77	4	2.07	0	0.00	0	0.00	7	5.84
10.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	44	53.27	20	41.38	10	22.89	0	0.00	74	117.54
11.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	10	3.21	5	1.82	4	2.19	0	0.00	19	7.22
12.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	11	4.18	10	29.30	11	17.75	0	0.00	32	51.23
13.	औद्योगिक उपस्कर	12	15.57	7	21.07	2	0.01	0	0.00	21	36.65
14.	वैज्ञानिक उपस्कर	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.07
15.	उर्वरक	3	31.78	1	0.20	0	0.00	0	0.00	4	31.98
16.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	62	97.38	38	986.78	9	29.92	1	0.00	110	1,114.08
17.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	0	0.00	3	0.37	0	0.00	0	0.00	3	0.37
18.	रंजक सामान	1	0.03	1	5.42	0	0.00	0	0.00	2	5.45
19.	औषध और भेषज	55	395.87	33	544.55	9	27.17	0	0.00	97	967.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	32	24.43	19	374.34	7	87.71	1	1.98	59	488.45
21.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	8	24.36	2	3.20	2	0.99	0	0.00	12	28.55
22.	शर्करा	2	5.25	0	0.00	1	1.99	0	0.00	3	7.24
23.	किण्वन उद्योग	3	0.12	3	7.89	3	786.24	0	0.00	9	794.25
24.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	35	142.42	18	100.25	6	184.87	0	0.00	60	427.54
25.	वनस्पति तैल और वनस्पति	7	15.66	11	39.37	2	0.90	0	0.00	20	55.94
26.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	1	0.50	3	3.37	1	17.00	0	0.00	5	20.87
27.	रबर पदार्थ	9	1.42	4	3.05	1	0.54	0	0.00	14	5.02
28.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	8	1.27	6	0.43	2	1.80	0	0.00	16	3.50
29.	सेरस और जिलेटिन	0	0.00	1	4.00	0	0.00	0	0.00	1	4.00
30.	कांच	9	21.19	6	226.88	2	58.00	0	0.00	17	306.07
31.	सिरेमिक्स	6	14.32	4	0.27	1	29.70	0	0.00	11	44.29
32.	सीमेंट और जिम्पस उत्पाद	2	0.98	3	31.58	2	2,937.54	0	0.00	7	2,970.0
33.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	2	0.50	4	2.02	1	3.00	0	0.00	7	5.52
34.	रक्षा उद्योग	0	0.00	0	0.00	1	0.24	0	0.00	1	0.24
35.	परामर्शी सेवाएं	85	120.11	44	69.64	7	20.06	1	0.00	137	209.80
36.	सेवा क्षेत्रक	121	882.54	118	1,714.97	55	1,258.42	4	3,377.00	298	7,232.93
37.	होटल और पर्यटन	57	238.63	40	57.49	4	64.59	0	0.00	101	360.71
38.	व्यापार	106	843.29	108	287.94	144	688.06	2	2.85	360	1,822.14
39.	विविध उद्योग	139	821.44	84	1,359.69	23	720.00	1	0.48	247	2,901.60
	कुल जोड़	1,628	6,223.52	1159	8,727.71	425	8,591.00	17	3,382.51	3,229	26,924.74

टिप्पणी : उक्त एफडीआई अनुमोदन में एनआरआई प्रस्ताव शामिल हैं।

[हिन्दी]

छात्रों/वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

2127. **श्री रामदास आठवले :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों और दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मेट्रो रेल में रियायती मासिक पास जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, नहीं। किसी भी श्रेणी के यात्रियों के लिए कोई रियायत नहीं है हालांकि स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करने पर 10% की छूट दी जाती है ताकि दिल्ली मेट्रो की दीर्घकालीन वित्तीय सुस्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

बांस और घास से ऊर्जा उत्पादन

2128. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिजोरम में बांस और घास से विद्युत उत्पादन करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य में भी इसकी संभावना का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने मिजोरम में बांस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना की सहायता नहीं की है।

(ग) और (घ) बांस अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टीआरएफएसी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग और यूटिलिटी की कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली और तापीय ऊर्जा, विशेषकर दूरस्थ स्थलों पर ऑफ-ग्रिड पद्धति में, के उत्पादन हेतु बांस और बांस अपशिष्ट का प्रयोग करने वाले गैसीफायरों के प्रयोग को बढ़ावा देता है। असम में नौगांव पेपर मिल, जागी रोड और हिन्दुस्तान पेपर निगम की कछार पेपर मिल, पचग्राम में बांस डस्ट पोषित गैसीफायरों पर आधारित एक मेवा. (तापीय) की दो परियोजनाएं संस्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, फॉरेस्ट काम्प्लेक्स, बशिष्ठ, गुवाहाटी, असम में कार्यालय और आवासीय परिसर की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए 25 किवाई. के 100% प्रोड्यूसर गैस इंजन से जुड़ी बांस आधारित गैसीफायर प्रणाली पर एक परियोजना संस्थापित की जा रही है।

राष्ट्रमंडल खेल

2129. **श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार 2010 गेम्स फेसस फंड्स क्रंच अगेन" नामक शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार आगमी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु पर्याप्त धनराशि जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने यह सूचित किया है कि भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से केवल उन स्कीमों के लिए 1314.40 करोड़ रुपए के पूर्व-परिव्यय को पुन: तैयार करने का अनुरोध किया है, जो कि केवल राष्ट्रमंडल खेलों 2010 से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि तदनुसार केन्द्रीय बजट से 770 करोड़ रुपए के व्यय

का प्रस्ताव किया गया है तथा विभिन्न स्कीमों के लिए 582.20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजनागत निधियों से मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है जो कि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 आयोजित करने के लिए भी हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान

2130. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मास्टर प्लान निर्धारित समय-सीमा से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में मास्टर प्लान की अधिसूचना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दिल्ली के पहले मास्टर प्लान के लिए 1.9.1962 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें दिनांक 1.8.1990 की अधिसूचना के तहत व्यापक संशोधन किया गया और इसे दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 कहा गया। वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में पुन: व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। दिनांक 8.4.2005 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई, जिसमें दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में 7,000 आपत्तियां/सुझाव प्रापत हुए हैं और इन आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए एक जांच व सुनवाई बोर्ड गठित किया गया है। जांच व सुनवाई बोर्ड ने अब तक 14 बैठकें की हैं, जिनमें 4 विशेष रूप से जनता की सुनवाई के लिए थी। दिल्ली विकास अधिनियम में जांच व सुनवाई बोर्ड की सिफारिशों, प्राधिकरण व केन्द्र सरकार के अनुमोदन के आधार मास्टर प्लान की अंतिम अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

शुद्ध पेयजल हेतु नैनो-प्रौद्योगिकी

2131. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने नैनो-प्रौद्योगिकी की मदद से एक फिल्टर विकसित किया है जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने में सहायक है और उद्योगों के प्रदूषित जल को शुद्ध करने में सहायता करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए 3 पैसे और उद्योगों से निकले पानी को शुद्ध करने के लिए 5 पैसे का खर्च आता है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पानी के शुद्धीकरण के लिए इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने जल को शुद्ध बनाने के लिए नैनो-फिल्ट्रेशन (एनएफ) तकनीक का विकास किया। औद्योगिक बहिस्राव से जल-आधारित रसायन की पुन: प्राप्ति हेतु इस तकनीक पर आधारित 4000 लि./दिन की क्षमता वाला एक संयंत्र जनवरी, 2006 में पश्चिम बंगाल में चालू किया गया। इसमें देश में निर्मित वाणिज्यिक झिल्ली (मेम्ब्रेन) का उपयोग होता है। नैनो फिल्ट्रेशन (एनएफ) तकनीक 700-1200 पीपीएम की सीमा में पूर्ण विलीन ठोस (टीडीएस) युक्त कच्चे जल को शुद्ध बनाने के लिए उपयोगी पाई गई है। यह तकनीक बीआईएस पेय जल मानकों के अनुसार टीडीएस को 500 पीपीएम से कम रखते हुए आवश्यक लवणों का उपयुक्त पारगमन करती है तथा निम्न दबाव पर भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है; 1 मी.^{2} झिल्ली (मेम्ब्रेन) क्षेत्र, 700 पीपीएम फीड टीडीएस और 100 पीएसआई (7.0 किग्रा/सेमी^{2}) के प्रचालन दबाव वाले प्रायोगिक संयंत्र पर किए

गए अध्ययनों ने दर्शाया कि नैनो फिल्ट्रेशन (एनएफ) से विषाणु/जीवाणु मुक्त 40 लि/घंटा शुद्ध जल प्रवाहित हुआ तथा टीडीएस में 50% की कमी आई।

(ग) और (घ) अनुमान है कि एनएफ की प्रचालन एवं रखरखाव लागत 1000 लि./घंटा की क्षमता वाले संयंत्र हेतु 3.3 पैसा प्रतिलिटर और 5000 लि./घंटा की क्षमता वाले संयंत्र हेतु 1.5 पैसा प्रति लिटर है। इन अनुमानों में पूंजीगत निवेश शामिल नहीं है, जो अनुमानत: 200 लि./घंटा की क्षमता वाले संयंत्र के लिए 1.5 लाख रुपये तथा 1000 लि./घंटा की क्षमता वाले संयंत्र के लिए 3.75 लाख रुपये तथा 5000 लि./घंटा की क्षमता वाले संयंत्र के लिए 8.0 लाख रुपये होगी।

(ङ) और (च) इस एनएफ तकनीक को औद्योगिक फर्मों को हस्तांतरित कर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक दोहन किया जाएगा।

[हिन्दी]

द्वारका में हाउसिंग सोसाइटी घोटाला

2132. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री सुनिल कुमार महतो :
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री रामदास आठवले :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका में सहकारी आवासीय समिति घोटाले के कारण हजारों आबंटियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आवासीय समितियों को जांच से छूट देने तथा मुख्य दोषियों के विरुद्ध जांच जारी रखने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत कई वर्षों से इन समितियों के सदस्यों को किराये के मकानों में रहने, उनके फ्लैट पूर्ण होने एवं उन्हें आबंटित होने के बावजूद भी आवासऋण तथा उसके ब्याज का भुगतान करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे का स्थायी समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि सहकारी आवासीय समितियों के सदस्यों को फ्लैटों का आबंटन सहकारी आवासीय समितियों के रजिस्ट्रार (आर.सी.एस.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उनकी सदस्यता के अनुमोदन के बाद किया जाता है। सहकारी आवासीय समितियों के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 43 सहकारी समूह आवासीय समितियों की कुल सदस्यता और 58 सहकारी समूह आवासीय समितियों की आंशिक सदस्यता, जिसमें द्वारका की समितियां शामिल हैं, के संबंध में फ्लैटों के लॉट के ड्रा के क्लीयरेंस के प्रस्तावों को संबंधित समितियों द्वारा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत जारी निर्देशों के अनुसार अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों का संपूर्ण सेट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही अनुमोदित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहकारी आवासीय समितियों के रजिस्ट्रार ने बताया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 10066/2004-योगीराज कृष्णा ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाम डीडीए एवं अन्य में 97 सहकारी समूह आवासीय समितियों, जिन्हें डीडीए द्वारा भूमि का आबंटन किया गया है, तथा 151 अन्य सहकारी समूह आवासीय समितियों की जांच करने का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा है।

(ङ) और (च) सहकारी आवासीय समितियों के रजिस्ट्रार ने बताया है कि सदस्यों के पंजीयन तथा लॉट के ड्रा के लिए प्रस्तावों को क्लीयरेंस देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये गये हैं। इन उपायों में रिक्तियों को विज्ञापनों के जरिए भरने, सदस्यों द्वारा समिति को शपथ-पत्र दिये जाने तथा सदस्यों के संबंध में सत्यापन प्रमाण-पत्र दिये जाने के प्रावधान शामिल हैं।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय

2133. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री पी. राजेन्द्रन :

श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ तथा एक निजी बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रारूप विलय योजना तैयार कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्मचारियों तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, सरकार का मत है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव संबंधित बैंकों से ही आना चाहिए।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार ने बैंकों को परामर्श दिया है कि विलय के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले, यूनियनों (बैंकों की) को विलय की आवश्यकता एवं उसके फायदों से समुचित रूप से अवगत करा दिया जाए और उनकी आशंकाओं को दूर किया जाए। इसके अलावा, विलय के किसी भी प्रस्ताव को समर्थन देते समय, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विलय हो रहे बैंकों के पणधारकों और कर्मचारियों के हितों को पर्याप्त सुरक्षा मिले।

कटे-फटे मुद्रा नोट

2134. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (नोट रिफंड) नियम, 1975 के अंतर्गत कटे-फटे मुद्रा नोटों को बदलने से मना कर देते हैं जिससे लोग नोट बदलने के लिए दलालों के पास जाने के लिए बाध्य होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (नोट रिफंड) नियम, 1975 का उल्लंघन करने वाले बैंकों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 1975 के अंतर्गत गंदे एवं कटे-फटे करेंसी नोट को बदलने की सुविधा प्रदान करते रहे हैं। जब कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है तो मामले के निपटान के लिए इसे तत्काल संबंधित बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) के साथ उठाया जाता है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी नियमावली, 1975 के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क द्वारा छापर मामले

2135. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वित्त मंत्री 23 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4630 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सूचना सभा पटल पर कब तक रख दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित कर ली गई है और लोक सभा को दिए गए आश्वासन को पूरा कर दिया गया है। कार्यान्वयन रिपोर्ट विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

14वीं लोक सभा का छठा सत्र, 2005

वित्त मंत्रालय — राजस्व विभाग — पूर्ति की तारीख 20 जून, 2006

प्रश्न सं. एवं तिथि	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
संसद सदस्य श्री एस.के. खारवेनथन द्वारा दिनांक 23.12.2005 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 4630	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले जिसमें पूछा गया था कि: (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं; (ख) विभाग के पक्ष में कितने और विरोधी पार्टी के पक्ष में कितने मामलों का फैसला हुआ है; और (ग) उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा वकीलों को कितने शुल्क का भुगतान किया गया है?	(क)(ख)(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क)(ख)(ग) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:— 2002-03 / 2003-04 / 2004-05 के.उ. शुल्क 20072 / 25909 / 25917 सी.शु. 2670 / 3800 / 3976 सेवा कर 8751 / 16643 / 20054 अप्रत्यक्ष कर के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले न्यायनिर्णयन स्तर पर विभाग के पक्ष में निर्णित मामलों का प्रतिशत निम्नवत् है:- वर्ष — विभाग के पक्ष में (लगभग) 2002-03 — 63% 2003-04 — 65% 2004-05 — 65% अपीलीय चैनलों में परिणाम विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग हो सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग पहले न्यायनिर्णयन स्तर पर वकीलों को किसी फीस का भुगतान नहीं करता जिसे विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।	देशभर में क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्रित एवं इसे समन्वित करने में समय लगा।

ऋण नीति तथा आर्थिक विकास

2136. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान में कृषि ऋण को 10 प्रतिशत से दुगना कर 20 प्रतिशत करने तथा पांच ग्रामीण विकास परियोजनाओं का सृजन एवं उनका विकास करने तथा न्यूनतम एक लाख रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को ग्रहण करने तथा नए तरीके से वित्त पोषण करने तथा बुनियादी संरचना के विकास में भाग लेने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उद्यमियों, व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों, अभियंताओं, युवकों तथा समाज के अन्य उत्पाद बलों को सृजनात्मकता की स्वतंत्रता देकर किसानों एवं कामगारों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए वार्षिक विकास दर आठ से दस प्रतिशत सुनिश्चित कर तथा इसे दशक के लिए बनाए रख कर आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध थी; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हासिल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कृषि के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के विचारार्थ भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक तीन वर्षों में 30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ कृषि के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करने हेतु 18 जून, 2004 को एक व्यापक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की थी। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह वर्ष 2003-04 के 86,981 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 1,67,775 करोड़ रुपए हो गया है। इसी प्रकार, अगस्त 2005 में भारत सरकार ने लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण में वृद्धि करने हेतु एक नीति पैकेज की घोषणा की जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख है। मार्च 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एसएमई क्षेत्र को दिया गया बकाया ऋण मार्च 2005 के आंकड़े की तुलना में 28.15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर परिकल्पित थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि निम्नांकित रूप में दी गई है:-

वर्ष	समग्र जीडीपी में वृद्धि (प्रतिशत)
2002-03	4.0 प्रतिशत
2003-04	8.5 प्रतिशत
2004-05	7.5 प्रतिशत
2005-06	8.4 प्रतिशत

जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद

[हिन्दी]

भारतीय मूल के वैज्ञानिक

2137. श्री इंसराज चौ. अहीर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एसोसियेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड साइंस कंपनीज (नास्कॉम) ने गत तीन वर्षों के दौरान भारी संख्या में देश में लौट रहे सूचना प्रौद्योगिकी – पेशेवर व्यक्तियों के संबंध में एक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या भारतीय मूल के अनेक वैज्ञानिक अमरीका, जर्मनी, यू.के. आदि से भी स्वदेश लौट रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने वैज्ञानिक भारत लौटे हैं;

(ङ) वैज्ञानिकों को देश में अपनी शोध करने के लिए सभी प्रोत्साहन दिए जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इस वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड साइंस कम्पनीज (नासकॉम) ने गत तीन वर्षों के दौरान भारी संख्या में देश में लौट रहे सूचना प्रौद्योगिकी–पेशेवर व्यक्तियों के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया है। तथापि नास्कॉम ने अनुमान लगाया है कि विदेशों में अल्पकालिक/दीर्घकालिक दायित्वों पर कार्यरत लगभग बीस हजार सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर व्यक्तियों ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों में रोजगार प्राप्त किया है।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नास्काम द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है भाग 'ख' से संबंधित जानकारी नगण्य है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा देश लौट रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के संबंध में किसी विस्तृत डाटा बेस (वर्षवार ब्यौरे सहित) का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

(ङ) और (च) भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को अपने देश के वैज्ञानिक संस्थानों तथा/अथवा अनुसंधान एवं शिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए निम्नलिखित माध्यमों से प्रयास जारी है:-

(i) अध्येतावृत्ति (वजीफा एवं आकस्मिक अनुदान के रूप में पांच वर्षों के लिए रामानुजन अध्येतावृत्ति)।

(ii) सहभागी परियोजना पर आधारित भारत के दौरे (एक दौरे/वर्ष में 2 से 12 सप्ताह की अवधि हेतु 3 वर्षों के लिए सी पी - एस टी आई ओ कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा वापसी की यात्रा एवं मानदेय हेतु वित्त पोषण तथा ठहरने एवं स्थानीय यात्रा की सुविधा भारतीय लाभार्थी मेजबान संस्थान द्वारा दी जाएगी)।

(iii) भारत में विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान तथा विकास संगठनों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एस आर ए शिप - वैज्ञानिक पूल योजना) में अस्थायी नियोजन - (केवल 3 वर्षों के लिए जिसमें स्थानीय कर्मचारियों को देय स्थानीय परिवहन को छोड़कर मूल वेतन तथा अन्य भत्तों का निधिकरण किया जाता है)।

(iv) उनकी सेवाओं का उपयोग करने हेतु सूचीकरण।

न्यायालय में राजभाषा

2138. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों के मामलों में मुकदमा कार्यवाही अंग्रेजी में की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किन्ही भाषी राज्यों के आम आदमी द्वारा सामना की जा रही कठिनाई के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 348(1)(2) में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ङ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) यह उपबंध करता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा परंतु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी भाषा में होंगे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाली निर्णयों, आदि के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

जहां तक हिन्दी भाषी राज्यों का संबंध है चार राज्यों अर्थात्; बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने अपने राज्यों में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के साथ ही निर्णय, डिक्री, आदि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किया है।

इस समय संविधान के पूर्वोक्त अनुच्छेद का संशोधन करने को कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रियों से प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है।

कपास पर आयात शुल्क

2139. **श्री वी.के. दुग्मर :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग ने कपास पर आयात शुल्क में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कपास के आयात पर आयात शुल्क में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) कपास पर आयात शुल्क को 10% यथामूल्य रखा गया है।

(ग) कपास पर आयात शुल्क दर को निर्धारित करते समय सरकार घरेलू उत्पादकों को संरक्षित रखने की आवश्यकता तथा उचित मूल्यों पर प्रयोक्ता उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने की आवश्यकता जैसे कारकों को ध्यान में रखती है। वर्तमान में इसके लिए 10% के आयात शुल्क को पर्याप्त समझा गया है।

[अनुवाद]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान

2140. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए गहराई से अध्ययन कराया है कि क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को पर्याप्त महत्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों, उद्योग परिसंघ आदि को शामिल करते हुए विभिन्न उपायों के माध्यम से अनुसंधान और विकास के प्रभाव को नियमित रूप से मानिटर करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के वार्षिक और पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव गहन अध्ययन और विचार-विमर्श के पश्चात तैयार किए जाते हैं। कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजना कार्यक्रमों की मध्यावधि पुनरीक्षाएं करवायी जाती हैं तथा देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। तथापि, सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता तथा समावेशन क्षमता में सुधार के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार ने भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नयी पहलों के एक सेट को आरंभ करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इनमें शामिल हैं: विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के तीन नये भारतीय संस्थानों (आई आई एस ई आर) की स्थापना; विश्वविद्यालय क्षेत्रक में मौलिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा में सुधार; उत्कृष्टता के नये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना; शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्ति; कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए रमन्ना अध्येतावृत्ति; युवा वैज्ञानिकों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति; हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान आरंभ करने के लिए विश्व भर से उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिए रामानुजन अध्येतावृत्ति; सक्रिय, कार्यशील भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मान्यता तथा सहायता देने के लिए जे.सी. बोस अध्येतावृत्ति; महिला वैज्ञानिकों और युवा वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम; जैव प्रौद्योगिकी में पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति, कैरियर विकास हेतु जीव विज्ञान पुरस्कारों आदि जैसी प्रतिष्ठित अध्येतावृत्तियों का संस्थापन। सरकार ने दसवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वित्त व्यवस्था भी दुगुनी कर दी है तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और बढ़ाने की योजना है।

सात सूत्रीय मिशन

2141. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री अनन्त नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ऋण को 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करके दोगुना करने के साथ बैंकों हेतु सात सूत्रीय मिशन का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बैंकों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या बैंकों ने इस मिशन को कार्यान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, कृषि के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के विचारार्थ भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक तीन वर्षों में 30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ कृषि के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करने हेतु 18 जून, 2004 को एक व्यापक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की थी। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह वर्ष 2003-04 के 86,981 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 1,67,775 करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 के दौरान 3.00 लाख रुपए तक के मूलधन तक की राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से अल्पावधि उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकार क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2% की सरकारी ब्याज सहायता प्रदान करने तथा आरआरबी एवं सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पंचायत मुख्यालयों को आपस में जोड़ना

2142. श्री ब्रजेश पाठक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत, पंचायत मुख्यालयों को सड़क द्वारा आपस में जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत देश में आज तक राज्यवार कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़क द्वारा आपस में जोड़ा गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में यह उल्लेख है कि जिला पंचायत सड़क कार्यों की वार्षिक सूची बनाते समय यह सुनिश्चित करेगी कि नये सड़क संपर्क/उन्नयन के लिए प्राथमिकता क्रम का सख्ती से पालन हो रहा है। प्राथमिकता क्रम में एकमात्र छूट (नए सड़क संपर्क में) कोर नेटवर्क के उन रूटों के बारे में है जिनमें ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा विपणन केन्द्र अथवा अन्य शैक्षणिक या चिकित्सीय आवश्यक सेवाएं अथवा जो पर्यटन अनुकूल स्थानों के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माना जाता है, शामिल हैं। ऐसे मामलों में, आबादी के आकार पर ध्यान दिए बिना नया सड़क संपर्क कार्य शुरू किया जा सकता है।

(ग) ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था अपवाद के जरिए है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव संबंधित राज्यों के वार्षिक प्रस्ताव का अभिन्न हिस्सा होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायत मुख्यालयों तक सड़क संपर्क की निगरानी नहीं करता है।

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मांग आधारित कार्यक्रम है। वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान राज्यवार निधियों का सामान्य आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन

क्र. सं.	राज्य	कुल आबंटन (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	380
2.	अरुणाचल प्रदेश	174
3.	असम	502
4.	बिहार	964
5.	छत्तीसगढ़	644
6.	गोवा	20
7.	गुजरात	220

1	2	3
8.	हरियाणा	90
9.	हिमाचल प्रदेश	284
10.	जम्मू व कश्मीर	160
11.	झारखण्ड	560
12.	कर्नाटक	400
13.	केरल	90
14.	मध्य प्रदेश	1296
15.	महाराष्ट्र	540
16.	मणिपुर	96
17.	मेघालय	150
18.	मिजोरम	94
19.	नागालैंड	90
20.	उड़ीसा	886
21.	पंजाब	110
22.	राजस्थान	718
23.	सिक्किम	90
24.	तमिलनाडु	330
25.	त्रिपुरा	120
26.	उत्तर प्रदेश	1370
27.	उत्तरांचल	310
28.	पश्चिम बंगाल	712
	कुल	11400

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2143. श्री इंसराज जी. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में अनेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आम आदमी से धनराशि लेकर गायब हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पनपने पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कानून लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित कियाहै कि गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा चेन्नई, कोलकाता एवं मुम्बई महानगरों में आम आदमी से धन लेकर अकसर गायब होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। तथापि, नई दिल्ली में वर्ष 2003-06 की अवधि के दौरान चार कंपनियों के गायब हो जाने की सूचना मिली है।

(ख) जिन एनबीएफसी ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में जमाराशियां एकत्रित की हैं और गायब हो गई हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सलाह दी है कि सार्वजनिक जमाराशियों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बैंकों तक ही सीमित है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) समेत गैर-बैंक संस्थागत स्रोतों से अथवा पूंजी बाजार में प्रवेश करके संसाधन जुटाते हैं। आरबीआई ने वर्ष 2004-05 की वार्षिक मौद्रिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप एनबीएफसी को इस दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अत: यह महसूस किया गया है कि इस स्तर पर वित्तीय कंपनियों के लिए अलग से एक विधान बनाना आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य-वार जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिन्हें गायब हो गई मान लिया गया है

राज्य का नाम	वर्ष				कुल
	2003	2004	2005	2006	
दिल्ली/हरियाणा	2	—	2	—	4
कर्नाटक	—	10	10	—	20
उड़ीसा	—	1	—	—	1
पंजाब/हिमाचल प्रदेश	17	—	—	—	17
राजस्थान	1	—	—	3	4
तमिलनाडु	—	—	1	—	1
पश्चिम बंगाल	13	—	23	—	36
कुल	33	11	36	3	83

[अनुवाद]

एनसीईएस कार्यक्रमों हेतु प्रोत्साहन

2144. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री सुव्रत बोस :
श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास हेतु कार्यान्वित अपारंपरिक ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं/दिए जाने का विचार है;

(ग) क्या ग्रिड-इंटरएक्टिव रिन्यूवेबल पावर स्टेट हेतु कुछ राज्यों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर सलाहकार समिति का ब्यौरा क्या है और ये समितियां राज्यों में अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों में समन्वय में किस प्रकार सुविधा प्रदान करती हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) मंत्रालय की प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान संस्थापित विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश सहित देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य, जहां ग्रिड मौजूद हैं, में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं जो तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अध्यधीन हैं। देश में दिनांक 31.03.2006 के अनुसार 8088 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है, जिसके राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) अब तक 545 जिला-स्तरीय सलाहकार समितियां (डीएसी) का गठन किया जा चुका है जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है। प्रत्येक जिला सलाहकार समिति के प्रमुख, जिला कलैक्टर/उपायुक्त होते हैं, और परियोजना निदेशक, डीआरडीए अथवा, सीईओ, जिला परिषद इसके सदस्य-सचिव होते हैं तथा इसके सदस्यों में वन, उद्योग, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि से संबंधित जिले के अधिकारीगण और जिला बार काउंसिल (अथवा सरकारी वकील), लीड बैंक, लॉयन्स/रोटरी क्लब, स्थानीय उद्योग संघों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं वैज्ञानिक, आदि शामिल हैं और इस समिति में कम से कम छः महिला सदस्य होती हैं। वर्ष 2005-06 से प्रत्येक जिला सलाहकार समिति को उसके कार्य संबंधी खर्चे के लिए 1.5 लाख रु./वर्ष तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान है।

जिला सलाहकार समितियों द्वारा इस मंत्रालय की विभिन्न अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों को अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों के कार्यक्रमों के साथ मुख्यतया योजना एवं आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से समन्वित किया जाता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र	एसपीवी पंप	एरो-जनरेटर	पवन पंप	आरवीई	ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत				सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां/युक्तियां*			
							लघु पनबिजली	पवन विद्युत	बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन	अपशिष्ट से ऊर्जा	एसएलएस	एचएलएस	एसएल	पीपी
		संख्या	संख्या	किवा.	संख्या	गांवों की संख्या	मेवा.	मेवा.	मेवा.	मेवा.			संख्या	केडब्ल्यूपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	44523	16		1	123	23.20	28.50	119.20	19.75	85	85	6000	3000
2.	अरुणाचल प्रदेश	457				104	11.93				133	520		
3.	असम	3298				33	0.11							
4.	बिहार	396	11		4		5.50				200	990	5490	
5.	छत्तीसगढ़	9312	9			152	10.00		16.50		172	3222		
6.	गोवा	254		25							105	116		
7.	गुजरात	19289	42		209	36		165.06			240	2400		5
8.	हरियाणा	3461	201				14.40		2.00		240	3600		
9.	हिमाचल प्रदेश	647					38.84				300	1000		
10.	जम्मू एवं कश्मीर	33	21				7.50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	झारखंड	558				337					248			
12.	कर्नाटक	30577	117	2	5	20	140.75	460.18	115.10		210	2786		
13.	केरल	14120	73				12.60						1500	
14.	मध्य प्रदेश	23568	9			98	2.20	17.65	1.00		132	765		
15.	महाराष्ट्र	26177	39	217		177		588.50	11.50		103	104		
16.	मणिपुर	102				70						1000		
17.	मेघालय	755	14			3						1000		
18.	मिजोरम	455				20						600		
19.	नागालैंड	475					0.20							
20.	उड़ीसा	25731	1								104	850	1087	
21.	पंजाब	6384	392				15.15		6.00	1.00	371	310		25
22.	राजस्थान	195	20			254	0.00	278.84	15.30		100	10466		
23.	सिक्किम	1024				13	3.00				20	9750		15
24.	तमिलनाडु	5232	69			152	1.30	1904.28	67.00	1.75			4000	
25.	त्रिपुरा	325	15			323								
26.	उत्तर प्रदेश	21195	308			250	3.60		75.00	5.00	400			
27.	उत्तरांचल	2279	16			400	10.85					4776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.	पश्चिम बंगाल	40218		18		510	6.02				150			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह												5500	
30.	चंडीगढ़													
31.	दादरा एवं नगर हवेली													
32.	दमन एवं दीव													
33.	दिल्ली		3											10
34.	लक्षद्वीप													
35.	पांडिचेरी												2000	
36.	अन्य	27851										2374		25
	कुल	308891	1376	262	221	3268	307.15	3443.00	428.60	27.50	3313	46714	36577	3080

*दिसम्बर, 2005 तक

एसपीवी=सौर प्रकाशवोल्टीय; एसएलएस=सड़क रोशनी प्रणालियां; एचएलएस=घरेलू रोशनी प्रणालियां; एसएल=सौर लालटेन; पीपी=विद्युत संयंत्र
आरवीई=दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण; किवा.=किलोवाट; केडब्ल्यूपी=किलोवाट पीक; मेवा.=मेगावाट

विवरण-II

दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित संचयी ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पन बिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायो विद्युत		सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)	कुल क्षमता (मेगावाट)
				बायोमास विद्युत (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	178.81	121.00	279.25	22.50	0.28	601.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
3.	असम	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
4.	बिहार	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
5.	छत्तीसगढ़	11.00	0.00	27.50	0.00	0.00	38.50
6.	गोवा	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
7.	गुजरात	7.00	338.10	0.50	0.00	0.00	345.60
8.	हरियाणा	62.70	0.00	6.00	0.00	0.00	68.70
9.	हिमाचल प्रदेश	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.08
10.	जम्मू एवं कश्मीर	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74
11.	झारखंड	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
12.	कर्नाटक	329.63	584.60	224.48	1.00	0.03	1139.74
13.	केरल	84.62	2.00	0.00	0.00	0.03	86.65
14.	मध्य प्रदेश	41.16	40.30	1.00	2.70	0.34	85.50
15.	महाराष्ट्र	207.08	989.60	36.00	1.00	0.19	1233.87
16.	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
18.	मिजोरम	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
19.	नागालैंड	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
20.	उड़ीसा	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
21.	पंजाब	122.55	0.00	28.00	1.00	0.33	151.88
22.	राजस्थान	23.85	339.60	15.30	0.00	0.15	378.90
23.	सिक्किम	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
24.	तमिलनाडु	77.70	2892.50	174.00	1.75	0.21	3146.16
25.	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10	0.00	121.50	5.00	0.33	151.93
27.	उत्तरांचल	75.45	0.00	0.00	0.00	0.05	75.50
28.	पश्चिम बंगाल	98.30	1.10	0.00	0.00	0.05	99.45
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5.25	0.00	0.00	0.00	0.10	5.35
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
	अन्य	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
	कुल (मेगावाट)	1826.43	5310.40	913.53	34.95	2.75	8088.06

विवरण-III

विभिन्न राज्यों में गठित जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थापित जिला सलाहकार समितियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	23
4.	बिहार	27
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	15
8.	हरियाणा	19
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	जम्मू व कश्मीर	14
11.	झारखण्ड	14
12.	कर्नाटक	22
13.	केरल	11
14.	मध्य प्रदेश	48
15.	महाराष्ट्र	34
16.	मणिपुर	9
17.	मेघालय	7
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैंड	11
20.	उड़ीसा	30
21.	पंजाब	17
22.	राजस्थान	32
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	30
25.	त्रिपुरा	4
26.	उत्तर प्रदेश	70
27.	उत्तरांचल	13
28.	पश्चिम बंगाल	12
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा एवं नगर हवेली	1
32.	दमन एवं दीव	—
33.	दिल्ली	1
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पांडिचेरी	1
	कुल	545

शिक्षा ऋण पर ब्याज दर

2145. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा प्रयोजनों हेतु विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वसूली जा रही ब्याज दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना आयोग ने शिक्षा ऋणों को और अधिक सस्ता करने के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज दरों को घटाने हेतु अपनी राय व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग ने ऐसे ऋणों पर आयकर राहत देने का भी प्रस्ताव रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क)

वर्ष 2004 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित संशोधित आदर्श शैक्षिक ऋण योजना (मॉडल एजूकेशन लोन स्कीम) के अनुसार शैक्षिक ऋणों पर बैंकों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर निम्नानुसार होगी:-

(i) 4 लाख रुपए तक – आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर)।

(ii) 4 लाख रुपए से अधिक – आधार मूल उधार दर+1 प्रतिशत।

(ख) से (ङ) योजना आयोग में दिसम्बर 2003 में आयोजित बैठक में, वर्तमान शैक्षिक ऋण योजना पर विचार किया गया था। विचार किए गए मामलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शैक्षिक ऋणों के लिए ब्याज दरों की समीक्षा शामिल थी। जहां तक आयकर छूट का संबंध है, आयकर अधिनियम की धारा 80ङ में प्रामाणिक और मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण की वापसी-अदायगी के संबंध में कटौती का प्रावधान है।

[हिन्दी]

राज्यों की विद्युत परियोजनाओं में निवेश

2146. श्री ब्रजेश पाठक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों की विद्युत परियोजनाओं में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आज तक परियोजना-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(घ) राज्यों की विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय अनुदान/इक्विटी के रूप में राज्य की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश नहीं करता है।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन राज्य यूटिलिटियों को उनकी विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराते हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दीमापुर डीजीपीपी, नागालैंड की निर्माणाधीन परियोजना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 32 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह

2147. श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों और वास्तव में हुए निवेश का क्षेत्रवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाती है/उठा रही है ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मिलने के तत्काल बाद वास्तविक निवेश हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर किसी विरोध का सामना करना पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) देश में गत पांच वर्षों (अप्रैल 2001-मार्च 2006) के दौरान स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों और देश में वास्तव में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों के क्षेत्रवार तथा राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (छ) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है जिसके अंतर्गत स्वत: मार्ग के अधीन अधिकांश क्षेत्रकों में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। क्षेत्रक इक्विटी सीमाओं और संबद्ध प्रक्रियाविधियों सहित एफडीआई नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 श्रृंखला की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 3 और 4 जारी करके हाल ही में वृहत् यौक्तिकीकरण किया गया है।

(ज) वर्तमान में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एफडीआई समावेशन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2006 तक स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वित्तीय वर्षवार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र	अप्रैल-मार्च 2001-02		अप्रैल-मार्च 2002-03		अप्रैल-मार्च 2003-04		अप्रैल-मार्च 2004-05		अप्रैल-मार्च 2005-06		जोड़	
		वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	धातु कर्म उद्योग	32	942.20	40	83.91	29	46.95	28	444.76	6	52.22	135	1,570.03
2.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधन)	60	1,688.25	46	422.65	40	320.23	27	495.45	13	304.38	186	3,230.97
3.	बॉयलर और भाप उत्पादक संयंत्र	1	0.50	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.50
4.	इलेक्ट्रिक उपकरण (साफ्टवेयर और इलेक्ट्रानिकी सहित)	721	1,983.03	524	767.52	534	840.87	369	761.87	44	129.22	2192	4,482.51
5.	दूर-संचार	68	2,602.61	68	1,057.01	57	381.72	51	451.21	21	709.94	265	5,202.49
6.	परिवहन उद्योग	119	1,852.32	118	571.80	95	845.39	53	571.18	20	337.92	405	4,178.62
7.	औद्योगिक मशीनरी	42	151.17	50	182.13	27	12.06	25	78.73	6	94.58	150	518.66
8.	मशीन टूल्स	9	7.61	8	3.35	11	12.74	5	2.86	4	1.17	37	27.73
9.	कृषि मशीनरी	0	0.00	2	4.30	0	0.00	1	2.33	1	0.00	4	6.63
10.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	1	2.25	0	0.00	3	3.77	4	2.07	0	0.00	8	8.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	59	99.30	45	168.96	44	53.27	20	41.38	10	22.89	178	385.80
12.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	1	0.13	7	0.26	10	3.21	5	1.82	4	2.19	27	7.60
13.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	12	26.17	14	19.12	11	4.18	10	29.30	11	17.75	58	96.51
14.	औद्योगिक उपस्कर	6	4.66	10	15.29	12	15.57	7	21.07	2	0.01	37	56.80
15.	वैज्ञानिक उपस्कर	0	0.00	0	0.00	1	0.07	0	0.00	0	0.00	1	0.07
16.	उर्वरक	1	0.16	2	78.63	3	31.78	1	0.20	0	0.00	7	110.77
17.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	83	322.04	77	248.92	62	97.38	38	986.78	9	29.92	269	1,685.03
18.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	0	0.00	3	1.19	0	0.00	3	0.37	0	0.00	6	1.56
19.	रंजक सामान	0	0.00	2	8.88	1	0.03	1	5.42	0	0.00	4	14.33
20.	औषध और भेषज	34	274.99	41	287.56	55	395.87	33	544.55	9	27.17	172	1,530.14
21.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	21	4.48	33	85.65	32	24.43	19	374.34	7	87.71	112	576.80
22.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	12	343.73	7	24.86	8	24.36	2	3.20	2	0.99	31	397.14
23.	शर्करा	4	53.50	2	3.93	2	5.25	0	0.00	1	1.99	9	64.67
24.	किण्वन उद्योग	2	7.12	7	791.73	3	0.12	3	7.89	3	786.24	18	1,593.10
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	45	507.17	34	158.66	36	142.42	18	100.25	6	184.87	139	1,093.37
26.	वनस्पति तेल और वनस्पति	6	6.84	5	22.93	7	15.66	11	39.37	2	0.90	31	85.70
27.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	4	24.93	3	18.29	1	0.50	3	3.37	1	17.00	12	64.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	रबर पदार्थ	5	158.96	12	59.63	9	1.42	4	3.05	1	0.54	31	223.61
29.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	10	237.38	8	11.81	8	1.27	6	0.43	2	1.80	34	252.69
30.	सेरस और जिलेटिन	0	0.00	1	0.51	0	0.00	1	4.00	0	0.00	2	4.51
31.	कांच	11	256.44	12	232.39	9	21.19	6	226.88	2	58.00	40	794.91
32.	सिरेमिक्स	6	2.24	8	14.67	6	14.32	4	0.27	1	29.70	25	61.19
33.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	8	319.46	7	6.96	2	0.98	3	31.58	2	2,937.54	22	3,296.52
34.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	0	0.00	3	2.08	2	0.50	4	2.02	1	3.00	10	7.60
35.	रक्षा उद्योग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.24	1	0.24
36.	परामर्शी सेवाएं	119	241.90	91	138.03	85	120.11	44	69.64	7	20.06	346	589.74
37.	सेवा क्षेत्रक	134	1,272.69	102	1,196.53	121	882.54	118	1,714.97	55	1,258.42	530	6,325.15
38.	होटल और पर्यटन	62	139.82	76	119.26	57	238.63	40	57.49	4	64.59	239	619.79
39.	व्यापार	80	201.59	101	284.04	106	843.29	108	287.94	144	688.06	539	2,305.01
40.	विविध उद्योग	281	729.46	184	810.82	139	821.44	84	1,359.69	23	720.00	711	4,441.40
	कुल जोड़	2059	14,465.18	1756	7,904.25	1628	6,223.52	1159	8,727.71	425	8,591.00	7027	45,911.66

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2006 तक स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वित्तीय वर्षवार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र	अप्रैल-मार्च 2001-02 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2002-03 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2003-04 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2004-05 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2005-06 एफडीआई रुपए में	जोड़ एफडीआई रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धातु कर्म उद्योग	95.28	221.85	146.06	880.95	680.84	2,024.98
2.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधन)	4,504.73	551.19	520.94	759.00	415.71	6,751.57
3.	बॉयलर और भाप उत्पादक संयंत्र	0.00	0.00	0.20	2.34	0.00	2.54
4.	बिजली के इत्तर प्राईम मूवर्स	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
5.	इलेक्ट्रिक उपकरण (साफ्टवेयर और इलेक्ट्रानिकी सहित)	2,270.88	3,075.23	2,449.32	3,280.58	6,499.06	17,575.07
6.	दूर-संचार	3,959.00	1,058.41	531.95	588.41	3,023.46	9,161.23
7.	परिवहन उद्योग	1,230.63	2,172.55	1,417.13	815.10	982.99	6,618.47
8.	औद्योगिक मशीनरी	147.95	91.44	13.93	40.74	187.52	481.57
9.	मशीन टूल्स	19.46	67.88	250.75	50.73	100.25	489.06
10.	कृषि मशीनरी	5.00	64.68	0.11	0.01	415.97	485.77
11.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	0.48	66.12	0.05	0.47	231.30	298.42
12.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	278.05	211.69	100.07	56.73	226.21	872.74
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	22.56	10.81	40.96	62.46	111.41	248.20

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	191.54	103.77	9.26	24.05	6.72	335.34
15.	औद्योगिक उपस्कर	22.83	6.21	4.16	4.95	1.69	39.84
16.	वैज्ञानिक उपस्कर	10.47	0.92	0.07	0.14	0.45	12.04
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राईंग	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
18.	उर्वरक	0.00	78.63	99.29	61.90	19.31	259.13
19.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	433.24	611.27	93.69	908.68	1,979.06	4,025.39
20.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	0.00	2.83	1.35	27.62	0.00	31.80
21.	रंजक सामान	0.87	0.00	2.00	5.42	0.00	8.29
22.	औषध और भेषज	355.56	191.58	501.67	1,342.91	759.70	3,151.43
23.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	24.07	258.19	42.84	196.84	414.67	936.62
24.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	76.84	34.99	31.68	12.41	122.90	278.83
25.	शर्करा	0.00	19.08	0.25	13.51	13.10	45.94
26.	किण्वन उद्योग	49.70	38.68	7.82	41.64	28.57	166.42
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1,036.12	176.53	510.85	174.08	182.94	2,080.53
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	0.00	0.00	7.79	41.03	54.00	102.82
29.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	0.00	0.00	0.00	4.09	388.49	392.58
30.	रबर पदार्थ	222.48	75.62	29.31	184.18	150.77	662.36
31.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	0.92	0.05	32.18	2.03	4.89	40.07

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	सेरस और जिलेटिन	4.50	25.08	0.00	0.00	0.00	29.58
33.	कांच	37.68	215.88	24.11	38.47	3.54	319.69
34.	मृत्तिका-शिल्प	3.53	1.01	6.78	123.09	25.02	159.44
35.	सीमेंट और जिप्सस उत्पाद	630.13	101.17	44.04	0.73	1,969.82	2,745.89
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	0.22	0.20	0.50	0.31	465.64	466.88
37.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
38.	परामर्शी सेवाएं	298.67	121.94	257.13	1,166.83	206.44	2,051.01
39.	सेवा क्षेत्रक	895.26	1,551.00	1,235.27	2,105.53	2,565.04	8,352.11
40.	होटल और पर्यटन	151.33	160.14	226.80	168.85	315.59	1,022.71
41.	व्यापार	194.99	182.76	104.66	65.72	123.43	671.57
42.	विविध उद्योग	1,311.28	1,321.30	1,319.11	1,399.71	1,907.83	7,259.22
43.	अंतर्वाह का अनगम*	706.61	1,977.12	1,880.76	2,485.15	0.00	7,049.64
44.	स्टॉक की अदला-बदली*	0.00	84.00	172.50	0.00	28.37	284.87
45.	एनआरआई-आरबीआई स्कीमें*	167.94	0.49	0.00	0.00	0.00	168.43
	कुल जोड़	19,360.82	14,932.29	12,117.36	17,137.87	24,612.74	88,161.07

टिप्पणी 1. इस राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी मार्ग, विद्यमान शेयरों की अधिप्राप्ति और आरबीआई के स्वत: मार्ग से प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल हैं।

2. *चिन्ह वाला सूचना को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई से प्राप्त अंतर्वाह के अनुसार क्षेत्रवार वर्गीकृत नहीं किया गया है।

अप्रैल, 2003 से मई, 2006 तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों का वित्तीय वर्षवार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	अप्रैल-मार्च 2001-02		अप्रैल-मार्च 2002-03		अप्रैल-मार्च 2003-04		अप्रैल-मार्च 2004-05		अप्रैल-मार्च 2005-06		जोड़	
		वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में	वित्तीय अनुमोदन	एफडीआई रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	104	358.54	114	465.57	107	526.66	78	689.10	25	371.82	428	2,411.70
2.	असम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.40	1	0.51	2	0.91
3.	बिहार	1	0.00	1	0.18	1	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.18
4.	गुजरात	64	2,042.35	64	414.53	52	148.04	35	1,711.81	9	153.05	224	4,469.77
5.	हरियाणा	42	491.35	35	103.54	26	248.29	16	34.07	12	57.54	131	934.80
6.	हिमाचल प्रदेश	2	0.54	1	810.38	1	0.10	2	52.63	1	9.00	7	872.65
7.	कर्नाटक	296	799.31	269	2,260.54	257	449.41	191	1,099.44	39	917.02	1052	5,525.72
8.	केरल	44	178.06	27	5.99	31	21.22	11	230.43	6	76.77	119	512.47
9.	मध्य प्रदेश	14	85.64	7	43.55	7	0.44	1	0.05	2	6.00	31	135.69
10.	महाराष्ट्र	560	3,818.00	429	1,178.65	361	1,527.34	302	1,579.60	111	3,961.85	1763	12,065.44
11.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
12.	मेघालय	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	उड़ीसा	3	4.01	1	0.21	2	0.10	2	6.14	1	0.35	9	10.81
14.	पंजाब	7	16.46	2	0.03	9	465.50	10	690.49	3	19.11	31	1,191.58
15.	राजस्थान	14	413.05	4	0.51	15	28.03	4	4.14	2	0.20	39	445.94
16.	तमिलनाडु	289	1,123.55	194	446.55	223	815.18	109	348.17	39	261.63	854	2,995.08
17.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	2	2.41	0	0.00	0	0.00	2	2.41
18.	उत्तर प्रदेश	38	659.62	29	24.45	25	102.32	15	18.44	9	82.48	116	887.32
19.	पश्चिम बंगाल	49	314.37	42	283.01	36	303.45	29	278.23	9	113.66	165	1,292.73
20.	छतीसगढ़	2	16.05	1	0.03	0	0.00	3	200.16	0	0.00	6	216.24
21.	झारखंड	0	0.00	1	0.50	1	0.20	1	2.00	0	0.00	3	2.70
22.	उतरांचल	2	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	3	28.63	7	28.63
23.	चंडीगढ़	7	4.22	20	43.13	10	5.75	9	127.99	0	0.00	46	181.09
24.	दादरा और नगर हवेली	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04
25.	दिल्ली	352	1,115.26	358	617.73	328	1,163.36	213	1,063.52	71	740.99	1322	4,700.86
26.	गोवा	18	317.02	26	90.80	39	19.13	39	9.07	3	39.41	125	475.43
27.	पांडिचेरी	13	845.21	8	2.52	8	42.61	2	0.12	0	0.00	.31	890.46
28.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	3	0.24	2	5.43	0	0.00	5	5.67
29.	अनिर्दिष्ट राज्य	137	1,862.54	121	1,111.85	82	353.73	84	576.27	79	1,750.98	503	5,655.37
	कुल जोड़	2059	14,465.18	1756	7,904.25	1628	6,223.52	1159	8,727.71	425	8,591.00	7027	45,911.66

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2006 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहो के वित्तीय वर्षवार ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	भा.रि. बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	अप्रैल-मार्च 2001-02 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2002-03 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2003-04 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2004-05 एफडीआई रुपए में	अप्रैल-मार्च 2005-06 एफडीआई रुपए में	जोड़ एफडीआई रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	338.09	242.65	353.49	747.85	1,056.78	2,738.86
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	5.58	2.59	19.48	13.39	0.00	41.03
3.	पटना	बिहार, झारखंड	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13
4.	अहमदाबाद	गुजरात	108.66	550.71	917.12	610.53	666.36	2,853.37
5.	बंगलौर	कर्नाटक	1,348.36	975.24	926.53	1,131.34	1,818.05	6,199.51
6.	कोची	केरल, लक्षद्वीप	661.8	67.45	44.53	33.77	57.90	269.83
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	12.87	5.83	34.85	69.25	42.55	165.35
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	5,137.34	2,366.40	1,355.31	3,183.13	4,290.17	16,332.36
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	315.88	315.88
10.	जयपुर	राजस्थान	5.23	1.22	1.89	4.58	3.32	16.23
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	1,659.60	990.17	603.80	358.47	1,190.10	4,802.14
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	87.24	177.96	84.50	467.37	407.82	1,224.89
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	5.93	843.89	76.71	13.49	378.16	1,318.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भाग	5,460.17	3,062.22	2,123.46	3,717.53	4,564.93	18,928.31
16.	पणजी	गोवा	15.71	139.09	160.59	100.66	33.73	449.78
17.	अनिर्दिष्ट राज्य	—	4,235.32	3,445.25	3,360.72	4,201.34	9,758.63	25,001.26
18.	अंतर्वाह का आगम*	—	706.61	1,977.12	1,880.76	2,485.15	0.00	7,049.64
19.	स्टॉक अदला-बदली*	—	0.00	84.00	172.50	0.00	28.37	284.87
20.	एनआरआई-आरबीआई योजनाएं	—	167.94	0.49	0.00	0.00	0.00	168.43
		कुल जोड़	19,360.82	14,932.29	12,117.36	17,137.87	24,612.74	88,161.07

टिप्पणी:-

1. केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल किया गया है।
2. उपर्युक्त राज्यवार अंतर्वाहों को आरबीआई मुंबई द्वारा प्रस्तुत किए गए आरबीआई के क्षेत्रवार अंतर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
3. *चिन्ह वाली सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई से प्राप्त अंतर्वाह के अनुसार राज्यवार वर्गीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव विविधता विकास नीति

2148. श्री एल. राजगोपाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के भविष्य में विकास हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी की घोषणा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2010 तक 5 बिलियन अमरीकी डालर के राजस्व को प्राप्त करने का लक्ष्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जैवविविधता विकास नीति की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के भविष्य में विकास हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का एक प्रारूप तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति के प्रारूप में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने और जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के कुल कारोबार में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए विशेष उपाय सुझाए गए हैं। भारत में जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र की कुल बिक्री 2010 तक 5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने की संभावना है। औद्योगिक विकास हेतु एक उचित वातावरण तैयार करने के लिए कई पहलें की गई हैं जैसे जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट देना; इस क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति देना; इसे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समकक्ष बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के आयतन को कम करना; पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क की छूट, आयात शुल्क में कमी और इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास में किये गये व्यय हेतु 150% भारित कटौती के संदर्भ में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास के लिए मान्यता प्राप्त उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन

2149. श्री ब्रजेश पाठक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो दो वर्षों के दौरान आज तक पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ङ) जी, हां। यह देखने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया गया है कि स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं समय से कार्यान्वित हो जाएं। प्रत्येक परियोजना के लिए अवधारणा और कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर के.वि.प्रा. में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु नये बैंचमार्क निम्नवत प्राप्त किये गये हैं:-

(i) **कोयला आधारित :** 500 मे.वा. क्षमता वाली यूनिट के संबंध में औसत आरंभन समय 49 माह से घटक 38 माह हो गया है। 210/250 मे.वा. क्षमता वाली यूनिटों के संबंध में औसत प्रारंभन समय 32 माह से घटकर 28 माह हो गया है। एनटीपीसी की रामागुण्डम एसटीपीएस-III 37 माह में चालू हुई है। कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. की रायचूर टीपीएस यूनिट 26 माह में चालू हुई है।

(ii) **गैस आधारित :** गैस आधारित परियोजनाओं का औसत प्रारंभन समय 24 माह से घटकर 20 माह हो गया है। रामगढ़ सीसीपीपी ओपन साइकल 15 माह में चालू हुई है।

(iii) **जल विद्युत आधारित :** नई जल विद्युत परियोजना का औसत आरम्भन समय 60 माह हो जाने की संभावना है। एनएचपीसी की चमेरा-II (3x100 मे.वा.) 49 माह में चालू हुई है।

[अनुवाद]

पैन कार्ड का उल्लेख करना

2150. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में निर्धारिती अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट में स्थायी लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्च मूल्य वाले लेन-देन में पैन का उल्लेख नहीं किए जाने से कठिनाई आती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उच्च मूल्य वाले लेन-देन संबंधी आंकड़ों की तथ्यता को कारगर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वित्त वर्ष 2004-05 के संबंध में अनेक संव्यवहारों के बारे में वार्षिक सूचना विवरणी दायरकर्ताओं द्वारा पैन का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक सूचना विवरणी में उल्लिखित 17,52,653 संव्यवहारों में से 10,70,392 संव्यवहारों के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी दायरकर्ताओं द्वारा पैन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके कारणों में ये तथ्य शामिल हैं कि (i) वित्त वर्ष 2004-05 प्रथम वर्ष होने के नाते जिसके लिए वार्षिक सूचना विवरणी स्कीम के अंतर्गत संव्यवहार सूचित किए गए थे, बैंकों के पास बैंक खातों, क्रेडिट कार्डों, आदि जहां संबंधित पक्षों के पैन का अभिग्रहण नहीं किया जा सका हो, के संबंध में सम्पत्ति आंकड़े थे; (ii) वार्षिक सूचना विवरणी के अंतर्गत कतिपय संव्यवहारों के संबंध में पैन का उल्लेख करना 1 दिसम्बर, 2004 को ही अनिवार्य बनाया गया; (iii) ऐसा व्यक्ति

जिसके पास पैन नहीं है, ऐसे संव्यवहार का विवरण देते हुए प्रपत्र 60/61 में घोषणा करने के उपरांत विनिर्दिष्ट संव्यवहार कर सकता है।

(ग) उच्च मूल्य वाले संव्यवहारों में पैन के अभाव में वार्षिक सूचना विवरणी आंकड़ों के मिलान में कठिनाई उत्पन्न होती है।

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए वार्षिक सूचना विवरणी दायरकर्ताओं को संव्यवहार करने वाले पक्षों के पैन को प्राप्त करने एवं उसका उल्लेख करने की अपेक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। विभिन्न संस्थाओं जिसमें म्युचुअल फंड प्राधिकरण, बैंक, उप पंजीयक, आदि शामिल हैं को पत्र भी लिखे गए हैं जिनमें उनसे संव्यवहार पक्ष के पैन का उल्लेख करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ङ) सरकार ने आयकर प्राधिकारियों को वार्षिक सूचना विवरणी डाटा का सत्यापन करने एवं संवीक्षा के लिए मामले का चयन करने हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं।

करेंसी नोटों की नई श्रृंखला

2151. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली नोटों के प्रचलन को समाप्त करने के लिए सभी मूल्यवर्गों में सभी सुरक्षा विशेषताओं वाले करेंसी नोटों की नई श्रृंखला जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जाली करेंसी नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। नई अद्यतन सुरक्षा विशेषताओं में, कलर शिफ्ट मशीन रीडेबल सिक्यूरिटी थ्रेड, इलैक्ट्रोलाईट वाटरमार्क, ओमरोन एन्टी फोटोकापिंग फीचर्स, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, सी-थ्रू इफेक्ट, इनटेगलिओ प्रिंटिंग और पहचान चिन्ह शामिल हैं।

(ग) देश में भारतीय करेंसी के जाली नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में, जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा विशेषताओं पर सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बैंकों के सभी मुख्य कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठों का गठन करना शामिल है। जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो नोडल एजेंसी है।

बहुमंजिली इकाइयों का निर्माण

2152. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए बहुमंजिली इकाइयों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन आवास इकाइयों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों को सुविधाएं मुहैया करने की दृष्टि से आश्रय, बुनियादी सेवाएं और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु परियोजनाओं के जरिए स्लमों का एकीकृत विकास करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के भाग के रूप में 3.12.2005 को शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप मिशन शुरू किया गया है। शेष शहरों/नगरों में जेएनएनयूआरएम के साथ-साथ एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) भी शुरू किया गया है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) को मिला दिया गया है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों मांग आधारित कार्यक्रम हैं जिसके लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होती है और करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसमें शहरी सुधारों को कार्यान्वित करने की वचनबद्धता देनी होती है। अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करते समय राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के पास देश के विभिन्न भागों में स्लम वासियों के पुनर्वास हेतु बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के विकल्प होता है।

आयातों पर अतिरिक्त शुल्क हटाना

2153. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल से होकर आने वाले प्राथमिक उत्पादों पर से 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाने पर सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू उद्योगों पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचाव हेतु रक्षोपाय विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 07.06.2006 से सरकार ने नेपाल से आयातित विनिर्दिष्ट प्राइमरी उत्पादों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया है।

(ख) ऐसे प्राइमरी उत्पादों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. कृषि उद्यान ओर वन उत्पाद और किसी भी प्रकार से प्रसंस्कृत न किए हुए खनिज।
2. चावल, दालें और आटा।
3. इमारती लकड़ी।
4. जेगरी (गुड़ और शक्कर)।
5. पशु, पक्षी और मछली।
6. मधु मक्खी मधुमोम और मधु।
7. कच्ची ऊन, बकरे के बाल और अस्थिपूर्ण के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली हड्डियां।
8. दूध, दूध से बने घरेलू उत्पाद और अंडे।
9. घानी से निकला तेल और आयल केक।
10. आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन।
11. गांवों के कारीगरों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जिनका प्रयोग मुख्यत: गांवों में किया जाता हो।
12. अकारा।
13. याक टेल।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अभी तक ऐसी छूट के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित कोई विशिष्ट मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

भेषज उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क

2154. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री महेश कनोडीया :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर और एड्स की दवाइयों पर शुल्क की वर्तमान दर कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसी दवाइयों पर शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध/सिफारिशें प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सामान्य तौर पर कैंसर और एड्स की दवाइयों सहित औषधियों और दवाइयों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क 16% है। इसी प्रकार आयात पर ऐसी दवाइयों पर बुनियादी सीमा शुल्क की सामान्य दर 12.5% है। ऐसी दवाइयों पर उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क उद्ग्रहणीय है और राज्य/स्थानीय करों के बदले 4% का अतिरिक्त शुल्क भी देय है।

(ख) सरकार को ऐसी दवाइयों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से मुक्त करने के प्रस्ताव मिले हैं।

(ग) सिफारिशों को ध्यान में रखकर सरकार ने निम्नलिखित

कैंसर और एड्स-रोधी दवाइयों तथा एकमुश्त दवाइयों पर उनके उत्पाद के लिए बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया है। इन दवाइयों को उत्पाद शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया है।

कैंसर-रोधी दवाइयां

(i) एजेथियोप्रिन

(ii) एन्टीनोमाइसिन डी

(iii) सिसप्लेटीन

(iv) सिटोसिन अरबिनोसाइड (सायटाराबिन)

(v) डानाजोल

(vi) डोक्सोरबिसिन

(vii) इटोपोसाइड

(viii) फ्लूटामाइड

(ix) ऑडानसेट्रोन

(x) पस्लीटेक्सेल

(xi) टेमोक्सिफेन साइट्रेट

(xii) बिन ब्लास्टिन सल्फेट

(xiii) बिनक्रिस्टिन

एड्स-रोधी दवाइयां

(i) डइडनोसिन;

(ii) इफेविरेंज;

(iii) इडिनेवीर;

(iv) नेलफिनावीर;

(v) नेविरेपिन;

(vi) स्टावुडीन;

(vii) एबेकावीर सल्फेट;

(viii) लोपिनावीर;

(ix) टेनोफोवीर डिसप्रोक्सिल;

(x) इमट्रीसाटैबिन;

(xi) लामीवुडीन; और

(xii) जिडोवुडीन।

पेट्रोलियम उत्पाद

2155. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर विभिन्न शुल्कों से मद-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों से संबंधित शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संग्रहित राजस्व के अनंतिम आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 2005 के बजट में सरकार ने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 5% और पेट्रोल एवं डीजल पर 15% से घटाकर 10% कर दिया और पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क के बड़े भाग को यथामूल्य से विशिष्ट दरों के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार जन वितरण प्रणाली से किरासन तेल और घरेलू उपयोग के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों से मुक्त कर दिया। जून, 2006 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को पुन: 10% से घटाकर 7.5% कर दिया है।

विवरण

विगत तीन वित्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से भारत सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व निम्न प्रकार था

उत्पाद शुल्क : पेट्रोलियम उत्पादों से वसूलवार अनंतिम राजस्व संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	03-04	04-05	05-06
1.	मोटर स्पिरिट	12575	13792	17554
2.	किरासन	1700	1273	212
3.	आर.डी. ऑयल	13470	14455	21773
4.	डीजल ऑयल, एन.ई.एस.	992	1246	505
5.	फर्नेस ऑयल	822	996	1756
6.	पेट्रोलियम गैस एवं अन्य गैसियस हाइड्रोकार्बन्स	2552	2424	319
7.	अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी	2906	3711	4623
	घरेलू कच्चे तेल पर अधिभार	5134	5248	5007
	कुल	40151	43145	51750

सीमा शुल्क : पेट्रोलियम उत्पादों से वसूलवार अनंतिम राजस्व संग्रहण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	03-04	04-05	05-06
1	2	3	4	5
1.	पेट्रोलियम ऑयल तथा विटूमिनस मिनरल्स, क्रूड से प्राप्त ऑयल	7491	9761	7158
2.	कच्चे तेल को छोड़कर पेट्रोलियम ऑयल एवं विटूमिनस मिनरल्स से प्राप्त ऑयल	2134	2466	2927
3.	अन्य मिनरल फ्यूवेल तथा विटूमिनस पदार्थ	958	1023	1309
	कुल	10582	13250	11394

पवन ऊर्जा

2156. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के कई राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में पवन ऊर्जा का वार्षिक औसत उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार को इन राज्यों में पवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कोई विदेशी सहायता मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में पवन ऊर्जा के स्रोतों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) दक्षिणी राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में सकल पवन विद्युत संभाव्यता 18500 मेवा. से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें तमिलनाडु में 3050 मेवा. की पवन विद्युत संभाव्यता शामिल है। पवन विद्युत क्षमता संयोजन प्रति वर्ष बढ़ रहा है और यह वर्ष 2004-05 में 1110 मेवा. तथा वर्ष 2005-06 में 1745 मेवा. था।

(ग) जी, नहीं। देश में वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं, सरकार से किसी पूंजीगत सब्सिडी के, निजी क्षेत्र के निवेश से स्थापित की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दक्षिणी राज्यों सहित देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं:- पवन इलेक्ट्रिक जनरेटर के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर दस वर्ष का कर-अवकाश, त्वरित अवमूल्यन का लाभ, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, ग्रिड कनैक्शन और उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए राज्यों में नीतियां, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) द्वारा तकनीकी सहायता और आगे संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन।

न्यायिक अकादमी की स्थापना

2157. **श्री परसुराम माझी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों में न्यायिक अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अकादमियां किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा राज्य न्यायिक अकादमियों की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, असम (संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली द्वारा न्यायिक अकादमियों की स्थापना की गई है। जून, 2005 में शिमला में हुए विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि शेष सभी राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण के लिए न्यायिक अकादमियों की स्थापना करें। न्याय विभाग ने शेष राज्य सरकारों को राज्य न्यायिक अकादमियां स्थापित करने की सलाह दी है।

थाइलैंड से टी.वी. का आयात

2158. **श्रीमती मनोरमा मादवराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड से टी.वी. का आयात करने पर शून्य आयात शुल्क लगेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे घरेलू टी.वी. विनिर्माताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के प्रति कोई सुरक्षोपाय प्रदान किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) 1 सितम्बर, 2006 से थाइलैंड से रंगीन टी वी सैटों के आयात पर शून्य आयात शुल्क लगेगा। यह भारत और थाइलैंड के बीच मुक्त व्यापार संबंधी करार के कार्य ढांचे के अनुसार है।

(ग) से (ङ) इस वर्ष के बजट में अधिकतर आयातों पर 4% का अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा दिया गया है, ताकि राज्य स्तरीय करों की क्षतिपूर्ति की जा सके। इससे घरेलू टी वी सैटों के विनिर्माताओं को कुछ संरक्षण मिलेगा। साथ ही विभिन्न एफ टी ए/आर टी ए से उत्पन्न प्रतिलोमित शुल्क ढांचे की समस्याओं को देखने के लिए सरकार ने श्री ए. डोडा, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति स्थापित एवं विचाराधीन विभिन्न व्यापार व्यवस्थाओं उत्पन्न प्रतिलोमित शुल्क ढांचे की समस्याओं की समीक्षा करेगी और समस्याओं पर ध्यान देने के उपायों एवं साधनों का सुझाव देगी। समिति द्वारा दिनांक 7.09.2006 तक अपना कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए सभा स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन के कथित रूप से लीक हो जाने के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो मुझे 7 अगस्त, 2006 को वोल्कर समिति द्वारा किये गए रहस्योद्घाटन के संबंध में न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने के पूर्व कथित रूप से लीक होने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, सर्वश्री ब्रज किशोर त्रिपाठी, प्रभुनाथ सिंह, आर्ज फर्नान्डीज, संतोष गंगवार, सुखदेव सिंह लिब्रा, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी और श्री मोहन सिंह की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। श्री मोहन सिंह की सूचना 'राष्ट्रीय सहारा' नामक समाचारपत्र के संपादक के विरुद्ध भी थी, जिसमें उनके अनुसार इस बारे में एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इसी मामले में मुझे 8 अगस्त, 2006 को डा. एम. जगन्नाथ से भी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई थी। माननीय सदस्यों का यह मानना है कि संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व प्रतिवेदन की विषय वस्तु का लीक होना सभी की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का मामला है। यद्यपि, न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण का गठन जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नहीं किया गया था, तथापि सरकार ने बाद में एक अधिसूचना जारी करके यह घोषित किया था कि अधिनियम के कतिपय विनिर्दिष्ट उपबंध उपर्युक्त प्राधिकरण पर भी लागू होंगे। इसीलिए, प्राधिकरण का प्रतिवेदन जो न्यायमूर्ति पाठक द्वारा 3 अगस्त, 2006 को प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया था, एक गोपनीय दस्तावेज था और संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखे जाने से पूर्व इसे प्रकाशित नहीं किया जाना था।

4 अगस्त, 2006 को कुछ 'माननीय सदस्यों' ने समाचार माध्यम में पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन के लीक होने के बारे में मामला उठाया तो अध्यक्षपीठ, से मैंने इसके इस प्रकार प्रकाशित होने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी और यह इच्छा जाहिर की थी कि सरकार इस मामले की जांच करवाये।

अब प्रश्न यह है कि क्या समाचार माध्यमों द्वारा इस प्रकार प्रतिवेदन के हिस्से के पूर्व-प्रकाशन अर्थात् प्रतिवेदन के एक हिस्से के लीक होने को सभा के विशेषाधिकार हनन का मामला माना जाए। उठाये गए प्रश्न के संबंध में पहले का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं मिलता और अनेक प्राधिकारियों का विचार है कि सभा की कार्यवाही से संबंधित किसी मामले के बारे में समय-पूर्व प्रचार या उसका प्रकाशन विशेषाधिकार हनन और सभा की अवमानना नहीं है, तथापि कुछ मामलों में यह अनुचित कृत्य हो सकता है। यह भी माना गया है कि यदि लोकहित से संबंधित मामले के बारे में यदि कोई वक्तव्य पहले सदन से बाहर और तत्पश्चात सदन में दिया जाता है तो इसमें विशेषाधिकार हनन का कोई मामला नहीं बनता। ऐसे कृत्य परम्पराओं और औचित्य के विरुद्ध हैं परंतु इनपर विशेषाधिकार हनन का कोई मामला नहीं बनता। यह भी अवधारणा है कि अगर सदस्यों के उपयोग हेतु दस्तावेजों को प्रैस और गैर-सदस्यों को पहले प्रचालित कर दिया जाता है तो वह विशेषाधिकार हनन नहीं है, हालांकि ऐसे कृत्य अनुचित माने जाते हैं।

जैसा कि उल्लेख किया गया है कि सायं 3 अगस्त, 2006 को सरकार को प्रतिवेदन देने के उपरांत, सोमवार 7 अगस्त, 2006 को 'की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन' के साथ इसे सभा पटल पर रखा गया था और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार रिपोर्ट के लीक होने के मामले की विधिवत जांच करायेगी। यद्यपि, यह सरकार का दायित्व है कि इस पर कार्रवाई करे परंतु मैं ऐसे कदम उठाये जाने की अपेक्षा करता हूं।

प्रथम लोक सभा के माननीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जी.वी. मावलंकर ने 22 अगस्त, 1955 को सभा में 'बैंक अवार्ड' कमीशन के प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व लीक होने के मामले में यह विनिर्णय दिया था कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है। इसी प्रकार, विगत में अनेक अवसरों पर बजट के लीक होने के संबंध में विशेषाधिकार हनन के मामले को उठाया गया। दिनांक 19 मार्च, 1956 को बजट प्रस्तावों के लीक होने के संबंध में लोक सभा में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय देते हुए 'हाऊस आफ कामन्स' के दो मामलों नामतः थामस मामला और डाल्टन मामले का उल्लेख किया जिसमें बजट के लीक होने को विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं माना गया था। पुनः 25 फरवरी, 1982 को रेल बजट के लीक होने के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया

कि बजट का लीक होना विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। भारत और ''हाऊस आफ कामन्स' में कई मामलों में लगातार ऐसा माना गया है कि सरकार की अभिरक्षा में किसी भी दस्तावेज को सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सरकारी गुप्त सूचना माना जाता है और इसीलिए इसका लीक होना सभा का विशेषाधिकार हनन नहीं माना जाता।

अपने अत्यंत विशिष्ट पूर्वाधिकारियों के विनिर्णयों और सुस्थापित परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार है कि प्रतिवेदन की विषयवस्तु के लीक होने को विशेषाधिकार का हनन अथवा सभा की अवमानना नहीं माना जा सकता। इसीलिए, मैं विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिये जाएंगे।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, पहले आपने कहा था कि सरकार को उसकी जांच करवानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैंने आज भी कहा है। आपको इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पुनः कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : परंतु महोदय, आपने ऐसा कहा था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने ऐसा कहा था।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : परंतु सरकार कहती है कि रिपोर्ट लीक की जांच नहीं करायी जाएगी *[हिन्दी]*...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा है लेकिन...*(व्यवधान)* सरकार कह रही है कि हम इंक्वायरी ही नहीं करेंगे। इंक्वायरी तो होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह भी कहा है कि कार्रवाई करने का सारा दायित्व सरकार का है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : परंतु इस मुद्दे पर आपकी ओर से कोई निर्देश होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई निर्देश नहीं हो सकता। मुझे इसका खेद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो ये क्लिअर करें कि हम इंक्वायरी क्यों नहीं करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.08 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : महोदय, मैं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4633/2006]

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : महोदय, मैं, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से 31 दिसम्बर, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप 5% वैवेकिक कोटा के अंतर्गत किए गए आवंटनों के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4634/2006]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत बैंक सावधि जमा योजना, 2006 जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1220(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.सं. 142/09/2006-टीआर, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 54ङ ग के अंतर्गत निवेश किए जाने, दीर्घावधि पूंजी परिसम्पति के अंतरण से उत्पन्न पूंजगत लाभों के लिए छह माह की सीमा को बढ़ाने से संबंधित आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4635/2006]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत कंपनी सचिव (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, जो 26 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1/(एम)/1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2006, जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/84/2005 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4636/2006]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : महोदय, मैं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4637/2006]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी सभा में कार्य चल रहा है। कृपया चिल्लाएं नहीं।

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या रेफ. डीईबीसी सं.1, जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य विनियम, 1935 में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4638/2006]

(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 2 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या एफ-11/3/2005-आईआर/सं. एक्जिम/सेवा/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात-आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2005 जो 2 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4/1/2003/आईआर/सं. एक्जिम/सेवा/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2006 जो 7 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्जिम/पेंशन/2006/एफ. सं. 11/3/2003-आईआर (खंड-II) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4639/2006]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 11 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 11 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4640/2006]

(4) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 22 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 783(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और प्रबंध ग्रहण) विनियम, 2006 जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 19 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 26 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 948(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 5 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 997(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 3 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4641/2006]

(5) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन:—

(एक) चन्द्रपुर-गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4642/2006]

(दो) अवध-ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4643/2006]

(तीन) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4644/2006]

(चार) सरगूजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4645/2006]

(पांच) शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4646/2006]

(छह) छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4647/2006]

(सात) फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4648/2006]

(आठ) यमुना ग्रामीण बैंक, आगरा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4649/2006]

(नौ) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4650/2006]

(दस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4651/2006]

(ग्यारह) हडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4652/2006]

(बारह) नैनीताल-अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4653/2006]

(तेरह) एटा ग्रामीण बैंक, एटा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4654/2006]

(चौदह) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4655/2006]

(पन्द्रह) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4656/2006]

(सोलह) दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4657/2006]

(सत्रह) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4658/2006]

(अठारह) रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4659/2006]

(उन्नीस) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4660/2006]

(बीस) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4661/2006]

(इक्कीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4662/2006]

(बाईस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4663/2006]

(तेईस) रीवा सिद्धी ग्रामीण बैंक, रीवा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4664/2006]

(चौबीस) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4665/2006]

(पच्चीस) ऋषीकुल्य ग्राम्य बैंक, बरहामपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4666/2006]

(छब्बीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिंहभूम (पश्चिम)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4667/2006]

(सत्ताईस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4668/2006]

(अट्ठाईस) ढेनकनाल ग्राम्य बैंक, ढेनकनाल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4669/2006]

(उनतीस) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4670/2006]

(तीस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4671/2006]

(इकतीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्णिया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4672/2006]

(बत्तीस) काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4673/2006]

(तैंतीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4674/2006]

(चौंतीस) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4675/2006]

(पैंतीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4676/2006]

(छत्तीस) लंगपी डेहंगी ग्रामीण बैंक, डीफू

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4677/2006]

(सैंतीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4678/2006]

(अड़तीस) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4679/2006]

(उनतालीस) प्रथम बैंक, मुरादाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4680/2006]

(चालीस) साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4681/2006]

(इकतालीस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4682/2006]

(बयालीस) बैतरनी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4683/2006]

(तैंतालीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4684/2006]

(चवालीस) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4685/2006]

(पैंतालीस) पीनाकीनी ग्रामीण बैंक, नेल्लौर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4686/2006]

(छियालीस) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4687/2006]

(सैंतालीस) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4688/2006]

(अड़तालीस) मध्यकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4689/2006]

(उनचास) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4690/2006]

(पचास) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, टुमकुर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4691/2006]

(इक्यावन) भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4692/2006]

(बावन) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानी पटना

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4693/2006]

(तरेपन) पुरी ग्राम्य बैंक, पुरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4694/2006]

(चौवन) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4695/2006]

(पचपन) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4696/2006]

(छप्पन) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4697/2006]

(सतावन) औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4698/2006]

(अठावन) बड़ौदा-राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4699/2006]

(उनसठ) पांडयां ग्राम बैंक, विरुधनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4700/2006]

(साठ) प्रगति ग्रामीण बैंक, वेल्लारी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4701/2006]

(इकसठ) झबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4702/2006]

(बासठ) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4703/2006]

(तिरसठ) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4704/2006]

(चौसठ) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4705/2006]

(पैंसठ) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4706/2006]

(छियासठ) बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बरेली

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4707/2006]

(सड़सठ) देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4708/2006]

(अड़सठ) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरुच

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4709/2006]

(उनहत्तर) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4710/2006]

(सत्तर) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4711/2006]

(इकहत्तर) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4712/2006]

(बहत्तर) नाडिया ग्रामीण बैंक, नाडिया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4713/2006]

(तिहत्तर) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांडया

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4714/2006]

(चौहत्तर) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मेरठ

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4715/2006]

(पचहत्तर) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चंबा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4716/2006]

(छिहत्तर) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4717/2006]

(सतहत्तर) राजगढ़-सिहौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहौर

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4718/2006]

(अठहत्तर) नीमड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगोन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4719/2006]

(उनासी) इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4720/2006]

(अस्सी) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4721/2006]

(इक्यासी) मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शिदाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4722/2006]

(बयासी) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4723/2006]

(तिरासी) डक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4724/2006]

(चौरासी) त्रिवेणी क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक, औराई

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4725/2006]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 2102 जो 3 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'रामकृष्ण शारदा मिशन, दक्षिणेश्वर, कोलकाता' को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2103 जो 3 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद' को निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2104 जो 3 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'श्री रामकृष्ण सत्यानंद आश्रम, ग्राम-जिरकपुर, डाकघर-बशीरहाट रेलवे स्टेशन उत्तरी जिला-चौबीस परगना (एन), पश्चिम बंगाल' को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2106 जो 3 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा 'जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई' को निर्धारण अधिनियम वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2292 जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'उत्तरांचल स्टेट सीड एण्ड ऑरगोनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी, एम-4, चंद्रलोक कॉलोनी, 101, राजपुर रोड, देहरादून' को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2293 जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा 'राष्ट्रीय महिला कोष, कमरा नं. 645, शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली' को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2295 जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'मुख्यमंत्री भूंकप राहत कोष, महाराष्ट्र मंत्रालय, मैडम कामा रोड, मुंबई' को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2295 जो 17 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो 'हिन्द वीमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, श्रद्धानंद मार्ग, महेश्वरी उद्यान, माटुंगा (ईस्ट), मुंबई' को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2549 जो 8 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, दूसरा तल, कोर-8, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली' को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2550 जो 8 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'आय वैद्यशाला, कट्टक्कल' को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2552 जो 8 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चर सेंटर, 7, नेल्सर मंडेला रोड इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-सी-1, बसंतकुंज, नई दिल्ली-110070' को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2553 जो 8 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन "नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकानोमिक रिसर्च, परिसला भवन, 11, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002" को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 की अवधि के कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दिए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4726/2006]

(7) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई 2005-2006 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4727/2006]

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 985 (अ) जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनका आशय दक्षेस (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ) के सदस्य राज्यों जिनमें बांग्लादेश जनवादी गणराज्य, भूटान किंगडम, भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य, नेपाल किंगडम, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकारें शामिल हैं, के बीच दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर करार के अंतर्गत अधिमानक शुल्क दर पर माल के आयात के लिए उद्गम के नियमों का प्रावधान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1094(अ) जो 14 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) का.आ. 1185 (अ) जो 26 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के

विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1186 (अ) जो 26 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 399 (अ) जो 4 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 38/96-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 260 (अ) जो 1 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 7.4.2006 को घोषित की गई विदेश व्यापार नीति के तहत लागू की गई नि:शुल्क आयात प्राधिकार स्कीम नामक नई निर्यात संवर्धन स्कीम को लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 275 (अ) जो 5 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 276 (अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वर्ष 2005-2006 के लिए टारगेट प्लस स्कीम को लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 408 (अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वर्ष 2005-2006 के लिए टारगेट प्लस स्कीम को लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुलक प्रतिअदायगी (संशोधन) नियम, 2006, जो 15 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 64 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 414 (अ) जो 11 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु., (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियम, 2006, जो 13 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 436 (अ) जो 20 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 420 (अ) जो 13 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रतिअदायगी की दरों की कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 4728/2006]

(9) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4729/2006]

(10) सीमा-शुल्ट टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):--

(एक) सा.का.नि. 430 (अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीयन संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन जनवादी गणराज्य और ब्राजील में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित ईथीइलीन-प्रोपाइलीन-नॉन-कन्जगेटेड डाइन रबड़ (ईपीडीएस) पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष के आधार पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 458 (अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आंशिक चमक वाले यार्न पर छह माह की अवधि के लिए अस्थाई प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4730/2006]

(11) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 429 (अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 को अधिसूचना संख्या 5/2006 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 437 (अ) जो 20 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 365 (अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से सेवित स्कीम प्रमाण पत्र के प्रति माल को देश में ही उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4731/2006]

(12) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 2006, जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 14(2) 2001-इन्स. V में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4732/2006]

अपराह्न 12.08½ बजे

लोक लेखा समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं "आय-कर विभाग की 'पुनर्संरचना' के माध्यम से दक्षता में सुधार की स्थिति" के बारे में लोक लेखा समिति (2006-2007) का उनतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : महोदय, मैं "कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास की योजना—स्वद्धार" विषय पर महिलाओं की शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2005-2006) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि कृपया सहयोग करें।

अपराह्न 12.09½ बजे

नैरोबी में राष्ट्रमंडल अध्यक्षों तथा पीठासीन अधिकारियों के 18वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं, जनवरी, 2006 में नैरोबी में हुए राष्ट्रमंडल अध्यक्षों तथा पीठासीन अधिकारियों के 18वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति में बारे में

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं, मेरे सहयोगी श्री कपिल सिब्बल की ओर से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान की मांगों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी संसदीय समिति के 149वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोक सभा के समाचार भाग-II, दिनांक 1 सितंबर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2005 को अपनी 149वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की 149वीं रिपोर्ट में कुल 19 सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को दी गई थी। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

अपराह्न 12.11 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 14 अगस्त, 2006 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:–

1. आज की कार्य-सूची से सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित करना:–
   (क) छावनी विधेयक, 2006; तथा
   (ख) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006
3. राज्यर सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पारित करना:–
   (क) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005;
   (ख) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2006; तथा
   (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2005

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:–

1. राजस्थान में विद्युत उत्पादन के संसाधनों जैसे जल, कोयला

---

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4734/2006]

[प्रो. रासा सिंह रावत]

आदि का सर्वथा अभाव है तथा केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी राजस्थान में कोई मुख्य विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने की भी कोई संभावना नहीं है। अत: विद्युत संकट पर काबू पाने के लिए आर.ए.पी.एस. की पूर्व में निर्मित एवं निर्माणाधीन इकाइयों से राजस्थान के आबंटन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।

2. देश के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से भारी जन-धन की हानि हो रही है। वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में औसत से भी कम वर्षा होने के कारण सूखे और दुर्भिक्ष तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फसलों की बुवाई तक नहीं हो पाई है। इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाने हेतु देश की बड़ी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना पर शीघ्र अमल किये जाने की आवश्यकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:—

1. राजस्थान विश्वविद्यालय एकमात्र बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके पास काफी भूमि और भवन है और सभी विषयों के अध्ययन करने के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षक भी हैं। इन सभी बातों को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

2. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के भवन का काफी विस्तार हुआ है और हो रहा है। इस अस्पताल में सभी प्रकार के रोगों के उपचार का प्रबंध है। इस अस्पताल में अनुभवी और योग्य चिकित्सक भी हैं। इन सभी बातों को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले ऐसे सभी सीरियल जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय परिवारों की परंपराओं को प्रभावित कर रहे हैं तथा जिससे युवा पीढ़ी दिशाहीनता की तरफ बढ़ रही है, ऐसे सभी सीरियलों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए।

2. डॉ. सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में इस वर्ष विश्वविद्यालय की हीरक जयंती मनाई गई। इसकी प्राचीनता, भव्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(i) अलपुजहा बाई-पास के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

(ii) वेम्बानन्द झील जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था की संरक्षण संबंधी कार्य योजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनवर हुसैन—उपस्थित नहीं।

श्री गिरिधारी यादव—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्न विषय को शामिल करने का कष्ट करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर शहर में स्थित रेलवे स्टेशन के दक्षिण भाग में एक उपरिपुल जनहित में शीघ्र निर्मित किये जाने का कार्य जिससे इस फाटक पर आये दिन यातायात में व्यवधान का समाधान किया जा सके।

2. छपरा से गोरखपुर के बीच नई इंटरसिटी रेल सेवा शुरू किये जाने का कार्य जिससे यहां के लोगों की मांग को पूरा किया जा सके।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए:—

लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों को निर्णायक भागीदारी देना अब परिहार्य हो गया है। इस हेतु भारतवर्ष के सभी मतदाताओं को

मतदाता वृत्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रलोभन से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (मुवत्तुपुजा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों की परिभाषा में विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए परिवर्तन किया जाना चाहिए। केरल जैसे उपभोक्ता राज्य में प्रत्येक परिवार की अन्य राज्यों से खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है तथा वहां कानूनी राशन प्रथा प्रचलित है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को भी गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए और उन्हें खाद्यान्न दिया जाए अन्यथा अधिकांश लोगों को आवश्यक खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, चीनी आदि उपलब्ध नहीं होंगे।

2. केरल में विजहींजम पोर्ट कंटेनर टर्मिनल तथा वल्लरपदम टर्मिनल को आवश्यक स्वीकृति सहित सुरक्षा संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता, जिसको पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की भी आवश्यकता है, जो देश के लिए हजारों करोड़ रु. की मुद्रा अर्जित कर सकती है।

आज केरल के सांसद इस मुद्दे पर तथा अन्य विकास के मुद्दों पर आन्दोलन कर रहे थे।

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुग्मर (अमरेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्न प्रस्तावों को लोक सभा की अगले हफ्ते की कार्यवाही में शामिल किया जाए:-

1. हाल ही में जो गुजरात में भीषण बारिश हुई है, उससे हुई हानि को पूरा करने के लिए कार्य।

2. सौराष्ट्र में कई वर्षों से मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने की उपेक्षा हुई है। सौराष्ट्र में मीटर गेज की जगह ब्राड गेज लाईन के बदलने के कार्य को प्राथमिकता दिए जाने का कार्य।

अपराह्न 12.17 बजे

सभा के नेता तथा विपक्ष के नेता द्वारा वक्तव्य

सभा के कार्यसंचालन के संबंध में राजग के अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैंने आपको अभी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं। उसे सुनिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभा के नेता एक वक्तव्य देने के इच्छुक हैं और सम्भवत: विपक्ष के नेता भी उत्तर देंगे। महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा से आग्रह करना चाहूंगा कि व्यवधान से बचने के लिए, यदि दोनों नेताओं के भाषणों को शान्तिपूर्वक सुना जाए तो यह सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णत: आप पर है। मैं किसी से वक्तव्य देने के लिए नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, आपकी अनुमति से मै निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहूंगा:-

''लोक सभा में विभिन्न दलों और समूहों के नेता एक अनुभवी संसदविद और भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा इस सम्मानीय सभा के माननीय अध्यक्ष को 8 अगस्त, 2006 को लिखे गए पत्र की विषयवस्तु और पत्र में प्रयुक्त शब्दों पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा सरकारी कार्य किए जाने में बरती गई निष्पक्षता के

[श्री प्रणब मुखर्जी]

संबंध में आक्षेप लगाए जाने से पूरी सभा और उन लोकतांत्रिक मूल्यों, जिन्हें दशकों से संजो के रखा गया था, कलंकित हुए हैं।''

यह पत्र इसलिए भी अधिक दुखदायी है क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति की कलम से लिखा गया है जिसने कई दशकों तक इस सभा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और जो व्यक्ति संसदीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अध्यक्ष एक व्यक्ति की अपेक्षा एक संस्था होता है और संसदीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण घटक पर आरोप लगाना इसके उनसभी घटकों पर आरोप लगाने के समान है जो गत पांच दशकों से अधिक समय से भारत के लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नेतागण और सं.प्र.ग. सहित सभी दलों के नेताओं का यह मानना है कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी उकसावे में अध्यक्षपीठ के कार्यव्यवहार पर किसी भी प्रकार से आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि, जिस प्रकार आप इस सभा का संचालन कर रहे हैं, हमें उसमें पूर्ण विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : अब, विपक्ष के माननीय नेता बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के माननीय नेता के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, सभा के नेता ने अभी जो वक्तव्य दिया है मैं उससे पूर्णतया असहमत हूं। आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से पृथक...*(व्यवधान)*

क्योंकि, मेरे नेता रा.ज.ग. के नेता द्वारा लिखे गए पत्र पर एक टिप्पणी की गई है अत: यदि उस पत्र को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाता तो उपयुक्त होता।

लेकिन प्रो. मल्होत्रा ने अभी-अभी मुझे यह बताया है कि आपने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उस पत्र का यहां उल्लेख न किया जाए और इसीलिए मैं यहां उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्येक सदस्य उस पत्र में लिखे गए प्रत्येक शब्द से पूर्णतया सहमत है ...*(व्यवधान)*

मेरा यह कहना है कि उस पत्र में कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। उस पत्र में कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। वस्तुत:, मुझे तो वास्तव में हैरानी होती है कि कैसे कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है उस पत्र में अध्यक्षपीठ के प्रति अनादर प्रकट किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, उस पत्र के बारे में मेरा यह मानना है कि वह एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ का सभा के पीठासीन अधिकारी को दिया गया एक परामर्श है और यह व्यक्तिगत रूप से आपके लिए नहीं है, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों खड़े हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। यह क्या बात है? जब मैं कह रहा हूं कि उनका एक भी वर्ड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

आपके नेता बोल रहे हैं और आप व्यवधान डाल रहे हैं। इस दुखद घटनाक्रम को लंबा मत खींचिए। मैंने उस पत्र के बारे में एक भी टिप्पणी नहीं की है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, महोदय।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझसे कई बार पूछा गया था। मैं उनका आपसे अधिक नहीं तो कम से कम उतना ही आदर करता हूं। मैंने उन्हें इस सभा में देखा है; मुझे उनके साथ वर्ष 1971 से कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए, आप यह मत समझिए कि केवल आपके ही मन में ही उनके प्रति इतना आदर है। कृपया इस घटनाक्रम को लंबा मत खींचिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जब आज सुबह सभा के नेता से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने यह कहा: "हम यह चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले क्योंकि बहुत सा कार्य किया जाना शेष है और लोगों के कल्याण से संबंधित ऐसे बहुत से मुद्दे लंबित हैं जिन्हें किया जाना चाहिए।" इसलिए उन्होंने कहा: "हमारे लिए, ऐसा लगता है कि यह पत्र एक गतिरोध पैदा करेगा।" मैंने कहा: "मुझे आश्चर्य होता है कि इस पत्र को एक गतिरोध के रूप में देखा जाए। परंतु यदि आप इस पत्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं भी इस पत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।"

इसलिए, सभा के नेता ने जो कुछ कहा मैंने उसके प्रति अपनी असहमति प्रकट की है। मैं पुन: दृढ़तापूर्वक यह कहता हूं कि यह पत्र हम सभी के लिए, न कि केवल अध्यक्ष महोदय के लिए अपितु सभी संसद सदस्यों के लिए एक दिशानिर्देश है। महोदय, मुझे बस यही कहना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम 'विशेष उल्लेख' का कार्य लेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चेयर की कुछ तो सुनिए। मैं आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

मैं आपसे बार-बार यह कह रहा हूं कि कम से कम जहां तक इस सभा का संबंध है तो इस घटनाक्रम को समाप्त होने दीजिए?...आप बाहर जो चाहे कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता; यहां अलग-अलग व्याख्याएं हैं। जहां तक मेरी भावनाओं का संबंध है, मैं उन्हें व्यक्त करना नहीं चाहता। लेकिन जो कुछ मेरे पास आया है, वह मेरे पास आया है। मैं आप सबसे सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। यहां अन्य बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे लिए जाने हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य और श्री यादव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सहयोग दें। इससे सभा की गरिमा बढ़ेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री जी को अपनी बात कहने दीजिए। उनका गुजरात में बाढ़ से संबंधित बहुत गंभीर मुद्दा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री के कथन के अलावा एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आभारी हूं। इस उद्दण्डता से सहायता नहीं मिलेगी। केवल श्री मधुसूदन मिस्त्री की कथन ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने उनसे न बोलने के लिए कहा है। मैंने उनके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया है। एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूं।

[हिन्दी]

हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, उनका गला तो नहीं पकड़ सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इससे अधिक क्या चाहते हैं? आप सुनना ही नहीं चाहते। यदि आप अध्यक्ष का इतना आदर करते हैं तो कृपया शांत रहिए। इस प्रकार आप अध्यक्षपीठ के प्रति इससे अधिक सम्मान प्रकट कर सकेंगे जितना कि आप इस विवाद में पड़कर करना चाहते हैं। मेरे विचार से खामोशी किसी भी अन्य बात से कहीं अधिक मुखर होती है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, मैं इस सभा और सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात के लोग भयंकर बाढ़ से घिरे हुए हैं और विशेषकर सूरत में जहां पानी का स्तर बढ़ गया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, लैटर का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं?

[अनुवाद]

आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

ये गुजरात के बारे में ही बोल रहे हैं। जिन सदस्यों का नोटिस आया है, हम उनको ही बोलने के लिए बुलाएंगे, जिनका नहीं आया है, उनको नहीं बुलाएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सूरत के लोग भयंकर बाढ़ में फंसे थे क्योंकि थुकाई बांध से पानी छोड़ा गया था। गुजरात सरकार की घोर लापरवाही और आपराधिक कार्यवाही के कारण लोग परेशानी में हैं। वस्तुत: यह कहा जाता है कि सूरत में राहत प्रदान करने के स्थान पर गुजरात सरकार महाराष्ट्र सरकार पर दोषारोपण करने में अधिक व्यस्त थी। उनका कहना था कि वे तापी नदी पर बने एक बांध से पानी छोड़ रहे हैं जबकि महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि तापी नदी पर कोई बांध ही नहीं है। अभी तक भी लोग भोजन और पानी मांग रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि लोग दवाइयों, भोजन और पानी के साथ यह भी कह रहे हैं कि *[हिन्दी]* उसके साथ आप कफन का कपड़ा भी भेज दीजिए क्योंकि भारी तादाद में पानी निकलने से लाशें आ रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। आप उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : यह समाचारपत्र की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात सरकार सूरत और पूरे गुजरात के अंदर रिलीफ पहुंचाने में विफल रही है। जबकि राज्य सरकार के पास पहले से ही दो सौ करोड़ रुपये कलामिटी रिलीफ फंड के पड़े हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये क्या हो रहा है? हाउस का कोई प्रैस्टीज ही नहीं है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सदस्यों का कोई सम्मान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं आशा करता हूं कि आप उनको डायरेक्शन दें ताकि वे सूरत में रिलीफ पहुंचाने का काम करें। गुजरात सरकार को पिछली बार भी पांच सौ करोड़ रुपये क्लॉमिटी रिलीफ फंड के रूप में दिए गए थे। इसके अलावा हमारी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी और लीडर आफ दी हाउस श्री प्रणब मुखर्जी वहां गए थे और उन्होंने डेढ़ सौ करोड़ रुपये गुजरात सरकार को दिए थे। मैं आशा करता हूं कि उस पैसे का अच्छी तरह से यूज़ किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लोगों कि दुर्दशा के बारे में हम सभी चिंतित हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे वर्स्ट पार्ट यह है कि सरकार की ओर से जो मदद दी जा रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी का सिक्का माना जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह एक समाचारपत्र की रिपोर्ट है। मैं समाचारपत्र की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं। यदि आप चाहे तो मैं इसे प्रमाणित करने को तैयार हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम दूसरों के प्रति अतिभावुक हो रहे हैं। हम एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई नहीं बोल सकता, केवल मैं बोल सकता हूं। यदि इस प्रकार की मनोवृत्ति है तो सभा का समापन कर दिया जाएगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह साबित करने को तैयार हूं कि यह एक समाचारपत्र की रिपोर्ट है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है वे इन्कार कर रहे हैं। यह समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट है जिससे तथ्यों और आकड़ों का पता चलता है। यदि आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

यह बहुत दुख की बात है कि इतने दिनों के बाद भी गुजरात सरकार वहां के लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचा सकी है। मेरी सरकार से मांग है कि वह गुजरात सरकार को ताकीद करे कि वह लोगों को रिलीफ पहुंचाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम तो चाहते हैं कि सभी बोलें। आप लोग भी हमारी थोड़ी मदद कीजिए ताकि सभी लोगों को बोलने का मौका मिल सके।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैंने तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद देने से क्या होगा? आप अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं। लोग हमारे देश में पीड़ित हैं। यहां पर उन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए जिससे कि कुछ समाधान निकाला जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए, उनका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।*

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 दिनों से देश के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और विशेषकर गुजरात में अनप्रिसिडेंटिड बारिश और अतिवृष्टि के कारण तबाही हुई है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि गुजरात के सांसद के नाते मेरे मित्र मधुसूदन भाई जब बोलने खड़े हुए तो मुझे लगता था कि वे गुजरात में जो अतिवृष्टि के कारण कुदरती प्रकोप के कारण जो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरिन पाठक]

स्थिति पैदा हुई है लाखों परिवार कुदरत के कारण बेघर हुए हैं, उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे, मगर सिर्फ राजनीति ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसे छोड़िये, आप अपनी बात बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, उन्होंने कहा मुझे बाढ़ के बारे में बात करनी चाहिए थी...*(व्यवधान)* मैंने बाढ़ के बारे में ही बोला है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों की बात कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, इसमें पोलिटिक्स क्यों लाते हैं?

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : मैं आपकी बात का खंडन करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। अध्यक्ष जी, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप लोग आपस में बात क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : महोदय, वे मुझे बता रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : पिछले दिनों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह सूरत शहर हुआ है।...*(व्यवधान)* यह आप राजनीति कर रहे हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, उनको छोड़िये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : पिछले 6-7 दिनों में मध्य गुजरात, बड़ौदा और विशेषकर सूरत में सभी टी.वी. चैनलों ने बताया, सभी अखबारों ने लिखा कि पिछले 200 साल में नहीं हुई, ऐसी बाढ़ इतनी बारिश गुजरात में, एक ही प्रदेश में, सूरत शहर में हुई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : पूरे शहर में तबाही हो गई। सरकार पूरी तरहर से उसके काम में लग गई। स्वैच्छिक संस्थाएं सब तरफ से आ गईं। पूरा शहर बाढ़ में डूब चुका है। एक तरफ सूरत शहर की जिन्हें ज्योग्राफी मालूम है, वह तापी नदी के किनारे पर है और तापी नदी समन्दर में मिली हुई है। अब यह पुर्निया का समय है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह क्या हो रहा है? हर कोई बोल रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : नदी का पानी समुद्र में नहीं जा रहा है, डैम का पानी शहर में आ रहा है। ऐसी स्थिति में...*(व्यवधान)*

श्री वी.के. हुम्मर (अमरेली) : फिर डैम का पानी गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्यों छोड़ा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्यों के विरुद्ध मैं कार्रवाई करूंगा....

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : महोदय, वे सभा को भ्रमित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मिसलीड करोगे तो जनता ट्राई करेगी, आप क्यों बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : ऐसी सूरत में जो ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए मैं सदन की संवेदना चाहूंगा, उसमें वह मुझे सुन ले, मुझे सहयोग दे।

12 लाख से भी ज्यादा लोग सूरत में आउट ऑफ गुजरात के हैं। उनमें बहुत से लोग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और यू.पी. के हैं। वे सब लोग इतनी भयंकर बारिश के कारण, बाढ़ के कारण तबाह हैं। हमने सरकार से निवेदन किया है कि 200 साल में बारिश से ऐसी तबाही कभी नहीं हुई, इतना फ्लड नहीं आया, इसलिए सरकार हमें ज्यादा मदद दे। अभी सरकार ने 150 करोड़ रुपये, कल प्रणब मुखर्जी जी, सदन के नेता वहां गये थे, उन्होंने 150 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, मगर जो नुकसान हुआ है, सूरत 40 हजार करोड़ रुपये का डायमंड का व्यापार पूरे देश में करता है, वह टैक्सटाइल मिल्स का मेन सैण्टर है। वहां कैमीकल इंडस्ट्रीज़ हैं, देश के बड़े-बड़े प्राइवेट सैक्टर के हजीरा में प्रोजैक्ट्स लगे हैं। वहां अरबों, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मैं सदन से चाहूंगा कि इसमें राजनीति मत करिये और गुजरात सरकार को ज्यादा से ज्यादा मदद करिये। 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वहां नुकासान हुआ है। अभी-अभी हमने सरकार से प्रार्थना की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज़।

श्री हरिन पाठक : मैं गुजरात के हित की बात कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, अब बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मुझे मालूम है कि आप गुजरात की कितना चिंता करते हो। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि तुरंत दो हजार करोड़ रुपये की मदद करे, क्योंकि 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नुकसान तो प्राथमिक दृष्टि से है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : यह नुकसान 50 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए मेरी आपसे, सरकार से और प्रणब दा से प्रार्थना है कि जहां आज प्रधानमंत्री जी गये हैं, कल श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में गुजरात के सांसद प्रधानमंत्री जी को मिले थे तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि आज सुबह वे सूरत जाएंगे।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि तुरंत दो हजार करोड़ रुपये, चिदम्बरम जी, आप हमें दे दीजिए ताकि हम वहां रिलीफ दे सकें और रीहैबिलिटेशन के लिए बाद में पैसा दीजिए और गुजरात की मदद करिये।...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिये, आपकी एक लाइन भी रिकार्ड में नहीं आएगी। अगर हमारी परमीशन लेकर बोलेंगे तो कुछ होगा। इसके लिए चुप करके बैठ जाना होता है।

[अनुवाद]

कृपया उचित व्यवहार करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक द्वारा उठाए गए विषय से डा. वल्लभभाई कथीरिया सम्बद्ध हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री छेवांग छुपस्तन (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन की और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लद्दाख के बारे में यहां किसी ने जिक्र नहीं किया। देश के बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ आयी, इसके बारे में सभी जानते हैं और वहां मीडिया का भी पूरा फोकस है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि वरिष्ठ नेता इसे प्रकार व्यवहार करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? आप दोनों एक साथ नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्री छेवांग छुपस्तन : बड़े-बड़े शहरों में छोटी सी जगहों में बाढ़ आ जाती है, तो वहां मीडिया का फोकस होता है, सरकार भी आकर्षित होती है और सदन भी आकर्षित होता है। इस बार बहुत ही अनयूजुअल घटना हुयी है, लद्दाख में नार्मली बारिश नहीं होती है, यह एक ड्राई एरिया है, लेकिन इस बार तकरीबन दस दिनों में लद्दाख में इंसेसैंट रेन हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आज तक वहां 11 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। नेशनल हाइवे जो कि लद्दाख को देश के अन्य क्षेत्रों से, श्रीनगर और मनाली के जरिए जोड़ता है, वह प्रभावित हुआ है और सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि राज्य के मुख्यमंत्री वहां अधिकारियों के साथ वहां आए थे, वहां आकर उन्होंने उस एरिया जा जायजा लिया और उसके बाद केवल 50 लाख रुपए उस क्षेत्र के लिए एनाउंस किए। लद्दाख में जिस तरह का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, रेजीडेंशियल हाउसेज खत्म हो गए हैं, वहां एग्रीकल्चर में साल में एक ही क्राप होती है, वह भी बिल्कुल बह गयी है, इरोजन हुआ है, उसको देखते हुए इस बात की जरूरत थी और मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है कि वहां सेंट्रल टीम भेजे जाने की जरूरत है, जो वहां डैमेज को ऐसेस करें, इसके बारे में जायजा ले और इसके बारे में बताए कि इसको रोकने के लिए टैंपरेरी और लांग टर्म मेजर्स क्या किए जाएं? लेकिन मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई रेस्पांस नहीं आया है। लद्दाख को नजरंदाज कर रहे हैं। लद्दाख का डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। राज्य सरकार तो उसे नजरंदाज कर रही है, केन्द्र सरकार भी उसे नजरंदाज कर रही है। हम चाहते हैं कि लद्दाख को तवज्जो दी जाए। मैं भारतीय सेना की सराहना करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लोगों की विपत्ति में राजनीति को शामिल न करें। वे स्थिति का समर्थन कर रहे हैं। कृपया उन्हें सुनिये और सम्मानजनक स्थिति बनाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उन्होंने बीजेपी का नाम लिया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हर कोई अध्यक्ष-पीठ की अनदेखी कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग छुपस्तन : सेना के अधिकारी और जवानों ने वक्त पर सहायता पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा कहीं भी कोई इमदाद नहीं आया। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि नेशनल कैलिमिटी रिलीफ फंड से जेनरस असिस्टेंस लद्दाख को दें, क्योंकि लद्दाख के पास अपने कोई संसाधन नहीं हैं। वहां सेंट्रल टीम भेजे जाने की और जेनरल फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की मैं गुजारिश करता हं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराने में पूर्णत: असफल रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह परेशानी है। आप स्थिति का उल्लेख न करें। आप केवल संकट को आमंत्रित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री किन्नेरपु वैरननायडु : अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गयी। सरकार अभी तक उन्हें पेयजल और भोजन उपलब्ध नहीं करा रही है। आज तक सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। यह प्रकृति निर्मित नहीं है। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि उन्होंने नदियों के बंधों को सुरक्षित किया होता तो आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं होता। लाखों हेक्टेयर भूमि में फसल बर्बाद हो चुकी है और हजारों पशु मारे जा चुके हैं।

मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और भारत सरकार राहत और पुनर्वास के लिए शीघ्र 1000 करोड़ रु. स्वीकृत करे। अन्यथा आंध्र प्रदेश इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता। आप मीडिया की खबरों को पढ़े, आप पायेंगे कि पीड़ितों द्वारा कांग्रेस विधायकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। वे उन्हें क्षेत्र का दौरान नहीं करने दे रहे हैं। पांच अथवा छः दिनों के पश्चात् वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है। वहां कोई दवा उपलब्ध नहीं है। वहां पेयजल उपलब्ध नहीं है। लोग पीड़ित हैं। अभी तक प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश का दौरा नहीं किया है। सात दिनों से लोग वहां संकट में हैं। कल हम माननीय प्रधानमंत्री से आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की अपील कर रहे थे।

महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आंध्र प्रदेश के लिए शीघ्र 1000 करोड़ रु. स्वीकृत किए जाए और आंध्र प्रदेश के लोगों विशेषरूप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, मैं भी अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधाकर रेड्डी भी इस विषय से सम्बद्ध हो रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है। जो इस विषय से संबंधित थे उन्होंने नोटिस देना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है। मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, नासिक डिवीजन आदि में काफी बाढ़ आई है। पंढरपुर क्षेत्र में भी काफी पानी भर गया है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राहत का कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति सुधारने और लोगों की मदद के लिए एक-डेढ़ हजार करोड़ रुपये फौरन देने की आवश्यकता है। हमें सरकार की तरफ से आश्वासन चाहिए कि महाराष्ट्र के लिए पैकेज दिया जा रहा है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़, उत्तर) : महोदय, बाढ़ ने कर्नाटक में भारी तबाही मचाई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय उठाया जा रहा है।

श्री प्रह्लाद जोशी : एक ओर 127 ताल्लुकों में सूखा पड़ा है तो दूसरी ओर 6 से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 25 पुल डूब गए हैं। यहां तक कि जहां वर्षा नहीं हुई थी वहां भी कोन्या बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आई हुई है। वहां पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी और यह मांग की गई थी कि वहां आसपास के सभी 101 गांवों को, जो कोन्या बांध से पानी छोड़े जाने के कारण प्रभावित होते हैं स्थायी रूप से वहां से स्थानान्तरित कर दिया जाए। इस संबंध में, तत्कालीन धर्मसिंह सरकार ने भारत सरकार से उन गांवों को वहां से स्थायी रूप से हटाने के लिए 300 करोड़ रुपये दिए जाने का अनुरोध किया था। लेकिन वह अनुरोध गत एक वर्ष से भारत सरकार के पास लंबित है। मैं भारत सरकार से इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि 100 से अधिक लोग और 1000 से अधिक मवेशी पहले ही मर चुके हैं। एक ओर बाढ़ है और दूसरी ओर सूखा है। अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक की स्थिति पूर्णतया भिन्न है। ऐसी परिस्थिति में कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से तत्काल राहत के रूप में 1300 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की है। इसे तत्काल जारी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना समर्थन करने दीजिए जो आपके दल के ही नेता हैं।

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : महोदय, जो कुछ इन्होंने कहा है मैं स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : देश के अधिकांश हिस्सों, विशेषकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और अन्य विभिन्न राज्यों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। प्रकृति द्वारा रचित यह एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय आमदा है। जैसा कि मेरे साथी श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कर्नाटक में भयंकर बाढ़ और सूखे की स्थिति है। लगभग 164 ताल्लुके प्रभावित हैं, 104 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों एकड़ क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं और 25 पुल पूर्णतया डूब गए हैं। वस्तुत:, 8 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय कृषि मंत्री से मिलने दिल्ली आए थे। उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में 1406 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हेतु एक ज्ञापन दिया है।

मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने कर्नाटक के लिए किसी राहत की घोषणा नहीं की है। जबकि, जब आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहां आए ये तो संघ सरकार ने तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 200 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा कर दी थी और हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कर्नाटक के मामले में कोई सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए।

इसलिए, मैं यह मांग करता हूं, और मैं इस पर पूरी सभा का समर्थन चाहता हूं कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य विभिन्न राज्यों को अंतरिम अनुदान दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रभावित राज्य से सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, संघ सरकार ने अभी तक कर्नाटक के लिए कोई अध्ययन दल नहीं भेजा है। फसलों, मवेशियों, मानव जीवन और अवसंरचना को हुई हानि का आकलन करने हेतु तत्काल एक अध्ययन दल कर्नाटक भेजा जाना चाहिए।

महोदय, यहां माननीय वित्त मंत्री जी की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम पिछले एक दशक से इस प्रतिष्ठित सभा में सरकार पर आपदा राहत कोष के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने हेतु दबाव बनाते रहे हैं। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने हेतु एक मंत्रिसमूह का गठन किया जाएगा जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री होंगे। सभी शुष्क भूमि, नम भूमि, बागवानी की भूमि और फसलों के नुकसान तथा मानव जीवन की हानि के लिए जो कुछ दिया जाता है वह बहुत कम है। यह अल्प राशि है। इसलिए, हम चाहते हैं कि सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करे।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद-विवाद नहीं है। आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि अभी तक इस मंत्रिसमूह की कितनी बैठकें हुई हैं। सरकार के इस संवेदनहीन रवैये से कर्नाटक के लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है।

वहां कोन्या नामक एक बांध है जो कर्नाटक के लोगों के सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ है। उस जलाशय से छोड़ा गया पानी न केवल महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग जैसे सांगली, सतारा और कोल्हापुर को प्रभावित करता है अपितु कर्नाटक के बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट, बीदर, गुलबर्गा और रायचूर जिलों को भी प्रभावित करता है। यह बाढ़ न केवल निरंतर वर्षा के कारण आती है अपितु कोन्या बांध से पानी छोड़े जाने के कारण भी आती है। इसलिए, कोन्या बांध के जलाशय से पानी छोड़े जाने की निकटता से निगरानी की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह ठीक है। आपने यह सही मुद्दा उठाया है और मैंने इसकी अनुमति दी थी।

श्री अनंत कुमार : महोदय, कर्नाटक में दल भेजे जाने चाहिएं। कर्नाटक सहित सभी राज्यों के लिए अंतरिम राहत की घोषणा की जानी चाहिए। हम पहले ही 1406 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत कर चुके हैं। हमारी यह मांग भी है कि आपदा राहत कोष के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री अनंत कुमार : संघ सरकार को तुरंत कर्नाटक को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम इसके साथ सम्बद्ध होना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य स्वयं को इसके साथ सम्बद्ध करना चाहते हैं वे कृपया सभा में व्यवधान उत्पन्न किए बिना पर्चियां भेजें। श्री मंजुनाथ कुन्नुर को इसके साथ सम्बद्ध किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैंट दिया।...*(व्यवधान)* मैं कोई एसपर्शन कॉस्ट नहीं कर रहा हूं। उस जजमैंट में लोक सभा द्वारा जो बिल पास हुआ था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, वे दूसरे विषय पर आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं?

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : हमें उड़ीसा के बारे में कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है। मैं आपको अनुमति नहीं देने जा रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने समय पर सूचना भेजने का कष्ट उठाया है उन्हें बुलाया जाएगा। मुझे खेद है। मैं उड़ीसा के प्रति भी उतना ही चिंतित हूं जितना कि किसी भी अन्य राज्य के प्रति हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा पर भी ध्यान दें। परंतु कम से कम एक सूचना देकर अपनी चिंता व्यक्त करें।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : मैंने पहले भी सूचनाएं दी थी परंतु उन दिनों सभा स्थगित हो गई।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैंट आया है, मैं कोई एसपर्शन कॉस्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना जरूर है कि लोक सभा और राज्य सभा से जो बिल पास हुआ था, उस बिल के पास होने के बाद....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, मैं सोमवार को इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं। आप कृपया सोमवार को उसमें भाग लें।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं सोमवार को यहां नहीं होऊंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट के बाद स्थिति बहुत ही गंभीर बन गयी है। मान्यवर, जो विधेयक इस सदन से पास होकर कानून बन गया था, उसे विधि बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमैंट में उसे रद्द कर दिया, उसको इनवैलिड कर दिया। मेरा कहना यह है कि 16 सितम्बर से दिल्ली में फिर से बुलडोजर चलने लगेंगे। मुझे तब ताज्जुब हुआ जब माननीय श्री जयपाल रेड्डी जी, जो हमारे मित्र हैं, बड़े काबिल आदमी हैं और आवास मंत्री भी हैं, ने एक बयान दिया जिसे मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि – सरकार का रुख सही ठहराया गया है। मान्यवर, अगर 41 हजार मकान गिराए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा तो इनका स्टैण्ड विण्टीकेट होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तब, इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपका नाम नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में तत्काल निर्णय करना चाहिए अन्यथा इससे लगभग 45 हजार से अधिक लोग प्रभावित होंगे और अगर उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सदन के माध्यम से दिल्लीवासियों को बताने का कष्ट करें कि क्या 16 सितम्बर से पुन: बुलडोजर चलेगा या सरकार इसका कोई समाधान करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. थामस।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं? मैं अगले सोमवार को इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : प्रो. मल्होत्रा को बोलने दीजिए, मैं भी कुछ शब्द कहूंगा...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैंने 3 तारीख को सूचना दी थी। इन्होंने कहा था कि जब ये आ जाएं तब कॉलिंग अटेंशन लिया जाए। इसे 'शून्य काल' में नहीं लिया जा सकता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, क्या सोमवार आपके लिए सही रहेगा?

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : जी हां...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, सभी के प्रोग्राम सोमवार को दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जिससे कि संग्रहालय के उद्घाटन के लिए सदस्यगण उपस्थित रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने के लिए समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस आएगा, तो समय मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हाल ही में केरल, विशेषकर मध्य केरल के कुट्टानुकुलम के कुछ भागों तथा मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ अन्य भागों में भी एन्थ्रेक्स नामक घातक बीमारी का पता चला है। बहुत से मवेशी मर रहे हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एन्थ्रेक्स ही बहुत से मवेशियों के मौत का कारण है। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि यह अन्य भागों में भी फैल रहा है। यह मनुष्यों में भी फैल सकता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र से एक दल भेजा जाए और सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाया जाए। इसके अतिरिक्त, केरल राज्य को तथा इससे ग्रस्त किसानों को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता भेजी जाए ताकि इस घातक बीमारी का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उस हृदय विदारक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो झारखंड से पश्चिम बंगाल तक फैले हुए कोयला क्षेत्र में घटित हुई है। इसका जानलेवा खेल जारी है क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व बीसियों परित्यक्त कोयला-खदान जल-मग्न हो गये और इन परित्यक्त खदानों में जल तेजी से भरता जा रहा है। आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि 1970 से पूर्व निजी मालिकों ने सैकड़ों कोयला खानों को छोड़ दिया। लेकिन कोयला की अवैध खनन जारी है। पूरे क्षेत्र में कोयला माफिया भरे हुए हैं और अन्य अवैध गतिविधियां भी चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इस विषय की जांच कर रही है। श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य को बचाव कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि श्री आचार्य यहां इस सभा में बैठे हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केन्द्र सरकार को एक वक्तव्य देने के लिए निर्देश दें क्योंकि पूरा बचाव कार्य रुका हुआ है। सेना बचाव कार्य में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। स्वाभाविक रूप से, हम सभी अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ है, कितने लोग पहले ही मर चुके हैं या डूब गये हैं। पहले से ही खदान में कुल 80 फीट में से 150 फीट तक पानी भरा हुआ है लेकिन हमें ज्ञात नहीं है कि कितने अवैध खनिक इसमें फंसे हुए हैं, कितने अवैध खनिक मर चुके हैं तथा कितने अवैध खनिक इस जल-समाधि में डूबने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, आपके माध्यम से माननीय केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध है कि वे एक वक्तव्य दें क्योंकि हम सभी के मन में इस बात से उत्तेजना है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ महीने पहले केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर राजस्थान के किसानों की सरसों की खरीद की थी। लेकिन तीन-चार महीने बीत जाने के बाद अभी तक उन किसानों को उसका भुगतान नहीं किया गया है। वे किसान काफी परेशन हैं, क्योंकि इस समय फसल का समय है और उन्हें पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जिन किसानों की सरसों खरीदी गई है, उसका भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा कुछ सरसों अभी वहां बची हुई है, जिसे लेकर किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी खरीद नहीं हो रही है। मेरा केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन है कि वह बची हुई सरसों की भी खरीद की जाए, जिससे उन किसानों को भी फायदा हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मिनाती सेन, अगले सप्ताह मैं 'मादा भ्रूण हत्या' नामक विषय पर हम ध्यानाकर्षण की अनुमति दे रहा हूं, कृपया उसमें आप भाग लें। उनका नाम ध्यानाकर्षण के लिए नोट किया जाए।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर विषय उठा रहा हूं। भारतीय जैविक सर्वेक्षण हमारे देश के एक ख्यातिप्राप्त संस्थानों में से है जिसकी एक बहुत ही अच्छी सामाजिक पृष्ठभूमि है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पर्यावरण और वन्य मंत्रालय ने भारतीय जैविक सर्वेक्षण के 112 कर्मचारियों के विरुद्ध बरखास्तगी की सूचना दी है जिसके कारण के बारे में सबसे ज्यादा उन्हीं को पता है।

महोदय, शिवपुर जैविक उद्यान देश में सबसे मशहूर उद्यान है जिसके 60 स्थायी कर्मचारियों को देश में अन्य लोगों के साथ ही छटनी की सूचना दे दी गई है। क्या मैं माननीय पर्यावरण और वन्य मंत्री से इस विषय में\जांच करने का अनुरोध कर सकता हूं।

राजनैतिक दलों से ऊपर उठकर कर्मचारी विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने हड़ताल किया, अपना विरोध दर्ज कराया और उनके जायज मांगों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। संप्रग सरकार की नीतियों के अनुरूप कर्मचारियों के साथ उन्हें ईमानदारीपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इन स्थायी कर्मचारियों को छटनी की नोटिस क्यों थमा दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो इस समय यहां उपस्थित हैं, से अपील करता हूं कि वे इस मामले में कुछ करें। मैं उनसे छटनी आदेश को वापस लेने का अनुरोध करता हूं जिसके बिना वे अपना विरोध जारी रखेंगे; और तब तक ऐसा करेंगे जब तक उन की मांग पूरी नहीं हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : डा अरुण कुमार शर्मा।

डा. शर्मा, यह मामला हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है। इसलिए, आप ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो अच्छी हो।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान असम के कछार तथा करीमगंज जिलों तथा त्रिपुरा के कुछ भागों में भारत-बंगला देश सीमा पर बंगलादेश द्वारा भारतीय भूमि को हड़पने के लिए किये गये हाल के हमले की ओर दिलाना चाहता हूं।

हाल के दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय भूमि में खेती करने के बंगलादेशियों के कई प्रयासों को विफल कर दिया है। माननीय रक्षा मंत्री ने इस सभा में स्वीकार किया है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में 499 एकड़ से ज्यादा भारतीय भूमि बंगलादेश के कब्जे में है।

अपराह्न 1.00 बजे

गत गुरुवार को बंगलादेश राइफल्स द्वारा किये गये घुसपैठ के प्रयास के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है जिन्होंने कछार जिले में हरीनगर-किन्नरकल तथा करीमगंज जिले के तुकेर ग्राम स्थित सीमा सुरक्षा बल के चौकियों पर मोर्टारों से हमले किये। इस घटना में दो महिलायें मारी गईं और 3000 ग्रामीण दोनों देशों के गार्डों के बीच गोलीबारी के बाद अपने घर छोड़कर भाग गये। सविता डे तथा संता डे नामक दो महिलायें तब मारी गईं जब हरीनगर भाग-(चार) के गांव में स्थित घरों पर बंगलादेश राइफल्स द्वारा मोर्टारों से हमले किये गये जिन्होंने सीमा पर बड़ी मात्रा में अपनी सेनाओं को एकत्र कर रखा था। सीमा सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों देशों के गार्डों के बीच कल सुबह तक करीमगंज क्षेत्र में गोली-बारी जारी थी। कछार तथा करीमगंज जिलों के प्रशासन ने सिद्धेश्वर उच्च विद्यालय में ग्रामीणों के लिए एक राहत शिविर खोला है।

इस अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने पूरे बंग सीमा क्षेत्र के साथ-साथ कटीगोरा और करीमगंज क्षेत्र को अत्यंत सावधानी वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है। बंग-सीमा क्षेत्र के कई परिवारों को अपने घर खाली करने को कह दिया गया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैंने सभा में इस विषय को उठाने की अनुमति दी है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : आपके माध्यम से मैं माननीय रक्षा मंत्री से जो कुछ हुआ उस पर एक वक्तव्य जारी करने की मांग करता हूं तथा हमारी सीमा को सुरक्षित करने तथा भारत-बंगलादेश सीमा को पूरी तरह बंद करने के लिए सरकार क्या कर रही है जिस पर बंगलादेश द्वारा अपनी लाभ के लिए सदैव हमले किये जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : महोदय, सर्वप्रथम मैं उन बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं जिसे डा. शर्मा ने अभी-अभी कहा है। आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल से सदस्यों को मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या करूं और मैं सिर्फ वहीं करूंगा। आप सभी मुझे एक संयुक्त सूची दे दीजिए और मैं उसी का अनुसरण करूंगा। मुझे इन बातों में अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : मैं भारत सरकार से इस समस्या से स्थायी रूप से निपटने का अनुरोध करूंगा क्योंकि ये घटनाएं एक दूसरे से अलग नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र, बराक वैली के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले शांतिप्रिय लोगों पर बंगलादेश राइफल्स अक्सर गोलियां दागते रहते हैं। बंगलादेश राइफल्स के गोलीबारी के कारण ये लोग अपने घरों से उजड़ गये हैं। वे बंगलादेशी किसानों द्वारा भारतीय भूमि में की गई खेती पर कब्जा करने के लिए हमारे लोगों पर अक्सर गोलीबारी करते हैं। इसे गोलीबारी में मृत दो लोगों तथा बहुत से अन्य घायल लोगों के बारे में पूर्व में ही सदस्य महोदय बता चुके हैं। लोगों ने विद्यालयों में शरण ले रखी है। सरकार ने सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने की घोषणा की थी लेकिन बाड़ लगाने की गति बहुत धीमी है। पुरानी बाड़ में जंग से खराब हो गई है और असामाजिक तत्व इससे होकर घुसपैठ करते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, विझिंजाम परियोजना को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब केरल में लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आज एक 'धरना' था जिसमें केरल के सभी संसद सदस्य, जिसमें श्री ए.के. एंथोनी, डा. कुरियन और अन्य सम्मिलित थे, सभी विझिंजाम परियोजना को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति दिये जाने संबंधी मांग को लेकर सभा के समक्ष धरना पर बैठे थे। भारत सरकार की ओर से इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाना है। पूरी परियोजना केरल सरकार द्वारा तैयार की गई है और चलायी जा रही है। उन्होंने एक वैश्विक निविदा की मांग की है। उस समय एक चीनी कंपनी भी भागीदारों में सम्मिलित थी। अब उन्होंने एक नया सिद्धांत पेश किया है कि चीनी भागीदारी सुरक्षा से जुड़ा है और इस कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकती। उस समय ओमान चंडी मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री शिलान्यास करने के लिए सहमत हो गये थे। अचानक बात पलट गई। वैश्विक निविदा विझिंजाम परियोजना के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि चीनी कंपनी को इससे अलग करें और इस परियोजना को स्वीकृति दें। चीनी कंपनी को सम्मिलित किये जाने पर हम जोर नहीं देते। भारतीय कंपनियां भी हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया। आप प्रश्न रख चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्ण के भाषण के सिवाए और कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्ण : महोदय, मैं सरकार से परियोजना को यथाशीघ्र मंजूरी देने की अपील करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे रहेंगे तो मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब स्पीकर आपको बोलने के लिए कहे, तभी आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप गुस्सा दिखा रहे हैं, फिर भी मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री वीरेन्द्र कुमार बोलेंगे।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलि नहीं होगा। आप क्यों शोर मचा रहे हैं? इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप सभा में केवल व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप अपना नाम दीजिए, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप केवल अपना नाम खराब कर रहे हैं। डा. के.एस. मनोज और डा. डी.पी. कोया को इससे सम्बद्ध होने की अनुमति दी गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सागर में बीना के पास स्थापित होने वाली बीना रिफाइनरी के कार्य में काफी विलम्ब होने से इसमें लगने वाली लागत लगभग 6500 करोड़ रुपये से बढ़कर 10000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी है तथा अभी भी इसका कार्य जितनी गतिशीलता से होना चाहिए, उतनी गति से नहीं हो रहा है। इसके निर्माण कार्य में जितनी अधिक देरी होगी, लागत राशि उतनी ही बढ़ती जाएगी क्योंकि कीमतें आसमान को छू रही हैं। दूसरी तरफ जो कुछ भी निर्माण कार्य हो रहा है। उसमें काफी अनियमितताएं की जा रही हैं। अधिकारियों की उदासीनता अथवा मिलीभगत के चलते निर्माण कार्य काफी घटिया हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पिछले दिनों बनाई जाने वाली बाऊंड्री वाल घटिया होने के कारण गिराकर पुन: बनवाई गई। इस संबंध में पूर्व में ध्यान नहीं देने से निर्माण पुन: कराना पड़ा।

अत: आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बीना रिफाइनरी का कार्य समय सीमा निर्धारित करके निश्चित अवधि में तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर अनियमितताओं को ठीक करने एवं अनुभवहीन तथा गुणवत्ताविहीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर ठीक कार्य कराने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सांगवानजी, मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा लेकिन कृपया इस बात का ध्यान रखें कि वे स्वयं एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो हम सभी उनके बड़े प्रशंसक रहे हैं। हम सभी के मन में श्री सूरजभानजी के प्रति सम्मान है। इसलिए, कृपया आपके कहने का तरीका ऐसा हो कि उस मुद्दे को उठाते समय आप उनकी प्रतिष्ठा पर चोट न करें। वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हम ऐसा न करें। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी और दुख: का मामला है। मेरी व्यक्तिगततौर पर उनसे जान-पहचान थी और उनसे दोस्ती थी।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त, 2006 को इसी सदन में ऑबिच्युरी रेफरेंस के समय आपने और पूरे सदन ने स्वर्गीय सूरजभानजी के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उनका पूरा परिचय आपने सदन में दिया था। इसी हाउस के वे उपाध्यक्ष रहे, दो राज्यों के राज्यपाल, हरियाणा राज्य में केबिनेट मिनिस्टर और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभापति थे। जब 7 तारीख को उनका दाह संस्कार अम्बाला में हुआ, तब हजारों-हजारों की संख्या में लोग हाजिर थे। बहुत से राजनीतिक दलों के नेता और अधिकारी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न तो उन्हें राष्ट्रीय शोक दिया गया और न ही राज्य द्वारा कोई शोक व्यक्त किया गया।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन को मिस लीड कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान : इस कारण सारे देश के दलित नेताओं में रोष है। उनके नेता का अपमान हुआ है। उन्हें न तो गार्ड आफ आनर नहीं दिया गया और न ही राष्ट्रीय शोक व्यक्त करने की कोई मातमी धुन बजाई गई।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री अशोक प्रधान को सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रथम दिन ही जब मुझे अवसर मिला मैंने पूरी सभा की ओर से श्री सूरजभान की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया था। जैसे ही मुझे समाचार मिला मैं रात्रि में ही स्वयं वहां गया। हमारे मन में उनके प्रति जो सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। आपने जो कुछ कहा था यदि ऐसा होता तो अच्छा हुआ होता। लेकिन इससे देश में स्वर्गीय सूरजभान की जो स्थिति है, जो मद है और उनके लिए जो सम्मान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें उनके निधन पर बहुत ही खेद है। देश को वे और योगदान कर सकते थे। इसलिए, कृपया इसे एक विवादास्पद मुद्दा मत बनाइये। वही मेरी चिंता का विषय था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत की दो कंपनियों, मैसर्स बालाजी अमेनिस लिमिटेड और मैसर्स प्राची पॉली प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिये हैं...*(व्यवधान)* जिनपर आरोप है कि उन्होंने इरान को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण किया है जिसका उपयोग व्यापक संहार करने वाले हथियारों या मिसाइल प्रणाली के उत्पादन में किया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत सी सूचनाएं मिली हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं प्रत्येक को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इन कंपनियों में से एक, मैसर्स बालाजी अमेनिस लिमिटेड, केवल तीन उत्पादों की आपूर्ति कर रही थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार इस बारे में क्या कर सकती है?

श्री बसुदेव आचार्य : भारत सरकार ने इन प्रतिबंधों का विरोध नहीं किया है बल्कि विदेश मंत्रालय ने दिसंबर, 2005 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने से पूर्व ही मैसर्स बालाजी अमेनीस लिमिटेड को मौखिक रूप से कहा था कि वह ईरान को निर्यातन करे। यह स्पष्ट है कि भारत सरकार अमेरिका के लिए कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस वार्ता को और आगे न बढ़ाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन दोनों भारतीय कंपनियों के विरुद्ध लगाये गये अनुचित प्रतिबंधों का, हम विरोध करते हैं। मै मांग करता हूं कि भारत सरकार को इस मामले पर अमेरिका सरकार से वार्ता करनी चाहिए ताकि इन दोनों भारतीय निजी कंपनियों, जिन पर आरोप है कि वे ईरान को प्रौद्योगिकी दे रहें है, पर से लगे अनुचित प्रतिबंधों को हटाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री. के. फ्रांसिस जार्ज, कृपया संक्षेप में बोलें। यह बहुत ही कठिन समय है।

श्री. के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, मै माननीय मानव संसाधन मंत्री का ध्यान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों के समक्ष उपस्थित एक परेशानी में डालने वाली समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जाता है। चालू शैक्षणिक वर्ष में अधिकारियों द्वारा कक्षा I, III, VI, IX और XI की पाठ्यपुस्तकें बदल दी गई है। अब एन.सी.ई.आर.टी. ने घोषणा की थी कि ये बदली हुई पाठ्यपुस्तकें मार्च, 15 तक उपलब्ध होनी चाहिए। अब इस शैक्षणिक वर्ष में पांच माह बचे हैं और पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलना भी सीखिये।

श्री. के. फ्रांसिस जार्ज : रा.शै.अ.प्र.प. ने अब यह घोषणा की है कि छात्र अपने पाठ्य-पुस्तक को इंटरनेट से डाउन लोड कर सकते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में प्रत्येक छात्र इंटरनेट से पाठ्य-पुस्तकें कैसे डाउन लोड कर सकता है? कक्षा प्रथम के लिए अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तक, कक्षा तीन के लिए अंग्रेजी और हिन्दी, छठी कक्षा के लिए गणित और अंग्रेजी, नौवीं कक्षा के लिए गणित और सामाजिक विज्ञान तथा ग्यारहवीं कक्षा के लिए भौतिकी, रसायन-शास्त्र और गणित की पाठ्य-पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। समस्या बहुत गंभीर है। अधिकारियों का रवैया इस समस्या के प्रति बहुत ही कठोर है।...*(व्यवधान)* सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन का समय समाप्त किया जाता है। अब हम मद संख्या 13, नामतः, अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा करेंगे। अब श्री नवीन जिन्दल बोलें। इसे आज ही पारित किया जाना है। अन्य विषय पर चर्चा दिन के सामान्य कार्य के बाद होगी।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.15 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण-मध्य) : सर, पाकिस्तान अपने देश में टेरिरिस्ट्स ट्रेनिंग कैम्पस चला रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 1.16 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-2007

[अनुवाद]

श्री नवीन जिंदल (कुरूक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा चलायी जा रही व्यावहारिक और विकासोन्मुख नीतियों के कारण और डा. मनमोहन सिंह जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के कुशल मार्गदर्शन तथा संप्रग की प्रगतिशील सभापति श्रीमती सोनिया गांधी की दूरदर्शिता से हमारे देश ने 7 से 8 प्रतिशत का उच्च विकास दर प्राप्त किया है मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम 10 प्रतिशत का विकास दर भी प्राप्त कर सकते हैं।

मै सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए हमें विशेषरूप से विनिर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री तथा सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हमें कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगानी चाहिए और विशेषकर लौह अयस्क पर यदि हम अपने अयस्क भंडार की तुलना अन्य लौह-अयस्क के मामले में धनी देशों, जैसे यूक्रेन और आस्ट्रेलिया से करते हैं, तो यह पाते हैं कि आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति संचित भंडार 2000 टन है जब कि यूक्रेन में यह 1400 टन है। भारत में यह मात्र 21 टन है। जिस गति से हम लौह-अयस्क का उपयोग कर रहे हैं और विशेषकर निर्यात कर रहे हैं जो प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत के विकास दर है, तो अगले 20 से 25 वर्षों में हमारा लौह-अयस्क का भंडार समाप्त हो जाएगा। इसके बावजूद हम कहते हैं कि हमारे पास 23 बिलियन टन का लौह-अयस्क है जिसमे से लगभग 10 बिलियन टन मैगनेटाइट अयस्क है जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण में यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इस अयस्क का उपयोग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि मैं सरकार से वास्तव में अनुरोध करना चाहता हूं कि चरणबद्ध और नियोजित तरीके से हमें लौह-अयस्क के निर्यात को कम करना होगा और अपने देश में स्टील का उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि पूरे देश को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मेरा दूसरा प्रश्न और जिसे मैं अधिक महत्व देता हूं तथा जो लोगो को बहुत प्रिय है वह प्रश्न खेल से संबंधित है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : सर, यह अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इन्हें हिन्दी में बोलना चाहिए, अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आती।

श्री नवीन जिन्दल : ठीक है, मैं हिन्दी में बोलता हूं। हमारे देश में खेल बहुत नेग्लैक्टिड हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में खेलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब हम ओलम्पिक में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा एक बिलियन से ज्यादा लोगों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

का देश है, हमारे देश की आबादी सौ करोड़ से ज्यादा है और वहां हम एक ब्रौन्ज या सिल्वर मैडल जीत कर आते हैं तो मैगजीन्स के फ्रन्ट पेज पर रिपोर्ट आती है। लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं करते। मैं कुछ सुझाव देते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम उठाये। यदि सरकार के पास स्पोर्ट्स के लिए कुछ करने के लिए प्लान हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो सुझाव दे रहा हूं, उन्हें जरूर लागू किया जाए, ताकि सौ करोड़ लोगों के देश भारत को मैडल जीत न पाने के कारण पूरे विश्व के सामने शर्मिन्दा न होना पड़े। आज देश का मान बढ़ाने का यही एक अच्छा माध्यम रह गया है। पहले जमाने में एक देश दूसरे देश को जीतकर वहां अपना झंडा फहराता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल एक देश दूसरे देश में जाकर जब खेलों में जीतता है, तभी वह उस देश में अपना झंडा ऊंचा फहरा सकता है। इससे पूरे देशवासियों में एक गर्व की भावना आती है और आप सभी ने भी उस भावना को अनुभव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि स्पोर्ट्स का बजट बहुत कम है। 1984 के बाद से चाइना ने 286 मैडल जीते हैं और हमने केवल तीन मैडल जीते हैं। यदि हम आने वाले ओलम्पिक्स 2008 या 2012 की बात करें, तो हमने इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं, जिनके फलस्वरूप आगे आने वाले ओलम्पिक्स में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सरकार का स्पोर्ट्स के लिए बजट में करीब चार सौ से पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम दो हजार करोड़ रुपये किया जाए। यदि सरकार स्पोर्ट्स के बजट को नहीं बढ़ा सकती, तो कम से कम जो कंपनियां, चाहे वे पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइवेट सैक्टर में हों, यदि वे ओलम्पिक के लिए पैसा देना चाहें, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्रिकेट के पास पहले से ही बहुत पैसा है, अगर ओलम्पिक स्पोर्ट्स के लिए कोई कंपनी पैसा देना चाहे तो 200 प्रतिशत की टैक्स में उसे एग्जेम्पशन दी जाए। सौ प्रतिशत की टैक्स में एग्जेम्पशन आज भी दी जा रही है लेकिन कोई भी कंपनी आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही है। ओलम्पिक स्पोर्ट्स के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, चूंकि वर्ष 2010 के अंदर हम कॉमन वैल्थ गेम्स ऑरगेनाइज कर रहे हैं और 6000 करोड़ रुपये हम इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने पर लगाएंगे। लेकिन अगर स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग के ऊपर 300 करोड़ रुपये भी नहीं लगाएंगे और कॉमन वैल्थ गेम्स पर 6000 करोड़ रुपये लगाएंगे और हमारे स्पोर्ट्स मैन अच्छा नहीं करेंगे तो इससे हमें भी बहुत शर्मिन्दगी होगी और इसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूं। इसलिए मैं स्पोर्ट्समैन की तकलीफें जानता हूं और यदि फिर भी मैं उन बातों को सदन में नहीं उठाता हूं तो मैं अपने आप से विश्वासघात करूंगा। इसलिए मेरा सरकार से और खासतौर से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जो कंपनी स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दे, उसे 200 प्रतिशत की टैक्स में एग्जेम्पशन दी जाए।

दूसरा मुद्दा जो हम चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन शूटिंग के अंदर मैडल लाएं, जैसे अभी पीछे कॉमन वैल्थ गेम्स जो हुए थे, उसमें हमने पचास मैडल जीते और पचास में से 26 मैडल शूटिंग के अंदर ही जीते हैं। इसलिए मैं सुझाव देने जा रहा हूं कि सरकार का इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि शूटर्स की जितनी तकलीफें हैं, उनको ही सरकार अगर मिटा दे तो मैं समझता हूं कि शूटिंग के अंदर हमारे देश के शूटर्स विश्व के सबसे अच्छे देशों से भी शूटिंग में आगे आ सकते हैं। इस अर्जुन की धरती के अंदर, क्योंकि हमारे देश का इतना पोटैंशियल है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर बोलें और अब अपनी बात समाप्त भी करें।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, एयरगन्स के अंदर 37 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर है। जो मैंने पत्र लिखा था, उसका मुझे जवाब मिला है कि डॉमैस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने के लिए यह ड्यूटी लगाई गई है। डॉमैस्टिक इंडस्ट्री जो एयरगंस बनाती है, उसे कोई भी शूटर नेशनल लैवल पर भी इस्तेमाल नहीं करता। जो एयरगन इंडिया में बनती है, उसकी कीमत 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है और जो इंटरनेशनल लैवल की एयरगन बनती है और जो शूटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत एक लाख रुपये है। इसलिए हमें नेशनल शूटर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। अभिनव बिन्द्रा और अंजलि भागवत जैसे सैकड़ों शूटर्स हमारे देश में पैदा हो सकते हैं लेकिन हम उनकी मदद नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी मदद करें लेकिन कम से कम, उन पर जो 35 प्रतिशत हम ड्यूटी चार्ज करते हैं, उसको हम बंद कर दें और उसका आयात आराम से हो सके जिससे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एयरगन से प्रैक्टिस करके अच्छे शूटर्स बन सकते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हम सभी को गर्व होगा जब शूटर्स इंटरनेशनल लैवल पर जीतेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर कोई न कोई कदम अवश्य उठाए और स्पोर्ट्स की पर्फार्मैंस यदि खराब होगी तो हम ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद

देता हूं। इस अनुपूरक अनुदानों की मांग में कुल नकद राशि 8,668 करोड़ रुपये हो जाएगा। आयातित चूरिया पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जबकि 600 करोड़ रुपये सरकार नियंत्रण से बाहर रखे गए उर्वरकों पर तदर्थ छूट के लिए निर्धारित हैं।

वित्त मंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में टिप्पणी की थी कि इससे वित्तीय और राजस्व घाटे प्रभावित नहीं होंगे। वे ऐसा कैसे कह सकते है? उन्होंने बजट में 8,668 करोड़ रुपये की ज्यादा राशि का प्रावधान क्यों नहीं किया। उस समय उन्होंने इसका अनुमान क्यों नहीं लगाया? अब वे कह रहे है कि इससे कोई वित्तीय या राजस्व घाटा नहीं होगा। हम इस पर कैसे विश्वास करें। उन्होंने कहा है कि वित्तीय और राजस्व घाटा लक्षित स्तर के अंदर रहेगा। इस देश का अग्रणी समाचारपत्र दि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक समाचार प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि इस वित्त वर्ष के प्रथम तिमाही में यह प्रक्षेपित वित्तीय घाटा 52 है। इस प्रक्षेपित घाटे से बढ़कर अब यह वित्तीय घाटा इस वर्ष के प्रथम तीन महीनों में ही 52 प्रतिशत तक पहुंच गया है। क्या इससे मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? वित्त मंत्री कैसे कह रहे है। कि इससे मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? मै कहता हूं कि यह असफलता है और खासकर इस साल में अंत तक हम पायेंगे कि वित्तीय घाटा लक्ष्य को हम पार कर गये हैं। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक दिख रहा है। उदाहरण के लिए हम इस सरकार की वित्तीय नीति को ही लें। हर समय माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी कहते रहे कि वे सुधारों के मजबूत समर्थक हैं। लेकिन कहां सुधार हुए हैं? मै कहना चाहता हूं कि इस सरकार का वामपंथी झटके से लकवा मार गया है। यह लंगड़ी सरकार है जो कोई भी निर्णय लेने में असक्षम है।

आप नालको और नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन में सरकारी शेयर के 10 प्रतिशत के विनिवेश का उदाहरण ले सकते हैं। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था लेकिन बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह बहुत ही विचित्र बात है कि यह सरकार मंत्रिमंडल में कोई निर्णय लेती है और बाद में अपने सहयोगियों से समझौता करने लगती है। यह गुप्त समझौता शुरू करती है अंत में वे कहते हैं मंत्रिमंडल में हमने ये निर्णय लिया था उसे वापस लेते हैं। यदि यह लकवा मारने वाली बात नहीं है तो और क्या है? यह सरकार स्वतंत्र रूप से एक भी निर्णय लेने में असमर्थ है।

मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा। मै वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। एक वर्ष पहले वित्त संबंधी स्थायी समिति ने पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को अनुमोदित कर दिया था। बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण और उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों का हस्तांतरण कानून (संशोधन) विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति का अनुमोदन पहले ही मिल चुका है। लेकिन यह असहाय सरकार वामपंथी पार्टियों के विरोध के कारण इन विधेयकों को संसद में लाने में असमर्थ रही है अब मैं आपको एक सुझाव देता हूं। किसी समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन सभी समितियों को भंग कर दीजिए। अब, आप एक समिति बनाइये जिसके सदस्य केवल वामपंथी दल के सदस्य होंगे। क्योंकि यह पूरा देश अब वामपंथी दल की दया पर चल रहा है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के एक या दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने इन विधेयकों का समर्थन कर दिया है। लेकिन यह सरकार इन विधेयकों को आगे लाने में भी असमर्थ है। मै पूछ रहा हूं कि प्रजातंत्र का क्या मतलब है। प्रजातंत्र में बहुमत का शासन होता है। इस सभा की बहुत बड़ी संख्या द्वारा इन विधेयकों का समर्थन किया गया है लेकिन सरकार को निश्चित रूप से भयादोहन किया गया है, उसको सहयोगी पार्टियों द्वारा ही भयादोहन किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री के. प्रांसिस्स चर्च (इडुक्की) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री एम. सत्यवेल स्वाई के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

श्री सत्यवेल स्वाई : इस समिति के केवल एक या दो सदस्यों ने इसका विरोध किया था। सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी है और इन विधेयकों को सभा में लाने में असमर्थ है। यदि आपको इन विधेयकों को सभा में लाना नहीं था तो इन्हें वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी? आप यह तो अपने सहयोगियों से समझौता कर लें और यदि वे सहमत हो जाते हैं तब इसे स्थायी समिति को भेजें। हम इन पर विचार करने में इतना समय क्यों बर्बाद करें? हमने एक वर्ष तक इन पर विचार किया और कुछ बहुत ही अच्छे प्रस्ताव दिये। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस सरकार को इस बात का कोई अधिकार नहीं बनता कि वह कहे कि वह इस देश पर शासन करना चाहती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

महोदय, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का उदाहरण ले लीजिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में से 52 प्रतिशत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया गया। सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर है। माननीय वित्त मंत्री से कहा गया था कि वे इस पर यथामूल्य शुल्क क्यों नहीं लगाते हैं और वे केवल उसी अनुपात में कर बढ़ाते जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वे उन करों को कम क्यों नहीं करते। वित्त मंत्री का उत्तर था कि इसे बजट में तय नहीं किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कीमत कम होने के बावजूद उन्हें अनुमान था कि एक दिन मूल्य बढ़ेगा और इससे उनको ज्यादा कर की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि उन्होंने इसे बजट में शामिल किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण है कि वे जनप्रिय कार्यक्रमों, इस सरकार के आम आदमी के कार्यक्रमों में ज्यादा धन लगाना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में अधिक धन लगाना चाहते हैं जिसे देश में आम आदमी के लिए एकमात्र कार्यक्रम बताया जा रहा है।

महोदय, हम पूर्ववर्ती राजग सरकार का उदाहरण लें। राजग सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चार-लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना शुरू की थी। अब इसकी गति काफी धीमी पड़ गई है। मुझे उम्मीद थी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यहां उपस्थित होंगे, कुछ समय पूर्व वे उपस्थित थे। उन्होंने आंकड़े दिए थे कि वर्तमान संप्रग सरकार के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के 44 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिये गए हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कौन इस दावे से सहमत है? स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम काफी धीमा पड़ गया है। इसे कौन नहीं जानता? आप भी इसे जानते हैं और इस सभा के सभी सदस्य इसे जानते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्वशिक्षा अभियान, स्वजलधारा, अन्नपूर्णा, अंत्योदय ये सभी कार्यक्रम राजग सरकार द्वारा शुरू किये गए थे। इस सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर आप एक भी अन्य कार्यक्रम बता दें जिसे इस सरकार ने लाया हो या शुरू किया हो। ये सारे कार्यक्रम राजग सरकार द्वारा शुरू किये गए थे और वे इन कार्यक्रमों में कुछ और पैसा लगा रहे हैं।

महोदय, एकमात्र कार्यक्रम जिसे प्रारंभ करने का यह सरकार दम भरती है, वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और यह कार्यक्रम भी केवल राजग द्वारा शासित राज्यों में ही सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। उनके अपने ही मैत्रा, महान त्याग करने वाले भी इस बात से दु:खी हैं कि कांग्रेस शासित राज्य उनके कार्यक्रमों को सफलता-पूर्वक नहीं कार्यान्वित कर रहे हैं जबकि राजग शासित राज्य जैसे – राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार और उड़ीसा इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। ये सभी कांग्रेस शासित राज्यों की अपेक्षा ज्यादा सफलतापूर्वक इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। यदि आप मीडिया की रिपोर्टों को देखें, तो यह पाएंगे कि प्रतिदिन ऐसा ही छप रहा है। माननीय वित्त मंत्री पेट्रोल और डीजल की कीमतों से इसे वसूल कर रहे हैं और इस पैसे को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर खर्च कर रहे हैं। यह तो किसी एक से धनराशि लेकर दूसरे को दे देने के समान है। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पास कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का न तो नैतिक अधिकार है न ही क्षमता।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अपने राज्य के बारे दो या तीन बातें रखना चाहूंगा। मैं कोई लंबा भाषण देने नहीं जा रहा हूं। महोदय, उड़ीसा में 1999 में भयंकर तूफान के दौरान तत्कालीन सरकार ने लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 57.83 करोड़ रुपये की ऋण संस्वीकृत की थी क्योंकि वे भयंकर तूफान से नष्ट हो गए थे। लेकिन वास्तव में यह ऋण आई.पी.आई.सी.ओ.एल. और उड़ीसा राज्य वित्त निगम द्वारा दिया गया था जिसने इसे लघु उद्योगों को नहीं दिया बल्कि इसे बाकी शेष में समायोजित कर दिया। इसलिए, वास्तव में इससे लघु उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं–इस संबंध में मैं उनको एक पत्र भी लिखूंगा और उनसे मिलूंगा कि 57.83 करोड़ रुपये की राशि जो एक बड़ी राशि नहीं है तथा राजस्व वसूली में आई अचानक वृद्धि से जमा हुई और सकल घरेलू उत्पाद आठ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, को एक ऋण के रूप में न संस्वीकृत करने अनुदान के रूप मे दिया जाए ताकि लघु उद्योगों को लाभ मिले।

महोदय, मेरे एक या दो मुद्दे और हैं और इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मै सरकार से जानना चाहता हूं कि भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का क्या हुआ? माननीय श्री अटल विहारी बाजपेयी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। महोदय, हमने सभा में दो बार उठाया है। एक बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से और उसके बाद इस विषय पर पूर्व मंत्री श्री अर्जुन सेठी द्वारा भी प्रश्न पूछा गया था। हर बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री यही कहते रहे, कि "हम शुरू करने जा रहे हैं। हम बाहरी दीवार का निर्माण करने जा रहे हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि यह बाहरी दीवार कब बनेगी? मैं समझ नहीं पाता हूं।

यह केवल उड़ीसा की समस्या नहीं है बल्कि यह अन्य छः राज्यों की भी समस्या है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि इस संबंध में कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाए।

महोदय, उड़ीसा में कोई आई.आई.टी. नहीं है। इसलिए, संबलपुर जो कि एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है लेकिन जहां सभी प्रकार की अवसंरचना मौजूदा है, में स्थित बिरला अभियांत्रिकी महाविद्यालय को आई.आई.टी. के रूप में विकसित किया जाए। मैं माननीय मंत्री से इस विषय पर विचार करने की अपील करता हूं।

भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के संबंध में मेरा अंतिम प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ। इस सभा के माननीय नेता, श्री प्रणब मुखर्जी, ने इस सभा में तथा माननीय प्रधानमंत्री ने सभा से बाहर उड़ीसा के सांसदों को वचन दिया था कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बनेगा क्योंकि वहां इस प्रकार का कोई संस्थान नहीं है। राजग के शासनकाल में घोषणा की गई थी भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान खुलेगा लेकिन अब सरकार ने यह घोषणा की है कि वे इसे पूर्वी जोन में बनायेंगे और यह कोलकाता में होगा। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह कोलकाता में खुले। कोलकाता में कई केन्द्रीय संस्थान हैं, वहां एक और खुल जाने दीजिए। महोदय, उड़ीसा अपेक्षाकृत एक पिछड़ा राज्य है और गरीब राज्य हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में वचन दिया था। अब हमने पाया कि प्रधानमंत्री जी कोलकाता गये और वहां कोलकाता में शिलान्यास किया लेकिन भुवनेश्वर के बारे में कोई समाचार नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार को अपने वचन का पालन करना चाहिए। यह इस सभा में की गई एक प्रतिबद्धता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने भी यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसलिए हम चाहते हैं कि वे यथाशीघ्र घोषणा करें कि भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना होगी।

[हिन्दी

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बजट, 2006 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ कुछ बातें भी कहना चाहता हूं। हमारे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं और अखबारों के माध्यम से भी कई बातें कही जा रही हैं। बजट के माध्यम से सरकार की नीतियां झलकती हैं। यह कहा जा रहा है कि देश के आर्थिक विकास की दर 8 प्रतिशत बढ़ गई है। इसमें कई चीजें ऐसी आई हैं जिन पर गौर किया जाना जरूरी है और सप्लीमेंट्री बजट के अवसर पर जब यह चर्चा हो रही है, तो इस अवसर पर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री बजट की एक भूमिका है जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि योजना आयोग के निर्देशानुसार सरकार का डिलीवरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं तथा मौसम का असर क्या रहेगा? अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इसके अलावा मैनूफैक्चरिंग और सर्विस सैक्टर की बैलेंस ग्रोथ लगातार चल पाएगी या नहीं? डिलीवरी सिस्टम प्रोपर वे में प्रफोर्म कर पाएगा या नहीं। इन सभी पर चर्चा की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, अभी इस बात का जिक्र किया गया कि सरकार की नीतियों के कारण मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम यह देख रहे हैं कि सरकार ओपन मार्किट कम्पिटीशन से बहुत प्रभावित है। पिछले दिनों सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी, तब भी इसका जिक्र आया था कि खुल बाजार की अर्थव्यवस्था से सरकार बहुत प्रभावित है कि उसने समाज के दूसरे तबकों की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और उसकी आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। अखबारों और टीवी के माध्यम से लोगों ने अपनी बात कही है। सदन में भी इस पर चर्चा हुई तो यह महसूस हुआ कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो कि आम आदमी के रीढ़ की हड्डी है, उसको सस्टैन करने के कारण इतनी ज्यादा खामियां पैदा हो गयी हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां से इस बारे में शिकायतें नहीं आ रही हैं कि पीडीएस सिस्टम में चोरी की गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि अखबारों और टीवी पर यह आने लगा है कि भूख के कारण मौतें हो रही हैं। एक तरफ काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी के स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती जा रही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम न्यूट्रीशन की प्राब्लम को पीडीएस के माध्यम से सोल्व नहीं कर सके हैं। यह अभी तक अनसोल्व है। मैंने ग्रामीण इलाकों में देखा है कि हमारी ग्रामीण बहनों के बदन में खून नहीं है और आज भी 47 प्रतिशत बच्चे मालन्यूट्रीशन के शिकार हो रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, यह उनका फैल्योर है। उनकी उचित समीक्षा होनी चाहिए। हम सप्लीमेंटरी बजट के अवसर पर इनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी डिलीवरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं।

महोदय, यह मैंने पहले भी सदन में कहा था, जब सरकार ने आर्थिक सुधारों का रास्ता तय किया था। हम आर्थिक सुधारों से असहमत

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

नहीं हैं, लेकिन उसके पहले बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू करने चाहिए ताकि आम आदमी की प्रोडक्टिवीटी बढ़ सके, अर्थव्यवस्था के अंदर उसका योगदान बढ़ सके।

महोदय, मंत्री जी ने सप्लीमैंटरी बजट में कई मदों के लिए पैसा निकालने की बात कही है। मैं खेती के लिए ज्यादा उत्सुक हूं क्योंकि हिन्दुस्तान की 66 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। मंत्री जी ने यूरिया के लिए सब्सिडी बढ़ाने के लिए अनुदान मांगा है। इस अवसर पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कृषि की विकास की बहुत गुंजाइश है, लेकिन आज भी जीडीपी में उसका योगदान ढाई-तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं जा पा रहा है। जबकि इस बात की अपेक्षा की गयी है कि इसे 4-6 प्रतिशत तक बढ़ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में खेती पर आप विशेष कार्य करेंगे। इसके अलावा जो छोटा काश्तकार है, हालांकि आपने प्रावधान किया है कि बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उनको तीन गुणा ज्यादा ऋण उपलब्ध हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि ऋण उपलब्ध कराने का काम सही ढंग से चलता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था का अपेक्षित विकास हो जाता। बहुत आवश्यक तथ्य यह है कि कृषि की अर्थव्यवस्था को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव इकोनोमी के तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। विशेष तौर पर एक मॉडल, जो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में अपनाया गया है कि हर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की एक इकाई बनाने के लिए योजना बननी चाहिए। लो कैपीटल, लो कोस्ट और लेबर इंटैंसिव जो स्माल इण्डस्ट्रीज हैं, जो प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग की इण्डस्ट्री है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए।

मैं फिक्की की वार्षिक आम बैठक में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 दिसम्बर, 2005 की एक स्पीच के विषय में रैफरैंस देना चाहता हूं। उन्होंने खुद भी इस बात पर जोर दिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है, उसका हमारे आर्थिक विकास में जो हिस्सा है, वह केवल 17 परसेंट तक है, लेकिन इसे 25 से 35 परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है और कृषि पर आधारित जो छोटे उद्योग हैं, विशेष तौर पर ऐसे कारोबार, जिनमें लेबर वर्क ज्यादा है, जो विशेष तौर पर श्रम पर आधारित हैं और छोटी कीमत लगाकर हमारा जो एक कंज्यूमर मार्केट है, जो आगे विकसित हो रहा है, उसमें उनका हिस्सा बढ़ाना चाहिए। इस संबंध में अगर विशेष योजनाएं बनाकर सरकार काम करेगी तो इस बात से आर्थिक विकास में फायदा होगा। ...(व्यवधान)

मैं जल्दी कन्क्लूड कर रहा हूं, मेरा भाषण बहुत लंबा नहीं है। जो विकास का एजेण्डा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है कि हम आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं और हमको आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ कम से कम 12 से 14 परसेंट तक की हर झाल में प्राप्त करनी है और उसके लिए हमारा पूरा जो बजटिंग सिस्टम मकेनिज्म है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वह यह काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जब सभी सरकारों के लिए, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, एकठ संवैधानिक रैस्पॉसिबिलिटी, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाये कि आर्थिक विकास की एक निश्चित दर कम से कम 10 परसेंट या 12 परसेंट की उनको हर झाल में प्राप्त करना लाजिमी कर दिया जाये। अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो निश्चित सी बात है कि हमारी इकोनोमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी।

मैं यहां पर एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूं कि हमने डैमोग्रेटिक सर्वे भी देखे हैं, आज जब पूरी दुनिया उम्रदराज हो रही है, पैंशन लेने की तरफ बढ़ रही है, तब हिन्दुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं, जो आगे बढ़कर इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मैं विशेष तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी से सप्लीमैंटरी ग्राण्ट्स के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमने इस सदन के माध्यम से संकल्प लिया है कि हम हर बच्चे को शिक्षित करेंगे और हिन्दुस्तान के लिए एक एफीसिएंट मैनपावर हम आगे जाकर बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है, उसके बावजूद भी हम कानून नहीं बना पा रहे, जिसके माध्यम से हम हर बच्चे को लाजिमी तौर पर शिक्षित करें। ...(व्यवधान)

मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, आप मुझे मौका दीजिए, यह बहुत आवश्यक है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अंदर 45 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जनता खर्च करती है। करीब 2-3 लाख बच्चे हिन्दुस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया कि बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। आज भी हमारे यहां करीब आठ करोड़ छात्र-छात्राएं, जो इण्टर पास कर रहे हैं, 10 + 2 पास कर रहे हैं, उनमें से केवल 6 परसेंट लोगों को ही उच्च शिक्षा में एक्सेस मिल रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। इन 6 प्रतिशत लोगों में भी 72 प्रतिशत छात्र-छात्रायें आर्टस के स्टूडेंट्स हैं और केवल 28 प्रतिशत मेडिकल या टैक्नीकल एजुकेशन और दूसरे

क्षेत्रों के हैं। आज इस बात की जरूरत है कि बजट के माध्यम से भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में उच्च शिक्षा के इन्स्टीट्यूट खोले, जिसमें रिसर्च और डेवलेपमेंट के अल्ट्रामार्डन इन्स्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हों, जिससे बड़े पैमाने पर हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिन्दुस्तान के नौजवानों को शिक्षित करके उनको अर्थव्यवस्था की एक सक्षम इकाई बना सकें। रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम हिन्दुस्तान के नौजवानों को बड़ी तादाद में रोजगार दें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का काम करें और साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर पर भी ध्यान देने का काम करें। इन दोनों में एक रिश्ता है, मैं सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में सरकार ऐसे कदम उठाए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो नौजवान पढ़-लिखकर तैयार हों वे अपने पैरों पर खड़े हों और हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें।

श्री मोहन रावले : महोदय, महाराष्ट्र में अभी जो फ्लड आयी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी से शिवसेना के लोग मिले थे। वहां के लिए जो पैकेज दिया गया है, वह बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम एक हजार करोड़ रुपया महाराष्ट्र को दिया जाए। वहां क्या हालत है मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : प्रधानमंत्री के विदर्भ और मराठवाड़ा में जाने के बाद भी हमारे क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। ये आत्महत्यायें और भी जगहों पर हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ज्यादा कर्ज नहीं दिया है, आप देश का भला देखिए, अगर देश में लोग होंगे तभी देश का भला हो सकता है लेकिन किसान मर रहे हैं, किसानों का पचास हजार या एक लाख रुपया कर्ज दिया गया है, अगर आप वह माफ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे किसान आत्महत्या से बच सकते हैं। इनकी सरकार ने एलान किया था, जब महाराष्ट्र की सरकार आयी थी, तो ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया था कि हम ऋण माफ कर देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे सब भूल गए। कांग्रेस वायदे करना जानती है लेकिन उसे निभाना नहीं जानती। वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का लोन माफ कर दीजिए।

मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ और इसमें जो आरडीएक्स आया, वह हवाई मार्ग से आया होगा या जमीन से या पानी के रास्ते से, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक वह कंटेनर से आया। कल भी दिल्ली में आरडीएक्स मिला है, यह कहां से आता है? कस्टम के लोग क्या कर रहे हैं? यह कस्टम के थ्रू ही आया होगा। कस्टम के लोगों द्वारा क्या निगरानी हो रही है? इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो करोड़ों की हानि हो जाएगी। पेट्रोल के बारे में इन्होंने बात कही है। महाराष्ट्र में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं।...* उन्होंने बायो-डीजल के क्षेत्र में बहुत रिसर्च की है। अगर हम बायो-डीजल लगाएंगे और किसानों को अवेयर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम लेना अवाइड करिए।

श्री मोहन रावले : मैं उनकी सराहना कर रहा हूं। वह महाराष्ट्र राज्य में प्रधान सचिव है। मै किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारे यहां दस करोड़ किसान हैं, अगर हम उनमें अवेयरनेस करेंगे, तो वहां बायो डीजल हो सकता है। जट्रोफा वनस्पति हम अगर लगाएंगे, तो वह तीन साल में पूर्ण हो जाएगी और तीन सालों में इतना बायो डीजल मिल जाएगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक पांच सालों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे। स्पैन जी बोल रहे थे कि डीजल बहुत महंगा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे पेट्रोल के दाम भी कंट्रोल में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में रिसेंट रिसर्च हुयी है और पेटेंट मिला है। हम प्लास्टिक से भी पेट्रोल बना सकते हैं। एक किलो प्लास्टिक से अगर हम पेट्रोल बनाएंगे, तो 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलता है, 10 प्रतिशत कोक मिलता है और 10 प्रतिशत गैस मिलती है इसे पेटेंट मिला हुआ है। अगर सरकार उस ओर ध्यान देगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। मैं पूरे देश के किसानों के लिए बोल रहा हूं।

कोस्टल एरियाज जैसे केरल, अंडमान, निकोबार, महाराष्ट्र, कॉकण, उड़ीसा आदि में जटरोफा का उत्पादन बहुत ज्यादा हो सकता है। जटरोफा से बायो-डीजल बन सकता है। जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इंडियन ऑयल की कॉलटेक्स, बर्माशैल और पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा ओएनजीसी जैसे स्वतंत्र कार्पोरेशंस की स्थापना की गई थी, यदि सरकार वैसा ही कार्पोरेशन बायो-डीजल के लिए बनाए तो उससे किसानों में अवेयरनैस आएगी। अगर हर राज्य को दो सौ से तीन सौ करोड़ रुपये दे दिए जाएं तो मुझे लगता है कि हम खुद पेट्रोल और बायो-डीजल का उत्पादन कर सकते हैं।

मुंबई शहर में हर रोज पांच हजार से दस हजार लोग बाहर से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मोहन रावले]

आते हैं। वे वहां गंदगी पैदा करते हैं। इससे ड्रेनेज, पानी, बिजली आदि का बोझ मुंबई शहर पर पड़ता है। मुंबई से 71,773 करोड़ रुपये सालाना टैक्स के रूप में केन्द्र को रिवेन्यू मिलता है, लेकिन मुंबई को क्या मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई को उसका दस प्रतिशत यानी सात हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने चाहिए। हम मुंबई से आते हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। मुंबई को नैगलैक्ट नहीं किया जाना चाहिए।

मुंबई शहर में एक करोड़ 25 लाख से एक करोड़ 50 लाख तक की आबादी है जिसमें 75 लाख लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं। उनके रीहैबीलिटेशन के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, तब उसने झोंपड़-पट्टी के लोगों को लिए मुफ्त घर देने की योजना बनाई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पीठ को संबोधित करे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं।

श्री मोहन रावले : जी हां।

[हिन्दी]

मेरे पास श्री चंद्रकान्त खैरे बैठे हुए हैं। वह वहां गृह निर्माण मंत्री थे।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मुंबई को कम से कम सात हजारा करोड़ रुपये सालाना मिलने चाहिए।

मैं बैंकों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी मोनोपली है। हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ही बैंकों से ऋण दिया जाता है, लेकिन यदि कोई बेरोजगार युवक लोन लेने जाता है तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता है। श्री वर्मा ने नौजवानों के बारे में कहा। बेरोजगार युवकों को किस काम के लिए पैसा मिल सकता है, इस बारे में अवेयरनैस कराई जानी चाहिए।

इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। श्री जिंदल ने इस बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कॉमनवैल्थ गेम्स में जिन लोगों को मैडल मिले हैं, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। उस वक्त मैं आस्ट्रेलिया गया था। कुमारघाट के मंजुनाथ फरताड़े के पिता किसान हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

उसे शूटिंग में 600 में से 596 प्वाइंट्स मिले हैं। अगर हम ओलम्पिक में मैडल प्राप्त करने के लिए नजर रखते हैं, तो अच्छे खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए हमें पैसों से मदद करनी चाहिए। उनके लिए हमें कस्टम ड्यूटी माफ करनी चाहिए। सरकार द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए। यह देश 100 करोड़ लोगों का है लेकिन हमें एक भी ओलम्पिक मैडल नहीं मिलता। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। मैं खुद स्पोर्टसमैन हूं इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिंदल जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि इस मंत्रालय को 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और वह पेसा स्पोर्ट्समैन के पास जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बायो-डीजल के प्रति लोगों में अवेयरनैस पैदा की जानी चाहिए और किसानों को आत्महत्या करने से बचाना चाहिए।

मैं अभी काफी कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय नहीं है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री ब्रह्मानन्द पंडा* (जगतसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे बजट का उद्देश्य पुन: उभरते सम्पन्न भारत की आकांक्षाओं को पूरा करना है। संप्रग सरकार ने भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आम आदमी के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। तथापि, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें समझना चाहिए कि आजादी के अठावन वर्षों के बाद भी यदि आम आदमी की पहुंच अनिवार्य वस्तुओं तक नहीं है। तो यह बहुत ही बुरी स्थिति है। आम आदमी की दुर्दशा कल्पना से परे है।

महोदय, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं जहां बाढ़, तूफान या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर ही बर्बादी होती रहती है। यदि हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो वास्तव में यह भारत का मुख्य शहर है। उड़ीसा की आबादी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित

---

*मूलत: उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जाति की बहुलता है। लगभग 47.13% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। हमारे स्व. मुख्यमंत्री श्री बिजू पटनायक ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होगा। भारत का हर राज्य सम्पन्नता में बराबर का भागीदार होगा। लेकिन, दुर्भाग्यवश उनका सपना पूरा नहीं हुआ। उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य बना रहा। खनिजों, वनों का विपुल भंडार तथा सुंदर मंदिरों से भरा होने के बावजूद यह राज्य गरीबी में पिस रहा है। हमारे पास लौह अयस्क, कोयला और मैंगनिज के बड़े भंडार हैं और राष्ट्र की संपदा में हमारा भरपूर योगदान है। देश की सम्पन्नता की ओर ले जाने में उड़ीसा एक मिल का पत्थर है। तथापि, हमें वह श्रेय नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। कोयला पर मिलने वाली रॉयल्टी या केन्द्र के राजस्व में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग लम्बे समय से लम्बित है। लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। भारत के आठ राज्यों को विशेष वित्तीय पैकेज दिया गया है लेकिन उड़ीसा को नहीं दिया गया। उड़ीसा क्षेत्रीय असंतुलन तथा केन्द्र की उपेक्षा का शिकार होता रहा है।

प्रत्येक बजट में कृषि और कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रावधान होता है। लेकिन हमारे देश में कृषक समुदाय उपेक्षित रहा है। उन्हें ऋण नहीं मिलता, सिंचाई सुविधाओं या कृषि उपकरणों तक उनकी पहुंच नहीं है। वे गरीबी में जीते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। केन्द्र की उपेक्षा के कारण उड़ीसा में भी किसानों की स्थिति दयनीय है। तथापि, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने समस्या को पहचाना है और इस क्षेत्र पर काफी जोर दे रहे हैं। उड़ीसा को अन्य प्रगतिशील राज्यों के बराबर में लाने के लिए उन्होंने कृषि औद्योगिक क्रांति शुरू की है।

महोदय, अभी-अभी बालेश्वर क्षेत्र से हमारे सम्मानित सहयोगी राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र का उल्लेख कर रहे थे। यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विलम्ब करने वाले तरीके अपना रही है। जब हम माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए कदम उठायेंगे। अभी तक हमें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उनको मूर्त रूप देना एक प्रश्नवाचक चिह्न बना हुआ है।

इसी प्रकार हम एम्स की स्थापना के संबंध में भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा उड़ीसा जैसे राज्य की लगातार उपेक्षा की जा रही है। प्राकृतिक आपदा की मार के कारण हम बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं। इसलिए, केन्द्र को कुछ मदद करनी चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा के के.बी.के. जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना से बाहर कर दिया गया है। इन जिलों के लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। उनका जीवन स्तर अत्यंत निम्न स्तर का है। इन लोगों के लिए एक विशेष योजना होनी चाहिए। महोदय, वर्तमान में उड़ीसा के मलकानगिरि, जयपुर आदि जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। लगातार, वर्षा से जीवन वहां अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण फसल और जनजीवन की भारी क्षति हुई है। मुझे कोई शिकायत नहीं है यदि अन्य राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता मिलती है। लेकिन उड़ीसा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और इसे उचित दावे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्र द्वारा एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

मैंने पहले भी कई बार किसानों और बेरोजगारों की दुर्दशा के बारे में कहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक संयुक्त प्रयास और योजनाबद्ध तरीका अपनाना चाहिए। अन्यथा, अनुदानों के लिए मांगों पर इन सभी चर्चाओं का कोई मतलब नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष इस सम्माननीय सभा में हम इसे पारित करेंगे और करोड़ों रुपये खर्च होंगे लेकिन इससे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं जो भगवान जगन्नाथ की भूमि है और जो अपने मानवतावाद के लिए जाने जाते हैं। मैं केन्द्र से इस पवित्र राज्य के साथ न्याय करने की अपील करता हूं।

*श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों (सामान्य) पर मेरी मातृभाषा पंजाबी में बोलने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय, हर वर्ष हम संसद में सामान्य बजट पारित करते हैं। यह हर वर्ष होने वाला कार्य है। तथापि, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आम आदमी के जीवन पर इस बजट का व्यापक प्रभाव होता है। पिछले वर्ष के बजट में पंजाब को दरकिनार कर दिया गया था।

बजट का पंजाब के उद्योगों पर विनाशक प्रभाव पड़ा। हमारे पड़ोसी राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। परिणामत: पंजाब से पड़ोसी राज्यों में उद्योगों का पलायन हुआ। पंजाब को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई। पंजाब के लिए किसी राहत उपायों की घोषणा नहीं की गई। सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई। इसलिए, उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों को अनुकूल परिस्थितियों की खोज में पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित किया। परिणामत: पंजाब में आज उद्योग क्षेत्र लड़खड़ा रहा है।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांत

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

वर्ष 1999 में राजग सरकार ने पंजाब में 14000 करोड़ रुपये की लागत से एक रिफाइनरी की स्थापना की घोषणा की थी। तथापि, आजतक इसका कोई अता-पता नहीं है। कोई नहीं जानता यह संयंत्र कभी स्थापित होगा भी या नहीं।

महोदय, पंजाब के किसानों की स्थिति दयनीय है। विभिन्न राज्यों में किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। लेकिन पंजाब के किसानों को संकट से उबारने के लिए की गई हमारी मांगों को सरकार ने अनसुनी कर दी। पंजाब में करीब 2000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन केन्द्र सरकार ने पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इसकी जायज मांगों की उपेक्षा कर दी गई है। पंजाब के पीड़ित किसानों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। किसानों के पूरे परिवार ने अत्यंत गरीबी और विनम्र के कारण आत्महत्याएं की हैं। हाल ही में सरकार ने खाद्यान्नों के अधिकतम समर्थन मूल्य को मात्र 10 रुपया बढ़ाया था। यह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के किसानों के साथ एक क्रूर मजाक था। किसान हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। केन्द्रीय भंडार के लिए पंजाब का योगदान बहुत बड़ा है। तथापि, पंजाब के किसान दयनीय स्थिति में जी रहे हैं और उनको अपने भाग्य के ऊपर छोड़ दिया गया है।

इसलिए, मैं वित्त मंत्री से अपील करती हूं कि वे पंजाब के किसानों की मदद के लिए आगे आये और उनको राहत प्रदान करें। किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए सरकार को अपनी नीतियों को ठीक करने की जरूरत है।

महोदय, पंजाब के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों, दोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब है। स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना भी बुरी हालत में है। सरकारी अस्पतालों में न तो डाक्टर हैं न ही दवा उपलब्ध है। इन अस्पतालों में डॉक्टरों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। आमतौर पर धनी और सम्पन्न लोग इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाते हैं, केवल गरीब लोग ही सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के अस्पतालों में न तो डाक्टर है न ही दवाइयां हैं। गरीब लोगों का इन अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता। पंजाब में स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचना को बेहतर बनाना समय की मांग है।

पंजाब में शिक्षा का क्षेत्र भी अस्त-व्यस्त है। सर्वशिक्षा अभियान दोपहर का भोजन और आंगनवाड़ी जैसी विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है। पंजाब में 70 प्रतिशत विद्यालयों में प्रधानाचार्य या शिक्षक नहीं हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राष्ट्र का विकास शिक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। संविधान में इसका उल्लेख है कि बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तथापि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 80 प्रतिशत से ऊपर है। इन विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। बहुत से विद्यालयों के भवन खस्ता हालत में हैं। इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इस खराब स्थिति में अवश्य सुधार होना चाहिए।

महोदय, पूरे देश में गरीबी बढ़ रही है। आम आदमी के लिए निर्वाह कर पाना मुश्किल हो रहा है। अत्यंत गरीबी और सिर्फ विभ्रम में पूरा परिवार ही आत्महत्या कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आकाश छू रही हैं। हम सभा में गरीबी विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए हालत बहुत भयावह है। दाल 60 रुपये प्रति किलो बिक रही है। परिणामत: आम आदमी परेशान है। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री से मैं अपील करती हूं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तत्काल कम करने के लिए कदम उठाएं।

महोदय, हम 7 से 8 प्रतिशत विकास-दर की बात कर रहे हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। तथापि, सच्चाई यह है कि यह विकास या वृद्धि हमारे गांवों या शहरों में कहीं भी नहीं दिख रही है। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन में योजनाएं कभी भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ गरीबों को मिल सके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए बनाई गई योजनाओं में धोखाधड़ी हो रही है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची से सही लोगों का नाम काट दिया गया है जबकि इस सूची जाली लोग अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। इन सभी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का एक नया सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करती हूं ताकि सच्चाई सामने आये और सही लोगों को इसका लाभ मिल सके।

महोदय, गांवों में सड़कों की हालत बहुत खराब है। गड्ढों से भरे हुए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए, ताकि इन सड़कों की मरम्मत की जा सके।

बेरोजगारी बढ़ रही है। पंजाब में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। पंजाब में केवल एक जिले को प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में

सम्मिलित किया गया है। ये बेरोजगार युवा नशाखोरी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री से मैं अपील करती हूं कि वे ऐसी योजनाओं की घोषणा करें जिससे रोजगार का सृजन हो सके। तभी हम इन युवाओं को भटकने से रोक सकते हैं।

महोदय, गांवों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल शोधन संयंत्रों की स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सके।

[हिन्दी]

श्री चुएल ओराम (सुंदरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), 2006-2007 पर होने वाली आम चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यूपीए सरकार आने के पूर्व आम आदमी के लिए काम करने की सौगंध ले कर आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी के रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों, जैसे दाल, चावल, आटा, कैरोसीन आदि के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उससे आज हर व्यक्ति परेशान है। मैं गांव में घूमता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आज इतना प्राइस राइज क्यों हो रहा है – मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, आप ही बताइए। लोगों का कहना है कि शायद ओल्कर कमेटी का परिणाम है। पेपर में निकला था कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोल की कीमत कम है, हमारे यहां ज्यादा क्यों है, इसका क्या कारण है? इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य श्री स्वाईं बता रहे थे कि इसका 52 परसेंट भाग विभिन्न टैक्सों के रूप में सरकार द्वारा लिया जाता है। क्या टैक्स कम नहीं हो सकते हैं? टैक्स क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि टैक्स द्वारा कमाए पैसे का हम कहीं और खर्च करना चाहते हैं लेकिन होता है कुछ और आप जनता की जेब में से पैसा ले रहे हैं, उस पैसे को कहीं और कैसे लगा सकते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी को इस बारे में विचार करना चाहिए।

बायो-डीजल के बारे में संभावनाएं एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के यहां एक गाड़ी लगभग एक साल से चल रही है और वह गाड़ी बायो-डीजल से चलती है। मैं सोचता हूं कि भारत के जितने राज्य हैं, उनमें से बायो-डीजल के प्रयोग में किसी राज्य ने अगर प्रगति की है, तो छत्तीसगढ़ ने की है। वहां से यह तक न्यूज भी आई है कि इसका रिसर्च वर्क किसी फौरेन कंपनी को बेच दिया गया है या कोई फौरेन कंपनी वह रिसर्च वर्क चोरी करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में मोहन रावले जी भी कह रहे थे कि क्यों नहीं इस पर पैसा लगाया जाए। आज तेल के लिए इतना झगड़ा हो रहा है। सब तरफ लोग तेल का क्राइसिस झेल रहे हैं। हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था पर तेल प्रभाव डालता है, इसलिए तेल का यदि कोई सही विकल्प हो सकता है, तो व्यापक रूप से जटरोफा की प्लांटेशन करनी चाहिए, उस पर सब्सीडी देनी चाहिए और जटरोफा प्लांटेशन के लिए आम आदमी को बढ़ावा देना चाहिए। जहां बंजर जमीन है और जहां प्लांटेशन हो सकता है, इस दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र उड़ीसा की बात आपको बताता हूं। वहां आयरन ओर का रेट बढ़ जाने के कारण ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इतना बढ़ा है कि एक दिन में एक नेशनल हाइवे पर जहां पहले 1000 से 2000 गाड़ियां चलती थीं, वहीं आज 15000 गाड़ियां 24 घंटे में चलती हैं। इसे लेकर हम परेशान हैं। मैंने मंत्री जी को बताया था, बालू साहब यहां उपस्थित हैं, उन्होंने मुझसे प्रौमिस किया था कि उड़ीसा के सारे नेशनल हाईवेज को वे स्ट्रेंथन करेंगे, खासकर दो – नेशनल हाईवे 215 और नेशनल हाईवे 23 को – स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन उन्हें जितना पैसा देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है। इन दो प्रोजैक्ट्स के लिए खास तौर पर पैसा दिया जाना चाहिए। इससे हमें लाभ होगा। आज बहुत सी वस्तुओं का एक्सपोर्ट रुका हुआ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने रेलवे के दो-तीन प्रोजैक्ट्स को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए सुझाव दिया था। 98 किलोमीटर का रेलवे प्रोजैक्ट क्योंझर से दहतारी अगर पूरा हो जाता, तो रेलवे का जितना पैसा इनवैस्ट हुआ है, उससे अधिक लाभ हो सकता है। मेरे ख्याल से सरकार अगर कोशिश करे तो दो-तीन महीने में वह प्रोजैक्ट पूरा होगा। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वित्त मंत्री जी ने बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान भी नहीं किया है।

मध्याह्न 2.26 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ पीठासीन हुईं]

मैं इस बारे में रेल मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिला था। उनके भाषण में भी इस बात का जिक्र आया था कि उसे दिसम्बर, 2006 तक चालू कर देंगे, लेकिन यह प्रोजैक्ट अभी तक पैंडिंग पड़ा है।

उड़ीसा के कालाहांडी और बोलांगीर जिलों में भुखमरी है। सरकार ने इसके लिए लौंग टर्म एक्शन प्लान बनाया था। इसके लिए एक्सट्रा बजटरी प्रॉवीजन करने से भुखमरी कुछ हद तक दूर हो गई थी। केवीके

[श्री जुएल ओराम]

के लिए स्पैशल प्रोजैक्ट बना था, लेकिन अब सुनने में आया है कि वह भी बंद होने जा रहा है, जो ठीक नहीं होगा। ऐसे में वहां भुखमरी की स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। ऐसी न्यूज आती हैं कि वहां बच्चों की बिक्री तक कर दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आप इस प्लान को एक्सटेंड कीजिए।

किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में मैं वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं स्टैंडिंग कमेटी के कर्नाटक दौरे के समय स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का रिव्यू करने के लिए गया था। वहां के अधिकारियों ने हमारे सम्मुख प्रैजेंटेशन भी रखा। उसमें बताया गया था कि वह बैंक पंचायतों तक पहुंच गया है। जब हमने डिटेल में दिए गए आंकड़ों की छानबीन की तो पता लगा कि लोगों को उस बैंक से आसानी से लोन उपलब्ध नहीं होता है। कुछ बड़े-बड़े लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों या तो बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए बैंक की शर्तें बहुत कठिन हैं। एक-डेढ़ लाख रुपए तक के लोन की शर्तें आसान होनी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वह लोन जल्दी मिलना चाहिए।

वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, जिससे सभी उत्साहित हैं। मैंने सदन में प्रश्न भी किया था कि अगर एफडीआई लाएंगे, तो उसमें कितने परसेंट उनका पैसा लगेगा और कितने परसेंट मार्किट से लोन उठाया जाएगा। जब मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने मुझे बताया कि 10-15 हजार करोड़ रुपए बाहर से लेंगे और बाकी इंडियन मार्किट से उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे पुन: देखें।

हमारे यहां आयरन ओर, बॉक्साइट और मैगनीज के भंडार हैं। आस्ट्रेलिया और ब्राजील ने इनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर इनका एक्सपोर्ट करना एलाऊ कर रखा है जो तुरंत बंद होना चाहिए। मैंने इसके बारे में पत्र भी लिखा है। मैं चाहता हूं कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

सरकार नाल्कों जैसी लाभकारी संस्थाओं का विनिवेश करना चाहती है। उड़ीसा की पाराद्वीप फासफेट लिमिटेड घाटे में जा रही थी, जिससे उससे बेच दिया गया। एक प्राइवेट पार्टी ने उसे खरीद लिया। दो साल बाद फिर सरकार उसे खरीद रही है इस खरीद-बिक्री में बड़ा घपला हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी इसकी छानबीन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विनिवेश करना चाहते हैं, लाभकारी संस्थाओं का विनिवेश करना चाहते हैं। लेकिन जो संस्था घाटे में गई थी, जिसे एक प्राइवेट पार्टी को बेच दिया गया था, उसे आप फिर खरीदेंगे, यह क्यों हो रहा है?

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : धन्यवाद महोदया, वर्ष 1991 में नवीन उदारवादी नीतियों के लागू होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 15 वर्षों में भारी असमानता देखने को मिली है। चाहे यह ग्रामीण-शहरी परिदृश्य में बढ़नी असामनता हो या सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बढ़ती हुई असमानता हो, हमारे देश में गरीब लोगों की परेशानियां तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। दो वर्ष पहले जब यूपीए सरकार ने सत्ता संभाली थी तब विकास स्थायित्व और समानता उसका मुख्य उद्देश्य था। यद्यपि हमारे वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में विकास दर काफी महत्वपूर्ण रहा है लेकिन समानता में काफी अन्तर आया है। इस पृष्ठभूमि में मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें के प्रथम प्रस्ताव के संबंध में अपना विचार रखना चाहता हूं।

अनुपूरक अनुदान मांगें को रखे जाने के पीछे मुख्य सिद्धांत विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष पेश आने वाले अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती राजग सरकार के शासनकाल के दौरान सामाजिक क्षेत्र को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था वित्तीय विवेकशीलता और अनुशासन के नाम पर आज की तारीख तक सामाजिक क्षेत्र के व्यय में लगातार कटौती मेरे विचार में पूर्व से निरीक्षण अर्थव्यवस्था की गलत मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए, विभिन्न मंत्रालय, विभागों द्वारा उन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

कृषि मंत्रालय ने लगभग 160 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि की मांग की है। कृषि क्षेत्र की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है। लेकिन कृषि क्षेत्र में भारी संकट को देखते हुए, जिसने पूरे ग्रामीण भारत को अपने चपेट में ले लिया है, मैं समझता हूं कि कृषिगत अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वास्तव में, विभिन्न वित्त आयोगों, विशेषकर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्य सरकारों को संकट में डाल दिया है। इसलिए, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त मांग को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।

अन्य संबंधित मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस मंत्रालय

द्वारा मुख्यत: दो कारणों से अनुपूरक अनुदान मांगों की मांग की गई है। पहला कारण, एस.जी.आर.वाई. और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों को जारी करने के कारण बकाया ऋणों के निपटान के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए विशेष प्रतिभूतियों का मामला है तथा दूसरा कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू किये जाने के लिए यू.एन.डी.पी. सहायता के माध्यम से पारित होने से संबंधित है। ये दोनों कार्यक्रम वर्तमान भारतीय परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गये हैं। जैसाकि मैंने पूर्व में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में भारी संकट है। वर्ष 2004 से हम देख रहे हैं कि बहुत से आदिवासी बच्चे विशेषकर महाराष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर कुपोषण और भुखमरी के कारण मर गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड (बीपीएल राशन कार्ड) जारे करने संबंधी वर्तमान लागू सभी मनमानीपूर्ण शर्तों को तत्काल समाप्त करें और उन सभी को यह कार्ड उपलब्ध कराये जो आवेदन करना चाहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाना आज की आवश्यकता है।

माननीय प्रधानमंत्री विदर्भ गये और उन्होंने विदर्भ के किसानों के लिए एक पैकेज की घोषणा की। पैकेज की घोषणा के बावजूद विदर्भ में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है। ये आत्महत्याएं अवश्य रोकी जानी चाहिए। दूसरी बात कि हमारा राज्य आंध्र प्रदेश ने भी विदर्भ की तरह उसी तरह की पैकेज की मांग की है। यह अभी भी वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैकेज की घोषणा में तेजी आएगी और इसे आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा।

तकनीकी तौर पर विशुद्ध आर्थिक भाषा में कहें तो ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है जिससे केन्द्र सरकार व्यय को बढ़ाने में संकोच करे। उदारवाद का हाल में तर्क ने सरकार को चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, वैश्विक वित्तीय झुकावों को मानने के लिए बाध्य किया है और उन्होंने कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा की है। अब संप्रग सरकार के समक्ष एक ऐसा मौका है कि वह इस अपयश से बचें और आलोचकों तथा निंदकों को गलत साबित करें। इसलिए, आम आदमी के लिए और कुछ किये जाने की जरूरत है।

मेरा अंतिम प्रश्न अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के लिए बजट के संबंध में है। जब वित्त मंत्री ने इस वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया तब उस वक्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के लिए 57 करोड़ रुपये इक्वीटी समर्थन की मांग की थी।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में एन.एम.डी.एफ.सी. को 18.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अनुपूरक अनुदान मांगों में उन्होंने 16.47 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कुल 34.76 करोड़ रुपये बनता है लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने 57 करोड़ रुपये की मांग की है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसे बढ़ाकर 57 करोड़ रुपये करने का अनुरोध करता हू।

मौलाना आजाद शिक्षा संस्था की समग्र निधि में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि किये जाने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इससे कम-से-कम बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करना चाहिए। आपको मौलाना आजाद शिक्षा संस्था की समग्र निधि को बढ़ाना चाहिए जो अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

अंत में, कार्मिक विभाग को भी कुछ राशि दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेरोजगारी कम हो, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में, क्या कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के हाल के विवरण में जिसमें कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा ने सेना और हर क्षेत्र में घुसपैठ की है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए अवसर का एकमात्र द्वार भी इस एक वक्तव्य से रक्षा सेवा तथा पुलिसबल में सदैव के लिए बंद हो गई है। दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया था और उसने यहां तक कहा कि हज पर जाने वाले मुसलमानों की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार का भी ऐसा मानना है। वह एक पत्र लिखकर इस प्रकार कैसे कह सकती है? अब कोई भी राज्य सरकार मुसलमानों को बलों के अन्य विभागों में लेने के लिए तैयार नहीं है। आसूचना ब्यूरो में 200 आई.पी.एस. अधिकारी हैं। इनमें से केवल दो मुसलमान अधिकारी हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। एस.पी.जी. और एन.एस.जी. में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं है। मैं रॉ की बात नहीं करना चाहता। यह एक अलग बात है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दे सकता है? यह टी.वी. और समाचार-पत्रों में आया। इसलिए, सरकार से मेरा निवेदन है कि इसे रोका जाना चाहिए।

यह एक झिझकत है। यह तो किसी पूरे समुदाय को बदनाम करना है या सभी को एक ही नजर से देखना है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है क्योंकि इस प्रयोजनार्थ कार्मिक विभाग को भी काफी राशि दी गई है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री महोदय इसका

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

सकारात्मक उत्तर देंगे। साथ ही मुझे यह भी आशा है कि संप्रग सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सृजित मंत्रालय के लिए आबंटन बढ़ाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदया, मैं अनुदान मांगें सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन हमारा कुछ रिजर्वेशन भी है। इस रिजर्वेशन के चलते मैं कुछ वादा करता हूं क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वह सारे सिनेरियो से वाकिफ हैं, जैसे प्राइस राइज है। हमारे देश में सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जो मूल मुद्दा है कि पेट्रोलियम के ऊपर जो 52 प्रतिशत टैक्सेशन है, पर अगर हम उसमें थोड़ा-बहुत टैक्सेशन विदड्रा कर लें तो जो महंगाई बढ़ रही है, वह कम हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। इसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कहेंगे कि फिर कहां से हम रैवेन्यू जनरेट करेंगे। रैवेन्यू जेनरेट करने के बहुत सारे तरीके हमारे देश में है। हमारे देश में बहुत ब्लैक मनी है। रिलायंस के माफिक अगर कोई कंपनी है, यदि पेट्रोलियम पर ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार की मदद से आ जाता है तो उस पर कराधान करके थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू सरकार अर्न कर सकती है। इसी तरह भी हो सकता है कि जिस आदमी के पास दो गाड़ियां हैं उन पर हम इंकम टैक्स लागू कर सकते हैं लेकिन हम लागू नहीं करते हैं। अगर हम यहां से रैवेन्यू जनरेट करेंगे तो आम आदमी के लिए राहत मिल जाएगी।

जैसे गरीब आदमी के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह सिस्टम सारे राज्यों में है। लेकिन यह सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। उसको सरकार अच्छे से देखे, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। फिर सुसाइड को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी हमने पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार किया है। हमारे यहां चावल की क्राप ज्यादा हो गई तो हमने क्राप का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट जिस प्रकार से आई है, उसे उसी प्रकार लागू करना चाहिए और ब्याज दर सात प्रतिशत नहीं, चार प्रतिशत करनी चाहिए। अगर हम बैंक को किराया देते हैं, तो दर चार प्रतिशत कीजिए। इससे किसानों को राहत मिलेगी। हर जिले में एक सायल टैस्टिंग सैन्टर होना चाहिए जो जांच करके किसानों को बताए कि वहां की मिट्टी में कौन-सी पैदावार अच्छी होगी। हमारे कामर्शियल बैंक ज्यादा ऋण किसानों को नहीं देते हैं। इसलिए यह भी तय होना चाहिए कि बैंकों से कितना लोन किसानों को मिलेगा।

बीज के क्षेत्र में तो हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉनसैन्टो को बंगाल में घुसने नहीं दिया। वह कंपनी जिस राज्य में भी गई, वहां ज्यादा से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमें मल्टीनेशनल कंपनीज की एन्ट्री को बंद कर देना चाहिए, जिससे अपनी देशी सीड स्टोर्स से किसान बीज ले सके।

रूरल इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल लेबर है, उसे वहां काम जरूर मिल रहा है लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलती है। रूरल इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम में आप कैसे पढ़े लिखे लोगों को काम दिला सकते हैं, इस संबंध में भी कोई योजना बननी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में एक अच्छी योजना है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहां कई दिनों तक धरने पर बैठे थे। उन्हें आपको राहत देनी चाहिए। उनमें 3000 और 2000 वर्कर्स और लेबर हैं। अगले बजट में आप उनको थर्ड और फोर्थ ग्रेड इंप्लाइज बना दीजिए क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये समाज की कली है। उनको हम फूल नहीं बना पाएंगे तो कैसे समाज बनेगा? इनकी प्राइमरी एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार ने वायदा किया था कि 12 राज्यों में एम्स के स्तर के अस्पताल बनाए जाएंगे। यह वायदा केवल वायदा ही न रहे, बल्कि उसे पूरा किया जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन अस्पतालों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसके अलावा कई उद्योग सरकार ने बंद कर दिए। बीओजीएल आपने बंद कर दिया, जहां 188 श्रमिक हैं। वहां आपने पांचवां पे कमीशन भी लागू नहीं किया, फिर कहते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र 58 साल होनी चाहिए। जब पब्लिक सैक्टर में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है तो उनको भी वही सुविधा दीजिए। आरसीआई में छः-सात आदमी हैं, उनको भी वीआरएस नहीं मिला। एचएससीएल की भारत के अंदर जितनी यूनिट्स हैं, वहां कर्मचारियों को सैलेरीज नहीं मिल रही हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें आप सैलेरीज दीजिए। जो असंगठित शिल्प श्रमिक हैं, ईंट-भट्ठे के श्रमिक हैं, जो बीड़ी बनाते हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, मिट्टी का काम करने वाले मजदूर हैं, जो मकान बनाते हैं, उनके लिए आप ऐसी योजनाएं बनाएं कि जब वे 60 साल के हो जाएं तो उसके बाद उन्हें पेंशन मिल सके। हिन्दुस्तान केबल्स को आप बंद कर दीजिए, अथवा एमटीएनएल या बीएसएनएल उसे टेकओवर कर ले। इससे आपको डिसइनवैस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। बर्न स्टैन्डर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे देश में है। अगर उसे रिवाइवल पैकेज नहीं देंगे, तो हमारे लिए सही नहीं होगा।

मुझे और भी बातें कहनी थीं, किंतु समय की कमी है। जैसे

गंगा नदी और दामोदर नदी में भारी इरोज़न हो रहा है। अगर उसे हम ठीक नहीं करेंगे तो उनमें जल भरने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इन बातों पर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सम्मानित सदस्यों के सुझाव आए। माननीय मंत्री जी 47,868 करोड़ रुपये की डिमांड्ज़ लेकर इस सदन में आए हैं। वैसे देखा जाए और पूरे भारतवर्ष की आधारभूत संरचना की तरफ अगर नजर डालें तो आज आम आदमी को शुद्ध हवा, पानी और स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए। अगर परिवहन क्षेत्र में देखा जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए तो यह क्षेत्र विकास से कांफी उपेक्षित रहा है। वैसे सदन में जितने भी हमारे पक्ष एवं विपक्ष के सम्मानित सदस्य हैं, वे आईटी विलेज बनाने की दिशा में रुचि लेते है और सदन में बराबर जिक्र करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं – जैसे पानी, सड़क एवं दैनिक जीवन में उपभोग की तमाम वस्तुएं, वे बहुत महंगी हो गई हैं, जिन पर अभी पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की – यहां तक कि दैनिक उपभोग की वस्तुएं आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं।

सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कर-चोरों से सख्ती से निबटने के जरूरत है, तभी हमारा राजस्व बढ़ेगा, लेकिन यह देखा गया है कि महंगी खरीदारी तमाम लोग करते हैं, कहीं पर एक-एक व्यक्ति के पास चार-चार, पांच-पांच, छः-छः, एवं सात-सात गाड़ियां हैं और कहीं किसी व्यक्ति के पास एक स्कूटर भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, यह सप्लीमेंट्री बजट है। आप अच्छा बोल रहे हैं। इस पर आप अपने प्वाइंट्स दे दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने एक तरफ बुनियादी ढांचे में तीन लाख बीस हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात की है और दूसरी तरफ हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने पर 40 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, यह ठीक है, लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियां विफल रही हैं, खासकर हमारी खाद्यान्न नीति नाकामी की ओर रही है। इन नीतियों के कारण खाद्यान्न और कृषि के क्षेत्र में बहुत संकट आया है हमारे बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसी कारण महंगाई भी दो सालों में बहुत बढ़ी है। देश के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है, हमारी उत्पादन क्षमता कम होने के कारण विकास में भी कमी आई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप सुझाव दीजिए, आप क्या चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : पिछड़े क्षेत्रों के विकास और रोजगार गारंटी की जो बात कही गई है, उसे हमें देखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो तमाम हिन्दीभाषी राज्य हैं, उन्होंने बराबर सदन में मांग की है कि उन्हें स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि उनका विकास हो सके। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने बराबर मांग की थी, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर वहां का विकास नहीं होगा तो पूरे देश का विकास नहीं हो सकता।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो सप्लीमेंट्री बजट की मांग की है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैंने जो प्वाइंट्स यहां रखे हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदया, इस देश को अच्छे अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता है। डा. मनमोहन सिंह के साथ हमारे वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम भी अच्छे अर्थशास्त्रियों में से एक है। परंतु ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश के लिए बहुत से अच्छे अर्थशास्त्रियों का होना भी ठीक नहीं है।

मैंने अनुपूरक अनुदान की मांगों का भली-भांति अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि अच्छे अर्थशास्त्रियों के लिए 'भूगोल' का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनुपूरक अनुदान की मांगों में भूगोल गायब है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश में एक स्थान 'पूर्वोत्तर' भी है। इस क्षेत्र के विशिष्ट त्वरित सड़क विकास परियोजना हेतु 550 करोड़ रुपये दिये जाने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं। यह एक अच्छी भावना का प्रदर्शन है। इन अनुपूरक अनुदान की मांगों में मैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना को ढूंढ रहा था परंतु वे इसमें सम्मिलित नहीं की गयी हैं। इसी प्रकार कर ढांचे में संशोधन को भी इन मांगों में शामिल नहीं किया गया है।

महोदया, मैं कुछ मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं।

[श्री तापिर गाव]

माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम पूर्व की ओर भी देख सकते थे। संप्रग सरकार के एजेंडा में 'लुक ईस्ट पालिसी' भी शामिल है। यदि माननीय वित्त मंत्री इन अनुपूरक अनुदान की मांगों में 'लुक ईस्ट पालिसी' के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और चीन सीमा पर विदेश व्यापार बढ़ाने को शामिल करते तो यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास का एक बेहतर स्रोत होता।

मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात ढूंढ रहा था। महोदया, आप दिल्ली की हैं और शायद आप यह नहीं जानती होंगी कि देश के किस एकमात्र राज्य में कोई रेलवे लाइन या हवाई अड्डा नहीं है, यह राज्य अरुणाचल प्रदेश है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : परंतु मैं सभी स्थानों पर जाती हूं।

(व्यवधान)

श्री तापिर गाव : इसीलिए, मैंने इस सम्माननीय सभा में इसे आधुनिक कालापानी कहा था। इसीलिए मैं इन अनुपूरक अनुदान की मांगों में इस क्षेत्र से संबंधित कोई योजना ढूंढ रहा था परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

महोदया, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि मंत्रालय में एक डी.ओ.एन.ई.आर. विभाग है परंतु इस डी.ओ.एन.ई.आर. विभाग के पास कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। डी.ओ.एन.ई.आर. विभाग के सभी बजटीय प्रावधान 'राष्ट्रीय पूल' के अंतर्गत आते हैं जो कि माननीय वित्त मंत्री की कृपा पर निर्भर है। परंतु पूर्वोत्तर के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस वर्ष वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय पूल में से 700 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आबंटित किये हैं इसमें से 100 करोड़ रुपये बोडो क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) हेतु आबंटित किये गये हैं जो कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये जाने थे।...*(व्यवधान)* मैडम, हम इतनी दूर से आए हैं कृपया दो मिनट तो बोलने दीजिए।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात अर्थात् सर्वशिक्षा अभियान के बारे में कहना चाहूंगा। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनुदान की मांगों को देख रहा था। डी.ओ.एन.ई.आर. मंत्रालय के अव्ययगत केन्द्रीय पूल में से 92 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है। यह पूर्वोत्तर के लोगों के साथ अन्याय है। इसके अलावा, यह वहां पूर्वोत्तर परिषद भी है। पूर्वोत्तर परिषद को भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए धनराशि व्यय करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। अत: डी.ओ.एन.ई.आर. विभाग और पूर्वोत्तर परिषद के आबंटन में से सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु कटौती नहीं की जानी चाहिए। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए हानिकारक है।

महोदया, डिब्रूगढ़ में एक प्रमुख रेलवे-सह-सड़क पुल बनाया गया है जिसे बोगी बिल ब्रिज कहा जाता है। मैं इसके बारे में देख रहा था परंतु इसका भी इसमें कोई उल्लेख है। इस परियोजना को देश की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाना था परंतु इसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि अच्छा अर्थशास्त्री होने के लिए देश के भूगोल का ज्ञान होना भी आवश्यक है अन्यथा ऐसी वित्तीय व्यवस्था से क्षेत्रीय असंतुलन हो सकता है।

इसलिए अगली बार मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करूंगा। इस समय मैं इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास इन बजटीय प्रावधानों में धन नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का प्रश्न है, गत दो वर्षों के दौरान इसमें छः गुणा वृद्धि हुई है। इसका अन्य आवश्यक वस्तुओं और अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस सरकार ने उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी की है। वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए, आपको हम करों में और कटौती करने पर तथा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने पर विचार करना पड़ेगा। यहां तक कि मुख्यमंत्रियों ने भी मीडिया को बताया कि कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं।

वे ऐसी बातें कर रहे हैं किंतु वे अपने राज्य में बिक्री कर कम नहीं कर रहे है। इसीलिए आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है।

मैं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने बताया था :

> "योजना आयोग नष्ट हो चुके बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण हेतु एक कार्यक्रम तैयार करेगा और मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी।"

गत वर्ष 31 मार्च, 2006 तक सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. से

कुल 5,145 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत भी राज्यों को जारी की गई राशि बहुत कम है। वह राज्य सरकारों के सामने चुनौती का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि हर वर्ष राज्यों को बाढ़, सूखा इत्यादि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, मेरा सरकार को सुझाव है कि उसे आर्थिक धन प्रदान करना चाहिए और सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. को हजारों करोड़ रुपए देने चाहिए। तभी भारत सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता प्रदान कर पायेगी।

तत्पश्चात् जब 1996 में वर्तमान वित्त मंत्री संयुक्त मोर्चा सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री थे तब त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया था परंतु अब मार्गनिर्देशों में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। हमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देना है। वर्तमान योजना के अंतर्गत भारत सरकार न्यूनतम राशि अनुदान के रूप में दे रही है और शेष राशि ऋण के रूप में दे रही है। सरकार को राज्य सरकारों को यह चयन करने की और आजादी देनी पड़ेगी कि कौन सी परियोजना पहले पूरी की जाए और कौन सी बाद में पूरी की जाए। यदि आप यह कहकर कि दूसरी किश्त तभी जारी कि जाएगी जब वे परियोजना पूरी करेंगे, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो यह सही नहीं है। इसलिए ए आई बी पी के अंतर्गत धन आबंटित करने के दिशानिर्देशों का परिवर्तित किया जाना चाहिए।

महोदया, उद्योग में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा है। आखिरकार हमें सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है। भविष्य में हमें 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल करनी है। यदि कृषि क्षेत्र 4 प्रतिशत की विकास दर से बढ़ता है तभी हम 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सरकार को कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए बहुत अच्छा राहत पैकेज घोषित किया है जहां छः राज्य पूरी तरह से शामिल किए जाएंगे। यदि आंध्र प्रदेश में हम तरह का राहत पैकेज लागू किया जाता है तो इसमें 16 जिले शामिल होंगे।

सभापति महोदय : श्री येरननायडु समय बहुत कम है। आप कृपया आवश्यक बातें कहें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदया, मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा।

हमारा राज्य आंध्र प्रदेश अब बाढ़ से घिरा हुआ है। सरकार ने ऋण माफी, दंड ब्याज माफी, ऋण की समय पुनः निर्धारित करने इत्यादि की घोषणाएं की हैं। यदि आप यथाशीघ्र राहत पैकेज स्वीकृत करें तो बेहतर होगा। हर वर्ष हमारे राज्य में सूखा और बाढ़ की समस्या होती है। यदि यह योजना लागू हो जाती है तो यह हमारे राज्य में जिलों को कवर करेगी। हमारे राज्य को बहुत से शीर्षों के अंतर्गत धन मिलेगा और किसान बहुत प्रसन्न होंगे।

जहां तक फसल बीमा का संबंध है, पिछली बार कृषि मंत्री ने सभा में एक घोषणा की थी। उस समय दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सम्पूर्ण सभा ने मांग की थी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति को ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। तभी किसानों को लाभ मिलेगा। यदि मंडल को भी इकाई के रूप में लिया जाता है तब भी प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। यह सरकार के विचाराधीन है और सरकार इस खरीफ मौसम से ही इस नीति को लागू करने पर विचार कर रही है।

अंत में मैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। भारत सरकार को हमारे देश की सभी प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। पूर्व सरकार द्वारा स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना शुरू की गई थी। इससे सब प्रसन्न हैं। वर्तमान सरकार भी उस परियोजना को जारी रख रही है। नदियों को आपस में जोड़कर हम बाढ़ और सूखे से बच सकते हैं और हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं और हम बिजली पैदा कर सकते हैं जिसे हम सस्ती दरों पर अपने किसानों को दे सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इससे कितने लाभ होंगे? इसलिए सरकार को नदियों को आपस में जोड़ने पर विचार करना पड़ेगा। यह किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हरेक के पास योजना है परंतु इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। यदि आप उन चीजों को साहसपूर्वक लागू करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी समस्यांएं हल हो जायेंगी। हम सस्ती बिजली प्रदान कर सकते हैं हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इन योजनाओं के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि सब तरफ कार्य चल रहे हैं। सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आर्थिक धन देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। यदि आप इस धन को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए लगाते हैं तो आप नहरों की खुदाई करा सकते

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

हैं आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं और ऐसा करने से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसलिए आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व माननीय वित्त मंत्री पुन: अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए आए हैं। इसलिए इन्हीं सुझावों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट) : महोदय, मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं। उड़ीसा में कुछ समाचारों के आधार पर विवाद पैदा किया जा रहा है कि भारत सरकार के.बी.के. योजना को समाप्त कर रही है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह कहा गया था। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है।

महोदया, प्रारम्भ में के.बी.के. को राज्य सरकार कोष से ऋण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। फिर 1998-99 में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। अब हर वर्ष 250 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जा रही है। यह अल्पावधि कार्य योजना नहीं अपितु दीर्घावधि कार्य योजना है। यदि यह पांच वर्ष से अधिक है तो इसे दीर्घावधि योजना माना जाता है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार की इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे ताकि इससे लोगों में गलत संदेश न जाए।

महोदया, के.बी.के. और पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करना पड़ेगा। जब तक कालाहांडी, कोरापुट जैसे जिलों तथा इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता नहीं दी जाती जहां भारी क्षति हुई है, तब तक लोगों के लिए इससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। जब तक 100 करोड़ रुपए का पैकेज नहीं दिया जाता तब तक सड़कों, पुलों, पुलियाओं इत्यादि की मरम्मत कैसे की जा सकती है? यद्यपि यह तटवर्ती क्षेत्र के लिए हर वर्ष की बात है परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की क्षति पहली बार हुई है।

महोदया, मेरे मित्र पी.पी.एल. के विनिवेश का प्रश्न उठा रहे थे। विनिवेश की प्रक्रिया राजग प्रशासन के दौरान शुरू हुई थी। यह रणनीतिक बिक्री के माध्यम से लगभग सभी परियोजनाओं के लिए किया गया। किंतु संप्रग सरकार ने किसी उद्योग की ऐसी बिक्री अभी तक नहीं की है। नाल्को का प्रस्तावित 10 प्रतिशत विनिवेश संप्रग सरकार द्वारा रोक कर रखा गया है। मैंने राजग सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। अब यह न्यायालय में विचाराधीन है। अत: भारत सरकार नाल्को को नहीं बेच सकती। इन सब बातों पर विशेषकर के.बी.के. के मामले पर माननीय वित्त मंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ताकि के.बी.के. जैसे विवादास्पद मामलों को न उठाया जाए।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : सभापति महोदया, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जिस इलाके से आया हूं, उस इलाके में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लागू की है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन प्रैक्टीकल फील्ड में पंचों और सरपंचों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, तब उसका ज्यादा लाभ होगा। दूसरे, केवल 100 दिन काम करने के बाद यदि और काम की जरूरत है तो उसे भी और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : डा. कुसुमरिया जी, आप सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर अपने सुझाव दे दीजिए जो आप सरकार से चाहते हैं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अब महंगाई बढ़ गयी है। किसानों द्वारा आत्महत्यायें हो रही हैं। इससे पहले आम बजट में, सत्र के दौरान, इन्होंने जो वायदे किए थे, वे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। लोगों को आपने बजट में जो राहत दी थीं, वह लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रही हैं। विकास के काम भी शुरू नहीं हो रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत जो हमारे यहां केन और बेतवा का एमओयू खजुराहो से साइन हुआ है, उसमें भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर भी आपकी निगाह नहीं है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, जैसे झांसी से खजुराहो राजमार्ग आगे-आगे बन रहे हैं और पीछे-पीछे उखड़ रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं।

सभापति महोदया : आपके दो मिनट हो चुके हैं, आप अपने सुझाव दीजिए।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : राष्ट्रीय राजमार्ग के काम में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि:–

"जिन्हें रोटी की जरूरत थी, उन्हें रोटी न मिली,

जिन्हें बोटी की जरूरत थी, बोटी न मिली।

तुम्हारी सियासी तकरीरो के चलते

नंगे को लंगोटी न मिली।"

आज यह हालत महंगाई की है।...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : इसे धार्मिक लोग पहनते हैं। माननीय सदस्य लंगोटी के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। लंगोटी धार्मिक लोग, अच्छे लोग, सब लोग पहनते हैं, यह गलत बात बोल रहे हैं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : वह नहीं मिल रही है।

"अगर यही हालत आपकी चलती रही,

जो जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है,

किसी गरीब के रोने से शुरू होती है,

भस्म होते हैं तख्ते ताउस,

जब आग किसी कोने रसे शुरू होती है।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लद्दाख जैसे सुदूर क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन स्टेट्स में जितने क्षेत्र हैं, उनके साथ फंड्स के एलोकेशन और आबंटन में नाइंसाफी हो रही हैं, इस बारे में मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा।

आपको मालूम है, यहां वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह जानते हैं कि जितने भी मंत्रालय भारत सरकार के हैं, अगर उनकी कार्य पद्धति का कोई मापदंड रखना हो या उनकी सफलता के बारे में आपको कोई जायजा लेना हो, तो मैं समझता हूं कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में जाकर इसका जायजा लेना चाहिए, ताकि सही तरीके से हम पता लगा सकें कि जो मंत्रालय की स्कीम्स हैं, जो उनके द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स हैं, वे किस हद तक देश में सफलता या असफलता के साथ चल रहे हैं। यदि सही तरीके से इन्हीं आइडल क्षेत्रों में जाकर देखा जाए, तो उससे हमें कुछ जायजा मिल सकता है। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जितने भी लद्दाख जैसे ट्रांस हिमालयन, हिमालय के उस पार स्थित हमारे स्टेट्स हैं, उनके साथ इस लिहाज से नाइंसाफी हो रही है, जितने भी फंड्स स्टेट को आबंटित किए जाते हैं, उनकी उचित मात्रा इन क्षेत्रों को नहीं मिल पाती है। इसका कारण यह है कि फंड्स एलोकेशन में पापुलेशन को मेन बेसिस बनाया जाता है।

अपराह्न 3.10

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे विचार से इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रैटजिक बोर्डर एरियाज में स्थित हमारे इन क्षेत्रों का जब जिक्र आता है, उनकी इकानामिक डैवलेपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि फंड्स एलोकेशन के जो नार्म्स हैं, उनके बारे में भी रिव्यू किया जाए।

वित्त मंत्री जी शायद मुझसे एग्री करेंगे कि जम्मू कश्मीर का काफी क्षेत्र मेरी कौन्सटीटूएंसी में पड़ता है, और लद्दाख, जो मेरी कौन्सटीटूएंसी है, दोनों को मिलाकर दो-तिहाई क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा है, लेकिन जब फंड्स एलोकेशन की बात की आती है, क्योंकि पौपुलेशन को मेन बेसिज़ बनाकर आबंटन होता है, तब उसके साथ उपेक्षा होती है। हमें जितना एलोकेशन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। यही कारण है कि वह इलाका पहले से भी ज्यादा पिछड़ता नज़र आएगा।

मैं वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक ट्रांस-हिमालयन क्षेत्र या हिल स्टेट्स की बात है, बाकी सदस्यों ने भी इस बात को उठाया है कि वहां के एलोकेशन के मापदंड में तब्दीली लाने की जरूरत है और पौपुलेशन के साथ-साथ एरिया को भी कंसीडर किया जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा उन क्षेत्रों के साथ कभी जस्टिस नहीं हो पाएगा। ऐसे क्षेत्र क्लाइमेटीकली बहुत ही मुश्किल होते हैं, वहां वर्किंग सीज़न लिमिटेड होता है और जितना फंड मुहैया किया जाता है, उसका उपयोग थोड़े समय में करना बहुत मुश्किल होता है। जितने हमारे मंत्रालय हैं, खासकर रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय द्वारा देश के मैनलैंड को लेकर मापदंड बनाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों के लिए भी उसी मापदंड को एप्लाई किया जाता है। उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है, अन्यथा जो थोड़ा-बहुत फंड हमें मिलता भी है, उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो पाता क्योंकि वहां वर्किंग सीज़न बहुत कम होता है।...*(व्यवधान)* सारा कंस्ट्रक्शन मेटीरियल यहां से जाता है। लद्दाख जैसा क्षेत्र सात महीने सड़क मार्ग से कटा रहता है, इसलिए वहां अगले सीज़न के लिए भी कंस्ट्रक्शन मेटीरियल पहले से जमा करना पड़ता है। जब तक उस क्षेत्र के लिए हम अलग से नहीं सोचेंगे, तब तक वह क्षेत्र सुविधाओं से वंचित ही रहेगा।

वित्त मंत्री जी यह भी जानते हैं कि लद्दाख को इन्कम टैक्स से ऐग्ज़ैम्प्ट रखा गया जिसके पीछे खास वजह थी। आज के प्रधान मंत्री जब वित्त मंत्री थे, उनके जमाने में लद्दाख को इन्कम टैक्स से

[श्री छेवांग थुपस्तन]

एग्ज़ैम्प्शन दिया गया था। जब पूरे देश में वैट लागू हुआ, उस समय लद्दाख को सेल्स टैक्स में भी छूट थी क्योंकि एक कोशिश हुई थी कि लद्दाख जैसा दूरदराज इलाका भी आर्थिक दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों के बराबर आ पाए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने भी वैट रिजीम को मान लिया, देश के और सुदूर क्षेत्र, जैसे अंडमान-निकोबार, वहां सेल्स टैक्स लागू नहीं था, इन्कम टैक्स से बरी था, उन्हें वैट रिजीम से बाहर रखा गया, लेकिन लद्दाख क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस बारे में वित्त मंत्री, भारत सरकार को लिखा था। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर की एक एमपावर्ड कमेटी है, जिसकी रिकमैंडेशन आने पर इस बारे में रिव्यू हो सकता है, लेकिन अभी तक इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक लद्दाख की आर्थिक स्थिति देश के दूसरे क्षेत्रों के बराबर नहीं आ पाती, तब तक उसे वैट और सेल्स टैक्स से मुक्त रखा जाए।...*(व्यवधान)* हमारे सामने उदाहरण हैं कि बहुत से क्षेत्रों को वैट रिजीम से ऐग्ज़ैम्प्ट रखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। उनके नोटिस में भी है, लेकिन मैं दोबारा उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट रिकार्ड में आ गया है, अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री छेवांग थुपस्तन : जब लद्दाख में लोगों की डिमांड पर लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल की स्थापना की गई, वहां यूनियन टेरीटरी स्टेटस की मांग हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए वहां रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल देने की बात की है। अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई एडीशनल एलोकेशन नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 40 करोड़ रुपये एनाउंस किए, वही मिले हैं, जबकि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को भारत सरकार की तरफ से सप्लीमैंट्री प्लान के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन लद्दाख को बिल्कुल नहीं मिला है। एलोकेशन के मामले में लद्दाख को अभी तक सिर्फ जम्मू-कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा जाता है, जो नाइंसाफी है। मैं फाइनेंस मिन्स्टिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे इस बारे में सोचें और लद्दाख के लिए उचित धन की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर हो रहे इस बाद विवाद में भाग लेने का कष्ट किया है। स्वाभाविक रूप से यह वाद-विवाद भी उतना ही व्यापक रहा है जितना कि किसी भी अनुदान की मांगों पर होता है।

बहुत से माननीय सदस्य, जिन्होंने अपने राज्यों से संबंधित प्रश्न उठाये हैं, यहां उपस्थित नहीं है। मैं उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्नता महसूस करूंगा और उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं सोचता हूं कि हमें उन परिस्थितियों का ध्यान रखना होगा जिनमें हम इस वाद-विवाद का समापन कर रहे है, मैं संक्षेप में उन मुख्य बिंदुओं, जो सामान्य प्रवृति के हैं का उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, कल मैंने इस तथ्य की घोषणा की थी कि सी.सी.ई.ए. ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को मंजूरी दी है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 250 जिलों का चयन किया गया है। बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत आर.एस.वी.वाई. को सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए, बिहार को दिये जाने वाले पैकेज का क्रियान्वयन बी.आर.जी.एफ के हिस्से के रूप में होगा तथा के.बी.के. के सभी 8 जिलों को बी.आर.जी.एफ. में सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए, चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप इस योजना का ब्यौरा चाहते हैं तो आप कृपया ग्रामीण विकास मंत्री को लिखें, इस योजना का ब्यौरा उपलब्ध कराने में उन्हें खुशी होगी; या आप पंचायती राज मंत्री को लिखें जो इस समय बी.आर.जी.एफ. के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी मंत्रालय है।

महोदय, जहां तक कीमतों का संबंध है हम पहले ही इस पर एक व्यापक चर्चा कर चुके हैं। मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आई.सी.सी.एल शीर्षक मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। वास्तव में, इस सप्ताह, हम यह जानकारी दे रहे हैं कि डब्ल्यू.पी.आई. सूचकांक 4.67 से घटकर 4.61 हो गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि वर्तमान बाज़ार की स्थिति को देखते हुए; और जिस तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको देखते हुए, संभवत: यह उम्मीद करना ठीक होगी कि शीर्षक मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत के लगभग होगी।

आम आदमी और महिलाओं को इस बात की परेशानी हो रही है कि गेहूं, दालों और कुछ हद तक चीनी की कीमतों में वृद्धि हो रही है। गेहूं, दाल और चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए हमने जो कदम उठाये हैं उसके बारे में मैं सभा को पहले ही जानकारी दे चुका हूं। वास्तव में, 13 जून से आजतक, आठ सप्ताह

से ज्यादा समय से ये कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये कीमतें घटी हैं लेकिन ये बढ़ी भी नहीं हैं जिसका मतलब है कि जो कदम उठाये गये हैं उनका प्रभाव हो रहा है और जब पहली अक्टूबर से नई चीनी आ जाएगी, आयातित गेहूं आ जाएगा और पहली जनवरी से गेहूं की नई फसल आ जाएगी तो कीमतों में और कमी आएगी।

मैं यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि पिछले वर्ष अच्छी पैदावार नहीं हुई थी। दालों की पूरी तरह से कमी रही; हमने दालों का आयात किया। यह आयात म्यांमार से किया गया। म्यांमार में भी दालों की कमी है। लेकिन हमने अभी तक जो कदम उठाये हैं उससे कीमतें नियंत्रित हुई हैं। लेकिन इन तीन वस्तुओं की प्रतिदिन की निगरानी से यह बात साफ हुई है कि इन सभी वस्तुओं की कीमतें या तो स्थिर हैं या उनमें थोड़ी कमी आई है।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए धनराशि के बारे में कोई प्रश्न था। वर्ष 1998-99 से लेकर अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को जारी की गई धनराशि के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं।

मेरे पास राज्यवार आंकड़े हैं। हमने वर्ष 1998-99 से से लेकर अब तक एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत लगभग 4000 करोड़ रुपये जारी किये हैं। धन की कोई कमी नहीं आएगी। वास्तव में, जारी की गई धन उसी वर्ष खर्च की जानी चाहिए जिस वर्ष वह जारी की गई हो लेकिन यदि धनराशि जारी किये जाने वाले वर्ष में खर्च नहीं की जाती है या उस मद पर खर्च नहीं की जाती जिसके लिए जारी की गयी है तो मुझे आशंका है कि इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा।

इसके बाद ऋण का मुद्दा उठाया गया। हमने प्रश्नोत्तर और वाद-विवाद के माध्यम से कई बार उत्तर पहले दे चुके हैं। संप्रग सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने कृषि क्षेत्र के लिए तीन वर्षों में ऋण को दुगुना करने का वायदा किया था और हमने दो वर्षों में ही यह वायदा पूरा कर दिया है। पिछले वर्ष हमने 1,67,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया था लेकिन इस साल के लिए 1,75,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन मैं अत्यंत आत्म-विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हम इस वर्ष भी लक्ष्य से कहीं आगे जाएंगे। अत: कृषि ऋण दिया जा रहा है। काफी मात्रा में दिया जा रहा है।

हमने फसल-ऋण पर ब्याज का दर कम करके 7 प्रतिशत तक कर दी है। मेरी इच्छा है कि हम इसे और कम करें लेकिन हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार के शासन में फसल-ऋण नौ से साढ़े नौ प्रतिश की दर पर उपलब्ध था। यह सं.प्र.ग. की ही सरकार है जिसने इसे कम करके सात प्रतिशत किया जिसका 2 से 2.5 प्रतिशत का लाभ किसानों को मिला। यह केवल इसी वर्ष के लिए नहीं है। यदि आपको याद हो तो पिछला बजट मैंने उन किसानों को 2 प्रतिशत का ब्याज वापस किया जिन्होंने नौ से साढ़े नौ प्रतिशत की दर से ऋण लिया था। मैंने दो प्रतिशत ऋण वापस किया था।

हम कृषि ऋणग्रस्तता से अवगत हैं...*(व्यवधान)* मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास समय नही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। यह स्पष्टीकरण पूछने का समय नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे है?

श्री पी. चिदम्बरम : आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की ऋणग्रस्तता के बारे में चिंता व्यक्त की थी। कई वर्षों के बाद उन्होंने कहा था "कृषि संबंधी ऋणग्रस्तता की जांच के लिए हम एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति करेंगे।" प्रधानमंत्री की स्वीकृति के पश्चात यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कृषि संबंधी ऋणग्रस्तता की जांच के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ की नियुक्ति की गयी है। इसके अध्यक्ष प्रो. आर राधाकृष्णन, निदेशक, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई होंगे। इसके अन्य सदस्य डा. पी.वी. शिनॉय, पूर्व सचिव, कृषि, भारत सरकार, डा. वाई.एस.पी. थोराट, अध्यक्ष, नाबार्ड, और श्री कांता कुमार सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिंडिकेट बैंक होंगे। एक बार जब समिति की रिपोर्ट आ जायेगी हम कृषि संबंधी ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान कर लेंगे।

महोदय आई.डी.पी.एल. को पुनर्जीवित करने के संबंध में कुछेक प्रश्न थे। अब यह मामला मंत्रालय के पास है। उम्मीद है कि इसे बी.आर.पी.एस.ई. को सौंप दिया जायेगा। एक बार जब बी.आर.पी.एस.ई. अपनी सिफारिश कर देगा तो इसे मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा।

तेलंगाना के स्वतंत्रता सैनानियों के बारे में कुछ प्रश्न थे। गृह मंत्रालय इसे हैदराबाद मुक्ति आंदोलन कहता है। महोदय, राज्य को 192 रिपोर्टों पर काम चल रहा है। अन्य सभी मामले निपटा लिये

[श्री पी. चिदम्बरम]

गये हैं। केवल 192 मामलों पर कार्रवाई हो रही है, इसमें से 174 मामले हैदराबाद मुक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन मामलों पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

जबसे हमारी सरकार सत्ता में आई है हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को वित्तीय सहायता दी है। वर्ष 2004-05 में इसे 18.72 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। वर्ष 2005-06 में हमने 12 करोड़ रुपये दिये तथा 2006-07 में और 22 करोड़ रुपये दिये।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को वर्ष 2005-06 में हमने 19.60 करोड़ रुपये दिये और चालू वर्ष में हम इसे 16.47 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जब कमी ज्यादा धन की आवश्यकता होगी हम निश्चित रूप से इस मामले की जांच करेंगे और सहायता देंगे।

काली मिर्च के आयात और इसकी कीमतों में आ रही कमी के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी नहीं है इसका मतलब है कि भारत मूल्य निर्धारक नहीं है। भारत का उत्पादन विश्व उत्पादन की तुलना में, बहुत अधिक नहीं है। वस्तुत: अंतराष्ट्रीय कीमतें ही भारत सहित विश्व में हर जगह कीमतें निर्धारित करती है। द्विपक्षीय समझौते के तहत जितनी काली मिर्च श्रीलंका से आ रही है उसकी मात्रा बहुत बड़ी नहीं है और न ही उसका मूल्य उतना अधिक है। वास्तव में पिछले तीन वर्षों में मात्रा में कमी आई है। पिछले वर्ष के हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है। वर्ष 2003-2004 में यह मात्रा 4916 टन थी। वर्ष 2004-05 में 4863 टन थी। वर्ष 2005-06 के हमारे परिपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लेकिन पहले नौ महीनो में यह 4883 टन थी। इसकी सीमा लगभग 3.5 करोड़ से 40 करोड़ रुपये है।

इसलिए, संभवत: इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि श्रीलंका से आने वाली कालीमिर्च के कारण कीमतें गिर रही हैं। लेकिन मैंने वाणिज्य मंत्रालय से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है ताकि यह पता चल सके कि भारत में यदि किसी आयात से कीमतों पर प्रभाव पड़ता है तो क्या किया जा सकता है।

उर्वरक विभाग के बारे में जैसा मैंने कहा है और जैसा मैं कई मंचों पर कह चुका हूं—कि यदि किन्हीं चीजों पर सब्सिडी की जरूरत है तो वह है खाद्य और उर्वरक। संप्रग सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि इस देश में खाद्य पर सबसिडी दी जाएगी क्योंकि यहां गरीब लोगों की संख्या काफी है और उर्वरक पर भी इस देश में सबसिडी दी जाएगी। खाद्य और उर्वरक पर से सबसिडी धीरे-धीरे कम करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वर्ष 2005-2006 में उर्वरक पर कुल सबसिडी 18454 करोड़ रुपये थी। निस्संदेह, इसमें प्रारंभिक सम्मिलित था और बाद का पूरक प्रावधान भी वर्ष 2006-07 में हम पहले ही 17253 करोड़ रुपये की सबसिडी दे चुके हैं और आज मैं और 1500 करोड़ रुपये की मांग कर रहा हूं। इस प्रकार यह राशि 18753 करोड़ बनती है। यदि उर्वरक पर और सबसिडी की आवश्यक होती है तो निश्चित रूप से मैं सभा के समक्ष यह बात रखूंगा और उर्वरक पर सबसिडी के लिए और धन की मांग करूंगा। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि हम उर्वरक पर सबसिडी में हो रही हेराफेरी को समाप्त करना चाहते हैं। हम उर्वरक पर दी जाने वाली सबसिडी के वितरण के लिए एक अलग प्रणाली बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं है कि लंबे समय तक और आने वाले समय में भारत में खाद्य और उर्वरक पर सबसिडी देनी होगी।

उर्वरक निगम की रामागुण्डम यूनिट की स्थिति के संबंध में एक निजी कंपनी द्वारा एम.सी.आई. के रामागुण्डम यूनिट की मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए गैस-आधारित एक यूरिया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चार राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया है जिसमें एक भुवनेश्वर में है। इस प्रस्ताव पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कार्यवाही करनी है। जहां तक कोलकाता में एक केन्द्र की स्थापना का संबंध है सरकार ने अब दो संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया है—एक कोलकाता में तथा दूसरा पुणे में जो विज्ञान सलाहकार परिषद की प्रधानमंत्री को की गई सिफारिशों पर आधारित है। बजट अनुमान 2006-2007 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक अलग प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव से इसका कोई संबंध नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव एकदम अलग है और इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कार्रवाई करनी है।

जहां तक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, मैं नहीं जानता कि उसके बारे में समय-समय पर विवाद क्यों पैदा होता है। वास्तविकता यह है कि जब पिछली सरकार ने सत्ता छोड़ी थी तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5,846 किलोमीटर अर्थात् 48 प्रतिशत पूरी हो चुकी थी। मैं अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए इसमें एक किलोमीटर भी घटा-बढ़ा नहीं सकता। यही वास्तविकता है। आज हम 92 प्रतिशत

कार्य पूरा कर चुके हैं। मेरे गणित के हिसाब से 92 में से 48 घटाने पर 44 आता है। इस प्रकार दो वर्षों में हम 44 प्रतिशत कार्य पूरा कर चुके हैं। वर्षान्त तक 4 प्रतिशत कार्य और पूरा कर लेंगे। वर्ष के अंत तक हम इस परियोजना का 96 प्रतिशत कार्य पूरा कर लेंगे। शेष चार प्रतिशत कार्य के लिए सभी समाचार-पत्रों में अड़चनों का उल्लेख करते हुए कहां और कितनी, अड़चन है, कि क्या विज्ञापन निकाले गए हैं। इन अड़चनों को भी दूर किया जाना चाहिए।

मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वे श्री स्वाईं को उन स्थानों पर ले जाएं जहां अड़चनें हैं। और इस समस्या का समाधान करने में उनका सहयोग लें।...*(व्यवधान)* आप भी उनके साथ जाएं। वह आपको भी अपने साथ ले जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : आपके आंकड़ों के बारे में, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। यह बहुत ही असाधारण कार्य है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं। वह आपको ले जाएंगे।...*(व्यवधान)* वह एक स्टैण्ड भी ले जायेंगे। आप कृपया बैठ जाएं।...*(व्यवधान)*

महोदय, जबद से ए.आई.बी.पी. ने कार्य प्रारंभ किया है, 200 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। दुर्भाग्य से, समय-समय पर ए.आई.बी.पी. के दिशानिर्देशों में फेरबदल किया गया है। इसके फलस्वरूप केवल 50 परियोजनाएं ही कुछ विलम्ब से पूरी की गई हैं। अब शेष 150 परियोजनाएं एक से तीन साल तक के काफी विलंब के साथ क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कृषि मंत्रालय के तहत एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह की बैठक भी हो चुकी है। वे ए.आई.बी.पी. के संशोधित दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप देंगे और कैबिनेट से उनकी सिफारिश करेंगे। थोड़ी-थोड़ी धनराशि देकर अनेक परियोजनाएं शुरू करने के बजाए जिन 200 परियोजनाओं को शुरू किया गया है उन्हें यथाशीघ्र पूरा करने का विचार है। कम धन खर्च किया जा रहा है। वित्त पोषण के लिए यह व्यवस्था की गई है कि 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरे राज्यों के लिए, अनुदान 20-30 प्रतिशत होता है। आंध्र प्रदेश के लिए यह अनुदान 24-30 प्रतिशत होता है।

निस्संदेह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम संप्रग सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसके लिए 11,300 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया गया है। अभी तक इस कार्यक्रम के लिए 4,375 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं। मेरे पास प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा है। यह कहना सही नहीं है कि कुछ दलों द्वारा शासित कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे दलों द्वारा शासित दूसरे राज्य अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वह इस विवाद को अनावश्यक रूप से तोड़-मरोड़ रहे हैं। राज्य इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। यह प्रथम वर्ष है। अनेक राज्य इसे लागू कर रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ काफी धनराशि जारी की जा चुकी है। अभी तक असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को इस प्रयोजनार्थ काफी धनराशि मिली है लेकिन धन का आबंटन इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष राज्य के कितने जिलों में इस परियोजना को शुरू किया गया है। अभी केवल 200 जिलों में इस परियोजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा यदि किसी राज्य विशेष में इससे अधिक जिले इस परियोजना में शामिल किए जाते हैं तो निश्चित रूप से धन का आबंटन भी अधिक किया जाएगा लेकिन पंजाब जैसे किसी राज्य में जहां केवल एक ही जिले में इस परियोजना को शुरू किया गया है उसके लिए धन का कम आबंटन किया जाएगा। इसलिए, मैं नहीं समझता किर वह इसकी तुलना उस तरह करेंगे। किसी राज्य में इस प्रयोजनार्थ चुने गए जिलों की दृष्टि से मैं समझता हूं, धन का आबंटन किया जा रहा है। बजट में निर्धारित धनराशि राज्यों के लिए उपलब्ध है।

महोदय, मैं समझता हूं मैं अधिकांश मुख्य प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गऐ अन्य सभी मुद्दों को नोट कर लिया है। मैं उन्हें निश्चित रूप से संबंधित मंत्रियों के पास जांच के लिए भेज दूंगा और यदि संभव हुआ तो माननीय सदस्यों को जवाब भी भेज दिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांगें पारित की जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 3, 5 से 8, 11, 17 से 19, 30, 31, 33, 35, 41, 44 से 48, 52 से 54, 56, 61, 64, 69, 70, 78, 84, 85, 91, 94, 99, 100 और 102 से 105 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा द्वारा वर्ष 2006-2007 के लिए स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,00,000	1,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	50,00,00,000	....
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	110,00,00,000	
5.	परमाणु ऊर्जा	9,68,00,000	....
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं		1313,33,00,000
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	84,00,00,000	339,69,00,000
8.	उर्वरक विभाग	2770,37,00,000	
11.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	6,77,00,000	
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1,12,00,000	
19.	संस्कृति मंत्रालय	25,05,00,000	
30.	विदेश मंत्रालय	101,03,00,000	
31.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	1,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	4208,61,00,000	42,45,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	4500,00,00,000	
41.	राजस्व विभाग	1000,0,00,000	
44.	विनिवेश विभाग		1,00,000
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	16,50,00,000
46.	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	4,50,00,000

1	2	3	4
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	
48.	भारी उद्योग विभाग	1992,30,00,000	2,00,000
52.	पुलिस	1,00,000	1,00,000
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	337,11,00,000	....
54.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	22,12,00,000	
56.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	2,00,000	....
61.	विधि और न्याय	1,00,000	
64.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	
69.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		100,00,000
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14150,01,00,000	...
78.	ग्रामीण विकास विभाग	16205,00,00,000	
84.	नागर विमानन मंत्रालय		2,00,000
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग		1,00,000
91.	कपड़ा मंत्रालय	305,02,00,000	
94.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,00,000	
99.	शहरी विकास विभाग	30,00,00,000	1,00,000
100.	लोक निर्माण कार्य	21,86,00,000	23,50,00,000
102.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (पूर्व-शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	14,00,00,000	
103.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	...
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,00,000	
105.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	123,23,00,000	18,29,00,000
	जोड़	46067,43,00,000	1759,36,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक*, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 14 पर विचार-विमर्श करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 15 लेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 11.8.06 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.38 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांगें (रेल) 2006-2007

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 16 पर चर्चा करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाई गयी संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि (रु.)
1	2	3
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	300,00,20,000
	रेलवे निधियां	268,00,15000
	रेलवे संरक्षा निधि	15,000
	जोड़	568,00,50,000

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, क्या आप अनुदानों की अनुपूरंक मांग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, बाद में बोल लेंगे। आप कहते हैं तो अभी भी बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांग के लिए हम अपने प्रस्ताव लाए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय रेल आप सभी लोगों के सहयोग से इस देश में ही नहीं दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त कर रही है। भारतीय रेल की प्रशंसा का चारों तरफ डंका पीटा गया है। आपके क्षेत्र में भी और सारी जगह काम हो रहा है। भारतीय रेल की प्रशंसा सभी वर्गों, सभी तबकों के लोग करते हैं। हमारे देश में गर्मी, सर्दी और बरसात के चार-चार महीने होते हैं।

भारतीय रेल का अभी सावन देखा है, भादो नहीं देखा है। उसके बाद हथिया नक्षत्र आएगा। मैं सदन में वाजिब खर्चे को लेकर आया हूं। माननीय सदन उस पर विचार करे। मैं जब इसका रिप्लाई दूंगा तो विस्तार से समुचित उत्तर दूंगा और बताऊंगा कि भारतीय रेल इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पिछली बार आनन्दपुर साहिब की बात कही थी।

श्री लालू प्रसाद : हम आपका ख्याल पहले रखेंगे और वहीं से काम शुरू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने गुरु गोविन्द सिंह के सर्कल को मिलाना है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो पूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बात सही है कि भारतीय रेल की अपनी एक विशेषता है और उसका जिस तरह विस्तार हो रहा है और परिवहन की सुविधाएं दी जा रही है, उससे सभी लोग परिचित हैं। जैसे-जैसे रेलों का विस्तार हो रहा है जैसे कुछ रेलों का मार्ग गन्तव्य बढ़ाना, कुछ नई रेलें चलाना, कुछ नई एक्सप्रेस गाड़ियां जो इंट्रोड्यूस की हैं, उसके कारण रेलवे पर भारी प्रभाव पड़ा है। इसके कारण विस्तारीकरण के साथ नए टर्मिनल्स की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नए टर्मिनल बनाए जाने लगे और जहां टर्मिनल हैं वहां प्लेटफार्म के विस्तार की बात चल रही है। यह सब उसके साथ आवश्यक भी है। जिन गाड़ियों में 18-20 डिब्बे थे, वहां 23-24 डिब्बे तक किए हैं लेकिन उसके अनुपात में प्लेटफार्म के विस्तार की आवश्यकता है। आप प्लेटफार्म का विस्तार यथासंभव कर रहे हैं किंतु अभी काम काफी बाकी है। सप्लीमैंटरी बजट में नई प्लेटफार्मों के विस्तार के बारे में, सामुदायिक भवनों के निर्माण के बारे में, चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण तथा लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में प्रस्ताव किए गए हैं। लाइनों का विद्युतीकरण भी आवश्यक है। पूरक बजट में पश्चिम रेलवे के उज्जैन, मक्षी, देवास, भोपाल लाइनों के विद्युतीकरम की बात कही गई है। उसे माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तावित भी किया है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। वह इस मार्ग को जल्दी पूरा करवाएंगे ताकि उज्जैन और भोपाल के लोगों को जो असुविधा हो रही है, वह जल्दी समाप्त हो और लोगों को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में कम समय लगे।

आपने एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों का दर्जा दिया है। आप उन पर फिर से विचार करें। उनकी गति नहीं बढ़ी है, उनके स्टॉपेज कम नहीं हुए, सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं, केवल दर्जा बढ़ा दिया है। लोगों को सुपरफास्ट गाड़ियों का पैसा देना पड़ता है। इसका आम

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

आदमी पर असर पड़ता है। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जैसे इंदौर से निजामुद्दीन एक गाड़ी चलती है। उसका कोई स्टॉपेज कम नहीं हुआ है, कोई सुविधा बढ़ी नहीं है। वह यथावत चल रही है। उसकी गति सीमा नहीं बढ़ी है। केवल एक्सप्रेस गाड़ी को सुपरफास्ट गाड़ी बना दिया है जिससे लोगों की जेबों से पैसा निकलने लगा है। आप इसके ऊपर फिर से विचार करें। ऐसी गाड़ियां जिनको आपने एक्सप्रेस गाड़ी से सुपरफास्ट गाड़ी में परिवर्तित किया है यदि उन पर फिर से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से यात्रियों पर बढ़ा बोझ कम होगा। इसके अलावा जो आपने समपार प्रस्तावित किए हैं, उनमें वड़ोदरा, गोधरा और सूरत के पास भारी यातायात का दबाव है। यह दबाव पश्चिम रेलवे के अन्य खण्डों पर भी है और इस यातायात के दबाव को दृष्टि में रखकर आपने सड़क उपरिपुल का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार के उपरिपुल के प्रस्ताव अन्य स्थानों पर भी हैं। रतलाम के निकट आपने रेलवे उपरिपुल बनाया है। उसका थोड़ा काम शेष है। उसमें आपका भाग बन गया है, किन्तु राज्य सरकार की तरफ से उसका भाग बनना शेष है। यदि वह भी जल्दी से पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जायेगी। इसी तरह से मंदसौर, जावरा, नीमच में स्टेशनों के पास ओवरब्रिज जरूरी है। राज्य सरकार की तरफ से पैसा देना प्रस्तावित है। उनका कहना है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। जहां भी ओवरब्रिज प्रस्तावित है मैं समझता हूं कि आप उसके बारे में भी विचार करेंगे, क्योंकि आप नये ओवरब्रिज भी बनाने जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ आपने कुछ चिकित्सालयों के विस्तार की बात कही है। इसमें आपने जबलपुर के चिकित्सालय के विस्तारीकरण की बात भी कही है। मैं चाहूंगा कि जबलपुर के चिकित्सालय में अच्छी सुविधाएं हों, क्योंकि आजकल कई चिकित्सालयों में सारे आधुनिकतम यंत्र और उपकरण आ गये हैं। इसके साथ ही रतलाम और कोटा जैसे डिविजन के चिकित्सालयों में भी आधुनिक साज-सज्जा की आवश्यकता है।

अपराह्न 3.46 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

मेरा आग्रह कि आप इस पर भी ध्यान दें, ताकि रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ इससे आम आदमी भी लाभान्वित हो सकें। यदि आप इस ओर ध्यान देंगे तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, बहुत से स्टेशनों पर नये सामुदायिक भवनों का बनाना भी प्रस्तावित है। इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या नॉर्दन रेलवे, वैस्टर्न रेलवे तथा कुछ अन्य जोनों पर प्रस्तावित हैं। मैं चाहूंगा कि जहां-जहां भी इनकी आवश्यकताएं हैं, वहां-वहां इन्हें बनाया जाना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस तरफ भी आप ध्यान देंगे।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि नीमच-रतलाम के बीच आमान परिवर्तन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और आपने बजट में प्रस्तावित किया था कि यह कार्य 2006-2007 के मार्च तक पूरा हो जायेगा। वहां कार्य तेजी से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि इस कार्य को थोड़ा और स्पीड-अप किया जाए, क्योंकि मुझे वहां से जो सूचनाएं प्रापत हो रही हैं, उनके अनुसार आप अक्टूबर के बाद नई ब्रोड गेज लाइनें बिछाने वाले हैं। इसलिए यदि इस कार्य में तेजी लाई जायेगी तो यह कार्य वर्ष 2006 में पूरा हो सकता है। कृपया इस तरफ भी आप ध्यान दें यदि इस कार्य को आप थोड़ी और गति देंगे तो निश्चित रूप से यह लाभप्रद रहेगा। रेलवे की राजस्व वृद्धि होगी, यात्री सुविधा बढ़ेगी इसी तरह से दूसरे भाग पर जो चित्तौड़-अजमेर वाला खंड है, उस पर काम चल रहा है। कृपया उस पर भी आप ध्यान दें। मैंने जो आमान परिवर्तन, सामुदायिक भवन, गाड़ियों के स्टापेज और उपरिपुल के बारे में जो बातें कही गई हैं, आप उन सबकी तरफ ध्यान देंगे।

इसके अलावा कटनी-सिंगरौली के बीच यातायात के दबाव को देखते हुए उसमें लाइन विस्तारीकरण की बात कही गई है। मैं चाहूंगा कि रेलवे इस काम को शीघ्र पूरा करे।

अंत में इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में हमने रेलवे के जनरल बजट में मांग की थी कि कोटा-रतलाम में एक अतिरिक्त गाड़ी चलाई जानी चाहिए। वहां यातायात का दबाव बहुत ज्यादा है। कोटा-शामगढ़ तक तो गाड़ी चला दी गई है, यदि इसे रतलाम तक कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे वहां यातायात का दबाव भी कम होगा और लोग भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। इसी तरह से गाड़ियों के कुछ अतिरिक्त स्टापेज की भी आवश्यकता है। इसमें भुवनेश्वर गाड़ी के शामगढ़-सुवासरा में स्टापेज की आवश्यकता है और इंदौर-जयपुर गाड़ी के सुवासरा में स्टापेज की आवश्यकता है। इसी क्रम में जम्मू सुपर फास्ट का स्टापेज शामगढ़ में हो। कृपया इसे भी आप देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो सप्लीमैन्ट्री बजट सदन में लाया गया है, इसमें कई ऐसी बातें हैं जो रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार की दृष्टि से और लोगों को सुविधाएं देने की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होंगी। रतलाम, जो वैस्टर्न रेलवे का बड़ा स्टेशन है,

वहां के प्लेटफार्म के विस्तारीकरण की बात चलने के साथ वहां नया प्लेटफार्म बन रहा है। मेरा निवेदन है कि वहां यातायात के दबाव को देखते हुए नये प्लेटफार्म का निर्माण शीघ्र हो तथा वहां की साइडिंग के विसतार का काम भी शीघ्र पूरा हो। पूरक बजट में आपने जो बातें रखी हैं, ये विषय उन्हीं से संबंधित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन सब बिन्दुओं पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : महोदय, आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, जब से यह यू.पी.ए. की सरकार बनी है, इस सरकार में लालू प्रसाद यादव जी जब से रेल मंत्री बने हैं, आज सिर्फ इस सदन में या अपने देश में ही रेलवे मंत्री जी की प्रशंसा नहीं हो रही है बल्कि सारे देश में यह पहला उदाहरण होगा कि तमाम मुल्क के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए रिसर्च करा रहे हैं कि माननीय रेल मंत्री जी कितना बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं। वे इसके लिए रिसर्च कर रहे है और हमें लगता है कि यह इस तरह का पहला उदाहरण होगा। यदि हम लोकप्रियता की दूसरी बात करें तो मान्यवर मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति चेहरे से लोकप्रिय नहीं होता, बल्कि वह अपने काम से लोकप्रिय होता है। अभी मैं इस सम्मानित सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी दो दिन पहले रक्षा-बंधन का त्यौहार बीता है और दिल्ली में जिन राखियों का इस्तेमाल किया गया, उन राखियों में सबसे ज्यादा राखियां जो बिकी हैं, उनमें सम्मानित रेल मंत्री जी की जिनमें तस्वीर थीं, वे राखियां सबसे ज्यादा बिकी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : इसका बजट से क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

डा. राजेश मिश्रा : इसका संबंध बजट से है।...*(व्यवधान)* जयप्रकाश जी, आप बैठ जाइए। कृपया हमें बोलने दीजिए। कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसका माल ज्यादा बिके। यह सही है कि किसी की तस्वीर से राखी नहीं बिकी बल्कि उसकी लोकप्रियता से राखी बिकती है और लालू जी की लोकप्रियता इसलिए ज्यादा है कि पहली बार हिन्दुस्तान के रेल मंत्री जी ने अपनी कार्य योजना का उदाहरण पेश किया है जिसके चलते मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है और व्यापारी भी उत्सुक हो रहे हैं कि यदि हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है और लालू जी की तस्वीर यदि हम रखेंगे तो हमारा माल ज्यादा बिकेगा। यह तीन दिन पहले दिल्ली में हुआ है। मैं इस यू.पी.ए. सरकार के रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

पहली बार जिस तरह से रेलवे की तुलना एयरलाइन्स से हो रही है, अब लोग तुलना कर रहे हैं कि हवाईजहाज की यात्रा और रेल की यात्रा में क्या अंतर है। यदि हम हवाईजहाज की यात्रा कर सकते हैं तो हम रेल की यात्रा क्यों नहीं कर सकते हैं और जो सुविधाएं हमें हवाई-यात्रा में मिल रही हैं, उसी के समान रेलवे में भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए पहली बार समाज में इस तरह का कम्पीटीशन हुआ है कि लोग हवाईजहाज की यात्रा और रेल यात्रा की तुलना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें महसूस होता है कि पूरा हिन्दुस्तान इस बात को कबूल कर रहा है और दुनिया के देश रेल मंत्री जी की कार्य-प्रणाली को उदाहरण के रूप में लेकर अपने कामों को कर रहे हैं। आज रेलवे में जो फायदा हुआ है, उससे तमाम पिछले रिकार्ड टूट गये हैं। वही कर्मचारी और वही अधिकारी हैं लेकिन आज जो रेलवे का फायदा हुआ है, हमें लगता है कि पिछले दस-पन्द्रह सालों की सरकारों में रेलवे का जितना फायदा हुआ है, उसका पांच और छह गुना फायदा दो महीने और दो साल की सरकार में रेलवे में हुआ है। इसमें जो चेंज माननीय रेल मंत्री जी ने किया है, वह समझने की बात यह है कि उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों को इतना प्रोत्साहन दिया कि आज वही रेलवे का कर्मचारी ज्यादा कार्यकुशलता प्रदर्शित कर रहा है और उसकी यह इच्छा हो गई है कि हम रेलवे के अंदर इतनी बढ़िया पर्फार्मेंस देंगे जिससे रेल मंत्री जी हमें बधाई देंगे। इसी का नतीजा है कि आज रेलवे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और उसके मुनाफे में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। इसी कारण माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदानें पेश करते समय कहा कि अभी तो सावन है, भादों आना अभी बाकी है। माननीय मंत्री जी ने यह इसी रूप में कहा कि अभी तो सिर्फ शुरूआत है। अभी आगे की लड़ाई बाकी है और आगे अच्छे रिज़ल्ट हम देंगे। इसके लिए हम माननीय रेल मंत्री जी को करोड़ों हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में रेलवे निश्चित रूप से एक नया मार्ग प्रस्तुत करेगी और लोग हवाई यात्राओं से ज्यादा रेलवे यात्रा को प्रश्रय देंगे। प्लेटफार्मों और रेलों की सफाई इसके उदाहरण हैं। गरीब रथ का उदाहरण भी माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। 500 रुपये के टिकट पर गरीब व्यक्ति भी एयरकंडीशंड डिब्बों में लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। राजधानी ट्रेनों की गति और ज्यादा कर दी गई है। अब

[डा. राजेश मिश्रा]

दिल्ली से जयपुर या आगरा किसी को जाना होगा तो वह सड़क से नहीं जाएगा, हवाई जहाज से नहीं जाएगा। वह ट्रेन से जाएगा क्योंकि उसे अच्छी सुविधा मिलेगी और आरामदायक यात्रा होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी।

माल ढुलाई के क्षेत्र में जिस तरह से कार्य की प्रगति का परिणाम दिया है, उससे हमें महसूस हो रहा है और पूरे देश को महसूस हो रहा है कि कैसे देश को फायदा हो रहा है। मंत्री जी ने यात्री किराया भी नहीं बढ़ाया। पहले तमाम सरकारें जब रेल बजट पेश करती थीं तो उससे पहले ही मीडिया वाले और आम यात्री अनुमान लगाते थे कि इस बार कितना किराया बढ़ेगा। रेल मंत्री जी को आए आज करीब दो साल और ढाई महीने हो गए हैं लेकिन एक नया पैसा भी रेलवे के किसी भी क्लास में यात्री किराया नहीं बढ़ा। रेलवे यात्रियों को तमाम सुविधाएं प्रदान की गईं लेकिन किराया एक नया पैसा नहीं बढ़ा। इसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि जो रेलवे की ढुलाई है उसमें जो सामान का आवागमन होता है उसमें समय भी कम लग रहा है और वह महंगा भी नहीं हुआ। उससे रेल को जो फायदा हुआ, उससे यात्री सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। रेलवे की जो फालतू जमीन थी, उसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी ने अलग से एक योजना बनाई है और जिस तरह से उस फालतू जमीन का उपयोग किया जा रहा है, वह भी एक सराहनीय कार्य है।

रेलवे में जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं, उनके माध्यम से रेलवे कर्मचारियों को लगातार फायदा हुआ है। यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में रेलवे का एक कोआपरेटिव बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वहां चुनावों के द्वारा मैनेजमैंट बनाई जाती है और उसके बाद वे रेलवे कोआपरेटिव बैंक चलते हैं। गोरखपुर में पिछले काफी वर्षों से रेलवे कोआपरेटिव बैंक का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव न होने के कारण वह बैंक बंद होने के कगार पर है जैसी मेरी निजी जानकारी है। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां चुनाव करा दें तो निश्चित रूप से वह बैंक जिस तरह से फायदे में चल रहा था जिससे वहां के रेलवे कर्मचारियों को लाभ पहुंच रहा था, वह लगातार पहुंचता रहे।

एक और सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मुस्लिम धर्म में जितना महत्व काबा का है, उतना ही महत्व हिन्दू धर्म में काशी का है।

अपराह्न 4.00 बजे

माननीय रेल मंत्री जी, यह संयोग भी है कि काशी से आपका उतना ही ज्यादा जुड़ाव है, जितना एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का होता है। पिछले दिनों एक ट्रेन काशी से गंगा-कावेरी एक्सप्रैस चलती थी और गंगा-कावेरी एक्सप्रैस दक्षिण-भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु हो, वहां के तीर्थ यात्री उस ट्रेन के माध्यम से आया करते थे। काशी में जो धार्मिक काम के लिए आता है, सामान्यत: उसकी आयु 70, 75 या 80 वर्ष की होती है। माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले रेल बजट में उस ट्रेन को काशी से सिर्फ दो दिन कर दिया। मेरे पास जितने भी वाराणसी में दक्षिण भारतीय संघ हैं, काशी में हर प्रदेश के संघ हैं। दक्षिण भारतीय संघ ने हमारे से और माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है कि यदि उस ट्रेन को लगातार सात दिन काशी से चलाया जाए, दो दिन बैंगलौर, चेन्नई, दो दिन रामेश्वरम, केरल और त्रिवेन्द्रम चलाया जाए और दक्षिण-भारत के जितने भी राज्य हैं, उन्हें यदि दो-दो दिन जोड़ दिया जाए तो वहां के यात्रियों को उस ट्रेन के माध्यम से बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गरीब रथ ट्रेनें बिहार से चलती हैं और मुगलसराय से दिल्ली आ जाती हैं, माननीय रेल मंत्री जी धार्मिक विचारों के व्यक्ति हैं तथा उनका काशी से बहुत ज्यादा लगाव है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए बिहार के लोग आया करते हैं, इसलिए यदि एक ट्रेन काशी और मुगलसराय से चलाई जाए तो दर्शानार्थी काशी में दर्शन कर सकते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध होगा कि एक गरीब रथ ट्रेन को बनारस से चलाया जाए और एक गरीब रथ ट्रेन को मुगलसराय से चलाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि एक वाराणसी से बैंगलोर, वाराणसी से त्रिवेन्द्रम और एक वाराणसी से चेन्नई के लिए ट्रेन चलाई जाए।...*(व्यवधान)* काशी, जो हिन्दू धर्म का काबा है, वह हिन्दुस्तान की दूसरी राजधानियों से जुड़ जाएगा ओर हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप आकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकता है, यही हमारा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : स्वाई जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं सदन से एक सहमति चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक "पेपर लैड ऑन द टेबल" पांच बजे होना था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे अभी करने के लिए अनुरोध किया है, अगर आप सब माननीय सदस्यों की सहमति हो तो इसे कर लें।

सभी माननीय सदस्य : ठीक है, आप इसे कर लीजिए।

अपराह्न 4.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र — जारी

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 80/2006-सी.शु. जिसका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. का संशोधन करना है ताकि कच्चे पाम तेल, कच्चे पामोलिन और कच्चे पाम तेल के अन्य भिन्नों पर सीमा शुल्क 80% से घटाकर 70% तथा रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम तेल, रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिन और अन्य रिफाइंड पाम तेलों पर सीमा शुल्क 90% से घटाकर 80% किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालेय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4733/2006]

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको उचित माध्यम से पूछना चाहिए। स्पष्टीकरण के लिए आपको पहले सूचना देनी चाहिए। तभी इसकी अनुमति दी जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब रेलवे की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : यदि सभापति जी की अनुमति हो तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। स्पष्टीकरण पूछने के लिए एक प्रक्रिया होती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इनकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप कोई क्लैरीफिकेशन पूछना चाहते हैं, तो थ्रू प्रॉपर चैनल नोटिस दीजिए, तब उस पर विचार होगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। रिकार्ड पर कुछ भी नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.07 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2006-2007 — जारी

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं अपने दल तथा अपने ओर से प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान की मांगें (रेल) का समर्थन करती हूं। लेकिन कुछ प्रश्न पूछने हैं जिसका उत्तर, मैं समझती हूं, सरकार द्वारा दिया जाएगा।

महोदय, मैं उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जो फूलों, जीव-जन्तुओं और प्राकृतिक भंडारों के मामले में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती मिनाती सेन]

सम्पन्न क्षेत्र है लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए इन प्राकृतिक भंडारों के उपयोग के लिए कभी कोई अवसर नहीं मिला है।

इसकी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सड़क परिवहन पर आश्रित है। स्वतंत्रता के बाद, विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बढ़े हैं। लेकिन रेल बजट पर चर्चा के दौरान मेरे प्रस्तावों के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा कई आश्वासन दिये जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदाहरण के लिए मैं वर्तमान प्रस्ताव के पृष्ठ 21 से उद्धृत करता हूं। "सरकार ने यह स्वीकार किया है रेल लाइनों का विस्तार नहीं हुआ है और नई जलपाईगुड़ी-माल्दा लाइन पर रेल पटरी टूटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।" यह भी स्वीकार किया गया है। यातायात की सुरक्षा के लिए रेल पटरी का नवीकरण आवश्यक है। लेकिन 585.11 लाख रुपये की आकलित लागत वाले एक कार्य के लिए वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय मात्र 1 लाख रुपये है तथा 0.01 लाख अनुपूरक अनुदान के रूप में है। क्या यह एक मजाक नहीं है। जब सुरक्षा का प्रश्न ही मुख्य चिंता का विषय है तब हम इस कार्य के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष के दर से राशि आबंटित कर इस कार्य को 585 वर्ष तक के लिए लम्बा खींच रहे हैं।

महोदय, मोयूआगूरी-जोगीखोपा लाइन रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई। लेकिन 733 करोड़ रुपये की आकलित लागत की तुलना में मात्र अल्पराशि इस कार्य के लिए आबंटित की जा रही है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे असम सहित उत्तरी बंगाल के लोगों के प्रति इस प्रकार के सौतेला व्यवहार को समाप्त करें।

मैंने इस सभा में दार्जिलिंग मेल को एक विरासत रेलगाड़ी, बनाने की मांग की थी। विश्वभर से पर्यटक दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिक्किम और भूटान के दौरे के लिए इस रेलगाड़ी से आते हैं। लेकिन इसके डिब्बे इतने जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्यटन से प्राप्त राजस्व का थोड़ा भाग क्या हम इस दार्जिलिंग मेल को नया रूप देने पर नहीं खर्च कर सकते?

महादेय, अंग्रेजी शासनकाल में उत्तरी बंगाल के लोग वर्तमान बंगलादेश होते हुए हल्दीबारी से सियालदह छह घंटे में पहुंच जाते थे। हमने कोलकाता-ढाका बस सेवा शुरू की है। इस रेल-लाइन को क्यों नही खोला जा रहा है?

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ ज्वलंत मुद्दों की ओर आकर्षित करती हूं। हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि रेलगाड़ियों में चोरी, लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाये जा रहे हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा दुर्घटनाओं या घटनाओं में पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत से संबंधित है। मेरा सुझाव है कि लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में अर्ध-चिकित्सा स्टाफ तथा आपातकालीन दवाओं के साथ डाक्टर उपलब्ध होना चाहिए।

मेरे चुनाव क्षेत्र में रेलवे के पास रेल लाइनों के साथ-साथ लगी हुई फालतू जमीन है। इन जमीनों पर धीरे-धीरे असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण हो रहा है। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने इन फालतू जमीनों को राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों को सुपुर्द करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है ताकि वे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन जमीनों पर विपणन परिसर बना सके। मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग ओडलाबारी और जलपाईगुड़ी सड़क स्टेशन के उन्नयन की मांग कर रहे हैं। वे ओडलाबारी और जलपाईगुड़ी सड़क स्टेशनों पर सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की मांग कर रहे हैं।

वे (क) जलपाईगुड़ी से होकर हल्दीबारी और सियालदाह के बीच एक जोड़ी सुपर फास्ट ट्रेनें (ख) हल्दीबारी और मेखली गूंगे के बीच तीस्ता पर रेल पुल; (ग) मानव रहित समपारों पर लोगों को तैनात करने (घ) नई जलपाईगुड़ी में रेल भर्ती केन्द्रों की भी मांग करते हैं।

इस साल के रेल बजट को प्रस्तुत करने के बाद रेलने ने 156 रेलगाड़ियों का नाम बदलकर सुपरफास्ट ट्रेन कर दिया है। पैसे के रूप में इसका मतलब है कि प्रति यात्री किराये में 10 रुपये से 50 रुपये की वृद्धि। माल वाहनों में ढुलाई का किराया भी बढ़ा है। इसलिए विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। केवल थोड़ी-सी राजनीतिक सद्भावना लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है।

क्षेत्रीय रेल की परामर्शदात्री समिति काम नहीं कर रही है। अर्थात् मंत्रालय को महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं मिल रही हैं। रेल में फेरी लगाने वालों को अभी तक अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) नहीं उपलब्ध कराये गए हैं।

मैं मांग करती हूं कि रेल मंत्रालय द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। समय सीमित है। लेकिन समस्याएं सैकड़ों हैं। अब और कोई समय बर्बाद किये बिना मैं एक बार पुनः इस वर्ष की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस समय केन्द्रीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी नहीं बैठे हैं, रेल राज्य मंत्री श्री वेलू जी बैठे हुए हैं। यदि लालू जी भी बैठे होते तो अच्छा होता।

महोदय, मैं लालू प्रसाद जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, दो बातों के लिए खास तौर से बधाई देना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने रेल विभाग के परम्परागत ढांचे को ही बदल दिया है जिसके लिए वे हार्दिक बधाई के पात्र हैं। कई वर्षों से रेलवे घाटे में चल रही थी, और मालभाड़े और यात्री किराए में बढ़ोतरी के बावजूद भी रेलवे घाटे से नहीं उभर पा रही थी, जिसके लिए काफी प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई भी रेल मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन पहली बार, बहुत सालों के बाद माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे को फायदा पहुंचाया है। विगत तीन वर्षों में यह अपने में एक अभूतपूर्व काम है। इतना ही नहीं, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों के लोग यह जानने के लिए भारत आ रहे हैं कि रेल मंत्री जी ने ऐसा क्या काम किया है कि न तो किसी मल्टीनेशनल कम्पनी से, न वर्ल्ड बैंक से, न आई.एम.एफ. से, किसी ने उन्होंने लोन नहीं लिया, बल्कि अपनी रेलवे के संसाधन से और निजीकरण करके यहीं के लोगों से उन्होंने रेल का पूरा ढांचा बदल दिया है। भारत की रेल दुनिया में दूसरे नम्बर की रेल है, वह आज फायदे में चल रही है। यह जानने के लिए कि इन्होंने क्या काम किया है, वे इसका अध्ययन करने भारत आ रहे हैं। वे रेल मंत्री जी से भी स्वयं मिल रहे हैं और रेल बोर्ड से भी मिल रहे हैं।

एक दूसरा काम, जो उन्होंने किया कि 1967 में राजधानी एक्सप्रेस चली थी, तब राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज उन्होंने जो यहां से आगरा की ट्रेन चलाई है, उसकी रफ्तार उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है, जो कि अपने आपमें एक रिकार्ड है, क्योंकि सन् 1967 से लेकर किसी रेल मंत्री ने किसी भी ट्रेन की इस तरह से स्पीड नहीं बढ़ाई थी, जिस तरह से उन्होंने बढ़ाई है। मेरा यह भी कहना है कि यहां से लेकर झांवड़ा तक ऐसी रेल चलाई जाये, जो कि कम से कम 150-160 किलोमीटर की रफ्तार से चले, जिससे कि दूरी कम से कम समय में तय की जा सके।

इसी के साथ-साथ मैं इलाहाबाद, जो कि एक राजनैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शहर है और आजादी की लड़ाई में इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान था, मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहूंगा, इलाहाबाद के लिए मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह किया था, पिछले कुम्भ मेले में इस बात का सर्वे किया गया था और ट्रायल ट्रेन भी चलाई गई थी, जो कि यहां से इलाहाबाद सात घंटे में पहुंच रही थी। इसलिए एक शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से इलाहाबाद के बीच में चलाई जाये, जो कि सात घंटे में इलाहाबाद पहुंचे और वहां से वापसी भी सात घंटे में दिल्ली के लिए हो सके। इसके साथ-साथ इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर है, लेकिन उसी यात्रा का समय 4.5 घंटे है, जबकि कायदे से ढाई-तीन घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैंने रेल मंत्री से आग्रह किया था कि वहां पर इलाहाबाद से लखनऊ तक डबल रेलवे लाइन बना दी जाये, जिससे कि बहुत सी रेलें डाइवर्ट की जा सकें, जो झांवड़ा से दिल्ली आती हैं। वे ट्रेनें डाइवर्ट करके कम समय में इस रास्ते से दिल्ली पहुंच सकती हैं। ट्रैफिक का जो जाम लगता है, इससे वह भी कम लगेगा।

इसी के साथ-साथ मैंने एक प्रस्ताव और दिया है कि इलाहाबाद शहर दो भागों में बंटा हुआ है, उत्तरी शहर और दक्षिण शहर। अभी रेलवे की दो लाइनें जाती हैं, नोर्थ ईस्टर्न रेलवे की और नोदर्न रेलवे की, उनमें से एक लाइन ऊपर से जाती है और एक नीचे से जाती है। जब रामबाग से नीचे वाला फाटक बन्द हो जाता है तो घंटों जाम लग जाता है। मैंने एक प्रस्ताव दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी कि आधा पैसा जो 14 करोड़ रुपये रेलवे ओवरब्रिज के लिए लगेगा, वह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री के सर्वे में यह पाया गया कि ओवरब्रिज बहुत ऊंचा हो जायेगा और वह पॉसीबल नहीं है तो मैंने रेल मंत्री जी को दूसरा प्रस्ताव दिया है कि नीचे से सब वे बना दिया जाये, जिससे कि गाड़ियां, कारें नीचे से गुजर सकें और नीचे से आवागमन की सुविधा हो सके। उसके लिए भी जो आधा पैसा होगा, वह उत्तर प्रदेश सरकार देगी। जो घंटों जाम लग जाता है, एक भाग से शहर के दूसरे भाग में जाने का, उसका समय और पैसा भी बचेगा। इसी के साथ-साथ जो स्टेशन में टायलेट्स हैं, उनमें से ज्यादातर गंदे रहते हैं। जब इतना सुधार किया जा रहा है, तो इन

[श्री रेवती रमन सिंह]

टायलेट्स का भी सुधार होना चाहिए, ये साफ सुथरे हों। अभी जनवरी 2007 में इलाहाबाद में अर्धकुंभ मेला लगने जा रहा है, पिछले कुंभ मेले में इलाहाबाद में साठ हजार विदेशी पर्यटक आए थे। इस साल भी इतनी बड़ी संख्या में या इससे भी ज्यादा संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे। देश के हर कोने से करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री वहां जाते हैं। मैं चाहूंगा कि शताब्दी ट्रेन इस साल जनवरी से पहले चला दी जाए, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों और इलाहाबाद में आने वाले तीर्थयात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, इसी प्रकार से इलाहाबाद से मुंबई जाने के लिए एक ट्रेन मुंबई मेल है और एक ऐसी ट्रेन चलती है, जो हफ्ते में तीन दिन चलती है, मैं चाहूंगा कि इस ट्रेन को रोजाना के लिए कर दिया जाए, जिससे इलाहाबाद से मुंबई जाने के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और भी जगहों से लोग इलाहाबाद के द्वारा जाते हैं, उनको सुविधा प्रदान हो सके।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आग्रह करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन्हें कार्यान्वित करने का काम करेंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे रेल के सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स 2006-07 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए, अपने नेता आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने विगत दो साल के प्रयासों से देश और दुनिया को दिखा दिया कि रेल का जो महकमा है, वह प्राफिटेबल है। अपनी कार्यक्षमता से, अपनी बुद्धि और विवेक से और सारे कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से इसका विकास किया। आज इसकी चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है।

माननीय मंत्री जी कुछ समय पहले यूरोप गए थे और पांच देशों का भ्रमण करके आए और वहां से स्टडी करके आए। मैं समझता कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उस स्टडी का फायदा रेल को मिलेगा। जिस तरह से रेल के बारे में लोगों को लगता था कि यह घाटे का महकमा है और पिछली सरकार यह सोच रही थी कि इसका प्राइवेट हाथों में दे देना है, इसका निजीकरण करने का निर्णय हो चुका था। सौभाग्य से यूपीए की सरकार बनी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है, जबकि डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, बिना भाड़ा बढ़ाए हुए, कुशल प्रबंधन का यह परिणाम है कि रेल का बजट मुनाफे में आ गया। 11 हजार करोड़ रुपए मुनाफे का इस वित्तीय वर्ष में जो आकलन किया गया, वह बढ़ भी सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हैवर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया में मैनेजमेंट का एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो अमेरिका में है, उसके लोग स्टडी करने के लिए आए। आर्थिक प्रबंधन में जो जानी-मानी संस्था है, हैदराबाद और बंगलौर में, वहां के लोग आईआईएम के टीचर्स और विशेषज्ञ हैं, वे स्टडी करने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह से माननीय रेल मंत्री ने अपने कुशल प्रबंधन के माध्यम से रेल को मुनाफे में लाने का काम किया। भारत सरकार के लिए रेल विभाग एक सरदर्द था और हमेशा भारत सरकार अपनी पूंजी रेलवे को देने का काम करती थी, क्योंकि यह जनोपयोगी विभाग है। यह आम लोगों का है, गरीब लोगों का है, मजदूर लोगों का है, इसके बगैर आदमी एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। माननीय रेल मंत्री जी रेलवे को विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में भारतीय रेल का तीसरा स्थान है। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने नेतृत्व में संकल्प लिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी को यह आश्वासन दिया है कि हम भारतीय रेल को अपने प्रयासों से दुनिया में पहले नम्बर पर ले जाएंगे और हम उस दिन को देखने वाले हैं। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी, मैं आपको जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना कम है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बिहार प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और हमेशा उसका शोषण होता रहा है। बिहार में कोई खास इन्वैस्टमैंट नहीं हुई। आजादी के बाद कई सरकारें आईं और गईं, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बिहार को उसका हक और हिस्सा नहीं मिल पाया, सैंटर की पूंजी नहीं लग पाई। हमारे यहां कोई कलकारखाना नहीं है। जब झारखंड का बंटवारा हुआ, तब हमारी स्थिति और भी तंग हो गई, इस बात को सब लोग जानते हैं। सभापति महोदय, आप खुद बिहार से आते हैं, आप भी जानते हैं वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम हमेशा उपेक्षित रहे हैं, हमारे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। बिहार में मानव संसाधन इतना मजबूत है कि अगर वहां काम मिल जाए तो निश्चित तौर पर बिहार खेती और दूसरे मामलों में आत्मनिर्भर हो सकता है। बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड में इन्वैस्टमेंट हुआ। आजादी के बाद झारखंड इलाके में कलकारखाने खुलते रहे, शेष बिहार, जहां हम हैं, वहां कोई इन्वैस्टमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली है।

रेल मंत्री जी, आपने प्रयास जरूर किया है, एक-आध कलकारखाने

खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन एक-आध कलकारखाने से बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, उसके और भी हक और हिस्से हैं। आप उसे कब तक, उसके हक और हिस्से से वंचित रखेंगे?...*(व्यवधान)* आदरणीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री, श्री दासमुंशी, श्री कपिल सिब्बल और श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता आदि कई मंत्री यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* क्या आप लोगों ने कभी मंथन किया, विचार किया, आत्मचिंतन करने का काम किया है कि बिहार को उसका हक और हिस्सा मिल जाए? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : एक साइंस लेबोरेटरी खुलवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : आप प्रयास करते होंगे, लेकिन सार्थक नहीं हो पा रहा है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि बिहार जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, और भी कई प्रदेश हैं जैसे, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उन प्रदेशों पर भी ध्यान दिया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि बिहार को उसका हक और हिस्सा मिल जाए? दासमुंशी जी हमेशा चिन्तित रहते हैं, हमें मालूम है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं भी बिहार का पड़ोसी हूं।

श्री राम कृपाल यादव : लेकिन दादा, उसका प्रतिफल नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं विचार करते। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें कुछ और कलकारखाने दिए जाएं। बिहार बिल्कुल उपेक्षित रहा है। बिहार को कलकारखाने क्यों नहीं देना चाहते, बिहार में सैंटर का इन्वैस्टमैंट क्यों नहीं हो रहा है? जब कभी भी बिहार की बारी आती है, माननीय मंत्री जी बिहार को जब भी कुछ देना चाहते हैं तभी पूरा सदन बिहार-बिहार कहने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आसमान टूट गया। हमारा कहना है कि आज बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, इन्वेस्टमैंट क्या है, उसे आप देखिये। आजादी के बाद यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक आपने बिहार को क्या दिया है? आखिर बिहार कब तक उपेक्षित रहेगा? बिहार की अवाम कब तक उपेक्षित रहेगी? हम यह नहीं चाहते कि आप हम पर विशेष कृपा कीजिए। मगर जब कोई भाई कमजोर है, तो मजबूत भाई को चाहिए कि वह उसे उठाए, अपग्रेड करें, ताकत दे। आप क्यों नहीं बिहार को कल-कारखाने देते? मंत्रीजी आपका अधिकार बनता है, इसलिए आप बिहार की अवाम को कल-कारखाने दीजिए।

यहां पर माननीय रेल राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप बिहार को कल-कारखाना दे रहे हैं? क्यों नहीं आप बिहार को उसका हक देना चाहते? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप बिहार में रेल से संबंधित इसी तरह का और कारखाना यथाशीघ्र खोलने का काम कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आप उसे मेरी कांस्टीटूएंसी पटना में खोलिये। आप उस कारखाने को बिहार के किसी भी कोने में, उत्तर या दक्षिण बिहार में कहीं भी खोल दीजिए ताकि लोगों की बेरोजगारी की परेशानियां दूर हो सकें। बिहार में रोजगार न मिलने की वजह से लोग मजबूरी में दूसरी जगह जाकर सेवा करने का काम करते हैं। आज बड़ी संख्या में लोगों का बिहार से पलायन हो रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप सप्लीमैंट्री बजट की चर्चा का उत्तर दें तब आप माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए वहां एक और कल-कारखाना खोलने का ऐलान करें।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र और बिहार की रेल लाइनों के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र और माननीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी का क्षेत्र आपस में लगा हुआ है। वहां सदासीपुर कॉमन स्टेशन है। आजादी के बाद से ही वहां स्टेशन है लेकिन उसे स्टेशन का पूर्ण दर्जा नहीं मिला हुआ है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सदासीपुर स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाये ताकि वहां के लोग जिन सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें वे प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, बीटा-औरंगाबाद के बारे में हमने कई बार निवेदन किया है। पिछले दो वित्तीय वर्ष से हम मांग कर रहे हैं कि बीटा से औरंगाबाद तक जाने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। इस रेलगाड़ी से लाखों लोग लाभान्वित होंगे। अगर वहां रेलगाड़ी चलाई जाये, तो वहां के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसके साथ चार-पांच पार्लियामैंट्री कांस्टीटूएंसी भी जुड़ी हुई हैं। आपने पिछली दफा कहा था कि हम इसे करेंगे। मुझे याद है कि बजट पास होने के बाद आपने हाउस से बाहर एक वरीय अधिकारी को कहा था कि इस काम को करो। मगर हम देख रहे हैं कि सप्लीमैंट्री बजट में उसका कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है। इसका सर्वे भी करा लिया गया है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप बीटा से औरंगाबाद का रेल कार्य कब तक पूरा करेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण कार्य को आप यथाशीघ्र पूरा कीजिए ताकि वहां की अवाम को उसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, डीआरएम का कार्यालय दानापुर में है। उसे मंडल बोलते हैं। वहां आपने कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण

[श्री राम कृपाल यादव]

किया है मगर कालोनी के रोड्स बहुत खराब हैं। हमारी मांग है कि कम से कम आप उन्हें ठीक कराइये ताकि जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको सुविधा मिल सके। इसी तरह पटना सिटी स्टेशन, गुजारपुर स्टेशन, न्यूरा स्टेशन आदि कई ऐसे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की जरूरत है। पालीहॉल्ट जो मेरी और मैडम कांति सिंह जी की कांस्टीटूएंसी का पार्ट है, वहां स्टेशनों की हालत ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि उन स्टेशनों का ब्यूटीफिकेशन किया जाये ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। वहां प्लेटफार्म है लेकिन शेड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर गौर करेंगे।

सभापति महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों की मांग रही है कि तूफान एक्सप्रैस का स्टापेज न्यूरा स्टेशन पर होना चाहिए। हमारी मांग है कि वहां तूफान एक्सप्रैस एक-दो मिनट के लिए रुकनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पटना और दिल्ली के बीच में राजधानी एक्सप्रैस चलती है जो सप्ताह में दो-तीन दिन चलती है। वहां लोगों की मांग है कि राजधानी एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाया जाये। मैंने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे विश्वास है कि पटना और दिल्ली के बीच में राजधानी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी।

महोदय, मैं एक अन्य निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में आपने लगभग 100 ट्रेनों को सुपरफास्ट घोषित किया था। इसके साथ ही उन पर सुपरफास्ट का चार्ज लगना शुरू हो गया। आज भी बहुत-सी ऐसी ट्रेन्स हैं जिनको सुपरफास्ट तो घोषित कर दिया गया है लेकिन वे सुपरफास्ट ट्रेन का काम नहीं कर रही हैं। फिर भी आम लोगों पर कहीं 20 प्रतिशत और कहीं पर 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त पैसा लग रहा है। कम से कम जिस ट्रेन को आपने सुपरफास्ट घोषित किया है, उसे सुपरफास्ट की तरह चलाइए या फिर उनके लिए पहले जिस तरह से चार्जेज लगते थे वैसे ही बनाए रखा जाए। एक या दो डिमाण्ड्स और करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मैं आपका बहुत कम समय लूंगा। कुछेक योजनाएं ऐसी हैं बिहार के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जैसे झंझारपुर से लोखा छोटी रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कर बड़ी रेलवे लाइन बनाया जाए, झंझारपुर से निर्मली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए, जयनगर से लखनिया, लोखा से निर्मली तक नयी रेल लाइन बिछायी जाए क्योंकि यह नेपाल से लगा हुआ भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है। यह एकमात्र रेललाइन होगी जिससे वहां तक आवागमन की सुविधा मिलेगी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन होगी। वहां अभी हाल ही में इसके लिए सर्वे हुआ है, काम तो शुरू होना था लेकिन पैसा कब आएगा पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप ध्यान दें।

महोदय, एक अन्य निवेदन में यह करूंगा कि जमालपुर में रेल कारखाना बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसे ठीक-ठाक किया जाना चाहिए। मुंगेर और पटना में गंगा पर दो जगहों पर पुल निर्माण का काम चल रहा है, उसमें तेजी लाई जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया कंक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने निर्णय लिया है कि हाजीपुर में जो रोड पुल खत्म हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करेगी। मैं इसके लिए रेल मंत्री जी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने रेल पुल के अलावा आम लोगों के लिए भी पुल का निर्माण करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आपने लागू कर दी है। मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि भागलपुर से नयी दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। भागलपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जानी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण शहर है।

महोदय, जब से आप इस महकमे में आए हैं, आपके प्रयास से 20 प्रतिशत लोग ज्यादा आकर्षित हुए हैं। आपने पैसा भी कम किया है। फर्स्ट ए.सी. में 18 प्रतिशत और सेकण्ड ए.सी. में 10 प्रतिशत तक की कमी की है। ये सब काम आप कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कई और ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं और काम हैं जिनको किया जाना आवश्यक है। मैं पुन: इस निवेदन के साथ कि निश्चित तौर पर माननीय रेल मंत्री जी बिना झिझक आज ही सदन में घोषणा करेंगे कि रेल महकमे के तहत इस वित्तीय वर्ष में एक कारखाना वहां लगेगा और गरीबों की भावनाओं के अनुसार आज निश्चित तौर पर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन बातों की चर्चा मैं बार-बार की है, माननीय रेल मंत्री जी आप उसे पूरा करेंगे। आप बिहार में कारखाना खोलिए, बिहार के साथ न्याय कीजिए, अब तक बिहार का हक मारा जाता रहा है, आपने उसे हक दिलाने का काम किया है। आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, बिहार के हित के लिए जो बचे हुए काम हैं, उनको पूरा करने और बिहार में रेल कारखाना लगाने का काम आप करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा में भाग लेने वाले और 28 सदस्यों की सूची मेरे पास है। वे लोग जो अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं और इसे सभा की कार्यवाही का हिस्सा समझा जाएगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि संक्षेप में अपनी बात कहें।

अब श्री ए. कृष्णास्वामी बोलेंगे।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदूर) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी डी.एम.के. की ओर से वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। हमारे माननीय रेल मंत्री श्री लालूजी और श्री वेलुजी अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दो सालों से उन्होंने रेल विभाग को एक लाभ कमाने वाला विभाग बना दिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, हमारे देश में रेल तेजी से चल रही है लेकिन रेल अधिकारी बहुत धीमे हैं। उनकी तुलना में, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बहुत तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बहुत से पुल, सड़क उपरि-पुल और सड़क पार-पथ बनाये हैं उन्होंने सड़क को चार लेनों वाली छह लेन वाली और आठ लेन वाली सड़कों में बदला है। कल्पना से परे भारत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है और यह सब मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कारण हो रहा है।

रेल विभाग पिछले 50-60 सालों से देश की सेवा कर रहा है लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरह प्रगति नहीं की है। यह एक दयनीय स्थिति है। सड़क उपरि-पुलों, सड़क पारपथ और बिना आदमी के समपार गेटों के अभाव के कारण देश में लोग नाराज हैं। उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम, माननीय सदस्यों ने भी माननीय मंत्रियों को लिखा है लेकिन जो भी पत्र हम लिखते हैं हमें 20 सालों से वही जवाब मिलता है। वे केवल तारांकित प्रश्नों के रूप में उत्तर देते हैं। लेकिन इस समय हम रेल अधिकारियों को धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि जब कभी हम लिखते हैं वे शीघ्र उसका जवाब देते हैं।

महोदय, तमिलनाडु जो कि रेल के संबंध में अर्जित करने वाला राज्य है, में बहुत बड़े क्षेत्र में आमान परिवर्तन नहीं हुआ है। तमिलनाडु के लोग छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज तक सैकड़ों किलोमीटर लाइन के आमान परिवर्तन का काम लंबित है।

अपराह्न 4.42 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

यहां तक कि कल भी तिरुवरुर से तंजावुर तक बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां तक कि त्रिथुराईपुंडी अगस्थियापेली और मुदरै-बोडी खंड सहित मिलादुतुराई से करीकुडी तक आमान परिवर्तन की परियोजनाएं, जिन्हें बड़ी लाइन में बदलना था, लम्बित पड़ी हैं। इस वर्ष इन परियोजनाओं की संस्वीकृति दी जाए।

महोदय, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री लालू जी से अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे वेलुजी उनकी मदद कर रहे हैं और कठिन मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस सभा में विशेषत: प्रश्नकाल के दौरान अच्छे उत्तर दिये हैं। तमिलनाडु में आमान परिवर्तन के लिए लालूजी से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उन्हें दिलचस्पी दिखानी चाहिए।

महोदय, तमिलनाडु प्रगतिशील राज्यों में से एक है। वेलुजी, तमिलनाडु से रेल राज्य मंत्री होते हुए, यदि आप तमिलनाडु के लिए अधिक धन का प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो तमिलनाडु की जनता भविष्य में आपको कोसेगी।...*(व्यवधान)* आप उन पर हमेशा के लिए विश्वास नहीं कर सकते कृपया उनकी मांगों को गंभीरता से लीजिए।

पिछला रेल बजट प्रस्तुत करते हुए आपने जताया था कि आप तमिलनाडु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम बहुत खुश थे। लेकिन समाचार-पत्रों में पढ़ने के बाद केवल यही मालूम हुआ कि आपने कुछ नई रेलगाड़ियां दी हैं। आपने केवल चार नई गाड़ियां दी हैं और कुछ गाड़ियों का विस्तार किया है और उन्हें भी नई गाड़ियां बता रहे हैं। लेकिन हमने सोचा था कि आप तमिलनाडु के लिए बड़ी धनराशि लाये हैं। लेकिन धन के अभाव में इन नई गाड़ियों का कोई उपयोग नहीं है।

इतना ही नहीं तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी के बीच विद्युतीकरण अभी किया जाना है। आज तमिलनाडु का दक्षिणी भाग तेजी से विकास कर रहा है वहां आर्थिक जोन बन रहे हैं। इसलिए; आज आवश्यकता है और तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी के बीच विद्युतीकरण में आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए।

इसी तरह, चेंगलपुट और तूतीकोरीन के बीच लाइन को दोहरा करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाना है। हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री,

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

तमिलनाडु ने आप से अनुरोध किया है तथा माननीय रेल राज्य मंत्री को चेंगलपुट-तूतीकोरिन लाइन को दोहरा करने के लिए लिखा भी है। चेन्नई-तिरुवलूर उपनगरीय लाइन को दोहरा किया जा चुका है। लेकिन आपने तिरुवलूर से अकराकोनम के बीच की लाइन का दोहरीकरण नहीं किया है। श्री वेलु, आप दो साल से रेल राज्य मंत्री हैं और केवल तीन साल और बाकी हैं। तिरुवलूर से आराकोन्नम के बीच लाइन को दोहरा करने में आप दिलचस्पी लें। इन्नूर-गुमुडीपोंडी के बीच की लाइन को भी दोहरा करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं मद्रास विश्वविद्यालय के बारे में एक प्रश्न करना चाहता हूं। यह भारत के प्रसिद्ध और प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। जहां कई नेताओं ने अध्ययन किया है।

यह अपना 150वां वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिए, इस विश्वविद्यालय में रेल अनुसंधान प्रकोष्ठ खोला जाए। इसे रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। आजकल हम इस विश्वविद्यालय के पुराने छात्र इस कोष के लिए धन दे रहे हैं। हम सीनेट हॉल की मरम्मत करा रहे हैं। हम मद्रास विश्वविद्यालय का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। इस कठिन समय में मद्रास विश्वविद्यालय के लिए यह सबसे अधिक लाभकारी होगा।

सेंट्रल और इगमोर स्टेशन के बीच संपर्क स्थापित करना एक महत्वपूर्ण और लम्बे समय से लम्बित मांग रहा है। मुझे पता नहीं आप कब इसे पूरा करने जा रहे हैं। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि आप एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। मैंने यह भी पढ़ा था कि इसमें कुछ तकनीकी समस्या है। आपको इस तकनीकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए चाहे इसमें जितना भी खर्च आए। हमें इसको जोड़ना है ताकि उत्तरी क्षेत्र के लोग एक रेलगाड़ी से सीधे रामेश्वरम और कन्याकुमारी जा सकें। अन्यथा उनको सेंट्रल स्टेशन पर उतरना होगा और फिर उन्हें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा तथा इसके बाद वे रामेश्वरम और कन्याकुमारी को जायेंगे।

परसों मुझे तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ी के बारे में उन लोगों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो दिल्ली आते हैं। जब से रेल कैन्टीन एक अलग विभाग द्वारा चलाया जा रहा है भोजन की गुणवत्ता और स्वाद बहुत खराब हो गए हैं। इससे पहले रेल विभाग बहुत अच्छा खाना उपलब्ध कराता था। लेकिन जब से आपने किसी निगम जैसा काम करना शुरू किया भोजन की गुणवत्ता और स्वाद खराब हो गया है। इसलिए, इसे ठीक किया जाना चाहिए।

सभी रेल स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं के बारे में, मैंने इगमोर और सेंट्रल स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां (एक्सलेटर) पाईं। आपने ऐसा किया। यह बहुत अच्छी बात है। हमने इसे हवाई अड्डे पर भी देखा। आपने वहां भी इसे लगवाया है। यह वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिना किसी मेहनत के वे 'फूट-ओवर-पाथ' पर चढ़ सकते हैं और उपरि-पुल को पार कर सकते हैं। आजकल रेल पुलिस और रेल विभाग उन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है जो रेल लाइन को पार करते हैं। इसलिए, यदि आप सभी रेल-स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां (एक्सलेटर) लगा दें तो यह बहुत उपयोग होगी और लोगों को लाभ होगा। यात्री रेल लाइन को पार नहीं करेंगे और दुर्घटनाएं नहीं होंगी। जब आप रेल स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तो आप सभी भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां (एक्सलेटर) लगा दें।

बहुत से रेलवे-स्टेशनों पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने का काम लंबित पड़ा है। आप सभी प्लेटफार्मों को ऊंचा करें। चेन्नई प्रभाग में, फास्ट ट्रैक प्लेटफार्म के अंतर्गत रेलवे ने तीन-चार वर्ष पूर्व प्लेटफार्म के लिए लगभग 125 लाख रुपये मंजूर किये थे। लेकिन आज तक यह कार्य नहीं हुआ है।

यही नहीं, 'लिफ्ट बैरियर गेट' के संबंध में अब रेल विभाग बहुत से स्टेशनों पर लिफ्ट बैरियर गेट लगा रहा है। यह अच्छी बात है लेकिन कुछ स्टेशनों पर जैसे मेरे चुनाव क्षेत्र के मिंजूर और कदमपथपुर स्टेशनों के लिए, संस्वीकृति मिले दो वर्ष हो गये। रेल विभाग ने पैसे भी दिये। एक लिफ्ट रोधक गेट के लिए मात्र 5 लाख रुपये की जरूरत है। यह बहुत ही उपयोगी है लेकिन इसे अब तक नहीं लगाया गया है। जब कभी मैंने रेल अधिकारियों से संपर्क किया उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा विलम्ब हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए।

जैसाकि मैंने पहले कहा था, आज गुमुडीपोडी में, हमारी पार्टी के कुछ काडरों के विरुद्ध रेल लाइन पार करने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन वहां कोई 'फूट-ओवर-पाथ' नहीं है। केवल दो रेल प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए ही 'फूट-ओवर-पाथ' है। लेकिन तीसरे रेल प्लेटफार्म पर कोई 'फूट-ओवर-पाथ' नहीं है। एक तरफ के सभी रेल प्लेटफार्मों पर जाने के लिए उन्हें रेल लाइन को पार करना पड़ता है। अन्यथा, वे लोग कैसे आयेंगे। छह माह पूर्व एक दिन 'शिकायत-दिवस' मनाया गया था। बहुत से लोगों ने एक और 'फूट-ओवर-पाथ' बनाने के संबंध में शिकायत की थी। लेकिन आज तक यह नहीं बना है लेकिन रेल पुलिस उन लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज कर रही है जो रेल लाइन पार करते हैं।

आज चेन्नई शहर में बहुत भीड़ हो गई है। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे बम्बई खंड के अवाडी में तथा दिल्ली-चेन्नई खंड के गुमुडी-पॉडी में ठहराव की व्यवस्था करे ताकि चेन्नई शहर में यातायात की भीड़ को रोका जा सके। ये उपनगरीय क्षेत्र हैं जो अब बढ़ रहे हैं। यदि आप बम्बई खंड के अवाडी में तथा दिल्ली-चेन्नई खंड के गुमुडी-पॉडी में एक्सप्रेस और मालगाड़ियों को ठहराव देते हैं तो तमबरम की तरह यहां भी आप भीड़ को कम कर सकते हैं।

महोदय, समापन से पूर्व मैं श्रीपेरम्बुदूर, जहां राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी को रेल से जोड़ने का अनुरोध करना चाहता हूं। श्रीपेरम्बुदूर को रेल से जोड़ने के लिए पांच-छह सालों से मैं लगातार सरकार से अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि हजारों लोग प्रतिदिन श्री पेरम्बुदूर स्थित राजीव गांधी स्मारक केन्द्र के दर्शन के लिए आते हैं। श्रीपेरम्बुदूर को पुनामाल्ली होते हुए सेंट थॉमस माउंट से जोड़ने की योजना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।... *(व्यवधान)*

श्री दासमुंशीजी, मैं आपका ध्यान श्रीपेरम्बुदूर से संबद्धता बनाने की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं श्रीपेरम्बुदूर से जोड़ने की बात कर रहा हूं। आपको मेरे अनुरोध का समर्थन करना चाहिए... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपका पूर्ण समर्थन करता हूं।... *(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, राजीव गांधी मेमोरियल सेन्टर श्रीपेरुम्बुदूर में अवस्थित है। हजारों लोग यहां सड़क मार्ग से आते हैं। इस स्थान को रेल से जोड़ने की संभावना है। श्रीपेरम्बुदूर की ओर तिरुवल्लूर तथा दूसरी ओर सेंट थॉमस माउंट से जोड़ने के संबंध में सर्वेक्षण हुआ है। श्रीपेरम्बुदूर नामक इस स्थान को रेल से जोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहां स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर एक स्टेशन बना सकते हैं। इस समय श्रीपेरम्बुदूर तमिलनाडु में एक उभरता हुआ स्थान है जहां सेंट्रो कार बनती है। वहां सेंट गोबेन कांच फैक्टरी भी है। मैसर्स 'नौकिया' ने वहां अपना कारखाना स्थापित किया है मैसर्स 'मोटोरोला' भी वहां अपना कारखाना स्थापित करने जा रहा है। वहां बहुत से कारखाने हैं। हजारों करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वहां आ रहा है। यदि आप यहां एक रेल स्टेशन बना दें तो अधिक आय की संभावना बनेगी।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी : जी, हां। मैं रेल ओवरब्रिज और रेल अन्डरब्रिज की बात कर रहा था। जब कभी हम माननीय रेल मंत्री या रेल विभाग के संबंधित अधिकारियों को इन रेल ओवरब्रिज या रेल अन्डरब्रिज को बनाने के लिए पत्र लिखते हैं तो वे तत्काल पत्र लिखते हैं कि राज्यों को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। सरकार के पास कोष है इसलिए यह कार्य स्वयं सरकार को करना चाहिए। जब दो लोगों के बीच सहमति नहीं हो पाती है तो राज्य और केन्द्र कैसे सहमत हो सकते हैं? यह बहुत कठिन कार्य है। यही कारण है कि उस कार्य में विलम्ब हो रहा है। सरकार को रेल ओवरब्रिज अथवा रेल अन्डरब्रिज के लिए एक निगम बनाना चाहिए और निजी शेयरों के माध्यम से धन प्राप्त करके रेल ओवरब्रिज और रेल अन्डरब्रिज का शीघ्रता से निर्माण करना चाहिए?

सभापति महोदय : अब श्री मोहम्मद ताहिर बोलेंगे।

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

जहां तक रेल भूमि के व्यावसायिकरण का संबंध है, देश में रेलवे के पास काफी जमीन है। सरकार ने विगत वर्ष इस संबंध में एक विधेयक भी पारित किया था।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम भी पुकारा है।

श्री ए. कृष्णास्वामी : जी, हां। पिछले वर्ष सरकार ने रेलवे की भूमि के व्यावसायिकरण के लिए एक विधेयक पारित किया था। लेकिन आज तक मुझे ज्ञात नहीं है कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है। विशेषकर मिंजूर और अवाडी जैसे स्थानों पर बाजार के लिए जमीन भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों से वायदा किया है सरकार ने इस आशय का एक विधेयक पारित किया है और शीघ्र ही रेलवे की भूमि का व्यावसायिकरण हो जाएगा जिससे उनके क्षेत्र में बाजार विकसित हो सकें। लेकिन आज तक रेलवे की भूमि के व्यावसायिकरण के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। यही मेरा अनुरोध है।

सभापति महोदय : और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए. कृष्णास्वामी : मेरा अंतिम प्रश्न है कि सांसदों के साथ होने वाली बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मोहम्मद ताहिर बोलें।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं पहले ही दूसरे माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत हो गया। आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। अब श्री मोहम्मद ताहिर बोलें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : महोदय, रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का अपनी पार्टी की ओर से मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना रेल भाड़ा बढ़ाए रेलवे को कई हजार करोड़ रुपयों का फायदा कराया है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ ज्वलंत समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि साकेत एक्सप्रेस सप्ताह में केवल दो दिन चलती है, उसे सप्ताह में चार दिन किया जाना चाहिए। उसी क्रड़ी में गरीब रथ जो माननीय मंत्री जी चलाने जा रहे हैं, मैं मांग करता हूं कि गरीब रथ को सुल्तानपुर होकर चलाएं। मैंने दो साल से बराबर माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा और बार-बार मांग की है कि हमारे जिले में बिलवई स्टेशन जो बॉर्डर में पड़ता है, वहां डून एक्सप्रेस गाड़ी को रोका जाए। इससे पांच जिलों की जनता को लाभ होगा। हमने बार-बार मांग की है कि डून एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से तीन महीने के लिए रोका जाए लेकिन बार-बार मांग करने के बाद भी हमारी मांग को दर-किनार किया जा रहा है। इसके कारण हम अपने क्षेत्र में जा नहीं पाते हैं। वहां की जनता हम से मिसबिहेव करती है। मेरी मांग है कि बिलवई स्टेशन पर तीन महीने के लिए डून एक्सप्रेस को रोका जाए। इससे रेलवे को बहुत फायदा होगा।

सुल्तानपुर जिले में एक लोकोमोटिव कारखाना था जो काफी पहले बंद हो गया। उस कारखाने को फिर से चालू किया जाए। मैं रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी लगन की वजह से रेलवे का बहुत विकास हुआ है। जब से माननीय लालू जी रेल मंत्री हुए हैं, तब से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हुई है। हम ब्रह्मांड के रचयिता से दुआ करते हैं कि हमारी रेलवे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। माननीय मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर देखें क्योंकि वह बहुत गरीब है। वह वहां के लिए एक-आध स्पेशल ट्रेन मुम्बई के लिए चलाएं। बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। वह इससे अछूता है। यही मेरी रिकवैस्ट है। मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, अपनी पार्टी की ओर से 'अनुपूरक अनुदानों की मांगों' (रेल) पर बोलने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसाकि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण रेल देश की आर्थिक समृद्धि की जीवन रेखा है। जहां तक उड़ीसा का संबंध है यहां प्राकृतिक संसाधनों के विपुल भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के रेल मानचित्र में इसकी उपेक्षा हुई है। ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास को जोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार पर रेल लाइन बिछाने के लिए दबाव डाला गया था। अन्यथा यहां आज तक रेल नहीं होती हैं। स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद भी उड़ीसा में रेल विस्तार का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जबकि अन्य सभी राज्य इस दृष्टि से हम से आगे हैं।

हाल ही में इस सम्माननीय सभा के वरिष्ठ माननीय सदस्य जो रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति भी हैं, श्री बसुदेव आचार्य ने उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाओं के पूरा किये जाने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी। दो संवाददाता सम्मेलनों में भी उन्होंने संकेत दिया था कुछ परियोजनाएं डेढ़ दशकों से लंबित हैं लेकिन इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त कोष का आबंटन नहीं किया गया है। इसलिए ये परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पर्यटन मानचित्र में उड़ीसा का विशेष महत्वपूर्ण है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के सक्रिय नेतृत्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। इसलिए, जहां तक रेल का संबंध है, उड़ीसा में और अवसंरचना की जरूरत है।

अपराह्न 5.00 बजे

जैसाकि आप जानते हैं, कि मेरे राज्य के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की बहुलता है। उड़ीसा के कुछ जिलों जैसे फुलबनी में लोगों ने अभी तक रेल लाइन नहीं देखी है और रेल लाइन उनके लिए एक सपना है। मेरे राज्य में अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। इसलिए, हम रेल मंत्रीजी जो मेरे ही पड़ोसी राज्य से हैं, से और अपेक्षाएं रखते है। उन्हें इन बातों की अच्छी जानकारी है। वे भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति है ओर वे भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं। जिनके अमन-चैन और बंधुत्व के संदेश का शताब्दियों से पालन हो रहा है और जो भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली बहुत बड़ी ताकत रही है। इसलिए, यह सबसे उपयुक्त समय है कि माननीय रेल मंत्री उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों के विकास पर जोर दें क्योंकि आजादी के 57 वर्षों के बाद भी आम आदमी का यह सपना पूरा नहीं हुआ है।

गरीब रथ जिसे आम आदमी के लिए शुरू किया गया है उड़ीसा में उसकी शुरुआत होनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं माननीय मंत्री ने इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा को क्यों नहीं चुना।

सभापति महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि महानदी पर दूसरे पुल के निर्माण से पारादीप बंदरगाह के हर तरह सम्पन्नता और समृद्धि आएगी इसके बावजूद भी इस पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दूसरे, फुलबनी तथा हरिदासपुर-पारादीप से होकर जाने वाली कुर्दा-बोलनगीर रेल लाइन तथा अन्य रेल लाइनों के काम में विलम्ब हो रहा है क्योंकि रेल मंत्रालय ने पर्याप्त धन आबंटित नहीं किया है। रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन पुरानी परियोजनाओं को उड़ीसा राज्य के चतुर्दिक विकास को ध्यान में रखते हुए युद्ध-स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसाकि आप जानते हैं व उड़ीसा को भारत की 'आपदा राजधानी' कहा जा सकता है। क्योंकि यहां अक्सर बाढ़, चक्रवात और सूखा की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य में आने वाली औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय का यह नैतिक दायित्व है कि वह राज्य में रेल अवसंरचना पर जोर दें ताकि उड़ीसा भारत के अन्य राज्यों की बराबरी कर सके।

बिहार से मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि बिहार की उपेक्षा हुई है। सरकार को सभी राज्यों में रेल अवसंरचना के विकास पर जोर देना चाहिए और रेल क्षेत्र में उनके पास सभी सुविधाएं होनी चाहिए। इस संबंध में मेरी विनम्र अपील है कि उड़ीसा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के साथ युद्ध-स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति ने जो स्पष्ट रूप से कहा है मैं यहां उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि रेल क्षेत्र में उड़ीसा उपेक्षित राज्य रहा है। समिति के सभापति इस सदन में एक सक्रिय सदस्य हैं। इन परिस्थितियों में मैं उम्मीद करता हूं कि और विश्वास रखता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी उस मामले की जांच करेंगे जिसका रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री बसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। वास्तव में यह पूर्ण रेल बजट पर चर्चा नहीं है। इसलिए, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। तथापि, मैं इस अवसर का लाभ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने के लिए करना चाहता हूं। मैं रेल मंत्री तथा रेल मंत्रालय का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि मंत्रालय इस पर विचार करे और इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाये।

सर्वप्रथम, मैं प्रगतिशील रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यहां उनके बारे में बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं मैं भी उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। भारतीय रेल घाटे से उबरकर अब लाभ कमाने वाला उपक्रम बन गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, विशेष उद्देश्य यान, रेल विकास निगम लिमिटेड जैसे कई नये कदम उठाये हैं। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी रेलवे समग्र रूप से रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार नहीं कर सका है।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन वह अन्य मामलों में बहुत व्यस्त हैं। ...*(व्यवधान)*

भारतीय रेल के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सामाजिक-आर्थिक आधार पर स्वीकृत 60 परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने की है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मंत्री महोदय ने अंतरिम रेल बजट, 2004-2005 में स्वयं योजना 'दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना'

[श्री प्रबोध पाण्डा]

के नाम से एक नई योजना की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के दौरान 20,000 करोड़ रुपये निवेश करने का विचार है। लेकिन आज तक धन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये परियोजनाएं मुख्यत: पर्वतीय, जन-जातीय और पिछड़े क्षेत्रों में शुरु की जानी है। रेलवे के समक्ष आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। किसी प्रकार का वित्त-पोषण नहीं किया गया है। चार परियोजनाओं के लिए जिन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है। मात्र 3 करोड़ रुपये की बहुत कम राशि का आबंटन किया गया है।

अब मैं विकास संबंधी पहलू की चर्चा करना चाहता हूं। इसके बारे में माननीय सदस्य ब्रह्मानन्द पांडा पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। लौह, और इस्पात, सीमेंट, ताप विद्युत आदि जैसे कई क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। इन उद्योगों में जो वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता है। वैगनों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है।

एम.ई.एम.यू. और डी.एम.यू. ट्रेनों के लंबी दूरी तक चलने का मुद्दा भी हम इस सभा में पहले कई बार उठा चुके हैं।

मेरी इस संबंध में माननीय मंत्री जी से बात हुई थी। मैंने यह मामला अन्य मंचों पर भी उठाया हैं एम.ई.एम.यू. और डी.एम.यू. ट्रेनें लंबी दूरी तय कर रही हैं और इसमें तीन घण्टे से अधिक समय लग रहा है, अत: इनमें शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। अभी तक यह काम नहीं हुआ। यह यात्री सुविधा से जुड़ी बात है...*(व्यवधान)* मैं गलीचे की नहीं, शौचालय की बात कर रहा हूं। यात्रियों को गाड़ियों की समय-सारणी, समय परिवर्तित रेलगाड़ियों आदि के बारे में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है...*(व्यवधान)* मैं केवल मुख्य बिंदु ही पढ़ रहा हूं।

विभिन्न वर्गों के लोगों और यात्रियों से अपने सुझाव देते हुए अभ्यावेदन आमंत्रित करने के बारे में भी अनुरोध था लेकिन यह काम भी नहीं हुआ है। आई.आर.सी.टी.सी. की खान-पान नीति की भी समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे का अनुमान है कि दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उसके पास लगभग 9,160 डिब्बों और 17,043 ई.एम.यू.'ज़ का रेल-स्टॉक होगा, तथापि इस अवधि के प्रथम वर्ष में वह केवल 5,957 डिब्बों और 397 ई.एम.यू.'ज़ की ही व्यवस्था कर सका है ...*(व्यवधान)* डीजल इंजनों की आवश्यकता कितनी थी और इसे किस हद तक पूरा किया गया है? इस ओर खामियां हैं।

जहां तक कर्मचारी संख्या का सवाल है, मेरा कहना है कि रेलवे के उत्पादन एकक और ओपन लाइंस में काफी सारे रिक्त पद हैं, सरकार समूह 'ग' और 'घ' में। अभी मापदंड यह है कि तीन में से केवल एक ही पद भरा जाएगा। यदि यही चलता रहा तो क्या होगा? माननीय मंत्री खड़गपुर मण्डल में गैंगमैन की भर्ती संबंधी मुद्दे से भली प्रकार अवगत हैं। आज तक यह समस्या हल नहीं हुई है। मैं इस तरफ उनका ध्यान चाहता हूं और आशा करता हूं कि इसे यथासंभव शीघ्र हल किया जाएगा।

यात्री-किराए की बात करें तो, भले ही यह सही हो, कि अभी तक इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, तथापि एक्सप्रैस गाड़ियों का दर्जा बढ़ाने की वजह से इनमें चलने वाले यात्रियों को अधिक राशि देनी पड़ रही है। इसके अलावा अभी एक और नया कदम उठाया गया है, वह यह कि यदि कोई यात्री किसी स्टेशन विशेष से रेल-टिकट खरीदना चाहे तो पैसा अधिक लगेगा। यदि कोई यात्री अपने गंतव्य तक का टिकट किसी अन्य स्टेशन से खरीदता है तो उसे अधिक पैसा देना होगा। रेलवे का यह नया फायदा है। यदि कोई यात्री निकट के ही स्टेशन से कहीं और का टिकट खरीदे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से इस नियम को हटाने का आग्रह करता हूं।

रेलवे को थोड़ी सामाजिक प्रतिबद्धता भी रखनी चाहिए, आखिर वह सार्वजनिक उपयोग का सबसे बड़ा संस्थान है। बस स्टैण्डों, सांस्कृतिक संस्थानों, खेल-स्टेडियमों, स्कूलों आदि के लिए यदि भूमि की आवश्यकता हो तो रेलवे को बिना कोई प्रभार लिए उपयुक्त भूमि इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध करनी चाहिए।

माननीय मंत्रीजी ने खड़गपुर की स्थिति का जायजा लिया होगा, अत: इस हेतु मेरा उनसे पुन: अनुरोध है। उन्हें मालूम होगा कि खड़गपुर मंडल में राजधानी और अन्य ट्रेनें एकल लाइन पर ही चल रही हैं। इस मार्ग का दोहरीकरण आवश्यक है, खासतौर पर, खड़गपुर से मिदनापुर वाया गिरिमैदान के बीच के रेलमार्ग का। कसाई नदी पर एक और रेल-सेतु की भी आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि रेल मंत्री आगामी रेल बजट में मेरे नए उल्लिखित इन सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं

माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत रेलवे के पूरक बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि आपने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला परियोजना को सर्वोच्च स्थान दिया है। कश्मीर भारत माता का मुकुट है, इसलिए काश्मीर को शेष भारत से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आपने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है, यह राष्ट्रीयता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह सही है - ''बुलबुल की जिन्दगी है चमन की बहार पर और हिन्दुस्तान की जिन्दगी है रेलवे की रफ्तार पर।'' आप रेलवे की रफ्तार को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। रेल मेल भी कराता है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.14 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले दिनों जैसे मुंबई उपनगरीय रेलवे के ऊपर आतंकवादियों का आक्रमण हुआ और आप वहां एकदम पहुंचे तथा वहां सारी स्थिति को देखा। अब आगे ऐसी घटनाएं रेलवे के प्रिमिसेस में न हों, रेलवे यात्रियों की निरंतर सुरक्षा होती रहे, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसके बारे में अगर उत्तर देते समय जानकारी दे सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने पिछले बजट में बहुत सी नयी रेलें चलाने और नये फेरे बढ़ाने की घोषणा की थी। आपने फेरे तो ज्यादातर के बढ़ा दिए हैं, लेकिन नयी रेलों की जो घोषणा की थी, उनमें से कुछ गाड़ियां चली हैं, कुछ नहीं चली हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले बजट में आपने देशभर के अंदर जिन नयी रेलों की शुरूआत करने की घोषणा की है, कृपया उन्हें चलवाने की कृपा करें और जो ट्रेनें चलवा दी हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आप सभी अजमेर शरीफ होकर आए हैं और आपने बिहार से भी काफी गाड़ियों को जोड़ा है तथा आप झारखंड राज्य से भी जोड़ने वाले हैं। किशनगंज और यशवंतपुर बैंगलौर वाली गाड़ी भी शायद आप जल्दी चलवाने वाले हैं। आपने लाखों लोगों की इच्छा का ध्यान करते हुए एवं उनका आदर करते हुए तीर्थ की दृष्टि से अहमदाबाद-दिल्ली मेल को हरिद्वार तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने जनरल कोच के दो डिब्बे कम कर दिए, परिणामस्वरूप जो आम जनता और गरीब आदमी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता था या दिल्ली तक ही पहले आता था, वह दो कोच दिल्ली मेल में कम हो गए, जो डाक मेल वैन थी, उसे भी कम कर दिया, उसकी जगह एसएलआर दे दिया। इसलिए डाकियों को डाक छांटने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली-अहमदाबाद के बारे में आज जानते ही हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हरिद्वार तक कितने राज्यों को मिलता है, इसलिए आप ये दोनों कोच जुड़वा दें और जो डाक मेल वैन है, उसे भी दिल्ली मेल में वापस जुड़वाएं। मान्यवर, बहुत आग्रह करने पर अजमेर की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए आपने पूजा एक्सप्रैस जम्मू-तवी, जो जयपुर तक चलती थी, उसे अजमेर तक बढ़ाने का निश्चय किया है। पहले जो लिंक एक्सप्रैस अजमेर को जयपुर और पूजा से जोड़ने के लिए चलती थी, उसे आपने अजमेर तक पहुंचा दिया है, इसके लिए अजमेर की जनता आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। पुष्कर हिन्दुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : क्या आप भी तीर्थ पर जा रहे हैं?

प्रो. रासा सिंह रावत : वहां लाखों लोग जाते हैं। अजमेर, पुष्कर बड़ी लाइन का काम तीन साल से स्वीकृत हुआ पड़ा है। वहां काम चल भी रहा है, लेकिन वह बड़ी धीमी गति से चल रहा है। आप संवेदनशील हैं और आप तीर्थों की यात्रा भी काफी कर रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पुष्कर तीर्थ तक वह बड़ी लाइन जल्दी जोड़ी जाए और पुष्कर को आगे मेड़ता से जोड़ें ताकि पश्चिमी राजस्थान भी अजमेर से सीधा जुड़ जाए। आप अजमेर, पुष्कर का सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आपने बांदीकुई-आगरा को ब्रोडगेज में बदल दिया, लेकिन पहले आगरा फोर्ट से अहमदाबाद, वाया जयपुर, अजमेर एक गाड़ी चलती थी और वह बहुत लोकप्रिय गाड़ी थी तथा जनता के लिए सुविधाजनक गाड़ी थी। आपने अब जयपुर को आगरा से जोड़ दिया, वहां गाड़ी चला दी, लेकिन अजमेर और आगरा, ये सब महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, उन्हें अभी नहीं जोड़ा है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आगरा को अजमेर, अहमदाबाद, पहले जो गाड़ी मीटरगेज पर चलती थी, आगरा फोर्ट, अहमदाबाद, वाया जयपुर, अजमेर, वह गाड़ी वापस चलाई जाएं यह गाड़ी बहुत से लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ मीटरगेज को ब्रोडगेज में आप बदल रहे हैं, वह काम शीघ्र पूरा हो तो आपकी बड़ी कृपा और उससे उदयपुर सीधा जुड़ जाएगा, अभी उदयपुर तक की रेलवे लाइन बंद है, इधर से भी चित्तौड़, कोटा होकर जाती है, लेकिन अभी अजमेर होकर केवल चित्तौड़ तक ही जा पा रही है। क्योंकि आगे ब्रॉडगेज है। चित्तौड़गढ़ से अजमेर, जाने के लिए रेलवे लाइन को मीटरगेज से ब्रॉडगेज में जल्दी बदला जाए। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि नीमच और रतलाम के बीच में जो मीटरगेज का एक टुकड़ा रह गया है, वह भी ब्रॉडगेज

[प्रो. रासा सिंह रावत]

में जल्दी बदला जाए जिससे रतलाम सीधा अजमेर से जुड़ जाए। इससे रतलाम से आने वाले जायरीन और तीर्थयात्रियों की सुविधा और बढ़ जाएगी।

मैडम, किशनगढ़, एशिया की मारबल की सबसे बड़ी मंडी है। वहां किशनगढ़ स्टेशन के पास रूपनगढ़ रोड़ पर एक ओवरब्रिज बनना था। उसके निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने आधा पैसा देना मंजूर कर लिया और स्वीकृति भी भेज दी। मारबल एसोसिएशन ने भी अपनी ओर से 2 करोड़ रुपए स्वीकृत करके भेज दिए, लेकिन रेलवे को जो पैसा देना है, वह उसने अभी तक मंजूर नहीं किया है। मैंने इस अनुपूरक बजट की किताब में आंखें गड़ा-गड़ा कर देखा, लेकिन मुझे किशनगढ़-रूपनगढ़ रोड ओवरब्रिज के लिए पैसे का प्रावधान कहीं नजर नहीं आया। इसमें उसके बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : काम हो रहा है। जब मैं अजमेर गया था तब मैंने देखा था वहां वह बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा था। उसे हम नीचे डैप्थ में बना रहे हैं। आपके यहां काम हो रहा है। पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा। जिन प्रोजैक्ट पर काम हो रहा है, उनका जिक्र हम सप्लीमैंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में नहीं करते हैं क्योंकि काम तो हो रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, इसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। अनुपूरक बजट में उस ओवरब्रिज का नाम आना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि वह रह जाए। वहां मारबल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसलिए उस पुल को शीघ्र बना दिया जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो पश्चिमी कौरीडोर, दिल्ली से मुंबई तक बनने वाला था, उसकी क्या प्रगति है। वैसे तो माननीय लालू प्रसाद जी ने बीच का रास्ता अपनाकर के और रेलवे को युक्तिसंगत बना कर के 10 हजार करोड़ रुपए का लाभ रेलवे को दिया है और 20 हजार करोड़ रुपए के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि यात्री किराए में रेलवे अभी भी घाटे में चल रही है। मालभाड़े में जरूर वृद्धि हुई है और रेलवे को जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन क्रॉस सब्सिडी देकर यात्री भाड़े का निपटारा किया जा रहा है। आपने यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया। युक्तिसंगत के नाम पर रेलवे को लाभ में तो पहुंचा दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो कहती है, वह मैं उद्धृत करना चाहूंगा–

"रेलवे की इस बात के लिए आलोचना की गई है कि वर्ष 2001-02 में रेल भाड़े में बढ़ोत्तरी की विभिन्न सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। इसके कारण उसे 2250 करोड़ रुपये की हानि हुई है।"

मैं समझता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा। यह कटु सत्य है कि यात्रियों की सुविधाओं में कटौती हो रही है। यात्री-सुविधाओं का निजीकरण हो रहा है। हम रेलवे में जब सफर करते हैं, तो देखते हैं कि पहले बैड-रोल देने वाले रेलवे के कर्मचारी होते थे, लेकिन अब प्राइवेट लोगों द्वारा बैड-रोल की सप्लाई की जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यात्रियों की रेल सुविधाओं में कटौती हो रही है। संसद की स्थाई समिति ने भी कहा है कि रेलवे का विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ रेलवे भी चल सके। उसने ऑब्जर्व किया है कि बिना औचित्य के कई परियोजनाएं शुरू कर दी गईं और थोड़ा निवेश कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बीच में छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप जितना निवेश किया गया था, वह बर्बाद हो रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो पुरानी अपूर्ण परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए और उन्हें आधी तीतर और आधी बटेर की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसी योजनाओं को या तो पूर्णत: बंद कर देना चाहिए या फिर उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि जो धन खर्च हुआ है उसका सदुपयोग हो सके। इससे जहां लोगों को रेल की सुविधा मिलेगी वहीं धन की बर्बादी भी रुकेगी।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप यदि आसन ग्रहण करें, तो हम आपका काम करने का मन बनाएं।

सभापति महोदया : प्रो. रासा सिंह रावत जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, मैं एक-दो निवेदन कर के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि रेलवे की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। रेल यात्रियों की सुविधाएं, रेल की अर्थव्यवस्था एवं रेल यातायात के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि रेलवे की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए।

महोदया, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन रेल की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। शेखावटी में अभी तक बड़ी रेलवे लाइन नहीं पहुंची है। आपने कई एक्सप्रेस ट्रेनों को

सुपरफास्ट कर दिया है, लेकिन उनके किराए भी बढ़ा दिए हैं और उसकी स्थिति पहले जैसी ही है। इन बढ़े हुए किरायों को वापस लेने का कष्ट करें। इसके साथ ही मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि किशनगढ़ में संगमरमर की मण्डी में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। इसके अलावा ब्यावर शहर एक लाख की आबादी वाला शहर है। मेरी मंत्री जी से विनती है कि यहां पर आश्रम एक्सप्रेस का दो मिनट का स्टापेज दो महीने के लिए देकर देख लें, यदि इस गाड़ी के स्टापेज से लाभ हो तभी इसे कन्टीन्यू रखें अन्यथा इसे वापस ले लें।

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री लालू प्रसाद : पहले आप बजट का समर्थन तो करें।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदया, मैंने बजट का समर्थन किया है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान की मांगों का निश्चित तौर पर समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं लालू प्रसाद और श्री वेलु के ज़ोरदार काम की तारीफ करने से नहीं हिचकूंगा क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने जिस तरह से बढ़िया काम किया है उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाये, कम है।

वर्ष 2006 को रेलवे ने 'यात्रियों की सेवा में—मुस्कान के साथ' नारे के साथ मनाने का मन बनाया है। लेकिन रेल-क्षेत्र में हमारी स्मृति को झकझोरने वाले कुछ हादसे भी हो गए हैं, जैसे: जैसे मुंबई के भीषण विस्फोट। हमें ऐसी भीषण स्थितियों पर पार पाना अभी बाकी है। अत:, सभी बातों से परे, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक ऐसी कार्यनीति बने जिससे ऐसी आतंकी और विघटनकारी हरकतें रोकी जा सकें, चूंकि यह माना जाता है कि विदेशी आतंकवादियों या स्वदेशी चरमपंथियों द्वारा की जाने वाली ऐसी किसी भी विघटनकारी गतिविधि से रेलवे अधिकाधिक प्रभावित होने की स्थिति में रहता है। रेलवे को संचालन-भूमि काफी विस्तृत है और सभी ओर पूरी-पूरी सुरक्षा रखना प्राय: असंभव प्रतीत होता है। तथापि, न केवल यात्रियों की सुरक्षा, वरन् जहां-जहां हमारा माल-असबाब आता जाता है उन स्थानों की भी सुरक्षा की दृष्टि से विशेषज्ञों की राय लेते हुए ऐसे उपाय अपनाये जाने चाहिए जिनसे कोई विघटनकारी हरकत न हो सके।

भारतीय रेल की यात्राकथा सन् 1853 से शुरू होती है जब बोरीबंदर से ठाणे तक की मात्र 31 कि.मी. दूरी पर रेलगाड़ी चली थी। और 31 मार्च 2005 की स्थिति के आकलनानुसार, रेल-नेटवर्क कुल 63,465 कि.मी. दूरी तक विस्तृत है। भारतीय रेल हमारे देश की पंथनिरपेक्ष संस्कृति की झांकी पेश करती है। रेलपथ पर भारत की सजीव झांकी को गतिमान देखा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप अपनी कांस्टीट्वेंसी की बात करिये।

श्री अधीर चौधरी : हां-हां, बात करेंगे। लालू जी, आपकी थोड़ी सराहना कर लें। अगर रेल के ऊपर चर्चा हो और लालू जी की सराहना न करूं तो यह मेरे लिए बहुत अन्याय होगा। जैसा आपने अपने भाषण के शुरूआत में कहा कि सावन खत्म हो गया, भादों आने वाला है और आगे हथिया बरसेगा। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हमारी उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में सिर्फ हथिया नहीं, बल्कि सोना बरसेगा। हम लोग चाहते हैं कि लालू जी और वेलू जी जैसे रेल मंत्री होते हुए इंडियन रेलवेज़ की तरक्की होती रहेगी। लालू जी यह साबित कर चुके हैं कि बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक लालू जी एक बेमिसाल नमूने की तरह उभरकर आ रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए एक बड़े उत्साह की बात है।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री जी की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने मेरे ज़िले मुर्शिदाबाद और इससे संलग्न नादिया व वीरभूम ज़िलों की चिरप्रतीक्षित मांग पर ध्यान दिया और वहां भागीरथी नदी पर माशीपुर-अज़ीमगंज के बीच एक सेतु के निर्माण के लिए आवश्यक राशि प्रदान की है। तथापि, मैं उनसे इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध करता हूं जो, पता नहीं किन कारणों से, बिलकुल ढीले-ढाले ढंग से चला रहा है।

माननीय मंत्री इस बात से अवगत होंगे कि मुर्शिदाबाद को पिछड़ा ज़िला माना जाता है। उस क्षेत्र से लाखों लोग इलाज के लिए दक्षिण भारत जाते हैं। लेकिन वहां से दक्षिण भारत के लिए कोई सीधी रेल-सुविधा नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मालदा से चेन्नई के बीच एक रेलगाड़ी चलाने के मेरे प्रस्ताव पर विचार करें ताकि मजबूर रोगियों को वहां उपचारार्थ जाने की सुविधा हो सके।

दूसरी बात, आपको यह सुविदित होगा कि बिहार के लाखों लोग अजीविका हेतु पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। मेरे जिले और आसपास

[श्री अधीर चौधरी]

के अन्य जिलों में भी बिहार के लोग बड़ी तादाद में हैं। लेकिन बिहार से मुर्शिदाबाद या नादिया या बीरभूम के लिए कोई अच्छी ट्रेन नहीं है। अत:, वहां रहने वाले बिहारियों को अपने गृहजिले या गृहप्रदेश की यात्रा करने में काफी असुविधा उठानी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध करूंगा।

महोदया, मैं रेल मंत्रालय का ध्यान हाल के वर्षों में उसके बदले स्वरूप की ओर भी दिलाना चाहूंगा। तथापि, आज भी पुराने पड़ चुके डिब्बे और गाड़ियां प्रचालनाधीन हैं। अभी भी सुरक्षोपाय बरते जाने शेष हैं। रेल सुरक्षा निधि के स्थापन से छह वर्ष की अवधि के भीतर 17,000 करोड़ रु. की विशेष रेल सुरक्षा निधि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव था ताकि रेल डिब्बों, गाड़ियों और इनके पुनर्धिरचन आदि, में आने वाले खर्चे और अन्य बकाया कामों को पूरा किया जा सके।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि जिन बकाया कार्यों को पूरा करने का वायदा था, वे पूरे हो गए हैं या नहीं?...(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी मेरे ज़िले में जा चुके हैं और वहां की समस्याओं से वाक़िफ हैं। सुबह के समय मुर्शिदाबाद और कोलकाता के बीच कोई तेजगति की सवारी-गाड़ी नहीं है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी को मैं एक प्रस्ताव भी दे चुका हूं। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा पर बसा है। हर दिन हजारों गरीब लोग वहां से रोजी-रोटी के लिए कोलकाता जाते हैं लेकिन सुबह के समय कोलकाता और लालगोला की ओर वहां से कोई तेज सवारी गाड़ी नहीं है।

अत:, इस बात के मद्देनज़र कि मुर्शिदाबाद से सुबह के समय कोलकाता के लिए कोई तेज सवारी-गाड़ी नहीं है और इससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मैं माननीय मंत्री से इस प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करता हूं। माननीय मंत्री जी हमारे राज्य पश्चिम बंगाल की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने वहां रेल-विकास के लिए कई उपाय और कार्यक्रम पहले ही संचालित किए हैं, फिर भी मैं और उनसे थोड़ा मांगना चाहता हूं। यह बहुत छोटा-सा प्रस्ताव है; आपसे कोलकाता और सियालदह के बीच सुबह के समय एक तेज सवारी गाड़ी चाहिए।

*श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं इन अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। इस रेल-बजट में हमारे देश के सबसे दक्षिणवर्ती राज्य-केरल-की भारी उपेक्षा की गई है। हम अपनी कुछ तात्कालिक मांगों जैसे:- रेल-ज़ोन, विद्युतीकरण, रेल-पथ दोहरीकरण, आमान-परिवर्तन और केरल में नए मार्गों की मंजूरी पर ध्यान न दिए जाने का कड़ा विरोध करते हैं।

हमारा क्षेत्र भारी उपेक्षा का शिकार है। बंगलौर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों से केरल की ओर नयी ट्रेनों की आवश्यकता थी। इसके अलावा इस समय चल रही गाड़ियों में और डिब्बे लगाए जाने की भी जरूरत थी। केरल 'ईश्वर के निजस्थान' के रूप में दुनिया भर में विख्यात है। इस लिहाज से पर्यटकों को प्रोत्साहित करने और यहां तक आरामदेह यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य था कि देश के विभिन्न हिस्सों से केरल के लिए रेल गाड़ियां चलाई जातीं। केरल सांस्कृतिक समारोहों, जलक्रीड़ा आयोजनों और उत्सवों की भूमि है। हाल में वहां नेहरू ट्रॉफी नौकायन-स्पर्धा होगी जिसमें हिस्सा लेने के लिए हजारों विदेशी पर्यटक आएंगे।

त्रिचूर का 'पुरम' उत्सव भी विश्वविख्यात है। बहरहाल, यहां रेलमार्ग-दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट राशि ही अपर्याप्त है।

इस कारण यहां यह काम बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है। काम शुरू हुए वर्षों हो गए, पर वह पूरा नहीं हुआ है।

एर्णाकुलम से कोट्टायम होकर कायमकुलम जाने वाले रेलमार्ग के दोहरीकरण का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यदि यह काम इसी रफ्तार से चलेगा तो अगले पांच सालों में भी पूरा न होगा। एर्णाकुलम से अलेप्पी होकर कायमकुलम जाने वाले रेलमार्ग पर भी कार्य की यही स्थिति है। केरल के इन दो महत्वपूर्ण रेलमार्गों पर पथ-दोहरीकरण का कार्य जब तक पूरा नहीं होता, हम यह नहीं मान सकते कि रेल मंत्रालय ने हमारे राज्य के साथ न्याय किया है। इन दोनों मार्गों पर कार्य पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि तत्काल मंजूर की जाए। कोट्टयम से कुमुली तक नयी रेल लाइन शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कोट्टयम से चेंगनूर, पुनलूर, नेदुमगढ़ होकर तिरुवनन्तपुरम तक नयी लाइन का आबंटन किया जाना चाहिए।

कोट्टारकारा से अड्डूर होकर तिरुवनन्तपुरम तक एक नयी रेल लाइन स्वीकृत की जानी चाहिए। अंगमाली से सबरीमाला तक नयी लाइन पर कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए। रेल फाटकों (रेल क्रासिंग) से केरल में वाहनों के निर्बाध आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरब्रिज नहीं हैं इसलिए लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का, कभी-कभी तो घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है।

*मूलत: मलयालम में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

इन ओवरब्रिजों के निर्माण की आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गयी है पर अब तक उनपर काम शुरू नहीं किया गया है। इसलिए मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ओवरब्रिज का निर्माण पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र इसे पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुकुंदपुरम में दस ओवरब्रिजों का निर्माण करने की मंजूरी दी गयी है। इनमे से चलाकुड्डी, इरिंगलाकुडा में ओवरब्रिज बन गए हैं और ये यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन अंगुमाली और कोटाट्टी ओवरब्रिजों के निर्माण का कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। इन ओवरब्रिजों का निर्माण तत्काल पूरा किया जाना चाहिए।

नंदीकरा, अलूर, वेलनचिरा, डिवाइन नगर, पुलियानम और नेडुमपशेरी ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। चलाकुडी अन्डरपास का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। कल्लेट्टुमकरा के लिए पैदल पारपथ का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। एरिंगलाकुडा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मैं मंत्रालय से कोटाट्टी और नेल्लई रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन करने का अनुरोध करता हूं। कोटाट्टी और नेल्लई पर रेलगाड़ियों का ठहराव बनाया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे राज्य में रेलवे स्टेशनों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। विभिन्न प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज भी नहीं हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कई स्टेशनों पर मूत्रालय, शौचालय और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। उन स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां यह आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

50 प्रतिशत से ज्यादा शारीरिक रूप से विकलांगों, नेत्रहीन, मूक और बधिर लोगों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 100 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों को एक सहायक के साथ नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को 75 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए और 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपने एक सहायक के साथ नि:शुल्क यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों की दी जा रही रियायतें बढ़ायी जानी चाहिए।

शव को दो सहयात्रियों के साथ नि:शुल्क ले जाने की सुविधा दी जानी चाहिए। केरल के सभी 29 संसद सदस्य इस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे हैं इसलिए रेल मंत्रियों श्री लालू जी, वेलु जी और बालू जी को हमारे राज्य में रेलवे और राजमार्ग के विकास पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि बिहार और तमिलनाडु के अलावा अन्य सभी राज्यों ने रेल बजट का विरोध किया है। इसलिए संप्रग सरकार की इस प्रकार की असंतुलित और भेदभावपूर्ण नीतियों से भारत की जनता में अलगाववाद और अलहदगी की भावना को बढ़ावा मिलेगा मंत्रियों को राष्ट्रव्यापी नजरिया अपनाना चाहिए। उन्हें पक्षपाती मंत्रियों के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें निष्पक्ष रूप से हमारे देश की एकता की रक्षा करनी है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे रेल की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हिन्दुस्तान की रेल दुनिया में तीसरे नम्बर पर है। माननीय मंत्री लालू प्रसाद यादव जी उसे नम्बर एक पर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऊपर वाला माननीय मंत्री जी के प्रयासों को सफल करे, यही कामना करता हूं और अनुपूरक मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री जी डायनमिक प्राइसिंग पॉलिसी पर अमल करने के लिए प्रयासरत हैं और लोकप्रिय ट्रेनों के किराए में छूट देने को तैयार हैं। किराए में बढ़ोतरी के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी यूरोप देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया और जर्मन होकर आए हैं। मेरे ख्याल से इससे रेलवे की सुविधा और विकास में बेहतर बढ़ोतरी होगी। रेलवे के माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। इस वित्तीय वर्ष के दो माह में माल भाड़े ने ऊंची छलांग लगाई है। रेलवे की 6687.18 करोड़ रुपये की जो कमाई हुई है, वह बहुत ही सराहनीय है। लो कॉस्ट एयर लाइंस से मुकाबला करने के लिए रेलवे मंत्री जी के प्रयास से प्रगतिशील है। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मंत्री जी ने किरायों में 10 से 30 प्रतिशत की कटौती करने की जो घोषणा की है, वह भी सराहनीय है। ए.सी. फर्स्ट क्लास में 18 परसेंट और ए.सी. सैकिंड क्लास में 10 प्रतिशत कटौती करने की बात कही गयी है। मेरे ख्याल से इससे रेलवे को और भी फायदा मिलेगा। सभी रेलगाड़ियों का बिजलीकरण करके चलाने की जो योजना है, वह भी सराहनीय है।

सभापति महोदया, आपने देखा होगा कि डीजल के दामों में वृद्धि के बावजूद भी रेल किराये में वृद्धि नहीं हुई। यह भी एक सराहनीय कार्य है। रेलवे का निजीकरण न करने का प्रयास भी माननीय मंत्री जी ने किया है। उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात यह है कि रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए मंत्री जी 41 बजट होटलों में फाइव स्टार के बराबर सुविधा देने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि इलाहाबाद जो आजादी का मुख्य केन्द्र बिन्दू रहा है, वहां 41

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

बजट होटल को सम्मिलित किया जाये। अभी जैसे हमारे सम्मानीय सदस्य श्री रेवती रमन सिंह ने कहा कि वहां अर्द्ध कुम्भ लगने वाला है। वहां 60 से 70 लाख के करीब विदेशी सैलानी आते हैं। इससे रेलवे को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

सभापति महोदया, यात्री माल ढुलाई लागत घटाने की जुगत में रेलवे है। मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छी बात है लेकिन लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट रेल भाड़े के बारे में आई है, उसमें उन्होंने रेल भाड़ा न बढ़ाने की वजह से हुए घाटे पर रेलवे की आलोचना की है। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री जी उसकी भी भरपाई करेंगे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की दो-तीन बातें रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 12 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए पैसा भी आ गया था लेकिन रेलवे डिपार्टमैंट ने कहा कि 25 लाख रुपये सरचार्ज देना पड़ेगा। अब बड़ी मुश्किल से हमने 12 करोड़ रुपये का प्रावधान राष्ट्रीय सम विकास योजना से किया है। अगर 25 लाख रुपये हम उसमें से आपको दे देंगे, तो फ्लाई ओवर कहां से बनेगा? मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी का प्रयास है कि रेलवे प्रगति करे, विकास करे। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सरचार्ज को माफ करें, तो रेलवे की प्रगति में चार चांद लगेंगे।

तीसरी बात यह है कि एनसीआर का मेन कार्यालय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बन रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुंडेरा गांव है, अगर उस गांव का आप पानी बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल से गांव डूब जायेगा। हमारी मांग है कि एनसीआर के पानी के साथ उस गांव का भी पानी जाने दें तो बहुत अच्छी बात होगी।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नवसृजित जनपद कौशाम्बी है। वहां अभी मुख्य स्टेशन का चयन हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से भवारी और सराती को चयनित करके वहां अच्छी गाड़ियां का ठहराव किया जाये। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला जनपद है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने वहां पर 12 वर्ष तक वास किया था। वह राजा उदयन की राजधानी है और जैन मुनियों का तपस्वीस्थल है। इसी के साथ-साथ कड़ा में शीतला मां का मंदिर भी है। भगवान पुरुषोतम राम जी ने कुरई घाट जो मेरे जनपद में आता है और संदीपन घाट जैसे तमाम ऐसे घाट हैं, जो ऐतिहासिक और धार्मिक मायनों में काफी महत्व रखते हैं। मुगलों के शासन की गाथा भी कड़ा स्थान गाती है। मैं चाहूंगा कि मुख्य रेलवे जंक्शन स्टेशन बनाकर वहां अच्छी ट्रेनों का ठहराव करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अनुपूरक रेल बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : सभापति महोदया, मैं इस सदन में रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदया, भारत विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। लेकिन हमारे विशाल देश में कई क्षेत्रों में रेलवे की पहुंच होना अभी भी शेष है। मैं समय कम होने के कारण अपने राज्य केरल और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर ही बोलूंगा।

जैसा कि हमारे राज्य के अन्य सांसदों ने पहले ही उल्लेख किया है कि केरल में रेल लाइनों के जो दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य चल रहा है उसमें तेजी लायी जानी चाहिए और इस कार्य को युद्धस्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

अंगमाली-खबरी दो नयी लाइनें केरल राज्य में सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए स्वीकृत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन तीर्थयात्रियों को सुविधा देना था जो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक पवित्र स्थान, सबरीमाला की प्रत्येक वर्ष यात्रा करते हैं। अंगमाली-सबरी लाइन, जिसकी अनुमानित लागत करीब 650 करोड़ रुपये है, का कार्य वास्तव में नहीं हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार जमीन अधिग्रहण कार्य जो अभी भी शुरू नहीं हुआ है, को छोड़कर अन्य सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं। इसलिए और अधिक धन इस कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पूरे वर्ष यात्रियों की जरूरतें यह लाइन पूरी करे और आर्थिक रूप से यह लाभप्रद भी हो, इसके लिए इस लाइन को रम्मी पत्तनम थिट्टा और पुनलूर होकर त्रिवेन्द्रम लाइन से जोड़ जाना होगा।

जैसा कि हम जानते हैं कि केरल में तटीय क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है जहां रेल लाइन है। अधिकांश मध्य भू क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में अभी रेल सुविधा नहीं है। मदुरै-कोट्टायम 250 किलोमीटर बड़ी लाइन परियोजना का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है जबकि इसका सर्वेक्षण पिछले वर्ष ही होना था। मैं नहीं जानता कि सर्वेक्षण की अभी की स्थिति क्या है? अब इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा किया जाना है। इस विशेष रेलवे लाइन से केरल के पहाड़ी क्षेत्रों, जहां अभी

तक रेलवे लाइन नहीं है, की जरूरतें निश्चित रूप से पूरा होंगी। जहां तक व्यापार और पर्यटन का संबंध है, विशेष इस लाइन से इसकी अपार संभावनाएं हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अंगमाली-सबरी रेल लाइन और मदुरै-कोट्टायम रेल लाइन पर चल रहे कार्यों को पूरा करने के बाद इस लाइन पर विशेष रूप से ध्यान दें। इन दोनों लाइनों, जिसके लिए काफी धन की जरूरत है, का कार्य कॉकण रेल मॉडल पर शुरू किया जा सकता है।

महोदया, वास्तव में जब हमने अंगमाली-सबरी लाइन के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह के समय रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में अभ्यावेदन दिया तो उन्होंने कॉकण रेलवे के मॉडल के आधार पर कॉकण रेलवे निगम जैसा निकाय बनाकर यह कार्य शुरू करने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद वह सरकार गिर गयी और उसके बाद से ही यह विशेष परियोजना लंबित है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन दो लाइनों पर कार्य, कॉकण रेलवे निगम के मॉडल पर अलग निगम का गठन कर शुरू करें।

महोदया, देश में सभी जिला मुख्यालयों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है और मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। लेकिन इन केन्द्रों की स्थिति बहुत खराब है। मैं केरल अपने निर्वाचन क्षेत्र, इदुक्की जिले के मुख्यालय का उदाहरण दे सकता हूं। वहां का कंम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र समुचित ढंग से कार्य नहीं करता है। मैंने इसका जिक्र माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वेलू से किया था। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने मंडल रेलवे प्रबंधक से तुरंत संपर्क किया और केन्द्र फिर से चालू हो गया। लेकिन यह केन्द्र चालू रहना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

महोदया, कई रेलवे आउटएजेंसियां भी हैं। अनेक 'आउट एजेंसियों' को सभी रेल सेवाओं से जुड़ी टिकटें अपेक्षित संख्या में जारी करने की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में इन रेलवे आउट एजेंसी का क्या उपयोग है जब उन्हें किसी राज्य विशेष में सभी रेल सेवाओं से जुड़ी टिकटें जारी करने की अनुमति नहीं है? महोदया, ऐसे जिले या स्थान पर जहां न तो कोई रेलवे स्टेशन है और यदि है भी तो वह बहुत दूर है, ऐसे हालात में ये आउट एजेंसियां, आरक्षण केन्द्रों जनता की बहुत सहायता करती हैं। यदि पर्याप्त संख्या में टिकटें जारी करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वहां 'आउट एजेंसी' का क्या महत्व है?

केरल के इदुक्की जिले में कुमाली का ही उदाहरण लीजिए ...*(व्यवधान)*। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है मैं जानता हूं कि निकट भविष्य में इसकी सम्भावना भी नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री जार्ज, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मैं अपनी बात अभी समाप्त कर रहा हूं। यदि केरल में नयी रेलगाड़ियां शुरू की जाए तो उनमें से कम से कम एक का नाम उस विशेष क्षेत्र के नाम पर होना चाहिए चाहे इदुक्की एक्सप्रेस या हाई रेंज एक्सप्रेस या वेक्काड़ी एक्सप्रेस या पेरियार एक्सप्रेस। इस क्षेत्र में पर्यटन की बहुत संभावना है। यदि एक-दो रेलगाड़ी का नाम उस क्षेत्र विशेष के नाम पर रखा जाएगा तो इससे न केवल केरल में बल्कि पूरे देश में पर्यटन उद्योग को मदद मिलेगी। मैं माननीय मंत्री जी से इन मुद्दों पर विचार कर हमारी मदद करने का नम्र निवेदन करता हूं।

**श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा)* : मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को मंत्रालय प्रभावशाली तरीके से चलाने के लिए बधाई देता हूं।

महोदया, रेलवे, भारत की जीवन रेखा है। लाखों यात्री प्रत्येक दिन रेल गाड़ियों में यात्रा करते हैं। तथापि, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां रेल सुविधाएं नहीं हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे कम रेल सम्पर्क है। इन क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने की स्थिति अलग-अलग हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में रेल सम्पर्क या तो कम है या बिल्कुल नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इन जनजातीय क्षेत्रों में रेल सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

दूसरे मैं पश्चिम रेल मंडल स्थित साबरकंठा जिले में मोदसा और शामलजी के बीच 19 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की मांग करता रहा हूं। महोदया, यदि शामलजी-मोदसा, लुप्त रेल संपर्क को स्थापित कर दिया जाए तो इससे दिल्ली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, शामलजी, मोदसा, आनन्द, बड़ोदरा और मुंबई के बीच पूरी तरह से नए रास्ते खुल जाएंगे। इस 14 किलोमीटर के लुप्त रेल सम्पर्क के स्थापित होने से राजस्थान और गुजरात के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में समृद्धि आ जाएगी।

महोदया, इसी तरह से अहमदाबाद हिम्मतनगर-उदयपुर के बीच लाइन परिवर्तन के बारे में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस मार्ग में लाइन परिवर्तन का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हिम्मत नगर, इडौर, खेड़ब्रह्मा रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, प्रकाश और जलपान सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है।

हिम्मत नगर, उदयपुर रेल मार्ग पर कुछ रेल फाटक हैं। वीराबडा रेलवे स्टेशन, लुसाडिया रेलवे स्टेशन के निकट रेल फाटक हमेशा बंद रहते हैं। इन्हें दिन में खुला रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मेरा यह भी निवेदन है कि मेरठ शहर से रेवाड़ी के लिए प्रतिदिन एक शटल गाड़ी चलती है, जिसमें इस समय 18 डिब्बे हैं। इस गाड़ी में लगभग 40 प्रतिशत लोग बगैर टिकट यात्रा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सवारियों की संख्या अधिक होने के कारण अनेक यात्रियों को छत पर बैठकर यात्रा पूरी करनी पड़ती है। इस कारण हर समय उनके जान-माल को खतरा बना रहता है। महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस शटल गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी जाए, यानी दो डिब्बे और जोड़ दिए जाएं।

इस गाड़ी में एक महिला डिब्बा भी चलता है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उसमें उचित व्यवस्था नहीं है। निवेदन है कि शटल गाड़ी में चलने वाला महिला डिब्बा गार्ड कोच के साथ होना चाहिए और उसमें महिला सिक्योरिटी भी दी जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदया, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं आगे आकर बोल सकता हूं।

सभापति महोदया : ठीक है।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदया, आज हम लोग रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय रेल निश्चित तौर पर दुनिया के अंदर काफी अच्छी रेल मानी जाती है और यह तीसरे स्थान पर है। लेकिन यह केवल एक दिन या एक साल के प्रयास से नहीं हुआ, बल्कि इसमें लगातार लंबा प्रयास रहा है। उसका परिणाम है कि आज हम भारतीय रेल की प्रशंसा कर रहे हैं।

रेल मंत्री जी कुछ दिन पहले यूरोप गए थे। वहां जाकर उन्होंने नई तकनीक का पता लगाया। उन्होंने कहा कि हम रेलवे की बेहतरी के लिए काम करेंगे और भारतीय रेल को दुनिया में नंबर वन बनाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ मैट्रोपोलिटिन शहरों में रेल का आवागमन ठीक हो जाए या कुछ महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों पर चलने वाली गाड़ियां ठीक समय से चलने लगें, तो इससे सारे देश में रेलवे में सुधार हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। देश के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं, जहां रेलवे में अत्यंत सुधार की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे का विकास समान दृष्टि से हो और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिली है। मैं रेल मंत्री जी को अपने क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं।

रेल मंत्री जी ने जब रेल बजट पेश किया था तो कहा था, तब भी हमने कहा था कि मध्य प्रदेश की उपेक्षा हुई है। आज जब ये अनुपूरक मांगें सदन में प्रस्तुत हुई हैं, जिसके अंतर्गत 83 आइटम्स पर पैसा खर्च होना है, मैं कहूंगा कि फिर पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका चयन हुआ है और हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश की उपेक्षा हुई है। हमारे प्रदेश में रेलवे का बहुत विकास और विस्तार करने की जरूरत है, जो कि पहले से ही महसूस की जाती रही है। लेकिन उसकी जान बूझकर अनदेखी की जा रही है।

सभापति महोदया : गणेश सिंह जी, समय कम है इसलिए संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गणेश सिंह : मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। मंत्री जी ने कहा है कि हम विद्युतीकरण के लिए पैसा दे रहे हैं, दोहरीकरण के लिए पैसा दे रहे हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन हम लोग लंबे समय से लगातार मांग करते रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कटनी से मानिकपुर और इलाहाबाद, मानिकपुर से झांसी रेल लाइन का दोहरीकरण नहीं हुआ है। जबकि छोटी-छोटी रेल लाइंस विद्युतीकरण में परिवर्तित हो गईं, लेकिन ये नहीं हुईं। इलाहाबाद से सतना की दूरी करीब 160 किलो मीटर है, जो कि साढ़े चार-पांच घंटे में पूरी होती है। मेरा निवेदन है कि इस लाइन को भी दोहरीकरण और विद्युतीकरण के काम में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से 200 यात्री गाड़ियों को, आपने सुपरफास्ट बनाने की घोषणा की है और इसीलिए आपने टिकट के दाम भी बढ़ाए हैं, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेन में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका इन रेलगाड़ियों में अत्यंत अभाव है। इन रेलगाड़ियों में अत्यंत इतने पुराने डिब्बे लगे हुए हैं कि अगर आप उन्हें देख लें तो आप किसी भी हालत में नहीं कह सकते कि ये सुपरफास्ट ट्रेन हैं।

सायं 6.00 बजे

सुपरफास्ट का मतलब होता है उन गाड़ियों में अत्याधुनिक तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हों। अनुदान की मांगों में आपने कहा है कि

हम ओवर-ब्रिज और अंडर-ब्रिज बनाएंगे। हम दो साल से मांग करते रहे हैं कि मैहर स्टेशन व्यस्ततम स्टेशनों में से है और मुंबई से इलाहाबाद तक की सारी ट्रेने उसी रास्ते से गुजरती हैं और वही नेशनल हाई-वे-7 की क्रॉसिंग होती है तो 18-20 घंटे फाटक बंद रहता है। मैं दो सालों से वहां ओवर-ब्रिज की मांग कर रहा हूं। इस बारे में रेल राज्य मंत्री, माननीय और वेलुजी का पत्र मिला कि राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिला। नेशनल हाई-वे आपका है, रेलवे आपकी है सारे यात्री आपके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अनुशंसा पहले से ही दी जा चुकी है तो फिर आपने उसे बनाने का काम अब तक क्यों नहीं किया? आप रेलवे का विकास करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा समर्थन है। उसे दुनिया में नंबर-वन रेलवे बनाना चाहते हैं, हमारा समर्थन है, लेकिन उस विकास से अगर एक क्षेत्र अछूता रखा जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि आपने बहुत बड़ी तरक्की की है।

इसी तरीके से आपने गाड़ियों का समय परिवर्तित कर दिया। लेकिन रीवा से नई दिल्ली, तथा महाकौशल एक्सप्रेस का टाइम बहुत खराब है और वह ट्रेन दो बजे से पहले नहीं पहुंचती है जबकि यह ट्रेन सुपरफास्ट घोषित हो चुकी है। अत: सुबह 9 बजे तक ट्रेन दिल्ली पहुंचे ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए...*(व्यवधान)* मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए वह पूरी तरह से नहीं मिल रही है, गाड़ियों में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इन दिनों समाचार-पत्रों में खबरें छपती हैं कि यात्री यहां लूट लिये गये, यात्रियों को जहर खिलाकर लूटने की घटनाएं सुनने में आती हैं, कभी सिक्योरिटी वालों द्वारा लूटने की खबरें छपती हैं। मेरा कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए। हम अपनी रेल को दुनिया की नम्बर वन-रेल बनाना चाहते हैं तो बनाइये लेकिन जो रेलवे के अंदर सुधार चाहिए उस पर भी हम चाहते हैं कि रेल-मंत्री जी पूरा ध्यान दें।

*महोदया, मेरे उद्बोधन के साथ निम्नलिखित मांगों को जोड़ा जाये:-

1. कटनी से सतना मानिकपुर इलाहाबाद तक की रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाये। साथ ही मानिकपुर से इलाहाबाद तक दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जाये।

2. माकिनपुर से झांसी तक के रेल मार्ग का विद्युतीकरण करते हुए दोहरीकरण किया जाये।

3. मैहर में रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाये।

4. लगरगवां स्टेशन सतना से मैहर के बीच गोवराव मोड़ एवं पिपरा पर रेलवे फाटक लगाया जाये।

5. पूर्व रेल मंत्री जी की घोषणा अनुसार राजकोट एक्सप्रेस को कटनी से सतना रीवा तक चलायी जाये क्योंकि अब रीवा में वाशिंग पिट बन गया है।

6. ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है उसे द्रुत गति से चालू किया जाये। साथ ही सतना से पन्ना की ओर एवं रीवा से सीधी की ओर दो तरफ से कार्य और प्रारम्भ किया जाये।

7. जैतवारा रेलवे स्टेशन में कामयनी एक्सप्रेस का स्टापेज किया जाये।

8. रीवा से नयी दिल्ली तथा महाकौशल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन कर दिल्ली सुबह 9 बजे तक चलाया जाये।

9. महाकौशल एक्सप्रेस, नयी दिल्ली रीवा, मुंबई हावड़ा, सारनाथ एक्सप्रेस जनता एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस में अत्यंत पुराने डिब्बे लगे हुये हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अत: पुराने डिब्बे बदल कर नये डिब्बे लगाये जायें।

10. मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व में जो गाड़िया रुकती थीं यथावत पुन: रोकी जायें।

11. मैहर से चित्रकूट तक एक पैसेंजर गाड़ी चलाया जाये। इसकी लंबे समय से मांग होती आ रही है क्योंकि ये दोनों स्थान धार्मिक नगरी के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष में 50 लाख से अधिक लोग वहां आते जाते हैं।

12. रीवा से मुंबई तक यात्री गाड़ी चलायी जाये।

13. जैतवारा, खुटहा, मझगवां, लगरगवां, ठचेहरा, भदनपुर, अमदरा, मुकेही खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशनों का अपग्रेड किया जाये ताकि सभी तरह की सुविधा यहीं दी जा सके।

14. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से गाड़ी बदलने पर उन्हें 35 रुपये का अधिभार देना पड़ता है, उस पर तत्काल रोक लगायी जाये।

15. सतना रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जाये।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गणेश सिंह]

16. सतना से रीवा रेल मार्ग का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण किया जाये।

17. सतना रीवा रेल मार्ग पर जमुना में रेलवे स्टेशन की स्थापना की जाये।

सभापति महोदया : जो भी सदस्य अपनी रिटन-स्पीच सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं।

[अनुवाद]

***श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन** (रामनाथपुरम) : मैं वर्ष 2006-2007 के लिए रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख करना चाहती हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय लालू जी और वेलुजी को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने रामेश्वरम तक बड़ी रेल लाइन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम में किलाक्कराई, कमुदावुड्डि और उच्चिपुलि में रेल उपरिपुल का निर्माण किया जाए। मैं रेल मंत्री की जानकारी में यह बात भी लाना चाहती हूं कि रामनाथपुरम एक महान विरासत केन्द्र है। रामेश्वरम, तिरुप्पुल्लनी, तिरुत्तारकोसमंगई, डिकरीपट्टिनन और एल्दी जैसे तीर्थस्थल रामनाथपुरम के आसपास स्थित हैं। समस्त भारतवर्ष के लोग प्रतिदिन इन तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ आते हैं। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि रामनाथपुरम में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर विशेष आवास सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे इन तीर्थस्थलों के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों को सहायता मिले। मैं रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करती हूं कि तिरूप्पुरनम में एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए ताकि रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र के लोग मदुरै से चेन्नई तक जाने वाली सभी प्रमुख रेलगाड़ियों में यहां से टिकट आरक्षित करा सकें।

मेरे क्षेत्र में आमान परिवर्तन तेजी से शुरू किया जाना चाहिए इससे मुछआरों तथा अन्य व्यापारियों को अविलंब अपना व्यापार करने में सहायता मिलेगी। इससे भारत के दक्षिणी भाग में राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होने में भी सहायता मिलेगी।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रेल मंत्री लालू जी और राज्य मंत्री वेलुजी को रेल मंत्रालय में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

***श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज) : महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट, 2006-07 का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने दो वर्षों के कम समय में रेलवे की व्यवस्था में एक सार्थक परिवर्तन कर रेलवे को एक मुकाम पर पहुंचाने का कार्य किया है। मैं उनकी और यूपीए सरकार की इस उपलब्धि की सराहना करता हूं।

व्यवस्था के इस आश्चर्यजनक फलाफल से प्रभावित देश और विदेश की व्यवस्था विशेषज्ञों की होड़ लगी है कि लालू जी की इस व्यवस्था का राज कैसे जान लें? हम पिछड़े बिहार के वाजिब हिस्से की वकालत करते हुए माननीय मंत्री जी से कुछ मांगें करना चाहते हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वे निम्नलिखित हैं—थावें से गोपालगंज, सिद्धवलिया बैकुण्ठपुर और कप्तानगंज होते हुए छपरा तक की लाइन का आमान परिवर्तन कार्य जो ठीक से शुरू करने की कृपा करें और यह भी मांग करता हूं कि थावें से दिल्ली एवं थावें से कलकत्ता के लिए एक-एक एक्सप्रेस ट्रेन दी जाए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति जी, जैसा कि अभी सदस्यों ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान की रेलवे को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेल बनाया जाए।

सायं 6.03 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी तथा समस्त रेल मंत्रालय की टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने इस क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाए हैं और सही दिशा में काम किया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : माननीय लालू जी की प्रशंसा तो बहुत कर चुके, अब वेलुजी की भी कीजिए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैंने कहा : "रेल मंत्रालय की पूरी टीम को"...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया, अपना भाषण जारी रखिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, उन्होंने सही दिशा में कदम उठाए हैं। यह बहुत बड़ा संगठन है और इन्होंने कुछ वर्षों में ही इसका कायाकल्प कर दिया है। यह वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने यह कार्य आम यात्रियों का किराया बढ़ाकर नहीं अपितु कुछ बाधाएं, कुछ त्रुटियां कम करके माल भाड़े में वृद्धि करके तथा कुछ नए कदम उठाकर किया है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है और इस बात ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में मेरे एक मित्र, जो अमरीका में है, ने लालूजी और भारतीय रेल के बारे में एक लेख पढ़ा था। उन्होंने मुझे फोन करके विश्व में भारतीय रेल के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में बताया।

इतना कहने के बाद मैं अपनी बात कहने से पहले अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक दु:खदायी बात भी देखने को मिली। इस सप्लीमेंटरी बजट में 83 बिंदु हैं लेकिन दु:ख की बात है कि इन 83 में से एक भी सीधे तौर पर मेरे प्रदेश हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बात को नोट करते हुए दु:ख होता है कि क्या हम इस महान देश के अंग नहीं हैं?

महोदय, क्या हरियाणा ने हिंदुस्तान के विकास में किसी प्रकार की कमी की है या इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जो ऐसे हालात आज हरियाणा को देखने पड़ रहे हैं। 83 में से सिर्फ नम्बर-20 ऐसा अंक है, जिसमें हरियाणा के कुछ स्टेशनों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने की बात कही गई है और एक लाख रुपए वर्ष 2006-07 का आउट-ले रखा गया है। यह चिंता का विषय है। इससे आगे बढ़ते हुए 3-4 मुख्य बिंदुओं की तरफ, जो हरियाणा से संबंधित हैं, सदन और आदरणीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा रोहतक से शुरू होने वाली दिल्ली-भटिंडा लाइन का विद्युतीकरण है। हाल ही में रोहतक एन.सी.आर. क्षेत्र के भीतर आता है और लगभग एक लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं। इन यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किल से डीजल इंजनों से चलने वाली 20 जोड़ी मेल गाड़ियां रात-दिन चलती हैं।

[हिन्दी]

हमने बहुत लैटर्स लिखे, बहुत मांग की, उसके बावजूद कई सालों से यह मुद्दा चल रहा है। हमारी यूपीए की सरकार को सत्ता में आए दो वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा पिछले 15 सालों से बहुत अहम मुद्दा है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रीफिकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पैसेंजर ट्रैफिक के साथ इस रेलवे लाइन दिल्ली-भटिंडा सैक्शन में फ्रेट ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। मैं नई रेलवे लाइनों के बारे में भी कहना चाहता हूं। एक रेलवे लाइन जीन से सोनीपत मंजूर की गई थी। उस रेलवे लाइन के लिए इस प्लान आउटले में ज्यादा प्रबंध नहीं किया गया है। मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। दूसरी एक रेलवे लाइन रोहतक से झज्झर होते हुए रेवाड़ी मंजूर की है। जहां तक इस रेलवे लाइन का संबंध है, इसमें अनोखी स्थिति देखने को मिली। राज्य सरकार ने रेलवे मिनिस्ट्री से बात की और केंद्र सरकार ने कहा कि अगर 50 फीसदी खर्च अगर राज्य सरकार उठाए, तो रेलवे लाइन जल्दी बन जाएगी। राज्य सरकार ने 50 फीसदी खर्च वहन करने का फैसला किया है। मैं आग्रह करता हूं कि इस लाइन पर जल्दी काम शुरू करके सरकार एक उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत करे कि रेलवे मिनिस्ट्री की जो पालिसी है, उससे राज्य सरकार किस प्रकार से फायदा उठा सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम के तहत अपनी रेलवे लाइन सैंक्शन कराएं।

एक और बड़ी मांग है कि रोहतक से लेकर हांसी वाया मदीना-मंसोरखी, इस रेलवे लाइन के लिए नए सिरे से सर्वे कराया जाए। आगे आने वाले वर्षों में यह अहम रेलवे लाइन बनने वाली है। एक और अहम रेलवे लाइन दिल्ली से मेवात तक की है। मेवात पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। कई मर्तबा पूर्व सरकारों ने एक घोषणाएं कीं, मगर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। मैं आग्रह करता हूं कि इस रेलवे लाइन की तरफ भी जल्द ध्यान दिया जाए।

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

एक और आग्रह करता हूं कि रोहतक का जो स्टेशन है, उसे माडल रेलवे स्टेशन के रूप में जल्दी से जल्दी तब्दील किया जाए। वह हिंदुस्तान के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसे सौ साल से ऊपर बने हुए हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस रेलवे स्टेशन की तरफ ध्यान देकर माडल स्टेशन बनाया जाए।

[अनुवाद]

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रोहतक-पानीपत रेल लाइन को रोहतक नगर निगम क्षेत्र के बाहर पुन:स्थापित करने के बारे में है। इस समय स्थिति दुर्भाग्यपूण है। यह रोहतक-पानीपत रेल लाइन 80 वर्ष पूर्व उस समय बिछाई गई थी जब यह शहर अपने विकास चरण में था और यह लाइन उस समय शहर के आबादी वाले क्षेत्र के बाहर थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान आबादी बढ़ने के कारण यह लाइन दोनों ओर की घनी आबादी वाली कॉलोनियों के बीच में सिमट कर रह गई है। रेल पटरियों के आसपास के क्षेत्र में उचित ढंग से दीवार न होने। दीवार बनाए जाने की संभावना नहीं होने के कारण अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से रोहतक-पानीपत रेल लाइन को रोहतक नगर निगम क्षेत्र से बाहर पुनर्स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि एक तो वाइडनिंग आफ गेट्स की बात है। पहले मेरे संसदीय क्षेत्र में सड़कें पतली थीं। कोई दो लेन की सड़क थी, कोई रूरल सड़क थी और कोई सिंगल लेन की रोड थी। अब आर्थिक रूप से हमारे विकास के कारण वह सड़कें चार लेन की बन चुकी हैं और छह लेन की बनाने की बात कर रहे हैं। रेलवे के फाटक बौटल नैक का काम करते हैं। रेलवे फाटकों की चौड़ाई नहीं बढ़ायी गई है। यह छोटी बात है लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इसमें तीव्रता से काम दिखा कर जल्दी से जल्दी एक सहायक भूमिका निभायी जाए।

मैं आखिर में नए हाल्ट स्टेशन की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के 16 और मैम्बर्स हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं लाखन माजरा के अन्दर नए हाल्ट स्टेशन की मांग करता हूं। 60 साल पहले खराटी रेलवे स्टेशन एक परपज सर्व कर रहा था। वहां एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। मैं फिर आग्रह करता हूं कि हरियाणा के साथ इस सप्लीमैंटरी डिमांड्स में अनदेखी हुई है। 83 बिन्दुओं का सप्लीमैंटरी बजट पेश किया गया है जिस में एक-एक बिन्दु में आउटले किया है। हरियाणा के साथ जो अनदेखी हुई है उसे दूर करते हुए, प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए, माननीय रेल मंत्री जी लालू प्रसाद ठोस कदम उठाएं। पिछले दो सालों में वह इस तरफ आगे बढ़े हैं। उस तरफ और आगे बढ़ते हुए, हरियाणा की अनदेखी को दूर किया जाए।

[अनुवाद]

*श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं बीजू जनता दल उड़ीसा की ओर से माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व की रिकार्ड राशि देश के लिए अर्जित करके देश की अच्छी सेवा की है। चूंकि, मेरे पास बहुत कम समय है। इसलिए, मैं अपने राज्य और चुनाव क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। उड़ीसा राज्य की लम्बे समय से उपेक्षा होती रही है। वर्ष 2006-2007 के बजट में जितना प्रावधान किया गया है वह राज्य के पूर्व-तटीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है।

राज्य की हरीदासपुर-पारादीप रेल संपर्क को रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है। परंतु राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह जितना महत्वपूर्ण है उसकी तुलना में इसमें कोई उपलब्धि नहीं हुई है। राज्य के अंदर निर्धाणाधीन सभी रेल संपर्कों की यही स्थिति है, इसलिए राज्य में निर्धाणाधीन रेल संपर्कों के कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए मैं और धनराशि की मांग करता हूं।

मेरे चुनाव क्षेत्र में पूर्वी तटीय रेल के बौडपुर-भद्रक रेल स्टेशनों के बीच एक रेल उपरि पुल का निर्माण 50:50 के आधार पर किया जाता है। अर्थात् 50 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जबकि 50 प्रतिशत खर्च रेल प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। यद्यपि उड़ीसा सरकार ने अपेक्षित कोष पहले ही उपलब्ध करा दिया है और कार्य में काफी प्रगति हुई है लेकिन रेल प्रशासन द्वारा अभी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तक अपेक्षित धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिणामस्वरूप रेल-उपरिपुल का कार्य रेलवे की भूमि पर अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए उपरिपुल के लिए जरूरी 50 प्रतिशत की लागत यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

*श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : भारतीय रेल इन दिनों एक लाभ कमाने वाला उपक्रम बन गया है। मैं माननीय रेल मंत्री, और रेल राज्य मंत्री तथा लाखों कामगारों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारतीय रेल में एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाया है।

हम अपने लोगों और यात्रियों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने भारतीय रेल के साथ सहयोग किया। यात्रियों के लाभ और कल्याण के संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारतीय रेल ने कम से कम 200 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में परिवर्तित किया है। वास्तव में लम्बी दूरी की यात्रा के लिए हमें सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की आवश्यकता है। लेकिन इससे उन यात्रियों के लिए कठिनाइयां नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जो मौजूदा यात्रा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

यदि रेलवे लम्बी दूरी की नई रेलगाड़ियां शुरू करता है तो इन्हें सुपरफास्ट रेलगाड़ी के रूप में शुरू किया जा सकता है लेकिन मौजूदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में बदलना और बिना कोई अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराये यात्रियों से अधिक पैसा वसूल करना उचित नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा साधारण यात्रियों को रेल द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारतीय रेल की अधिकांश आय निम्न दर्जे की यात्री सेवाओं से है न कि उच्च दर्जे की यात्री सेवाओं से।

रेलवे इस समय साधारण लोगों के लिए यात्री सुविधाओं से ज्यादा व्यावसायिकरण को महत्व दे रहा है। रेल यात्रियों की संख्या दिनोदिन बढ़ रही है। विशेषकर बसों के किराया में वृद्धि के कारण चाहे वे निजी बसें हो या सरकारी। इसलिए जब हम और सुपरफास्ट ट्रेनों को शुरू करने की बात करते हैं तो साधारण यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उतनी संख्या में स्थानीय यात्री रेलगाड़ियां भी चलानी चाहिएं।

मैं केरल में दक्षिणी तथा उत्तरी भाग में भी और स्थानीय यात्री गाड़ियां चलाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं। हम इलेक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट, डीजल मल्टीपल यूनिट को भी प्रायोगिक रूप से चला सकते हैं।

केरल में लगभग 85 रेल उपरी पुल हैं जिनमें से 10 उपरि पुलों का काम पूरा हो चुका है तथा 7 पुलों का काम विभिन्न चरणों में है। यद्यपि राज्य सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है शेष रेलवे उपरि पुलों का काम रेलवे ने अभी पूरा नहीं किया। उदाहरण के लिए, कासरगोड जिले में चोकल में रेल उपरि-पुल को ले सकते हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व केरल सरकार द्वारा काम पूरा कर लिया गया था। लेकिन रेलवे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।

नई रेलगाड़ियों को शुरू करते समय महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव के बारे में नहीं सोचा गया। नई शुरू की गई चेन्नई-मंगलोर एक्सप्रेस की डिवीजन हेडक्वार्टर पलक्कड़ में तथा कासरगोड जिला मुख्यालय में ठहराव नहीं है। यदि यही स्थिति है तो नई रेलगाड़ियां चलाने का क्या लाभ है। यद्यपि कासरगोड जिला मुख्यालय है लेकिन इस पर आदर्श स्टेशन के लिए विचार नहीं किया गया जबकि अन्य निम्न श्रेणी के स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बना दिया गया।

रेलवे में निजीकरण के कारण वर्तमान भार वाहक अपना रोजगार खोले जा रहे हैं। कम से कम सामान की ढुलाई का काम भारवाहकों को दिया जाना चाहिए। चूंकि आई.आर.सी.टी. ने अपना काम शुरू कर दिया है इसलिए खान-पान सेवा के बहुत से कामगारों को रोजगार देने से मना कर दिया गया। इन श्रमिकों के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों विशेषकर मंगला एक्सप्रेस में भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। हम संसद सदस्यों को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों, में डिब्बों में विशेषकर शयनयानों और सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ानी होगी। इन दिनों रेलगाड़ियों में महिलाओं के विरुद्ध हमलों या डकैती की घटनाओं की शिकायतें मिल रही हैं। सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए।

सोरनूर से मंगलोर तक पटरी को दोहरा करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

केरल के उत्तरी भाग में विद्युतीकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। साप्ताहिक इरुवंधापुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए।

सप्ताह में तीन दिन चलने वाली मक्कली एक्सप्रेस को रोज चलाया जाना चाहिए। मंगलोर-कन्नूर यात्री गाड़ी को चलाया जाना चाहिए जिसका

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. करूणाकरन]

पिछले वर्ष रेल राज्य मंत्री द्वारा वचन दिया गया था। नई चेन्नई-मंगलोर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए कासरगोड और पलक्कड़ में ठहराव बनाया जाए। केरल में नए रेलवे स्टेशनों पर छत डालने की जरूरत है। कृपया शीघ्र ही कार्रवाई की जाए।

रेलभर्ती बोर्ड के वर्तमान मानदंडों के अनुरूप रोजगार संबंधी रिक्तियों की सूचना पांच समाचारपत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए। कई सप्ताह पहले कालीकट में एक लिखित परीक्षा हुई थी लेकिन केरल से इसमें किसी ने भी भाग नहीं लिया क्योंकि रिक्तियों और आवेदनों संबंधी समाचार और किसी भी मलयालम समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। पांचों समाचारपत्र उत्तरी राज्यों के थे इसलिए इस मानदंडों में सुधार होना चाहिए। पांच समाचारपत्रों में से कम से कम दो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के होने चाहिए जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री अलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, रेलवे की 2006-07 की अनुपूरक मांगों के संदर्भ में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत कम समय लूंगा। इतना कहना चाहूंगा कि हमारे रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी ने कई संदर्भों में इतिहास बनाया है। सबसे पहला लाभ का इतिहास पिछले दो बजट से बनाया है। इन्होंने एक परिवर्तन किया और परिवर्तन करके रेलवे का मॉडल प्रोजैक्ट बना दिया जिससे पूरे देश और दुनिया के मैनेजमेंट इंस्ट्टीट्यूट्स और एक्सपर्ट्स के बीच यह जानने की होड़ लगी कि कैसे घाटे को दूर किया जाता है? अनुमान लगाया जाता था कि 60 हजार करोड़ रुपए के घाटे में जाकर यह विभाग दिवालिया हो जाएगा। पिछले दो बजटों द्वारा इसे लाभ में पहुंचाया गया। जो आगे प्रोजैक्शन हैं, निश्चित रूप से उस ट्रैंड को देखते हुए बता सकते हैं कि अगले बजट का 20 हजार करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने में हम बहुत कामयाब होंगे और ऐसी सभी साथियों की शुभकामनाएं हैं।

पिछले दिनों कई देशों का दौरा करने जो टीम गई थी उसने और लालू जी ने पूरा अध्ययन किया और कहा कि टैक्नॉलोजी ट्रांसफर करके इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। हम उसके बारे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय रेल का स्थान विश्व में तीसरे से पहले स्थान में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

बहुत सारी बातें हैं जिन्हें कम शब्दों में कहना है। डीजल के दामों में मूल्यवृद्धि हुई है। फिर भी रेल का किराया नहीं बढ़ाया गया और न ही निजीकरण को कोई प्रोत्साहन मिला। रेल भाड़े की वृद्धि की वजह से जो आम सामान की मूल्य वृद्धि होती है, उन पर अंकुश लगाने का काम लालू जी ने किया है जिस के लिए वह बधाई के पात्र हैं। यदि पिछले दो-तीन महीने का ट्रैंड देखें तो पता लगेगा कि माल भाड़े से बहुत अच्छी इनकम हुई है और वह पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। 55 नई रेल गाड़ियों को शामिल किया जाना, 37 गाड़ियों के मार्ग का विस्तार, चार ट्रेनों में विश्वस्तरीय सुविधाएं, 190 ट्रेनों में ज्यादा कोच, ये सभी उपलब्धियां मैं समझता हूं कि एक साथ दूसरे विभागों के लिए अनुकरणीय हैं। भारत की इकॉनमी में वह बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इस तरह की व्यवस्था को दूसरे विभागों में भी चलाएं।

वर्ष 2001 में जब यहां एन.डी.ए. की सरकार थी, तब की तुलना में आज रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या आधा है। यह बात गौर करने योग्य है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सदन में हंगामा किया जाता है कि यह करो, वह करो, लेकिन यदि अभी के आंकड़े देखे जाएं तो वर्तमान में दुर्घटनाओं की संख्या आधी है।

सभापति महोदय, बिहार के बारे में माननीय राम कृपाल यादव जी ने बहुत विस्तार से बताया कि बिहार बहुत उपेक्षित रहा है, इसलिए बिहार के लिए एलोकेशन बढ़ाया जाए। इस बात की मांग करते हुए, मैं अपने संसदीय क्षेत्र तथा बिहार के अन्य क्षेत्रों के संबंध में अपनी कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली है, जहां से मैं सांसद हूं। मैं चाहता हूं कि समस्तीपुर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक एक्सप्रेस या मेल ट्रेन चलाई जाए। दलसिंग सराय में 32 नम्बर गुमटी पर आर.ओ.बी. बनाया जाए। भोला टाकीज के पास समस्तीपुर में आर.ओ.बी. बनाया जाए। बथुआ और बसरिया इनमें से शायद एक स्टेशन पर माननीय मंत्री जी ने हाल्ट की अनुमति दे दी है, लेकिन इन दोनों हाल्टों को बनाने की बहुत आवश्यकता है। पटोरी, मौहिउद्दीन नगर, दलसिंग सराय, उजियार पुर, खुदीराम बोस स्टेशन, पूसा, सिंघियाघाट स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाए। उजियारपुर प्रखंड में जनकपुर के पास रेलवे क्रासिंग का निर्माण कराया जाए। समस्तीपुर में डी.एम.यू. शेड और वहां से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बछुआरा, मौहिउद्दीन नगर, दरभंगा तथा मधुबनी जैसी जगहों के लिए डी.एम.यू. ट्रेन चलाने की बहुत आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय पूसा स्टेशन पर ऊपरिगामी पैदल पारपथ की अत्यंत आवश्यकता है। इसके न होने की वजह से

वहां बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। वैशाली एक्सप्रेस को बरौनी की बजाय समस्तीपुर से चलाया जाए, यह हमारे क्षेत्र की मांग है। इसके अलावा हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि थावे, गोपालगंज, सिद्धवालिया, बैकुंठपुर, छपरा लाइन के आमान परिवर्तन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कार्य बहुत मंथर गति से चल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इसे शीघ्र पूरा कराया जाए। पटना राजधानी एक्सप्रेस को डेली ट्रेन बनाया जाए। आरा से छपरा को जोड़ने के लिए रेल पुल का निर्माण कराया जाए। बक्सर से आरा के बीच महतवनिया में एक हाल्ट का निर्माण कराया जाए। ग्राम कारीसाथ में समपार-पथ, यानी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक का निर्माण कराया जाए। दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस, हटिया एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, झारखंड एक्सप्रेस डेहरी ऑन-सोन से होकर गुजरती है। इसमें से किसी भी एक को ट्रेन को डेहरी ऑन-सोन में रोका जाए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मंत्री जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सामुदायिक विकास भवन बनाने की जो श्रृंखला शुरू की है, उसमें हमारे क्षेत्र समस्तीपुर को भी शामिल किया है। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। समस्तीपुर के अवाम और रेलवे के समस्त कर्मचारियों की ओर से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में वर्कशाप के उन्नयन और विस्तारीकरण की घोषणा भी माननीय रेल मंत्री जी ने की है। वह एक ऐसा ऐतिहासिक वर्कशाप था कि जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में टैंकों को ढोने के लिए मालगाड़ी के डिब्बे बनाये जाते थे, लेकिन उसे उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया था। माननीय रेल मंत्री जी ने वहां की जनभावनाओं को देखते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और इसे उद्योग का दर्जा देते हुए, इसके विस्तारीकरण का काम किया है। इसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण आपने किया है, आपने वहां दो-दो पैदल पारपथ दिये, इन सब चीजों के लिए हम किस तरह से आपका आभार व्यक्त करें हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और रेलवे अनुपूरक बजट का पुरजोर समर्थन करते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसके समर्थन में इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि माननीय रेल मंत्री जी ने हमारे उत्तर रेलवे के मध्य डिवीजन में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का काम किया है, निश्चित ही इससे रेलवे विभाग के कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं इस रेल बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री जी, हमारे उत्तर मध्य रेलवे में झांसी डिवीजन में एक कोच स्टेशन है जो कम से कम डेढ़ सौ साल पुराना है। वहां से रावतपुरा एक तीर्थस्थल है, वहां सैकड़ों लोग आते जाते हैं और वहां कोच स्टेशन पर कम्प्यूटरकृत आरक्षण की सुविधा न होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे या तो ग्वालियर की तरफ या उरई की तरफ भागते हैं जब जाकर उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलती है। इसलिए मेरी मांग है कि कोच स्टेशन पर कम्प्यूटरकृत आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए।

एटा जंक्शन कानपुर और झांसी के बीच में है। वहां विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां कर्मचारी जैसे जे.ई. वगैरह बिल्कुल काम नहीं करते हैं। एक दिन मैं यात्रा कर रहा था और करीब आठ-नौ बजे के करीब छपरा स्टेशन पर ट्रेन लेट आई तो वहां मैंने देखा कि वहां बिल्कुल अंधेरा था। वहां स्टेशन मास्टर मोमबत्ती में स्टेशन चला रहे हैं जबकि विभाग द्वारा एक ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था रखने के लिए विभाग ने पैसे भी दे दिये हैं। लेकिन कर्मचारियों को कोई चिंता ही नहीं है। साढ़े तीन साल से पैसे जमा हैं और विद्युत विभाग को यदि उन्होंने एक भी पत्र लिया होता तो उनके यहां विद्युत व्यवस्था पहुंच गई होती। इसलिए निश्चित रूप से विद्युत की व्यवस्था ठीक की जाए। साथ ही साथ एट जंक्शन होने के कारण वहां वी.आई.पी. रूप बनाने की व्यवस्था की जाए। एट जंक्शन पर पुष्पक एक्सप्रेस, मद्रास-लखनऊ, कोचीन गोरखपुर, इन्दौर, पटना आदि सभी गाड़ियों का अप एवं डाऊन में गाड़ी का स्टापेज किया जाए जिससे लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा हो सके जिससे लोग मुम्बई आदि अन्य जगह के लिए यात्रा कर सकें।

कोच से शटल चलती है। उसके रुकने के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है। यात्री जब उतरते हैं तो बुजुर्ग लोग तो उतर ही नहीं पाते हैं। लोगों को उतरने में इतनी परेशानी होती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि निश्चित रूप से वहां एक प्लेटफार्म बनाया जाए और उसके साथ ओवरब्रिज बनाया जाए जिससे ओवरब्रिज के द्वारा एक नम्बर प्लेटफार्म पर यात्री आ सकें।

हम मांग करते हैं कि हमारे यहां 1016 कुशीनगर एक्सप्रेस, 2534 पुष्पक एक्सप्रेस, 1058 पठानकोट एक्सप्रेस, 2137 पंजाब मेल आदि मुम्बई जाने वाली ट्रेनों में कोच स्टेशन से आरक्षण सीट दी जाए

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

जिससे जो क्षेत्र का कैंसर का मरीज है, उसे और वहां के लोगों को मुम्बई के लिए कोई आरक्षण नहीं मिलता है, इसलिए वहां आरक्षण की सुविधा की जाए। कोच के लिए हम मांग कर रहे हैं कि वहां पानी की टंकी मोटर सहित रखने की व्यवस्था की जाए जिससे यात्रियों के पेयजल की समस्या हल हो जाए।

झांसी से कानपुर के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, उसमें जीआरपी की व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा के लिए की जाए जिससे व्यापारी वर्ग और दूसरे यात्री सुरक्षापूर्वक यात्रा कर सकें। कानपुर से चलने के बाद चेन पुलिंग वहां बहुत ज्यादा होती है। वहां जीआरपी की सही व्यवस्था हो जिससे गाड़ियां समय पर पहुंच सके। इसके अलावा गाड़ी में ए.सी. II, ए.सी. III तथा चेयर कार इत्यादि की व्यवस्था की जाए जिससे यात्री ढंग से यात्रा कर सकें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि आपके यहां से पटना से, हावड़ा से जो गाड़ी दिल्ली के लिए चलती हैं, उनमें से एक-दो गाड़ी पटना से चलकर कानपुर, दिल्ली और झांसी के लिए निकाल दी जाए और वहां दिल्ली से झांसी और कानपुर के लिए निकाल दी जाए जिससे वहां के यात्री पटना से और दिल्ली से जुड़ सकें।

मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि उरई स्टेशन से जो गाड़ी मुम्बई के लिए निकलती है, हमारी मांग है कि कम से कम वह गाड़ी उरई स्टेशन पर रुकनी चाहिए जिससे वहां के उद्योगपति मुम्बई जा सकें। आपने उत्तर मध्य रेलवे के लिए संघर्ष एक्सप्रेस बनाने के लिए धन दिया है, इसलिए मैं पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई रेलवे की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामने की बैंचों पर बैठे हुए साथी कह रहे थे कि कई वर्षों का प्रयास है जिसकी वजह से श्री लालू प्रसाद यादव ने रेल को घाटे से लाभ में पहुंचाया है। यह बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये पहले भी रेल को फायदे में पहुंचा सकते थे। यह तो जब माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और देश के प्रधान मंत्री जी ने लालू प्रसाद जी को जिम्मेदारी दी, तब उन्होंने अपने विवेक से यह सारा प्रबंधन करके रेल को फायदे में पहुंचाया। आज देश का हर वर्ग लालू जी की प्रशंसा कर रहा है चाहे वह किसान हो, गरीब मजदूर हो, व्यापारी हो या पास-होल्डर कर्मचारी हो। मैं सामने बैठे साथियों से कहना चाहूंगा कि वे नुक्ताचीनी करें लेकिन प्रशंसा भी साथ-साथ करें कि यूपीए आने के बाद भारतीय रेल ने जितना तेजी से विकास किया है, गरीब आदमी को जितना फायदा दिया है उतना आज तक किसी ने नहीं दिया।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। आज रेल का प्रबंधन तो बहुत अच्छा है और रेल बहुत फायदे में चल रही है तो उस फायदे में से हरियाणा को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो ओवर ब्रिजेज की आवश्यकता है। लालू प्रसाद जी ने स्वयं कहा था। हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा राज्य का हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। वहां दो तीन रेलवे लाइनों पर रेल ओवर ब्रिज बनाने हैं। एक जिन्द में नेशनल हाईवे नं. 65 के ऊपर नरवाना में है। यह दिल्ली से भटिन्डा रेलवे लाइन पर है और वहां दिन में 12-13 घंटे फाटक बंद रहता है। वहां अतिशीघ्र रेल ओवर ब्रिज बनाया जाए। यह बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। हरियाणा प्रदेश के अधिकांश वाहन वहां से गुजरते हैं क्योंकि हिसार औद्योगिक क्षेत्र है और चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी है। इसी रास्ते में यह फाटक घंटों बंद रहता है। इसीलिए दो ओवर ब्रिज नरवाना में बनाए जाएं। दूसरा, एक अनाज मंडी नरवाना में है और वहां एफसीआई का गोदाम भी है। वहां बहुत ज्यादा अनाज आता है। सारा दिन सामान लोड करना होता है पर फाटक बंद हो जाता है। इससे वहां रेलवे को, ठेकेदारों को और मजदूरों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए मजदूरों के हितों को देखते हुए नरवाना शहर में दूसरा ओवर ब्रिज बनाया जाए जो पुरानी कचहरी के पास है। हमारे यहां उचाना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर बहुत देर तक फाटक बंद रहता है। वह एक धार्मिक स्थल भी है। वहां से भंभौरी तक सड़क जाती है। वहां एक रेल ओवर ब्रिज बनाया जाए। यह भी दिल्ली-भटिन्डा रेलवे लाइन पर है।

हमारे साथी दीपेन्द्र जी ने जो कहा था कि दिल्ली से भटिन्डा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो दो-तीन छोटी-छोटी लाइनों के बारे में लालू प्रसाद जी ने कहा है, उसका पैसा भी हरियाणा में दिया जाए। झांसी से रोहतक यदि रास्ता जुड़ जाएगा तो 200 किलोमीटर का फायदा हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता को मिल जाएगा। इसी तरह से जिन्द से सोनीपत की रेलवे लाइन भी मंजूर है। उसमें थोड़ा बहुत पैसा दे दें, आपको तो 11000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। जिस दिन मंत्री जी हरियाणा को पैसा दे देंगे, उस दिन सारे देश में संदेश जाएगा कि हरियाणा प्रदेश

को भी रेलवे के लाभ में से हिस्सा मिला है। इससे रेलवे का लाभ भी बढ़ेगा।

महोदय, जिन्द हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी है। जिन्द से चंडीगढ़ तक रेल चलाई जाए। एक ट्रेक है जिन्द से नरवाना जंक्शन-कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़। इसलिए वहां कोई नई रेल लाइन नहीं बिछानी है। उसी पर एक रेल चल सकती है। एक रेल जिन्द से सुबह चले और दिल्ली आए। जिन्द से प्रतिदिन हजारों यात्री दिल्ली आते हैं। एक ट्रेन रोहतक तक चलती है। उसे रोहतक से जिन्द तक सुबह के समय बढ़ा दिया जाए ताकि डेली पैसेन्जर्स को सुविधा मिल सके। जिन्द और अमृतसर दोनों बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं। एक ट्रेन जिन्द से अमृतसर चलाई जाए। ये तीन-चार रेलें चलाई जाएं और तीन-चार पुल बना दें। हरियाणा प्रदेश ने जो पैसा रेलवे के लिए कमाया है, उसमें से उसको भी कुछ हिस्सा दे दें तो आपको और फायदा होगा।

मैं एक बार फिर अपने सामने वाले साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में बहस करो, नुक्ताचीनी मत करो, आप सुझाव दें।

अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सदन में कोकोकोला और पेप्सीकोला को लेकर बहस चली थी, मैं रेल मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा कि आप कोकोकोला और पेप्सीकोला को बंद करके मट्ठा और दूध ज्यादा चलाएं ताकि देश के गरीब किसान, जो मेहनत करके अपने पशु पालता है। उसे उसका फायदा मिले, न कि पूंजीपतियों को इसका फायदा मिले।

[अनुवाद]

*श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं रेल संबंधी केन्द्र सरकार के व्यय के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगो के समर्थन में बोलने के लिए समय देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें मुख्यत: वर्ष 2006-07 के बजट प्रस्तावों पर जोर देती हैं। माननीय रेल मंत्री ने पूरे देश में 100 सामुदायिक भवनों के निर्माण की घोषणा की थी। इस अनुपूरक अनुदान की मांगों के अंतर्गत उन सामुदायिक भवनों के निर्माण के आबंटन की मांग की गई है। बजट पर चर्चा के दौरान मैंने पलानी, जो कि भगवान कार्तिक का स्थान है और एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है में भी इस प्रकार के एक भवन के निर्माण की मंजूरी का अनुरोध किया था लेकिन यह मांग इसमें सम्मिलित नहीं की गई। इस स्थिति में मैं माननीय रेल मंत्री से पलानी में एक ऐसे सामुदायिक भवन के निर्माण की मंजूरी का अनुरोध करता हूं।

महोदय, भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है जिसके पास 63,122 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। 7681 लोको; 4476 कोच, 2,14,760 वैगन (यूनिट) है तथा 14 मिलियन यात्री हैं। 1.5 एम.टी. माल ढुलाई, क्रॉसिंग, 1 लाख सिगनल; 8081 स्टेशन, 40,000 समपार हैं और 14761 ट्रेनों के प्रतिदिन के संचालन व्यस्त 6 लाख फ्रंट लाइन संचालन तथा रख-रखाव कर्मचारी हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन 14,761 रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं। इसके बावजूद सरकार को प्रणाली, विशेषकर सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। यह संख्या जो 1960-61 में 2131 थी वर्ष 2003-2004 में घटकर 325 हो गई है। सुरक्षा सूचकांक भी जो वर्ष 1960-61 में 550 था अब घटकर 0.39 हो गया है।

सड़क उपरि-पुल/पारपथ का निर्माण राज्य सरकार तथा रेलवे का संयुक्त काम है। ट्रैक पर पुल बनाने का काम रेलवे का है जबकि राज्य सरकार संपर्क सड़कें बनाती हैं। कुछ मामलों में जहां राज्य सरकारें संपर्क सड़कों का निर्माण कर चुकी है रेलवे पुल बनाने में असफल रहा है। उदाहरण के लिए, कोयम्बटूर में बोंडीपुदूर रेल उपरिपुल तथा इरोड में इंगीयूर रेल उपरि-पुल का निर्माण कार्य लम्बे समय से लंबित पड़ा है। रेल मंत्रालय से मैं अनुरोध करता हूं कि वह उपर्युक्त रेल उपरि-पुलों का कार्य यथाशीघ्र पूरा करे।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी में वेदालेतूर तालुक में डिंडीगुल-करूर बड़ी लाइन के निकट नल्लामनैकनपट्टी गांव है। उपर्युक्त रेल लाइन के पूर्व में डिंडीगुल-करूर सड़क है। उस क्षेत्र के लोगों को घरेलू सामान, दवाइयां और अन्य चीजें खरीदने के लिए इरोड जाना पड़ता है। चूंकि वहां कोई समपार नहीं है। इसलिए लोग टोल्लनमपट्टी जा रहे हैं और इरोड पहुंच रहे हैं। इससे जनता को अनावश्यक परेशानी होती है। बड़ी संख्या में बेकरी भी यहां हैं। लोग लम्बी दूरी तय करके निर्मित वस्तुएं ले जाते हैं। इसलिए नल्लामनैकनपट्टी के निकट एक समपार बनाये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, गद्दनचत्रम गांधीपुरम नगर का हिस्सा है। कई संख्या 5, 6, 7 हैं। उस क्षेत्र में लगभग 10,000 लोग रहते हैं। उनके पास राष्ट्रीय राजमार्ग 209 तक पहुंचने का मार्ग नहीं है क्योंकि गांधीपुरम के उत्तर में पूरी रेलवे की भूमि है। गांधीपुरम के लिए एक भूमिगत पारपथ (सब वे) की जरूरत है।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

महोदय, इरोड उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक विख्यात जंक्शन है। उस स्टेशन पर कोई सुविधा नहीं है। इरोड रेलवे स्टेशन को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

मैं 2005-2006 के बजट में इरोड और पलानी के बीच वाया-चेन्नीमलाई, करगयम, धारापुरम नई बड़ी लाइन स्वीकृत करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालूजी, श्री वेलुजी और श्री राठवाजी को धन्यवाद देता हूं। अब सर्वेक्षण पूरा होने जा रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री से कार्य में तेजी लाने और इस नए प्रस्ताव में और कार्य के लिए आवश्यक निधियां स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

संपूर्ण तमिलनाडु माननीय रेल मंत्री वेलुजी को सेलम रेल मंडल स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद दे रहा है परंतु यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से सेलम मंडल बनाने के लिए कार्य में तेजी लाने के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गद्दनचत्रम, पालानी सबसे पुराने रेलवे स्टेशन हैं। उन स्टेशनों पर कोई सुविधाएं नहीं हैं। गद्दनचत्रम सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। गद्दनचत्रम में बड़ा बाजार है। बड़ी मात्रा में सब्जियां यहां से उत्तर भारत और अन्य भागों में भेजी जाती हैं। अत: मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि रेलवे स्टेशन में सुधार लाने के लिए आवश्यक निधियां आबंटित करें। पलानी नगर एक तीर्थ स्थल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पलानी आते हैं। पलानी रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारी भूमि है। किंतु वह खाली पड़ी है। हर जगह हमें कंटीले झाड़ दिखाई देते हैं। लोग रात्रि में वहां नहीं जा सकते। मैं रेल मंत्रालय से हस्तक्षेप करने और पलानी रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करने की मांग करता हूं।

पिछले बजट के दौरान डिंडीगुल-कोयम्बटूर बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन की घोषणा की गई थी परंतु आवश्यक धन आबंटित नहीं किया गया।

मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि शीघ्र ही बड़ी लाइन आमान परिवर्तन के लिए आवश्यक निधियां आबंटित करें।

एक बार फिर मैं रेल मंत्री को भारतीय रेल में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं पुन: मांग का समर्थन करता हूं और सभापति को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स की चर्चा पर भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन भी करती हूं। रेल का विषय जब भी संसद में आता है, चाहे बजट हो या सप्लीमेंट्री डिमांड्स हो तो सारे सांसद इस विषय पर चर्चा करने के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि इसमें सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र या सारे देश के डेवलपमेंट की बात रख सकते हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे यहां बांकुरा, रांची और हथिया एक्सप्रेस चालू की, इस कारण से बांकुरा और झारखंड की राजधानी रांची की तरफ आना-जाना ठीक हो गया। अब लोग कम समय और कम खर्चे में आ-जा सकेंगे। मैं मंत्री जी से बोलना चाहती हूं कि हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, वह अभी तक रेलवे से नहीं जुड़ा है। आज भी वहां के लोग रेल के लिए बांकुरा आते हैं। वहां सारे लोग सड़क से आते हैं। आज भी वह इलाका पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वह रेल से अभी तक नहीं जुड़ा है। हमारा इलाका बहुत सुंदर है, जंगली इलाका है, ऐसे लगता है कि प्रकृति ने इसे अपने हाथ से सजाया है। यहां बहुत से टूरिस्ट सपोर्ट्स है। हमारे राज्य में एवं अन्य राज्यों से बहुत से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इससे गांव के लोगों का आर्थिक विकास होता है, इसलिए वहां अगर रेल चलेगी तो बहुत अच्छा होगा और इससे बेरोजगारी भी थोड़ी कम होगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि बांकुरा, मुकुटमणिपुर रेल लाइन का काम चल रहा है, इसका सर्वे का काम भी हो गया है। इसलिए यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मिलना चाहिए तथा यह टाटा तक जुड़ जाना चाहिए। मुकुटमणिपुर में रेल का एक गेस्ट हाउस होना चाहिए। विष्णुपुर, ताराकेश्वर लाइन, जिसका काम ताराकेश्वर से पहले शुरू हो गया था, अब यह विष्णुपुर से भी शुरू हो गया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि ये रेल लाइन का काम दोनों तरफ से हो रहा है, इसका काम भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए और यह जो ताराकेश्वर से विष्णुपुर जा रहा है, इस लाइन पर जयपुर नाम से रेलवे स्टेशन होना चाहिए। अभी जिसे गोकुलनगर नाम पर रखा है, उसके बदले में उसका नाम जयपुर रखना चाहिए। हमारी जो बी.डी.आर. ट्रेन बांकुरा से सोनामुखी

तक जा रही है, उसका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए और रायनगर तक होना चाहिए।

महोदय, मेरे इलाके की दो-चार मांगें और हैं; उन्हें भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

[अनुवाद]

बांकुरा और विष्णुपुर रेलवे स्टेशनों पर यातायात के बढ़ते दबाव से निपटने के लिए तीसरे प्लेटफार्म का निर्माण किया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर भारी ट्रैफिक जाम को समाप्त करने के लिए बधुल मोड़-बांकुरा-विष्णुपुर रेलवे फाटक पर रेल उपरि पुल का निर्माण किया जाए।

बी.डी.आर. रेल में महत्वपूर्ण समपारों पर चौकीदार वाले समपारों का अनुमोदन किया जाए।

बांकुरा-रानीगंज नई रेल सम्पर्क परियोजना, जो व्यवसायिक रूप से अर्थक्षम होगी, का अनुमोदन किया जाए और स्वीकृति प्रदान की जाए।

बांकुरा रेलवे स्टेशन पर नये विस्तृत प्रतिक्षालय का निर्माण किया जाए तथा बांकुरा और विष्णुपुर स्थित बुकिंग कार्यालयों का विस्तार किया जाए।

बांकुरा रेलवे स्टेशन के निकट खाली पड़ी भूमि पर विपणन केन्द्र का निर्माण किया जाए और पुरानी बी.डी.आर. रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेल पार्क विकसित किया जाए।

क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए पुरूलिया एक्सप्रेस, रूपसी बंगला एक्सप्रेस और अरंण्यक एक्सप्रेस को सुपर एक्सप्रेस की श्रेणी से छूट दी जाए।

यात्रियों के आवागमन की सुगमता को देखते हुए हावड़ा एल.टी.टी. समरस्थ एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार और कोचीन-पटना एक्सप्रेस और नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए।

[हिन्दी]

हमारा जो हावड़ा और सियालदा स्टेशन है, यह बहुत भीड़-भाड़ वाला स्टेशन है। वहां बहुत लोकल ट्रेनें चलती हैं। कलकत्ता के आसपास से बहुत सारे लोग इस लोकल ट्रेन से आते-जाते हैं, लेकिन अपने लोकल ट्रेन की संख्या को नहीं बढ़ाया, इसे आपको बढ़ाना चाहिए। आपने जिन ट्रेनों को सुपरफास्ट किया है, उन्हें सुपरफास्ट न करके फास्ट पैसेंजर ट्रेन की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जिससे आम जनता को फायदा हो।

सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि जो फ्रेट कॉरीडोर सोननगर तक है, उसे हल्दिया तक बढ़ाया जाए। मुझे विश्वास है कि उसे हल्दिया तक बना दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा होनी चाहिए। रेल में यदि कोई यात्री बीमार हो जाए, तो उसे तत्काल मेडीकल फेसिलिटी उपलब्ध कराने की दृष्टि से डाक्टर होना चाहिए। हर छोटे-बड़े स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। हर स्टेशन पर लेडीज एंड जैंट्स टॉयलेट की सुविधा दी जानी चाहिए। ट्रेन एवं प्लेटफार्मों की ठीक प्रकार से सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुराने कोचेज को बदलकर नए कोचेज लगाए जाने चाहिए। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि हावड़ा-चक्रधरपुर ट्रेन के कई कोच बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए उन्हें बदला जाए। मैं आशा करती हूं कि उन्हें शीघ्र बदला जाएगा। पीर डोबा स्टेशन पर पुरुलिया एक्सप्रेस और रूपासी-बांग्ला एक्सप्रेस के स्टॉपेज होने चाहिए।

महोदय, विष्णुपुर रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक टूरिस्ट्स स्पॉट है। वहां बहुत बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। मेरा आग्रह है कि उस स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन एवं ब्यूटीफिकेशन किया जाए, तो अच्छा रहेगा। हमारे कलकत्ता को गरीब रथ रूपी रेल सेवा नहीं मिली है। मैं आशा करती हूं कि कलकत्ता के लोग मंत्री महोदय की कृपा से इस सेवा से वंचित नहीं रहेंगे और वहां के लिए आप शीघ्र गरीब रथ रेल सेवा प्रारंभ कर देंगे। भारत का तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। देश के अनेक गरीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें रेलवे आर्थिक सुविधाएं दे सकता है। यदि रेलवे देश के गरीब एवं युवा स्टूडेंट्स को आर्थिक सुविधा देगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारे भारत का नौजवान और स्टूडेंट तरक्की करेगा। इतना ही कहकर मैं रेलवे की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का समर्थन करती हूं।

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मेरा स्थान पीछे की लाइन में है। इसलिए मैं इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको इस स्थान से बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री अशोक अर्गल : सभापति महोदय, मुझे रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांग वर्ष 2006-07 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि श्री लालू प्रसाद जी को रेलवे का बजट प्रस्तुत करते हुए दो साल हो गए हैं। उनके द्वारा देश की अनेक रेल योजनाओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर बजट दिया गया है, परंतु मध्य प्रदेश को सामुदायिक भवन, प्लेटफार्म विस्तार आदि के लिए धन देकर औपचारिकता पूर्ण कर दी गई है। यह यही है कि रेलवे के स्टॉपिज बढ़ाए गए हैं, कई गाड़ियां चलाई गई हैं, रेलवे को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। रेलवे में अनेक दृष्टियों से सुधार की शुरुआत उनके द्वारा की गई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उत्तर मध्य रेलवे की ग्वालियर से श्योपुरकलां छोटी रेल लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय तो जा रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री आर. वेलु, माननीय रेल राज्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं। आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री अशोक अर्गल : सभापति जी, रेलों के सुधार के संबंध में मेरे द्वारा जितने भी पत्र माननीय रेल मंत्री/राज्य मंत्री, श्री आर. वेलु जी को लिखे गए हैं, उन सबके मुझे निगेटिव उत्तर आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मेरे द्वारा रेल मंत्रालय को लिखे गए किसी पत्र का पॉजीटिव उत्तर नहीं आया है।

महोदय, ग्वालियर-श्योपुरकलां रेलवे लाइन 100 वर्ष पूर्व डाली गयी थी। आज उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। वहां ट्रेन 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। उस गाड़ी में बरसात में यात्री भीगते हैं, गर्मी में यात्री लू के थपेड़े सहते हैं और सर्दियों में सर्दी से ठिठुरते हैं। पूरी गाड़ी चम्बल के आदिवासी पिछड़े क्षेत्र से गुजरती है। यदि आप जांच करना चाहते हैं, तो जांच करा सकते हैं। चम्बल क्षेत्र के आदिवासी पिछड़े लोग सपना देख रहे हैं कि उसका गेज परिवर्तन किया जाए। मैंने पिछले साल और इस वर्ष के रेलवे के बजट देखे हैं, लेकिन ग्वालियर-श्योपुरकलां और ग्वालियर से कोटा की रेल का गेज परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर से श्योपुरकलां तक रेलगाड़ी 10 घंटे लेती है। कई बार रेलगाड़ी, रेल पटरी से उतर जाती है।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : पहले आप अपने आप में परिवर्तन कीजिए, फिर हम रेलगाड़ी में परिवर्तन करेंगे।

श्री अशोक अर्गल : महोदय, उस गाड़ी में कोई शौचालय एवं पानी तथा अन्य सुविधाएं नहीं है। यह रेलगाड़ी 10 घंटे में अपना सफर पूरा करती है, लेकिन उसमें कोई शौचालय व अन्य सुविधाएं तथा पानी का इंतजाम नहीं है। आप इसकी जांच करवा सकते हैं। मैं आपकी कैसे गलत तारीफ कर सकता हूं क्योंकि पूरा देश देख रहा है। आप रेलवे के लिए काफी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूं। यदि मैं तारीफ करूंगा तो यह गलत तारीफ मानी जाएगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप गेज परिवर्तन का काम अपने कार्यकाल में करवाते हैं तो मैं मुरैना से पैदल पटना तक चलकर आपके लिए माला लेकर आ सकता हूं। मैं सत्य बोल रहा हूं। यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मंत्री जी ने विदेशों में देखा होगा कि वहां सार्वजनिक शौचालय कैसे होते हैं। मेरी मांग है कि उसी तरह के शौचालय हमारे देश में भी बनाए जाएं, भले ही उसके लिए दो रुपये की जगह पांच रुपये लिए जाएं, गरीबों से कम लिए जाएं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के शौचालय बनने चाहिए। उत्तर-मध्य रेलवे का मुरैना प्रमुख स्टेशन है। बीसियों शहरों की गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। यहां रेलवे का एक फाटक बंद कर देने से पूरे मुरैना की स्थिति खराब हो गयी है। यहां फाटक के बदले एक रेलवे ओवरब्रिज आज से 25 साल पहले बनाया गया था, जोकि काफी घूमकर निकलता है। लोगों को घूमकर जाने से परेशानी होती है। वहां पटरी क्रासिंग करने पर आपके आरपीएफ के जवान लोगों पर जुल्म ढाते हैं। लोगों का चुपचाप पकड़कर ले जाते हैं और उनसे पांच-पांच सौ रुपये तक ले लेते हैं, और नहीं देने पर धमकी देते हैं कि हम आपको जेल की हवा खिला देंगे। वहां से दलित, पिछड़े वर्ग के लोग गुजरते हैं। जिस फाटक को बंद किया गया है, उसके कारण मुरैना कॉलेज के छात्रों को परेशानी होती है, हाथ-ठेला, रिक्शा वालों और शमशान जाने वालों को परेशानी होती है। आप इसकी जांच करवा सकते हैं। रेलवे जनता के हित में काम करता है, लेकिन यह फाटक बंद करने से मुरैना की जनता का अहित हुआ है। मैं मंत्री जी को मुरैना के सौ लोगों का टेलीफोन नम्बर लाकर दे सकता हूं, यदि आप उनसे बात करेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि फाटक बंद करने से मुरैना की जनता को कितनी असुविधा हो रही है, इससे कितने नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। आप इसकी जांच करवा सकते हैं।

महोदय, दिल्ली से भोपाल जाने के लिए मुरैना मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन पड़ता है। यदि चम्बल सम्भाग के इस मुख्यालय पर भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव होता है तो वहां के लोगों को दिल्ली

जाने अथवा भोपाल जाने में सुविधा हो सकती है तथा भोपाल से मुरैना आने में भी सुविधा हो सकती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अशोक अर्गल : महोदय, आप समय को 15 मिनट के लिए बढ़ा दीजिए या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से समय बढ़ाने के लिए कह दीजिए।

महोदय, हमारे यहां बहुत समय से सचखण्ड एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की जा रही है। यदि इनका ठहराव मुरैना में होगा तो इससे लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। वानमोर स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र है। वहां मात्र छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का ठहराव होता है, जो पिछले दस साल से रुक रही है। मैं चाहता हूं कि मालवा, महाकौशल और उत्कल एक्सप्रेस ट्रेनों में से किसी एक गाड़ी का ठहराव वानमोर स्टेशन पर कर दें, ताकि वहां के नागरिकों को सुविधा मिल सके।

महोदय, मध्य प्रदेश में कई रेलवे क्रासिंग्स हैं। मंत्री जी अभी यूरोप, फ्रांस, अमरीका घूमकर आए हैं। आप ट्रेनों की स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्पीड आपने कम कर दी है। मैं चाहता हूं कि देश के सभी रेलवे क्रासिंग्स का आप सर्वे करवाएं। कुछ राज्य ऐसे हैं, जो आपको आरओबी के लिए आधा धन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि कुछ राज्य आधा धन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पूरा पैसा लगा दें। रेलवे को इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश में आरओबी बनवाएं ताकि जनता को सुविधा मिल सके।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुरैना के लालोर क्रासिंग, शिकारपुर चौकी, वानमोर-शनिचरा, जहां शनिदेव का मंदिर है, टेकरी मालनपुर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप चम्बल के पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान दें।

मैंने जो बातें कही हैं, यदि आप मेरी मांगों से सहमत हैं और चम्बल क्षेत्र के लिए कुछ करते हैं, तो मैं पदयात्रा करके आपके बिहार में पटना तक माला लेकर आऊंगा।...*(व्यवधान)* मेरा इरादा पक्का है, कभी भी कोई दल नहीं बदला जायेगा।

*श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : रेलवे के अनुदान बजट में हिस्सा लेने के लिए अवसर देने हेतु धन्यवाद देते हुए रेल मंत्री जी के सपनों की रेल, जो दुनिया के नंबर एक पर ले जाने की सोच थी, साधूवाद देता हूं किंतु साथ ही कथनी को कर्म में तब्दील कर सकें यह शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा कि रेल चूंकि हिंदुस्तान की आम आवाम की आवश्यकता ही नहीं, आम हिन्दुस्तान की जीवन पहचान है। ऐसी हालत में रेल किसी क्षेत्र, प्रदेश विशेष के विकास तक सीमित न करते हुए पूरे देश के प्रत्येक हिस्से में इसका संचालन होता रहे, अन्यथा शरीर के जिस हिस्से में रक्त संचार नहीं होता, उसमें लकवा मार जाता है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी ध्यान दिया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर की जिस तरह उपेक्षा व अनदेखी की गयी, वह किसी से छुपी नहीं है, न ही पूर्वांचल से संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को गोरखपुर के बजाए जिस प्रकार एक प्रदेश विशेष से संचालित किया गया, वह भी एक तरफा व्यवस्था का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे की लंबित परियोजनाओं को नजरंदाज किया जाना वह भी क्षेत्रीयता के प्रति उपेक्षा का द्योतक है। रेलवे की आवश्यक आवश्यकता लखनऊ से गोरखपुर तक (डबल लाइन ट्रैक), विगत दो पंचवर्षीय योजनाओं का समय व्यतीत हो गया, गोरखपुर लखनऊ ट्रैक का आमान परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। कार्य प्रगति अपने आप उपेक्षा की कहानी दर्शाती है। चूंकि लखनऊ, गोरखपुर और बरौनी होकर ट्रेनों का आवागमन 150 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुका है तथा दूरस्थ फास्ट ट्रेनों के संचालन व गति में अनावश्यक विलंब होता है। ऐसी दशा में लखनऊ गोरखपुर तक डबल ट्रैक निर्माण कराया जाए तथा विद्युतीकृत संचालन की व्यवस्था निहायत आवश्यक है, को दृष्टिगत करते हुए लखनऊ, गोरखपुर, बरौनी लाइन विद्युतीकृत लाइन संचालन से जोड़ा जाए।

अयोध्या में घाघरा नदी पर करोड़ों की लागत से बनाए गए पुल से रेल संचालन अयोध्या-मानिकपुर बस्ती होकर जाता है। बस्ती जाने के लिए 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक विलंब ही नहीं होता, बल्कि यात्रियों को अनावश्यक व्यय भी करना पड़ता है। जिसे कटरा, विक्रमतजोत, कलवारी, घनघटा होकर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत महात्मा कबीर के मठ से होकर मगहर से जोड़ते हुए 70 किलोमीटर मार्ग निर्माण से एक तरफ नए लोग रेलवे से जुड़ेंगे तथा सीधा रूट बनने से रेलवे को भी अधिकाधिक आवागमन से अतिरिक्त लाभ भी अर्जित होगा।

नवसृजित जनपद अंबेडकरनगर में पुराने स्टेशन के प्लेटफार्म 25 डिब्बे के ठहराव लायक उच्चीकरण कराया जाए तथा छायादार बनाया

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री शंखलाल माझी]

जाए। हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध पावरलूम, हथकरघा सेंटर वाले स्टेशन अकबरपुर में वातानुकूलित विश्रामालय के चार कक्ष का निर्माण किया जाए।

निर्माणाधीन ओवर ब्रिज अकबरपुर जो विगत दो सालों से लंबित है, उसका तत्काल निर्माण कराया जाए।

नवसृजित जिला मुख्यालय खलीलाबाद में ठहराव के 25 बोगी के लिए मात्र एक प्लेटफार्म है, जिससे दूसरे प्लेटफार्म पर यात्रियों को चढ़ने-उतरने में अत्यधिक परेशानी होती है तथा गर्मी, बरसात जाड़े में छायादार प्लेटफार्म न होने से, निजात दिलाने हेतु छायादार प्लेटफार्म तथा 4 वातानुकूलित रिटायरिंग रूम बनाये जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदान का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति जी, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्राण्ट्स (रेलवेज़) का हृदय से स्वागत करता हूं और साथ-साथ माननीय मंत्री जी का अपनी ओर से और अपने देश के समस्त निवासियों की ओर से, चाहे वे मजदूर हों, किसान हों, व्यवसायी हों या राजनैतिक लोग हों,र सब की तरफ से माननीय श्री लालू प्रसाद जी, उनके मंत्रालय के दोनों माननीय मंत्री वेलू जी और श्री राठवा जी और रेलवे बोर्ड के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि आज इस संसद में केवल माननीय सदस्यो ही नहीं, पूरा राष्ट्र उनको धन्यवाद दे रहा है।

विशेषकर जहां से मैं आता हूं, वह भगवान राधा-कृष्ण की जन्मस्थली है, क्रीड़ास्थल हैं, जिसके बोर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां जो गुरुद्वारा है, जहां के उनके पूर्वज हैं, जहां इन्होंने देश को संदेश दिया है, वहां से निकले हैं, जहां प्रभु गिरिराज निवास करते हैं—मथुरा, वहां के सब बृजवासी भी आपके आभारी हैं कि आप प्रभु के वंशज इस देश के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अभी हमारे सम्मानित एन.डी.ए. के साथी अपने कार्यकाल की बात कर रहे थे। मैं भारतीय रेल पर डॉ. राकेश मोहन जी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की जुलाई, 2001 की रिपोर्ट की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं।

> ''भारतीय रेल वित्तीय संकट के कगार पर खड़ी है, दो टूक शब्दों में यदि वर्तमान प्रगति दर जारी रही तो वह दिन दूर नहीं, जब भारतीय रेल वित्तीय रूप से कंगाल हो जायेगी और अगले 16 वर्षों में भारत सरकार पर 61 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता आन पड़ेगी। यदि सिर्फ संचालन के स्तर पर देखा जाये तो भारतीय रेल लाइलाज ऋण संकट के जाल में फंस चुकी है।''

यह बहुत दूर की बात नहीं, 2001 की रिपोर्ट की पंक्तियां है। पहले यह बड़े दुख की बात थी और आज यह बड़े गर्व की बात है, जिसे देश जानता है कि माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में अभी सिर्फ दो वर्ष गुजरे हैं, वहां भारतीय रेल ने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा प्राप्त किया है। केवल मुनाफा ही नहीं, तमाम नई रेलें चलाई हैं, तीव्र गति से रेलें चली हैं और मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनमें कैश सरप्लस करोड़ों रुपयों में है। यह वर्ष 2000-2001 तक 2350 करोड़ रुपये था, जो आज 2005-2006 में 13612 करोड़ रुपये हुआ है। फंड बेलैंस 2000-2001 तक 359 करोड़ रुपये था, जो आज 12654 करोड़ रुपये हुआ है। ओपरेटिंग रेश्यो आफ परसेंट जो 98 प्रतिशत सन् 2000-01 में थो, वह आज 83.8 प्रतिशत हो गया है। माल लदान, जो सन 2000-01 में 473 मिलियन टन होता था, वह आज बढ़कर 667 मिलियन टन पहुंच गया है, जो बड़ी प्रसन्नता की बात है। केवल इतना ही नहीं जो रेलों में प्रगति हुई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप का टाइम समाप्त हो रहा है, आप अपनी बात को जल्दी समाप्त करिए।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : इसके अलावा पिछले दो सालों में रेल मंत्रालय ने रेलों में एक्सेल लोड बढ़ाकर, प्रति वेगन दस टन ज्यादा लोडिंग की है। वैगन टर्न ओवर राउंड टाइम घटाकर पांच दिन किया है। मात्र इन दोनों उपायों में 11 करोड़ टन ज्यादा लोडिंग करके 6000 करोड़ रुपए इस विभाग ने कमाए हैं। अपग्रेडेशन करके, गरीब रथ, 24 डिब्बे वाली गाड़ी चलाकर यात्री घाटे को कम किया गया है। 700 करोड़ रुपए से घटाकर कैटरिंग के व्यय को आधा किया है। निजी पार्टियों का कांट्रेक्ट ट्रेन चलाने की अनुमति देने जैसी योजना बनाकर रेलवे की प्रतियोगी धार को पैना किया गया है। इसके अलावा आंतरिक संसाधनों के अंतर्गत, दसवीं पंचवर्षीय योजना सन् 2001-06 तक जो राशि 28332 करोड़ रुपए थी, उसे बढ़ाकर सन् 2007 से 2015 तक एक लाख करोड़ रुपए किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी में पांच सौ अस्सी करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए किया गया है। बाजार ऋण 17 हजार 408 करोड़ से 50 हजारा करोड़ किया गया है और सबसे पहली बार जो अद्वितीय कार्य होने जा रहा है कि बैंकर्स ने आकर रेलवे में इन्वेस्टमेंट की बात कही है, आज उनका झुकाव रेलवे की

तरफ हुआ है, जबकि वे पहले रेलवे से बहुत दूर भागा करते थे। यह आपके रेल विभाग की उपलब्धता आपकी वजह से है। इसके लिए बजटीय सहायता 37502 करोड़ से बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपए आपने की है। इन शब्दों के साथ, सारा देश आपके लिए आभार व्यक्त करता है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि हैवर्ड यूनिवर्सिटी ने आपके कार्यकलापों पर, दो साल में जिस तरह आपने प्रगति की है, उन पर विचार करना प्रारंभ किया है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर और अन्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपकी इस प्रगति पर विचार कर रहे हैं। यूरोप में आप अभी गए थे। वहां भी आपकी भूरि-भूरि प्रसंशा वहां की यूनिवर्सिटीज ने की है और उन पर वे विचार और अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, उनमें आपसे प्रेरणा लेकर आपकी तमाम योजनाओं को रखा जा रहा है।

आपकी जो उपलब्धता रही है, इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि माननीय रेल मंत्री, लालू प्रसाद जी को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। पूर्ण सदन की तरफ से मैं यह मांग करता हूं और अन्य मंत्रालयों को चाहिए कि आपसे तथा आपके मंत्रालय के सभी अधिकारियों से प्रेरणा लेकर भारत सरकार के हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। मैं कहना चाहूंगा और मैंने हमेशा यह मांग की है कि जो सदर्न एरियाज हैं, जिस तरह दिल्ली में पापुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यहां नौकरी करने के लिए हर क्षेत्र से, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरहदों से लोग आते हैं, इसलिए यहां ईएमयू की व्यवस्था कम से कम डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर तक करायी जाए, जिससे लोग रोज आएं और चले जाएं और दिल्ली पर भी प्रेशर कम हो सके, इसलिए इसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा।

दूसरी बात, आपने मथुरा-पटना ट्रेन की घोषणा बजट में की थी, इस संबंध में कलकत्ता की मांग भी आई है, अभी वह ट्रेन नहीं चली है, उसे चलाया जाय। आपने खुर्जा से सर्वे कार्य आरंभ कराया है। आने वाले बजट में मैं मांग करूंगा कि उस पर आप रेलवे लाइन डलवाएं। इसके अलावा तीन फ्लाई ओवर्स मछली मंडी, खटीकरा और छाता, जो हमारे यहां मुख्य हाइवे पर हैं, उनकी भी आप व्यवस्था कराने की कृपा करें।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की है कि फ्लाई ओवर्स जो हाईवेज़ या मुख्य मार्गों पर हैं, उन पर रेलवे ऐसी योजना बनाए, जिससे लोगों को सुविधा प्रदान करवाई जा सके।

मंत्री जी, अभी भगवान राधा-कृष्ण की जन्मस्थली की बात कर रहे थे। गिरिराज पर्वत जिसे भगवान ने ब्रजवासियों का सहारा लेकर अपनी उंगली पर उठाया था, गोवर्धन होते हुए मथुरा से अलवर एक रेलवे लाइन जाती है, उसे बरसाना, नंदगांव और कोसी से मिलवा दिया जाए, जिससे तीनों धार्मिक क्षेत्र कवर हो सकें। इसके अलावा और बहुत से कार्य हैं जो मै आपको लिखकर दे दूंगा।

अंत में मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगें 2006-07 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी योग्ययता और मेहनत से निरंतर घाटे में चलने वाले इस उपक्रम को मुनाफे के उपक्रम में बदलने का कार्य किया है और इस साल भारतीय रेलवे करीब बीस हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने जा रही है, मैं इसके लिए विशेष तौर पर मंत्री जी, उनके सभी सहयोगियों और विभागीय कर्मचारियों, जिनकी मेहनत से यह कार्य संभव हो पाया है, बधाई देना चाहता हूं।

विशेष बात यह है कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, वह है कि एक तरफ हम आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ें, रेलवे को आगे बढ़ाएं और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के आम आदमी का भी ख्याल रखें। मैं इस बात के लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक तरफ रेलवे का मुनाफा कमाने का संगठन बनाया और दूसरी तरफ आम जनता के आर्थिक विकास के क्रम को भी ख्याल में रखा है। उन्होंने कई श्रेणियों में किराए सीमित रखने या कम करने का प्रयास किया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

यह सप्लीमेंट्री बजट विशेष तौर पर भारतीय रेल को कश्मीर पहुंचाने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए लाया गया है। इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपके प्रयासों और माननीय प्रधान मंत्री जी के सपनों के अनुसार रेलवे कश्मीर पहुंचने जा रही है।

यह बहुत आवश्यक हो गया है कि रेलवे की सेवाओं के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाना चाहिए। वर्क कल्चर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए। लगातार रेलवे का कार्यभार बढ़ रहा है और जो ट्रैंड दिखाई पड़ रहा है, उससे लगता है कि सिस्टम के माडर्नाइजेशन हेतु विशेष तौर पर प्रयास करने की जरूरत है।

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

हिन्दुस्तान का आंतरिक पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण सैक्टर है और रेलवे उसका बहुत महत्वपूर्ण हब है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के आंतरिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाने का कार्य किया जाए क्योंकि यह पूरे हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

आतंकवाद हमारे युग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी एक झलक पिछले दिनों मुंबई में हमने देखी थी। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अधिकतर स्टेशन पुराने हैं, यातायात की प्रणाली वही है – हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा। अब समय आ गया है जब आतंकवाद के प्रति स्पष्ट नजरिया रखते हुए स्टेशनों का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाए, जिससे हम आतंकवाद की समस्या से निपट सकें।

रेलवे यातायात का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बड़े नगरों के पास करीब सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर तक लोग रोज यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी के लिए जाना होता है। रेलवे को मास ट्रांज़िट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने भी बड़े शहर हैं, उनके लिए विशेष तौर पर योजनाएं बनाई जाएं, जिससे लोग सौ, दो सौ किलामीटर से रोज आकर नौकरी करके वापिस घर जा सकें। आप इस योजना को शीघ्र अंजाम देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

मंत्री जी ने माल ढुलाई के लिए डेडीकेटिड रेलवे कॉरीडोर की कल्पना की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। पहले जब भी बजट भाषण हुए हैं, मैंने उसमें एक बात बार-बार कही है कि रेलवे के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि पश्चिमी यूरोप से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक हम एक लैंड कॉरीडोर का सपना देखें।

सायं 7.00 बजे

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पोस्ट लिब्रेलाइजेशन, हमारी धरती पर जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद हिन्दुस्तान के लिए अपार संभावनाएं जन्म ले रही हैं। मुझे लगता है कि इस कल्पना से, इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हिन्दुस्तान को बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने की क्षमता रखेंगे। इसके साथ ही हिन्दुस्तान के जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जो हमारे कार्य कुशल श्रमिक हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल्स हैं, उनको यूरोपियन लाइन में जाने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सेस मिल जायेगा। मैंने पिछली बार भी इस बात को उठाया था। मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ कार्य किये होंगे। मैं भारत सरकार से भी इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि वह विशेष पहल करते हुए रेलवे के साथ काम करें और जो कूटनीतिक समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें जिससे पूरी धरती के ऊपर जो नयी अर्थव्यवस्था बन रही है, उसमें हिन्दुस्तान का स्थान एक बड़े बाजार के रूप में आगे बढ़ सके। यह मेगा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूं कि रेलवे विभाग सक्षम है। वह इस फील्ड को लेकर आगे चल सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे यहां पूर्वोत्तर रेलवे में बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर लखनऊ जाने वाला प्रखंड है। उस प्रखंड को ब्राडगेज करने के बारे में हम पहले भी माननीय रेल मंत्री जी को बता चुका हूं। हमारे बरेली के सांसद श्री संतोष गंगवार जी यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने भी उसमें बहुत पहल की है। हमारी पीलीभीत की सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी ने भी इसमें बहुत पहल की है। हमारे इलियाज आजमी जो शाहबाद के सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत पहल की है। मैंने भी इसमें प्रयास किया है। हमारे सीतापुर और मिसरिख के सांसद राजेश वर्मा और अशोक कुमार रावत आदि सबने मिलकर प्रयास किया है। लेकिन आज तक हम इस प्रखंड को ब्राडगेज में कन्वर्ट नहीं कर पाये जबकि हमारे पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास इसी चीज पर रुका हुआ है। मैं एक बार पुन: आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आप इस रेल प्रखंड को ब्राडगेज में कन्वर्जन करने की मेहरबानी करें जिससे हमारे क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके।

सभापति महोदय, बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र में फरूखाबाद से शाहजहांपुर होते हुए गोला गोकर्णनाथ के लिए एक सर्वे कराया गया था। पिछले वर्ष भी आपने अद्यतन सर्वे कराया है लेकिन इस पर कोई कार्य चालू नहीं किया गया है। पिछली 27 तारीख को आपने प्रश्न काल में मुझे अवगत कराया था कि ऐसी करीब 45 लाइनें हैं जिन पर कार्य चालू किया गया है जिनके जो मानक हैं, रिटन है, वह औसत से कम आते हैं मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग को भी लेने की मेहरबानी करें। मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण दुधवा नैशनल पार्क है। इसमें मैलानी से होकर गौंडा लाइन गुजरती है। इस लाइन से जंगल में कई बार शेर कटकर मर गये हैं, कई बार हाथी कटकर मर गये हैं। बहुत से संरक्षित जानवर उसमें कटकर मर गये हैं। एक बड़ी पापुलर डिमांड हो रही

है कि पलिया कलां से मझगई होते हुए निघासन और सिंगाही होते हुए बेलराया तक उसे डायवर्ट करके एक नया सर्वे कराया जाये जिससे स्थानीय जनता उसका लाभ उठा सके। जो रास्ता घने जंगलों से, सेंचुरी से होकर गुजर रहा है, उसको बाहर से पहुंचाया जाये। ...*(व्यवधान)*

हमारे यहां पर पीलीभीत बस्ती मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर रोड है जो सामरिक महत्व का मार्ग है। इसमें तीन आरओबीज बनने हैं। एक बनभल्लिया में, दूसरा फरधान और तीसरा लखीमपुर सदन के पास राजापुर में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है जिसमें काफी तादाद में बहुत महत्वपूर्ण ट्रैफिक गुजरता है इसके आरओबीज बनाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

मेरा एक प्वाइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। आज मुझे अपनी बात उठाने का मौका मिला है। लखीमपुर में हमारे जनपथ का मुख्यालय है। उसके बीच से रेल लाइन गुजरती है। वहां पर हमें एक आरओबी बनाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सदन को मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने की मेहरबानी करें। आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने रेलवे को माडर्नाइज किया है। वहां बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग वेंडर की तरह काम करते रहे हैं। रेलवे का निगम बनने के बाद उनकी जिंदगी के लिए समस्या पैदा हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बहुत बड़े समाजवादी रहे हैं। आप इन गरीबों का ख्याल रखेंगे ओर उनकी रोजी-रोटी खत्म नहीं होने देंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, माननीय रेलमंत्री जी से कल हुई थी मुलाकात, सुधार के कर रहे हैं प्रयास आप तो रेल, मेल एक्सप्रेस और यात्री रेलगाड़ियों में जनसामान्य की सुविधाओं का विस्तार आप कीजिए। कीजिए ऐसे प्रबंध जिससे खान-पान अच्छा हो, स्टेशन और रेलगाड़ियों को स्वच्छ, साफ-सुथरा कीजिए, रेल यात्रा के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध भी आप कीजिए। मैं सोचता हूं कि रेल के काम को जो गति मिली है उसमें और प्रगति हो। मैंने कल खाचरोद में रतलाम-भोपाल इन्टरसिटी के स्टॉपेज की बात कही थी और वह पत्र मैंने आपको दिया है। साथ ही ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीच में डीएमयू ट्रेन के बारे में आपसे आग्रह किया है। वास्तव में हमें पहले जो स्टॉपेज दिए गए थे, उनमें से नागदा और खाचरोद में कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज खत्म कर दिए गए हैं, उन्हें फिर से चालू करके यात्रियों को सुविधा प्रदान करें। मैंने कोटा और मथुरा के बीच में, चूंकि उज्जैन श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली है और मथुरा-वृन्दावन उनकी जन्मस्थली है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने का भी काम आप करेंगे तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने पहले ही घोषणा की है कि जो माननीय सदस्य अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे अपने भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : जनसामान्य को सुविधाएं मिलें, रेल यात्रीगाड़ियों में ज्यादा डिब्बे जुड़ें और उनमें पानी एवं दूसरी सुविधाओं का प्रबंध होना बहुत जरूरी है, इस पर आप ध्यान देंगे। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, किंतु इन बातों को हम हमेशा याद दिलाने का काम करते हैं और उनको पूरा करते हैं। जहां तक छोटे कर्मचारी हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जटिया जी, आप जल्दी बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है।

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, भोपाल एक्सप्रेस जो यहां आती है और लौटकर यहां से जाती है, उसे सात बजे तक वहां लाने का उपाय करेंगे तो अच्छा होगा। इन्दौर-उज्जैन-निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो यहां आकर वापस जाती है, वह इन्दौर में काफी देर से पहुंचती है। निश्चित रूप से अगर इसको आठ बजे तक इन्दौर पहुंचाने का काम करें तो अच्छा हो। नागदा में ओवरब्रिज बन गया है, किंतु उसके बनने के 15-20 साल बाद अब वहां जो नयी लेवल क्रॉसिंग है, वहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया है, वहां स्कूल वगैरह बन गए हैं, इसलिए उसको जारी रखने की बात वहां के लोग कह रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। उनेल, महीपुर रोड स्टेशन पर पानी और धूप से बचाने के लिए शेड का विस्तार करने की जरूरत है। उनेल, खाचरोद, आलोट रेलवे स्टेशनों के सामने जो कोर्ट यार्ड हैं, उनमें पानी भर जाता है, इसलिए उसके सीमेन्टीकरण और सौन्दर्यीकरण करने की जरूरत है। आलोट में नागेश्वर एक तीर्थस्थान है जहां पर काफी रेल यात्री आते हैं और उससे रेलवे को काफी रेवेन्यु मिलता है। इसलिए निश्चित रूप से वहां पर यात्री प्रतीक्षालय और अन्य विकास कार्य करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि इन सारी बातों को लेकर और रेलवे के बारे में आप जो काम कर रहे हैं उसमें और अधिक गति एवं सफलता मिले, इसके लिए आप प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। हारवर्ड विश्वविद्यालय का यह जानने का प्रयास कि भारतीय रेल ने कैसे अपने को घाटे से मुनाफे में बदल दिया है के बारे में कुंवर मानवेन्द्र सिंह द्वारा किया गया उल्लेख बहुत ही उचित है। मौलिक रूप में इसका श्रेय स्वत: ही भारतीय रेल को जाना चाहिए।

वस्तुत:, माननीय मंत्री ने शुरुआत की है लेकिन भारतीय, जो सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम समझा जाता है। इसने अपने में बड़ा-बदलाव कैसे लाया यह न केवल हारवर्ड विश्वविद्यालय के लिए फ्रांस के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का विषय है। वे आये और माननीय मंत्री तथा कई अधिकारियों से मिले। वास्तव में यह एक विषय है जिसका अध्ययन उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो व्यावसाय प्रबंधन में दिलचस्पी रखते हैं।

मुझे उन रेल अधिकारियों को भी मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने यह बड़ा बदलाव लाया है। हमें राजग सरकार के दौरान किये गये निवेश तथा उसके बाद अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा किये गये प्रयास को भी नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण यह बड़ा बदलाव आया है। इसलिए इसका श्रेय हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को जाता है।

इससे यह बड़ा बदलाव संभव हो सका है और व्यक्तिगत तौर पर लालूजी और उनके कनिष्ठ मंत्री भी बहुत भाग्यशाली रहे जिनके हाथों में आज यह मंत्रालय है। एक यह प्रयास भी होना चाहिए कि जो बड़ा बदलाव आया है उसे रेल के विकास के लिए भी जारी रखना चाहिए क्योंकि भारत औद्योगिक और आर्थिक रूप से तेजी से विकास कर रहा है। भारतीय रेल में बड़े बदलाव का यही कारण है। इस देश में बहुत सी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं। यात्री तथा माल यातायात दोनों में तेजी से वृद्धि हो रही हैं यही कारण है कि भारतीय रेल में यह बड़ा बदलाव आया है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इसके साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ने भी कई उद्योगों को तथा यातायात को भारतीय रेल की तरफ मोड़ा है। यह एक अन्य कारण है जिसके चलते माल वाहन तथा यात्री संख्या में वृद्धि हुई है।

महोदय, अब मैं विशिष्ट मुद्दों का उल्लेख करूंगा। हमारा राज्य उड़ीसा में भी बड़ा बदलाव आ रहा है और वहां औद्योगिक प्रगति हो रही है। पहले से ही 12 इस्पात संयंत्रों ने वहां काम करना शुरू कर दिया है और इस माह के अंत तक और 8 संयंत्र काम करना शुरू कर देंगे। इस समय 1.8 मिलीयन मीट्रिक टन इस्पात का अभी उत्पादन हो रहा है और अब अतिरिक्त 1 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन होगा। जब और अधिक इस्पात का उत्पादन होगा तो उसे देश के दूसरे भागों में ले जाना पड़ेगा।

महोदय, जब उत्पादन बढ़ता है तो उसमें रेल की निश्चित रूप से बड़ी भूमिका होगी ओर इसके लिए अवसंरचना विकास के लिए और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जब हम अवसंरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बंदरगाहों को जोड़ना होगा। आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है और बिहार के मुख्य मंत्री के रूप में अपने अनुभव से रेल मंत्री को भी यह अच्छी तरह ज्ञात है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिज-सम्पन्न राज्य हैं और वहां से माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए उन्हें विशेष बंदरगाहों से उनको जोड़ने की आवश्यकता है। हल्दिया में पहले से ही भीड़ ज्यादा है, कोलकाता का बंदरगाह भी अब और यातायात नहीं बर्दास्त कर सकता और विशाखापत्तनम भी भीड़ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए, जब उड़ीसा में दो नए बंदरगाह दलभरा और गोपालपुर का निर्माण हो रहा है तो उनके लिए रेल संपर्क आवश्यक है। उड़ीसा के दलभरा और गोपालपुर बंदरगाहों को रेल से जोड़ने के लिए सरकार रेल के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम परियोजना पर काम कर सकती है।

फिर, हमारे भीतरी प्रदेश में रेल नेटवर्क के विकास के लिए एक नीति बनानी होगी और विशेषकर खनिज सम्पन्न राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, उड़ीसा का विकास होगा और झारखंड तथा छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा।

महोदय, मैं अब अन्य पहलु के बारे में बात करना चाहूंगा और वह पूर्व-तटीय जोन के बारे में है। जखपुरा-बनासपानी रेल लाइन का निर्माण लगभग चार दशकों से ज्यादा समय से हो रहा है लेकिन उस मार्ग पर अभी बहुत ही कम काम हुआ है। इस सभा में तथा बाहर भी बार-बार आश्वासन दिये गये कि वहां रेल संपर्क कार्य किया जाएगा। लेकिन कार्य में इच्छित प्रगति नहीं हो रही है। क्योंझर को पहले ही बनासपानी से जोड़ा जा चुका है। इसलिए, जब तक जखपुरा-बनासपानी लाइन पूरा नहीं हो जाता तब तक न तो इससे उद्योग का लाभ होगा न ही रेलवे को और यातायात प्राप्ति में लाभ होगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस संपर्क को यथाशीघ्र कायम किया जाना चाहिए।

उचित प्रबंधन और प्रशासन के लिए उस हिस्से को भी पूर्व-तटीय जोन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। वह हिस्सा इस समय दक्षिण-पूर्व रेल के अंतर्गत आता है। लेकिन बेहतर प्रबंधन और बेहतर प्रशासनिक क्षमता के लिए यह आवश्यक है कि उस नये जोन का भी पुन:निर्धारण होना चाहिए ताकि सरकार बेहतर प्रबंधन और बेहतर माल ढुलाई का काम कर सके।

इसी प्रकार, झरसुगूडा-राउरकेला-बंदामुंडा क्षेत्र में भी होना चाहिए क्योंकि खानें उड़ीसा में हैं तथा खनिजों को झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए भेजना पड़ता है और उस मार्ग पर रेल यातायात बहुत ज्यादा है। यही मुख्य कारण है कि मैं इस पर जोर दे रहा हूं। माननीय मंत्री संबंधित महाप्रबंधकों और अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं। इस संबंध में एक संकल्प भी किया गया।

मैं राजधानी एक्सप्रेस के संबंध में एक बिंदु की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय मैं समझता हूं कि भुवनेश्वर एकमात्र ऐसे राज्य की राजधानी है जहां राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में केवल चार बार जाती है। इसे प्रतिदिन किया जाना चाहिए।

पिछले दो दशकों से तालचर-पारादीप के बीच दूसरी लाइन पर कार्य प्रगति पर है। इस सभा में मुझे आश्वासन दिया गया था कि महानदी पर दूसरा पुल 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे इस पर संदेह है क्योंकि उस पर अभी तक बहुत कार्य नहीं हुआ है। यह काम बहुत धीरे चल रहा है। हरिदासपुर-पारादीप संपर्क लाइन, जिसका बजट में भी उल्लेख था को एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाना है। उन लाइन पर बहुत से उद्योग स्थापित हो रहे हैं और पारादीप बंदरगाह के कारण यातायात में वृद्धि होना निश्चित है। इसलिए, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि उस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, मैंने कई बार कटक-बारंगा लाइन को दोहरा करने के मसले को उठाया था। माननीय मंत्री इस वर्ष ज्यादा ही दयालु रहे क्योंकि जब 92 करोड़ रुपये की राशि आबंटित हुई थी तब उड़ीसा के कुछ लोग अति प्रसन्न हो रहे थे और जब 130 करोड़ रुपये की राशि आबंटित हुई तब कुछ लोगों ने अति प्रसन्नता अनुभव की। लेकिन हमने सदैव इस बात पर जोर दिया औद्योगिक माहौल को और रेलवे के हित को ध्यान में रखते हुए निवेश किया जाना चाहिए।

साथं 7.17 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

उस संबंध में इस वर्ष 660 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पूर्व तटीय जोन को आबंटित की गई थी। लेकिन मुझे खुशी होगी यदि वे इस राशि को विनिर्दिष्ट समय में खर्च करेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामकृष्ण कुसमरिया का नाम पुकारता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, कृपया मुझे इसे पूरा करने की अनुमति दीजिए।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि पुरी एक बहुत ही सुविख्यात जगह है। खुर्दा से डेलांग को जोड़ने वाली लाइन के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है। दूसरा चरण, अर्थात् डेलांग से पुरी के बीच लाइन को इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त कीजिए। इस विषय पर और पांच वक्ता बोलने वाले हैं। इसे सीमित समय में हमें पूरा करना है। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। राज-अथागढ़ नामक एक स्टेशन है और बहुत सी एक्सप्रेस गाड़ियां कटक शहर को छोड़ते हुए इस लाइन से होकर नारग को चली जाती हैं। मैंने पूर्व में नारग-भरथापुर लाइन में एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए एक हाल्ट देने की बात का उल्लेख किया था। राज-अथागढ़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक है। ओरवा, बंगलौर और मुम्बई को जाने वाले लोगों को इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह कटक जिले के पश्चिमी भाग में सब-डिवीजन है और यह स्टेशन इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस स्टेशन को एक..... में विकसित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए अन्यथा इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, कृपया मुझे इसे पूरा करने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

महोदय, मैंने कालका शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा की है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अधिकारियों को उस गाड़ी में यात्रा करने को वे कहें। यह एक शताब्दी एक्सप्रेस है और यदि आप चेयरकार में यात्रा कर रहे हों तो आपको लगेगा कि सीटों की स्थिति कितनी खराब है। मैंने पुरी एक्सप्रेस में प्रथम दर्जे में यात्रा की है। उस लम्बी दूरी की गाड़ी में स्वच्छता सुविधाओं की जरूरत है।

सभापति महोदय : जरा शांत रहिए। मैं आपके किसी और भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, केवल आधा मिनट और समय दीजिए।

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, यदि शेष भाग को लिखित में दे दूं तो क्या यह सही होगा? मैं पीठ से निदेश चाहता हूं।

सभापति महोदय : जी, हां। आप ऐसा कर सकते हैं।

*श्री भर्तृहरि महताब : सुरक्षा के मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी.वी. आवश्यक है और केवल यात्रियों को गाड़ियों के नजदीक आने की अनुमति होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं।

मैं यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि रेल, जो देश की आर्थिक प्रगति की जीवन रेखा है, को देश के खनिज सम्पदा से सम्पन्न राज्यों में अधिक निवेश करना चाहिए। बकाया कार्यों को निपटाने के लिए पूर्व रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जो सूत्र तैयार किया था उसे पुनः एक बार प्रयोग में लाने की आवश्यकता है।*

*श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। मैं संप्रग की रेल की अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए गर्व का अनुभव कर रही हूं, जिसका नेतृत्व श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा किया जा रहा है जो सर्वोत्तम प्रशासकों में से एक हैं, तथा जिन्होंने भारतीय रेल को लाभप्रद बनाया है। उन्होंने गांव के उद्योग के मनोबल को बढ़ाने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का प्रचलन शुरू किया है। उन्होंने सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं केवल सम्पन्न यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि गरीब किसान यात्रियों के लिए भी उपलब्ध कराई हैं। व गरीब लोगों के समर्थक हैं। रेल पर भीषण हमले के बावजूद हमारा मंत्रालय तथा हमारी सरकार अपने यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जानते हैं कि भारतीय रेल भारत में आम लोगों की जीवन-रेखा है।

महोदय, मैं स्वयं कृषक समुदाय की संसद सदस्य होने के नाते किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित ग्रामीण लोगों के लिए रेल के महत्व को समझती हूं।

मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र में कनकपुरा-सतनूर-रामनगर-भलवल्ली-कोबगल-चामराजनगर होते हुए राजधानी बंगलौर से मेल्लूपलियम के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग लोग काफी समय से कर रहे है जिससे इन सभी तालुकाओं के लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय रेल मंत्री, श्री लालूजी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि वे कनकपुरा से होती हुई एक नई रेल लाइन के लिए शीघ्र सर्वेक्षण कराएं तथा उपहारस्वरूप यह नई रेल लाइन भेंट करें। मेरे क्षेत्र के लोग इस उपहार को 'सुवर्ण कर्नता' वर्ष अर्थात स्वर्णिम वर्ष उपहार के रूप में याद करेंगे।

मैं रेल मंत्री महोदय से दार्जिलिंग की टवॉय ट्रेन के समान बागों के शहर बंगलौर और मैसूर की यात्रा करने वाले घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक नई ट्वॉय ट्रेन शुरू करने का अनुरोध करती हूं। रामनगर की पहाड़ियों में हिन्दी फिल्म शोले में दर्शायी गई विश्व प्रसिद्ध रॉक हिल्स हैं। पर्वतीय पर्यावरण वन, मनचनबेली और कण्वडैम जैसे बांध और कैंगल अंजनेया मंदिर के कारण पर्यटक और आकर्षित होंगे। यहां एक रमणीय स्थान भी है। यदि मंत्रालय बंगलौर की 70 लाख आबादी तथा बाहरी पर्यटकों के लिए एक ट्वॉय ट्रेन शुरू कर देगा तो इससे रेलवे को काफी राजस्व प्राप्त होगा। रामनगर बागों के शहर, बंगलौर तथा रॉयल सीटी, मैसूर के बीच स्थित है इससे और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। नजदीक में 'चन्नापतुआ' अपने काष्ठ खिलौना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के लिए यह एक आश्चर्यजनक उपहार होगा।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं माननीय मंत्री से रामनगर शहर में कोट्टीपुरा के नजदीक फ्लाई ओवर बनाने का अनुरोध करती हूं जिससे उन 10,000 अल्पसंख्यक लोगों को लाभ मिलेगा जो रेशम पिताचर व्यवसाय में लगे हुए हैं। यह 8 वार्डों को जोड़ता है। मैं योगेश्वरनगर नामक स्थान के निवासियों को जोड़ने के लिए रामनगर के बिदाडी में फ्लाई ओवर बनाने तथा 80,000 की आबादी के लाभार्थ चन्नापट्ना शहर के यैल्लेकेरी में फ्लाई ओवर बनाने तथा अनेकल तालुक–अट्टीबेले होबली में रामसागर तक पहुंचने के लिए हेल्लालिज में फ्लाई ओवर बनाने का अनुरोध करती हूं।

मैं माननीय मंत्री से बंगलौर शहर-रामनगरम रेल लाइन को मांड्या जिले में मद्दूर शहर तक, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है दोहरा करने के लिए अनुमोदन देने का अनुरोध करती हूं।

इन सभी अनुरोधों के साथ मैं कर्नाटक राज्य के लम्बित पड़े सभी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए मंत्री महोदय से एक बार पुन: अनुरोध करती हूं।

आदरणीय लालूजी, कृपया आप मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर बंगलौर से मेतूपलूर तक नई रेल लाइन की मांग की उपेक्षा न करें जिसके लिए मैं 2004 से ही लगातर अनुरोध कर रही हूं।

मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस स्वर्णिम वर्ष 2006 में, जबकि कर्नाटक राज्य अपना 50वां वर्ष पूरा कर रहा है, मेरे क्षेत्र के लोगों को इस नई रेल लाइन का उपहार देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पुन: एक बार रेलवे के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण खुसमरिया (खजुराहो) : महोदय, रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान सर्वप्रथम मैं श्री लालूजी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर से झांसी तक ला कर ओरछा तथा खुजराहो के पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ-साथ उन्होंने हरपालपुर में परिवहन के लिए रेड प्वायंट भी स्वीकृत किया है, उसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। ललितपुर, सिंगरौली रेल मार्ग स्वीकृत हुआ है और दो खंडों में काम हो रहा है–एक तो ललितपुर से मवई खंड, जो इलाहाबाद जोन में है, उसमें काम प्रगति पर है और ठीक प्रकार से चल रहा है, लेकिन जो जबलपुर में मवई से खुजराहो तक का खंड है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी गुजारिश है कि आप इस काम को जल्दी से करवाएं और विशेष पैकेज दें। अगर यह लाइन तैयार हो जाएगी, जो बुंदेलखंड में अनेक प्रकार के उद्योग लगेंगे। वहां खनिज सम्पदा का भंडार है, सिंगरौली में कोयले का भंडार है, ग्रेनाइट का भंडार है और पन्ना हीरे की खदानें हैं। अनेक उद्योग इनसे संबंधित वहां लगेंगे और वहां का कायाकल्प हो जाएगा, जिसका श्रेय आपको जाएगा।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के 14 स्टोपेज बंद हो गए थे, कुछ आपने बहाल कर दिए हैं लेकिन ओरछा और तहरका दो ऐसे स्टेशन हैं, जहां पर स्टोपेज ठहराव होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ठहराव के लिए स्वीकृति प्रदान करें। इसी तरह भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव यदि ललितपुर में देते हैं, तो टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर आदि बुंदेलखंड के अनेक जिलों के यात्रियों को उसकी सुविधा प्राप्त होगी और आपके राजस्व में भी इजाफा होगा। मैं इसके साथ ओरछा स्टेशन को विकसित करने के लिए भी गुजारिश करता हूं। यह तीर्थस्थल है। अनेक यात्री यहां पर आते हैं, लेकिन यहां न तो कोई छायावान जगह है और न ही इन स्टेशनों पर कोई आधुनिक सुविधाएं हैं। इसलिए ओरछा और हरपालपुर स्टेशनों को आधुनिक सुविधाएं दे कर विकसित कराएं। इसी तरह आपसे निवेदन है कि हरपालपुर में रेलवे रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान करें ताकि पूरे बुंदेलखंड के यात्रियों को इसकी सुविधा मिल सके। इसी तरह संपर्क क्रांति को नेवाडी में यदि आप ठहराव देते हैं तो टीकमगढ़ और छतरपुर जिले को सुविधा प्राप्त हो जाएगी। मैंने आपकी आलोचना करने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन बहुत मुश्किल से एक ही प्वायंट मिला। जैसे श्री कृष्ण की माखन चोरी को उनकी लीला कहा जाता है, वैसे ही आपने सुपर फास्ट रेल चालू करके लोगों की जेब से जो पैसे निकाले हैं, वह निश्चित ही कृष्ण की भांति माखन चोरी की लीला माना जाएगा। यदि इस पर आप फिर से विचार करें तो लोगों को राहत मिलेगी।

इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि हमारी जो छोटी से मांग है, उसे आप ध्यान में रखेंगे और जो ललितपुर, सिंगरौली रेलवे लाइन है, उसे विशेष पैकेज दे कर बुंदेलखंड का कायाकल्प करने का काम करेंगे।

*माननीय सभापति महोदय, रेलवे को अनुपूरक मांगों की चर्चा के दौरान मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं लालू जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर तक एक्सटैन्ड किया है। इसके साथ ही

*...*भाषण के इस भाग को सभा पटल पर रखा गया।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

मेरे संसदीय क्षेत्र में हरपालपुर को रेलवे का रैक प्वाइंट स्वीकृत किया है, जिससे मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड के समस्त जिलों को फर्टिलाइजर खाद्यान्न एवं माल परिवहन की विशेष सुविधा मिली है। ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर से झांसी तक एक्सटैन्ड करने से ओरछा, जो कि एक पर्यटक एवं धार्मिक तीर्थस्थल है तथा खजुराहो भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, इनके पर्यटन में इजाफा होगा।

मान्यवर, हमें लालूजी से काफी आशाएं हैं। मुझे विश्वास है कि वह ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन को विशेष पैकेज देकर इसका बहुत जल्दी निर्माण करायेंगे और धनराशि की व्यवस्था भी करायेंगे। ललितपुर से मवईखंड पर इलाहाबाद जोन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है, किंतु मवई से खजुराहो खंड, जो जबलपुर जोन में लगता है, वहां कोई प्रगति नहीं हो रही है। अतः निवेदन है कि जबलपुर जोन के जी.एम. को इस बारे में निर्देश दिये जाएं, ताकि वहां तत्काल कार्य प्रारम्भ हो सके। इसके साथ ही मानिकपुर से झांसी तक डबल लाइन का निर्माण किया जाए और इसका विद्युतीकरण किया जाए। ओरेक्षा रेलवे स्टेशन को एक्सटैन्ड किया जाए तथा वहां धूप और बरसात से बचाने के लिए छाया का इंतजाम किया जाए और वहां पीने का पानी और यात्री सुविधाएं भी प्रदान करें। इसी तरह से हरपालपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक एवं आदर्श स्टेशन बनाया जाए तथा वहां रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान की जाए। निवाड़ी स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाए।

इसके अलावा मैं आपसे कुछ यात्री गाड़ियों के स्टापेज के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। भोपाल एक्सप्रेस को ललितपुर में रोकने के लिए मैंने आपसे अनेक बार निवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करके आप टीकमगढ़, छतरपुर एवं दतिया के लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे।

महोदय, मैं बार-बार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को सुपरफास्ट किया गया है, लेकिन उसके 14 स्टापेज को निरस्त किया गया है। मेरा निवेदन है कि उन्हें बहाल किया जाए। विशेष आग्रह है कि ओरक्षा एवं टेहरका में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का स्टापेज बहाल किया जाए। इसी तरह से सम्पर्क क्रांति (उ.प्र.) का भी निवाड़ी एवं ओरक्षा में स्टापेज प्रदान करने की कृपा करें।

मान्यवर, आपके द्वारा अनेक गाड़ियां सुपरफास्ट की गई हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन गरीब लोगों पर इसके किराये का भार पड़ेगा, कृपया इस पर अवश्य पुनर्विचार करें। इसके साथ ही पटरियों पर जो बोझ पड़ेगा, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और सुविधाएं जुटाएं, ताकि वहां होने वाले हादसे रुकें और जनजीवन सुरक्षित हो सकें। उदाहरण के तौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को सुपरफास्ट किया गया है। लेकिन उसके अनेक स्टापेज को बंद कर दिया गया है। दतिया में एक्सीडैन्ट हुआ, जिसमें 15 लोग काल-कवलित हो गये एवं पचास लोग घायल हो गये, वहां जन-धन की हानि हुई तथा रेल विभाग का भी काफी नुकसान हुआ। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैंने जो बिन्दु सदन के समक्ष रखे हैं, उन पर मंत्री जी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, भारतीय रेल को विश्व की पहले नम्बर की रेल का संकल्प लेकर, रेल की कायापलट करने वाले जनप्रिय रेल मंत्री जी द्वारा लाए गए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

देश जब रोकश मोहन कमेटी के निष्कर्षों से व्यथित होकर, रेल के भविष्य के लिए चिंतित था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए सौगात के रूप में लालूजी को रेल मंत्री बनाया। घाटे में चलने वाली रेल गत वर्ष में 11000 करोड़ से 13000 करोड़ रुपयों का लाभांश अर्जित करती है तथा भविष्य में 20000 करोड़ रुपयों के लाभांश की सम्भावनाओं को सच करने की जुगत में जुटा रेल मंत्रालय कुशल नेतृत्व के कारण देश में सबसे चर्चित मंत्रालय बन गया। पहले बजट में आपने कुल्हड़ की घोषणा की थी, खादी के उपयोग की घोषणा की थी, दही-मट्ठा व छाछ के विक्रय के केंद्र खोलने की घोषणा की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही थी। जब आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही थी तब देश के कटिबद्ध बुद्धिजीवियों ने बहुत व्यंग्यात्मक लहजे से कहा था कि लालू जी रेल को कौन से रास्ते में लेकर जा रहे हैं। दो वर्ष में यह चमत्कार हो गया। देश के पढ़े-लिखे लोग, देश के आईआईएम के प्रोफेसर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग, फ्रांस के स्टूडैंट्स आते हैं और पता करते हैं कि ऐसा लालूजी ने क्या किया जो पहले के रेल मंत्री नहीं कर सके और उन्होंने डैट ट्रैप में रेल को उतारा था, वह रेल आज लाभ का सौदा हो गई है। उनको बताया जाता है कि कुशल प्रबंधन और रोबस्ट कॉमन सैंस के जरिए गाड़ियों के घेरे बढ़ाए गए।

[अनुवाद]

कई तरह के नये विचार हैं जैसे प्रगतिशील मूल्य निर्धारण नीति जो मांग और आपूर्ति पर आधारित है, माल-भाड़ा को कम करके युक्तिसंगत बनाना और वस्तुओं के वर्गीकरण को 4000 से कम करके 80 श्रेणियों में रखना, कम आवक के समय में मालभाड़ा में छूट को और बढ़ाना, खाली जा रही गाड़ियों के लिए मालभाड़ा छूट में और वृद्धि करना, और अंतिम यात्रा दूर योजना।

[हिन्दी]

ऐसी-ऐसी योजनाएं बना करके आपने रेल को आगे बढ़ाया। माननीय रेल मंत्री जी जब भी राजस्थान पधारे, मुझे उनके साथ जाने का सौभाग्य मिला। मैं देखता हूं कि वह अपने सैलून के पिछले डिब्बे में बैठते हैं। वह आराम नहीं करते हैं। विंडो के माध्यम से सारी रेल के कोचेस को देखते हुए जाते हैं। अधिकारियों को इंगित करते हुए जाते हैं कि यह एलाइनमैंट ठीक नहीं है, यहां गड़बड़ हो सकती है, इस जगह गट्टी और मिट्टी ठीक से नहीं डाली हुई है, यहां नुकसान हो सकता है, यह पड़ोस से जाने वाली ट्रेन है, इस ट्रेन की धुलाई क्यों नहीं हुई, एक-एक बिंदु को अपनी पैनी निगाह से देखते हैं। अजमेर के पास एक पुल के साथ में छोटा सा डाइवर्जन था और कहा कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। रेलवे के जीएम ने कहा कि इस रेल के पुल की लाइन को नीचा कर रहे हैं जिससे डबल कंटेनर ट्रेन निकल जाए। आपने डबल कंटेनर ट्रेन चलाने का सपना देखा था। आपने जयपुर से डबल कंटेनर ट्रेन चालू की। आज डैडिकेटिक फ्रेट कॉरीडोर की बात आती है तो रेलवे के विकास का बहुत बड़ा सपना देश के लोग देखते हैं। आपने जो रेलवे की कायाकल्प की है, सारा देश आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है और सुंदर भविष्य की कल्पना को संजोए हुए यही प्रार्थना करता है कि लालूजी के नेतृत्व में देश का विकास हो।

आज जब रेल की चर्चा चल रही है, मैं अपने क्षेत्र की छोटी-मोटी मांगें रख कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करता आ रहा हूं कि मेरे क्षेत्र का भिवाडी ऐसा स्थान है जहां कंटेनर डिपो है। वह बहुत बड़ा इंडिस्ट्रियल टाउन है। रिवाड़ी से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। अगर रिवाड़ी से जुड़ जाता है तो राजस्थान के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। साधारण गाड़ियां जयपुर और दिल्ली के बीच नहीं हैं। मैं पैसेंजर ट्रेन की मांग करता हूं। मेरा अपना अलवर क्षेत्र टूरिज्म के प्वाइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वह वन क्षेत्र है। वहां फैरी क्वीन चलती है। अगर उस स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करके कायाकल्प हो जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

मैं एक मांग अर्से से करता आ रहा हूं। हमारे यहां एक स्टेशन राजगढ़ है। वहां आश्रम एक्सप्रेस के ठहराव की मांग है। पिछली दफा जब आप बांदीकुई जा रहे थे लोगों को एक घंटे पहले पता लगा कि लालूजी इस ट्रेन से जा रहे हैं। लगभग पांच हजार की भीड़ आपको देखने के लिए स्टेशन पर आ गई थी। उन्होंने निवेदन किया था कि इस गाड़ी का ठहराव यहां किया जाए। न्यू भुज बरेली एक्सप्रेस का ठन्हराव करने की मैं मांग करता हूं। अलवर के अन्दर मेनटेनन्स के लिए पिट लाइन बनायी जाए ताकि रेवाड़ी में आकर फालतू खड़ी गाड़ियों को 4 आरडी 7 आरडी को अलवर तक बढ़ाया जा सके।

मेरे यहां एक खैरतल स्टेशन है। वहां रेलवे फाटक की वजह से पूरे कस्बे को बहुत भारी परेशानी रहती है। वहां अंडर ब्रिज बनाने की मांग लंबे अर्से से की जा रही है। खैरतल में ही एक कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सैंटर की मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

*महोदय, रेलवे से संबंधित कुछ सुझावों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं:-

1. भिवाड़ी को रिवाड़ी से जोड़ा जाये।

2. जयपुर-दिल्ली रूट पर दिन में गाड़ियां नहीं हैं।

3. साधारण यात्रियों के लिए जयपुर व दिल्ली के बीच पैसेंजर ट्रेन चलायी जाये ताकि गरीब व मध्यम वर्ग के यात्रियों को लाभ मिल सके।

4. दिल्ली-रिवाड़ी के बीच दूसरी लाइन का आमान परिवर्तन हो चुका है, अब डबल लाइन हो गयी है। मेरा निवेदन है कि रिवाड़ी-जयपुर में दबाव को देखते हुए उस मार्ग का दोहरीकरण किया जाये।

5. मेरे लोक सभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अलवर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करावें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। सरिस्का टाईगर सेंचुरी के अलावा धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए आज भी आप फेयरी क्वीन नामक ट्रेन चलाते हैं। अत: अलवर स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जाये व यात्री सुविधाओं का और विकास किया जाये।

6. मरुधर एक्सप्रेस के द्वारा गत् वर्षों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ-वाराणसी से सीधे सम्पर्क में था मगर अब मरुधर का मार्ग बदल दिया गया है तथा यह ट्रेन अब बांदीकुई-भरतपुर होते हुए मथुरा-आगरा जाती है। अलवर के यात्रियों का इससे बहुत नुकसान है। अलवर-मथुरा लाइन का सम्पूर्ण उपयोग हो रहा है। अत: मथुरा तक आने वाली किसी एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन को अलवर तक बढ़ाने की कृपा करें।

7. अलवर स्टेशन के आसपास काफी स्थान उपलब्ध है। अत: यहां मैंटेनेंस लाइन पिट लाइन बनायी जाये ताकि रिवाड़ी

*...भाषण इस भाग को सभा पटल पर रखा गया।

[डा. करण सिंह यादव]

पर आकर फालतू खड़ी रहने वाली 4 आरडी एवं 7 आरडी गाड़ियों को अलवर तक बढ़ाया जा सके। वर्तमान में मेरे लोक सभा क्षेत्र के अतिमहत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर कई गाड़ियां नहीं ठहरतीं। लगभग 150 गांवों की जनता को रेल का फायदा नहीं मिल रहा है। न्यू भुज बरेली एक्सप्रेस आते वक्त ठहरती है मगर लौटने में नहीं ठहरती है। अत: मेरी प्रार्थना है कि बरेली भुज को आते जाते दोनों समय रोका जाये।

मैं जब से सदन में आया हूं तब से आपसे मांग करता आ रहा हूं कि आश्रम एक्सप्रेस का ठहराव राजगढ़ स्टेशन पर किया जाये। गत वर्ष आप जब दिल्ली से बांदीकुई पधारे थे लगभग 5000 यात्री राजगढ़ स्टेशन का ठहराव की मांग को लेकर उपस्थित थे।

मेरे क्षेत्र के खैरतल में कम्प्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर खोला जावे। यहां एक अंडर ब्रिज की मांग सालों से करते आ रहे हैं। खैरतल की जनता को रेल फाटक की वजह से बहुत परेशान रहना पड़ता है। अत: अंडर ब्रिज बनाया जाये।

मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर के अंतर्गत शाहजहांपुर-नीमराणा व बहराड़े औद्योगिक रूप से विकसित हो रहे हैं। हमसे थोड़ी से ही दूर पर कोटपुतली में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना बनने जा रहा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिवाड़ी से शाहजहांपुर नीमराणा, बहरोड होते हुए कोटपुतली तक नयी रेल लाइन के लिए सर्वे करवाया जाये।

मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में तिजारा जैन धर्म का अतिमहत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। देश और दुनिया से लाखों यात्री प्रतिवर्ष तिजारा आते हैं। भविष्य में तिजारा को भी रेल के नक्शे पर लाया जाये।

रेल संरक्षा सुरक्षा कर्मचारी कल्याण खोला जाये। गरीब नवाज एक्सप्रेस रांची किशनगंज बैडाली अलवर में ठहराव की आवश्यकता है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपने अनु.जाति/जनजाति व पिछड़ी जातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में थार एक्सप्रेस प्रारंभ कर दो देशों की जनता को जोड़ा है।

[अनुवाद]

श्री चनलाल चावमा (मिजोरम) : सभापति महोदय, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, मिजोरम के बारे में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

महोदय, मैं केवल एक ही मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मिजोरम भारत के रेल-मानचित्र में नहीं है, क्योंकि हमारे यहां बैराबी तक डेढ़ किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। यह असम से मात्र 1.5 किलोमीटर है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिजोरम चारों तरफ भू-भाग से घिरा हुआ राज्य है। सिलचर, असम से आने-जाने का एक मात्र साधन सड़क मार्ग है। मिजोरम की 3/4 सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है जिसकी लंबाई 722 किलोमीटर है। इसमें म्यांमार से मिलने वाली सीमा की लंबाई 404 किलोमीटर तथा बंगलादेश से मिलने वाली सीमा की लम्बाई 318 किलोमीटर है। मिजोरम के उत्तर कोने तक आने-जाने का साधन केवल सड़क मार्ग है। लेकिन हमारे यहां मात्र एक छोटी सी रेल लाइन है जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।

लेकिन सौभाग्य से, बैराबी से सैरांग तक नई बड़ी लाइन परियोजना, जिसका मिजोरम में उत्तर-पूर्व सीमांत रेल लाइन का 51.38 किलोमीटर भाग पड़ता है, के संबंध में, टोह-अभियांत्रिकी-सह-यातायात की सर्वेक्षण रिपोर्ट मार्च, 2006 सरकार को प्राप्त हो गई है। इसके लिए हम सरकार के आभारी है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सकल परियोजना लागत 519.34 करोड़ रुपये है तथा डी.सी.एफ. द्वारा यथा आकलित प्रतिलाभ की दर नकारात्मक है। इस प्रकार यह परियोजना वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें मिजोरम भी सम्मिलित है, में अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिए उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनाएं इसी तरह की है जिनसे नकारात्मक प्रतिलाभ मिलेगा। तथापि, इस प्रकार की परियोजनाओं की संस्वीकृति दी गई तथा इन पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यहां संचार अवसंरचना के रूप में रेल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए इन परियोजनाओं पर कार्य हुआ ताकि इन क्षेत्रो को देश के शेषभाग के साथ बराबरी पर लाया जा सके, यह कार्य भारत सरकार की नीति के अनुसार किया गया है जिसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई है। इस प्रकार के परोपकारी कार्य से रेलवे पूर्णत: एक लोक उपयोगिता सेवा संगठन साबित हुआ है और सामान्यत: देश में, विशेषकर अल्प-विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के अग्रदूत के रूप में अपनी छवि को सुदृढ़ किया है। उसी तरह, यह भी गुजारिश है कि इस परियोजना पर भी शीघ्र विचार कर इसकी मंजूरी दी जाए।

मेरा नम्र निवेदन केवल 519.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के एवं बैराबी से सैरंग तक बीजी लाइन की शीघ्र मंजूरी देने का है जो उत्तर पूर्व सीमा में केवल 51 किलोमीटर दूर है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : आदरणीय सभापति महोदय, यद्यपि मेरे बैठने का नियत स्थान पार्श्व में है, क्या मैं आपकी अनुमति लेकर यहीं से भाषण कर सकता हूं?

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : महोदय, मैं कर्नाटक राज्य का हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ दक्षिण है। मैं हवेरी जिले का वासी हूं। मैं निवेदन करता हूं कि हवेरी रेलवे स्टेशन पर न तो छत है, न पेय जल सुविधा है, न बैठने की सुविधा है और न ही अतिविशिष्ट यात्रियों के लिए विश्राम कक्ष है।

महोदय, मैं इस बात पर बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि रेलवे अधिकारी, मेरे क्षेत्र और मेरे राज्य को नजरअंदाज कर रहे हैं।

लेकिन उससे इतर मैं यह भी कह सकता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेलयात्रा का आनंद ले रहा हूं। इसके लिए मुझे उनको धन्यवाद अवश्य देना है क्योंकि उन लोगों ने संसद सदस्यों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करायी है। लेकिन समस्याओं के संबंध में, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था उन्होंने समाधान की कोशिश नहीं की मैं चौथी बार इस गरिमापूर्ण सभा में विचार व्यक्त कर रहा हूं।

मैं बहुत महत्वपूर्ण मसला उठा रहा हूं और रेल मंत्रालय से मांग कर रहा हूं। यह लेवल क्रासिंग संख्या 237 के बदले में 393/13-14 पर एक रेल ओवरब्रिज के निर्माण के संबंध में है। एक रेल अंडरब्रिज संख्या 43ए का निर्माण सन् 1996 में किया गया था जो तकनीकी रूप से चलायमान नहीं है। इसलिए उस जिलके कई लाख लोगों को असुविधा हो रही है। इस संबंध में मैंने कई याचिकाएं भी दी हैं। हर व्यक्ति आक्रोश ग्रस्त है और जनता मुझे इसके विरोध में हवेरी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के धरना पर बैठने के लिए बाध्य कर रही है।

लेकिन आज मैं सबसे भाग्यशाली हूं क्योंकि हमारे माननीय मंत्री और इस देश के वरिष्ठ नेता लालूजी यहां बैठे हुए हैं। मुझे आशा है कि वे इस समस्या को निश्चित रूप से हल करेंगे। हमारे माननीय मंत्री वेलूजी इस बारे में जानते हैं। उन्होंने गत सत्र में एक बार मुझे बुलाकर मुझसे कहा था कि उन्होंने हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे के संबंधित अधिकारी, महाप्रबंधक को पहले ही निदेश दिया था। लेकिन अधिकारियों ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया।

जब मैं संसद सदस्य बना, उसके दो साल बाद मैंने पहली बार मैसूर में एक बैठक में भाग लिया और वहां भी मैंने इस बारे में महाप्रबंधक, मुख्य अभियंता और मंडल रेल प्रबंधक से कहा था। सभी संसद सदस्य वहां इकट्ठे हुए थे। उस समय मैंने उनके ध्यान में यह बात लायी। इन सबके बावजूद मेरी कोशिश बेकार हो गयी। इसलिए मैं इस बार विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी नहीं बदले जाएंगे तब तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा। मैं यह बात पूरे कर्नाटक के लिए कह रहा हूं। इसलिए, जब अधिकारियों ने हमारे माननीय मंत्री वेलूजी का कहना नहीं माना तो उन्हें शीघ्र बदल दिया जाना चाहिए। उन्हें आपकी बात अवश्य सुननी चाहिए।

अब माननीय मंत्री लालूजी को यह कहना है। यह पहली बार नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं। हमारे पूर्ववर्ती संसद सदस्य ने भी यहां कहा था और जिले से कई बार आवेदन भी दिय गये थे। यदि केवल यही रेलवे ओवरब्रिज और वह भी साझा कीमत आधार पर बनवा दिया जाय तो मैं निश्चित रूप से लालूजी की पूजा करूंगा। मैं यह मांग नहीं करना चाहता कि आपको कुल राशि वहन करना है। मेरा निवेदन केवल यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रेलवे ओवरब्रिज साझा आधार पर बनवा दिया जाय। मैं निश्चित ही आपको भगवान जैसा पूजुंगा। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र ले जाऊंगा और मेरे हवेरी शहर में कई लाख लोगों का जुलूस आयोजित किया जाएगा। इसलिए मैं बारंबार आपसे और आपके मंत्रालय से इसे बनवा देने की अपील कर रहा हूं। संबंधित अधिकार को मंत्री की बात पर तो ध्यान देना चाहिए।

क्या यह देश नौकरशाहों द्वारा शासित है? वे हमारे मंत्री की बात पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या यह लोकतांत्रिक देश नहीं है? इसलिए मैं बारंबार आपसे एक रेल ओवरब्रिजद बनवा देने का अनुरोध कर रहा हूं।

उसके बाद केवल छोटी समस्याएं शेष हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे हवेरी जिला मुख्यालय में फुट-ओवरब्रिज बनवाया जाय। मैं चाहता हूं कि रनेबुन्नुर रेलवे स्टेशन पर एक फुट-ओवर-ब्रिज बनवाया जाय।

कोल्हापुर और बंगलौर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

है। वह बहुत आवश्यक है...*(व्यवधान)*। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि गदाग और कुमेटा यानी रा. राजमार्ग-4 और रा. राजमार्ग-17 के बीच रेल लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग में सबसे अधिक आवश्यक है।

शेष मामलों के संबंध में मैं बाद में अनुरोध करूंगा। ब्यादेगी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव जरूरी है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कह दिया कि भारत ब्यूरोक्रैटिक कंट्री है। इसमें संशोधन करवा दीजिए। प्रोसीडिंग्ज़ में यह बात आ जानी चाहिए।

सभापति महोदय : जी हां, यह डैमोक्रैटिक कंट्री है।

श्री लालू प्रसाद : माननीय सदस्य ने कहा कि ब्यूरोक्रैट्स हावी हो जाते हैं।

[अनुवाद]

आपने पूछा कि क्या इस देश में नौकरशाहों का शासन है। यहां लोकतंत्र है।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर : मैं कहना चाहता था कि यहां लोकतंत्र का शासन होना चाहिए। यदि मैंने भाषण में कुछ ऐसा कहा हो तो उसे वापस लिया जा सकता है। मुझे बुरा नहीं लगेगा।

सभापति महोदय : उसे संशोधित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जो काम किया है, उसकी चर्चा आज पूरे देश में और विदेश में भी हो रही है। यह अध्ययन का विषय बन चुका है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात का जो सौराष्ट्र एवं सूरत का इलाका है वहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे क्षेत्र में सोमनाथ महादेव का ज्योर्तिलिंग मंदिर है, गिरिनार पर्वत है, कृष्ण भगवान का देहोत्सर्ग भी वहीं हुआ है, गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर भी वहीं पर है, द्वारिका मंदिर भी उसी क्षेत्र में है। सभी प्रांतों से, देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालू लोग वहां आवागमन करते हैं। जैसे राजकोट से सोमनाथ, विरावल तक ब्रोडगेज लाइन डाली गई है और वहां ट्रेन भी चलती है, लेकिन जो पुरानी मीटरगेज ट्रेन चलती थी और तब जितनी ट्रेनें चलती थीं, वे आज ब्रौडगेज होने के बावजूद बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं। करीब-करीब 40 लाख लोगों की आबादी उस क्षेत्र में बसती हैं। उन्हें मुंबई जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि विरावल से मुंबई के लिए सीधे रेलवे सेवा उपलब्ध कराई जाए और सोमनाथ महादेव, पोरबंदर एवं द्वारिका मंदिर से चारों धामों के लिए, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा हरिद्वार के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं चल रही है। इसके लिए पुराने समय में घोषणा भी की गई है कि यहां से सीधे चारों धामों के लिए, सोमनाथ से ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन कोई ट्रेन नहीं चल रही है। अहमदाबाद जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन मिलती है, पुराने टाइम में दो ट्रेनें चलती थी, जब मीटरगेज चलती थी, लेकिन ब्रौडगेज होने के बाद भावनगर जाने की जो ट्रेन थी, वह भी बंद हो गई है। अब अहमदाबाद जाने के लिए एक ही ट्रेन मिलती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि गिरिनार एक्सप्रेस के नाम से जो ट्रेन चलती थी, वह वापस चलाई जाए और इन चारों धामों के लिए हफ्ते में एक बार ट्रेन चलाई जाए। जो स्टूडेंट्स एवं कर्मचारी लोग हैं, राजकोट से लेकर विरावल तक करीब-करीब 1200 लोग आवागमन करते हैं, उनकेर सही टाइम पर नौकरी पर पहुंचने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सही टाइम पर स्कूल पहुंचने के लिए आज कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। इसलिए राजकोट से लेकर विरावल तक एक सुबह ही ट्रेन और उसी तरह विरावल से राजकोट के लिए एक ट्रेन चलाई जाए, जिससे कर्मचारी और स्टूडेंट्स को आवागमन में सुविधा हो और वे सही टाइम पर अपने काम पर पहुंच सकें।

महोदय, मेरी एक मांग यह भी है कि सोमनाथ महादेव का जो जगप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है, वहां से और द्वारिका से चारों धाम के लिए हफ्ते में करीब एक बार ट्रेन चलाई जाए। विरावल से लेकर अहमदाबाद तक एक और ट्रेन चलाई जाए और जो गिरिनार एक्सप्रैस बंद हुई है, जब कि उस क्षेत्र में 40 लाख की आबादी है और वहां मुंबई के लिए एक भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, इसलिए मुंबई के लिए एक और ट्रेन चलाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल प्रदेश) : माननीय सभापतिर महोदय, मैं रेलवे बजट और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स पर हमेशा अंग्रेजी

में भाषण देता आया हूं, लेकिन इस बार लालूजी यहां बैठे हैं इसलिए मैं हिन्दी में भाषण दूंगा ताकि मेरी बात उनकी समझ में आ जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे प्रदेश से आया हूं, जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश को हम हिन्दुस्तान से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आजादी के बाद 59 साल हो गए हैं और अरुणाचल प्रदेश को हिन्दुस्तान से बाहर रखने का काम दिखाई दे रहा है। मैं रेलवे बजट और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर हमेशा डिमांड करता आया हूं कि रेलवे से अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ें, लेकिन आज तक नहीं जोड़ा गया है। मैं लालूजी को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मूरकोंग सलैक से पासीघाट सर्वे के लिए दिया है। पिछली बार भी मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को देख रहा था, पूर्वोत्तर राज्यों में कम्युनिटी हाल इतना जरूरी नहीं है, जितना पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे से जोड़ा जाना जरूरी है, इसलिए उन्हें रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय, आज आवश्यकता है कि रेलवे से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ा जाए। यह इकनौमिक पाइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि नैशनल सिक्योरिटी के पाइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। इस देश की 1962 में जब चीन के साथ वॉर हुई थी, तो हमने देखा कि जहां रेल नहीं थी, वहां सैनिकों को पहुंचने में कितनी भारी कठिनाई पेश आई थी। आज भी यह डेंजर बना हुआ है। आज भी वही स्थिति मौजूद है। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ने पर विचार करते समय इनकनौमिक पाइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के पाइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, मैं चायना बॉर्डर का रहने वाला हूं। मैं लालू जी की बहुत इज्जत करता हूं। मैं एम.पी. बनने के बाद चायना बॉर्डर के एक स्कूल में पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए गया। वहां मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा कि आप एम.पी. हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी से जरूर मिलते होंगे। मैंने कहा—हां। वे देश के रेल मंत्री हैं और मैं उनसे संसद में मिलता हूं। उसने मुझसे पूछा कि रेल क्या चीज है? वह विद्यालय चायना बार्डर से भारतीय क्षेत्र में 23 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे लालूजी का नाम देहातों तक में पहुंच गया, लेकिन वहां के लोग रेल क्या है, इसे अभी तक नहीं जानते, क्योंकि वह क्षेत्र रेल से जुड़ा नहीं है। इसलिए वहां के लोगों ने रेल नहीं देखी है।

चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से दुबारा निवेदन करते हुए, मांग करता हूं कि इटानगर हमारी स्टेट की कैपीटल है और वह हरमटी से केवल 25 किलोमीटर दूर है। उसे रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। मुरकोंग से लेकर पासीघाट तक तो माननीय रेल मंत्री जी ने इस साल रेल लाइन की मांग मान ली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रूपई से परशुराम कुंड तक रेल लाइन बिछाई जाए। परशुराम कुंड के मेले में हर साल पूरे जनवरी महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहां टैक्सी और बसों की भी व्यवस्था नहीं है।

महोदय, मैंने लालू प्रासाद जी को एक लैटर लिखा था। उनका उत्तर मेरे पास अभी तक है जिसमें इन्होंने बताया कि रंगिया से मुरकोंग-सलैक-पासीघाट तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनाने के लिए 1900 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस लाइन पर आज तक एक इंच भी काम नहीं हुआ है। यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट में शामिल नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। हम जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों के मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने रिक्वैस्ट की थी कि बोगीबिल-रेलवे-कम-रोड-डिब्रूगढ़ जो रेलवे का प्रोजैक्ट है, उसे नैशनल प्रोजैक्ट के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई और न उसका उल्लेख इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट में है।

महोदय, मैं लालूजी की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने रेलवे में कुल्हड़ और खादी के प्रचलन को बढ़ावा दिया, इसके लिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों की रेल की बोगियों में मोबाइल फोन को चार्ज करने का एक भी प्लग नहीं होता है। हम पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को इससे बहुत कठिनाई महसूस होती है। हमारी मांग है कि पूर्वोत्तर राज्यों को जाने वाली रेलगाड़ियों में मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए प्लग अवश्य लगाए जाने चाहिए।

महोदय, मैं लास्ट में उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में अरुणाचल प्रदेश जैसे दो-तीन राज्य हैं जिनमें पिछले 59 वर्षों में रेलवे के बजट में से एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। इसलिए मैं रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे प्रदेशों को रेलवे के बजट का कुछ परसैंटेज दिया जाना चाहिए ताकि रेलवे लाइन के बदले हम अपने प्रदेशों में अस्पताल बनाने, स्कूल बनाने, रास्ते बनाने और कम्युनिटी के फायदे के लिए दूसरे काम कर सकें। यदि ऐसा किया जाएगा, तो हमें भी लगेगा कि हिन्दुस्तान की रेलवे में हम भी शामिल हैं अन्यथा मुझसे पहले वाले सांसदों जैसा कहते रहे वैसा ही मेरे बाद आने वाले सांसद कहेंगे कि रेलवे से अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ें, उसे नहीं। इसलिए मैं इस बार तो श्री लालू प्रसादजी का रेलवे की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में साथ नहीं दूंगा, लेकिन जो बिन्दु मैंने बताए हैं, यदि उनके ऊपर काम किया जाएगा, तो अगली बार मैं उन्हें जरूर सपोर्ट करूंगा।

श्री लालू प्रसाद : माननीय सभापति जी, मैं उन 40 सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिनमें से 32 माननीय सांसदों ने भारतीय रेल के संबंध में, अपने क्षेत्र के संबंध में और रेलवे के कार्यकलाप के संबंध में अपनी पार्टी बैरीयर्स से अलग हटकर बात कही और सभी लोगों ने जो हमारा, भारतीय रेल का, रेलवे के 16 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रयास रहा है, उसकी सराहना की है। यह हमारे लिए, भारतीय रेल के लिए और भारत के लिए शुभ लक्षण है।

अभी एक माननीय सदस्य बोले – कल तक हम लोग भी प्रतिपक्ष में बैठते थे और हम लोग भी आलोचना करते थे। पूरे सदन में, पूरे भारतवासी और दुनियाभर में रहने वाले हमारे भाई-बहन तथा दुनियाभर में रेल से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, जो रेल का संचालन करते हैं, सब तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि वह भारतीय रेल जिसके बारे में कल तक सुना जाता था कि घाटे का सौदा है। हम किसी आरोप-प्रत्यारोप में नहीं उलझना चाहते हैं। यह अलग-अलग लोगों की सोच है, वे विशेषज्ञ हो सकते हैं, उनकी अलग-अलग परिस्थितियां हो सकती है।

महोदय, मैं वर्ष 1977 से संसदीय जीवन में हूं और किसी न किसी रूप में देखता रहा हूं कि इस देश में कुछ लोग हैं जो आपने आपको विद्वान समझते हैं। उन लोगों की यह सोच कि भारतीय रेल को निजी हाथों में दे देना चाहिए या प्राइवेट होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की चर्चा से देशवासी और रेलकर्मी चिन्तित रहते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा? दुनिया ने कंसेप्ट को प्रतिपादित किया कि दुनिया में जहां भी रेल घाटे में है, वहां के कर्मचारियों की छंटनी करके ह्यूमन फेस को हटाया जाए और घाटे को पाटा जाए। यह कंसेप्ट है जिसे दुनिया में लोगों ने अपनाया हुआ है। भारतीय रेल ब्रिटानी सरकार के समय में शुरू हुई, उन्हीं के समय का सर्वे और डिजाइन है। हम लोगों ने बढ़-चढ़कर इसका काफी विस्तार और फैलाव किया है। भारतीय रेल में सबसे ज्यादा ह्यूमन फेस को हमने रखा है।

महोदय, मैंने यूरोपीय देशों में देखा, पांच देशों के रेलवे नेटवर्क को देखा है। इन देशों में जाने के बाद मैंने देखा फिर वहां का पूरा सिस्टम मैकेनाइज्ड है। जितना ह्यूमन फोर्स हमारे यहां पर है, दुनिया के किसी देश में नहीं है। मैंने रेल के इंजन में बैठकर के देखा है। ड्राइवर खाली बैठा रहता है। वहां मैंने लाइन के इर्द-गिर्द ह्यूमन फोर्स को नहीं देखा है। हमारे यहां गैंग मैन, लाइन मैन बोझा ढो कर कई-कई किलोमीटर तक रेल लाइन पर चलता है। वहां पूरा सिस्टम मैकेनाइज्ड है, वहां सारा काम कम्प्यूटर से होता है। वहां के ट्रैन के इंजन में फाइटर प्लैन जैसा दिखने वाला इंजन लगा होता है।

उनके कोच की बनावट भी हमने जाननी चाही कि एक कोच का निर्माण करने में क्या खर्च आता है। हमें बताया गया कि एक कोच के निर्माण में 13 करोड़ रुपये लगते हैं। फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिनको एडवांस मुल्क कहा जाता है, वहां एक कोच के निर्माण में 13 करोड़ रुपये लगते हैं। वहीं एक कोच बनाने में हमारे भारत के श्रमिक, भारत के इंजीनियरों को, हमारे रेलवे में काम करने वाले जो लोग हैं, हम इसे दो करोड़ रुपये में बनाते हैं। कहां 13 करोड़ रुपये और कहां दो करोड़ रुपये। मैं इसीलिए गया था कि लोग पूछते रहते हैं कि बुलेट ट्रेन कब चलाओगे, फास्ट ट्रेन कब चलाओगे। माननीय सदस्य देश के कोने-कोने से आते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय रेल की जो बनावट है, जो लाइनें हैं, विलेज और सिटीज़ से होकर हम जाते हैं और हमारे देश के कुछ शहरों में इतने लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको कोई सिविक सेंस नहीं है और सिविक सेंस है भी तो कोई लाख मना करने पर उनके ऊपर असर नहीं होता। मोहल्ले का जितना कूड़ा-कचरा है, रेलवे लाइन के ऊपर जमा कर दो। कहीं कोई जानवर बांधे हुए है, हमारा कोई आदमी बोलता है कि मत जाओ, रोज़ विज्ञापित होता रहता है कि अनमैण्ड गेट को क्रास मत करो, लेकिन झगड़ा करेगा, झंझट करेगा और आदमी आगे निकल जाता है, जिसको रन ओवर कहा जाता है। हमारे देश में कुल 18 हजारा दो सौ अनमैण्ड गेट हैं, जहां पर घटनाएं होती हैं। हालांकि घटनाओं में कमी हुई है, हमारे जो सचमुच के रेल एक्सीडैंट होते थे, उनमें काफी कमी आई है, लेकिन अनमैण्ड गेट पर जो भी घटनाएं घटती हैं, वहां लोग रन ओवर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर जबरदस्ती ट्रैक्टर घुसा देते हैं। मैंने फौरेन के तमाम रूट्स को देखा, कहीं भी उनके रूट में चिड़िया-चुरंग नजर नहीं आता और सारी फैंसिंग है। दोनों तरफ तटबंध जैसा है और लम्बे-लम्बे ट्री फौरैस्ट हैं और ट्रेनें बिल्कुल मेकेनाइज्ड हैं। आदमी को तो वहां अता-पता ही नहीं है, रेलवे लाइन में ओवरब्रिज का पता ही नहीं है। जैसे रेलवे ओवरब्रिज की हम और आप चर्चा करते हैं, इन्द्रधनुष की जो बात करते हैं, जो इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म पर जाने की बात करते हैं, वहां वह है ही नहीं। लेकिन वहां यह भी है कि वहां के नागरिक इतने प्रबुद्ध हैं कि उनकी गाड़ी जा रही है तो उसकी ध्वनि गांव में नहीं आनी चाहिए, इसको वे पोल्यूशन मानते हैं और मुकदमा करते हैं, वे भी अपना ध्वनि यंत्र लगाकर रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है।

भारतीय रेल में अगर हम उसको डिजाइन करें और मैंने प्लेटफार्म को देखा, जर्मनी में देखा, लंदन में देखा, इटली में देखा, फ्रांस में

देखा, मैं यूरो ट्रेन में बैठकर गया। पहले मुझे डर लगता था, लोग बताते थे कि समन्दर में पानी के भीतर ट्रेन जाती है। वहां यूरो ट्रेन है, आप भी गये होंगे। भार्गव जी, आप गये हैं कि नहीं गये हैं? समन्दर के नीचे उसमें ट्यूब जैसी है और पानी है, क्या टेक्नोलोजी है, उसके अंदर जाना है। लंदन से पेरिस जाना था तो मुझे डर लगता था कि ऐसा नहीं हो कि कभी समन्दर का पानी उसमें आ जाये। लंदन में हिम्मत बांधकर गये, जब हम लोग सवारी करने के लिए ट्रेन पकड़ने गये। वहां हमारी जैसी व्यवस्था नहीं है। उन्हें मालूम हुआ कि मंत्री हैं, लोगों ने बताया कि ये मंत्री जी हैं और साथ में हमारे राज्य मंत्री वेलू जी भी गये थे, लेकिन हमारे यहां से जो भी अधिकारी या अन्य लोग साथ में थे, सब लोगों की बाजाब्ता जैसे प्लेन में सर्च किया जाता है, उस तरह से सर्च करके तब ट्रेन में बैठने की वहां इजाजत है।

रात्रि 8.00 बजे

इसे हम कैसे इंपोज करें? हम आपका सहयोग लेना चाहते हैं, हम कंट्री का मैनडेट लेना चाहते हैं। हम हाउस का मैनडेट लेना चाहते हैं। हाल ही में हमारे भाई और बहन आतंकवादी घटना में शहीद हुए और मुंबई में 900 लोग घायल हुए। भारतीय रेल को वहां साफ्ट टारगेट बनाया गया। हमारे यहां व्यवस्था है, एक सिस्टम है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब 8 बज गए हैं। यदि सभा रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांग पारित हो जाने तक सभा का समय बढ़ाने पर सहमत है तो हम समय बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हम आपका मैनडेट लेना चाहते हैं। हमने इस बारे में सोचा है। अभी हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है। हमारे भारतीय रेल में प्लेटफार्मों पर इतनी भीड़-भाड़ होती है। हमारी पापुलेशन बहुत ज्यादा है। मैंने विदेश की सारी गाड़ियों को देखा है, सभी प्राइवेट सैक्टर में है। गवर्नमेंट की सब्सिडी पर चलती हैं, फिर भी चारों तरफ घाटा है। मैं जिन मुल्कों का नाम बता रहा हूं, यह वहां की स्थिति है। एक बहस चलायी जाती थी कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, लेकिन दुनिया की जो फाइव यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां इस विभाग को निजी हाथों में दिया गया है, वहां सब्सिडी के बिना आज वह घाटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था हैं, भारतीय रेल में 16 लाख कर्मचारी और अधिकार हैं, जिनके कारण हमारे भारतीय रेल का उत्कृष्ट टर्न एराउंड हुआ है, मैं सदन के माध्यम से उन कर्मचारियों को, अधिकारियों और अभियंताओं को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय रेल की शान को आगे बढ़ाया। अकेले मंत्री कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निष्ठा, संकल्प और ध्यान के साथ 16 लाख लोगों का मैसेज है कि जहां भी कोई इवेजन हुआ, जहां भी कोई गड़बड़ी हुयी, इस भारतीय रेल पर, इस रेल भवन पर दुनिया भर के लोगों की निगाह लगती रहती है। नेशनल, इंटरनेशनल और देश के सारे लोग इसकी ओर देख रहे हैं। सारे तरह का माल यहां लाकर गलाते थे, यहां सब कुछ होता था, लेकिन अब सबको पता है कि हमारा मैसेज क्या है? भारतीय रेल ने 13 हजार करोड़ का कैश सरप्लस इस साल कमाया है। वहीं अगले साल का हमारा लक्ष्य है कि इस विभाग की 20 हजार करोड़ की कैश सरपलस हो। यह तो अभी शुरूआत है, असली कहानी भारतीय रेल की अब आगे आने वाली है। लोग कहते हैं कि मैंने भाड़ा नहीं बढ़ाया। हम बताना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर भारतीय रेल को निजी हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। भारतीय रेल की उत्कृष्ट सेवा और जो हमारा सबसे कमाऊ घोड़ा भारतीय रेल है, जिसके बारे में हम और स्टेप लेने जा रहे हैं और जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, इसी सदन में हमने कहा था कि दिल्ली जो मेट्रोपोलिटन सिटी है, हमारी राजधानी है, यहां अनेकों प्रदेश के लोग आते हैं, हमारे रेलवे स्टेशनों को देखते हैं और साथ ही मुंबई, चेन्नई, झाबड़ा, लखनऊ और पटना के स्टेशनों को देखते थे। इसलिए हमने इसी सदन में फैसला किया था कि भारतीय रेल को अब पैसेंजर एमिनिटी के मामले में और ब्यूटीफिकेशन के मामले में, हम इसे सजाने का काम करेंगे। इसके बारे में हमने पहले बताया है। मैंने देखा है, दुनिया ने देखा और इसी स्टेशन में हम सारा खर्च रोज करते रहते, इसलिए हमारा संभिकरण की दिशा में, पैसेंजर एमिनिटी की दिशा में, हमारे देश के जितने भी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, मैंने वहां जाकर देखा, वहां ओवर ब्रिज नहीं है, फिर वहां पैसेंजर कैसे जा रहे हैं? प्लेटफार्म पर जैसे ही गाड़ी रुकती है, उसी में अंडरग्राउंट प्लेटफार्म बना हुआ है, अंदर प्लेटफार्म से आप चले जाइए, नीचे चारों तरफ किसी जगह या किसी प्लेटफार्म पर आपको जाना है, आप जा सकते हैं, अंडर ग्राउंड या ऊपर से गाड़ी जा रही है। हमने जमीन के नीचे शहर जैसा देखा, जिसमें मोटल, होटल, पार्किंग और मॉल्स थे। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि हमारी आमदनी का एक सोर्स मॉल्स हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि देश की महत्वपूर्ण मेट्रोपोलिटन

[श्री लालू प्रसाद]

सिटीज़ में ग्लोबल टैंडर करके, पूरी पारदर्शिता के साथ ऐसा निर्माण करें, जिसमें देश के मुख्य शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, बंगलौर, सिकंदराबाद, पुणे...*(व्यवधान)* भोपाल, जो छूट गया था, पचौरी साहब ने भोपाल के बारे में मुझे याद दिलाया, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, अमृतसर आदि में विश्व स्तरीय जंक्शन और स्टेशन बनाने के बारे में हम आपके सुझाव चाहते हैं। जमीन का इस्तेमाल करो, जो हमारे पास सरप्लस है।...*(व्यवधान)* ठीक है, मथुरा को भी जोड़ देंगे।...*(व्यवधान)* चंडीगढ़ भी है।...*(व्यवधान)* ठीक है, हम और भी जोड़ते जाएंगे, उसमें कोई परहेज नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)* इससे प्लेटफार्म पर जो भीड़भाड़ होती है, वह नहीं होगी। हम अंडरग्राउंड में पार्किंग, शॉप्स आदि सबके बारे में सोचेंगे।

सभापति जी, आप गए होंगे और आपने भी देखा होगा कि हमारे देश की हवाई पट्टी भी इंटरनेशनल स्तर की बन रही है। हमारा कम्पीटिशन हवाई जहाज से है। हम ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं कि लोग हवाई जहाजों में कम जाएंगे और रेलों में ज्यादा आएंगे। रेल सभी की है। भारत की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर निर्भर है। वेजीटेबल के अलावा टमाटर आदि को देश के किसान पैदा करते हैं। जब ज्यादा उपज हो जाती है तो उनकी चीजें सड़ जाती हैं क्योंकि कलैक्शन सैंटर की व्यवस्था नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इंतजाम नहीं है।...*(व्यवधान)* फूड प्रोसैसिंग अलग है, मैं उसके बारे में बताऊंगा।...*(व्यवधान)* पूरे देश के राज्यों के सब स्टेशनों में पिक एंड चूज़ की सुविधा नहीं है, उसके बारे में भी हमने सोचा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे किसानों के खेतों से पके हुए टमाटर निकलते हैं, लेकिन, कस्बे तक आते-आते वे पिचक जाते हैं। किसान उन्हें फेंक देते हैं, जिससे उन्हें उनका दाम नहीं मिलता और इसी कारण वे आत्महत्याएं करते हैं। उन्हें अपने टमाटर को चार रुपये किलो में बेचना पड़ता है। देश में उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम खुद बोलते हैं कि नार्थ इंडिया में एयर कारगो और इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। राज्यों के किसान अपना सामान कहां ले जाएंगे। इसलिए आजादी के 60 सालों के बाद देहातों में बसने वाले किसानों के फल, सब्जी, दूध, खाद्यान आदि के बारे में कोई व्यवस्था हो। हम बाटा कंपनी का जूता खरीदते हैं, जो एयर कंडीशन्ड शॉप में बिकता है। जिसे हम पांव में पहनते हैं, वह जूता हम एयर कंडीशन्ड शॉप में जाकर घंटों बैठकर पसंद करते हैं, लेकिन खाद्यान्न जो खून बनाता है, सेहत बनाता है, मन को अच्छा करता है, उसे हम फुटपाथ से खरीदते हैं। वह फुटपाथ पर रखा होता है। वहां एयरकंडीशन नहीं है। यह हमारी सोच है। पूरे देश में ज्वाइंट वैंचर के तहत किसानों के लिए जगह की सलैक्शन करके, उसकी मार्केटिंग और एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट के लिए हम कंटेनर सेवा उपलब्ध करायेंगे। जिस लाइन में इलेक्ट्रीफिकेशन है वहां डबल नहीं हो सकता। ज्वाइंट वैंचर में हम वहां सिंगल कंटेनर करने जा रहे हैं। हमने ऐसा करने के लिए सोचा है। जब मेरे पास इसकी फाइनल शेप आयेगी तब मैं फिर सदन के सामने आऊंगा। इससे एक तरफ 12वीं और मैट्रिक पास नौजवानों को काम मिलेगा, दूसरी तरफ किसानों को भी उचित दाम मिलेगा। इस तरह से हमारा जो सामान है, उसे हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है, उसे हम बिल्कुल पारदर्शी बनाकर, विज्ञापन करके, ग्लोबली एडवरटाइज करके सारे देश के छोटे, मझोले और बड़े स्टेशनों पर इसके लिए जगह देंगे, साइड्स देंगे। इससे एक तरफ किसान को फायदा होगा और दूसरी तरफ मालगाड़ी को माल मिल जायेगा। इसके अतिरिक्त फ्रेट हम अलग लेंगे। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यह हमारी सरकार की सोच है। जब तक किसान की जेब गरम नहीं होगी, तब तक देश की दुकान नहीं चलेगी। यह चमकीले, भड़कीले इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जो विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें सामानों के विज्ञापन होते हैं, जब उन्हें किसान देखेगा, किसान का बेटा टी.वी. निहारेगा, तो वह यह भी देखेगा कि उसकी जेब में पैसा है या नहीं। इस तरह सामान में जंग लगेगी और दुकान ठप्प होगी। हमें भारत को आगे बढ़ाना है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराते हुए कहा था और हमारी मीटिंगों में भी कहा था कि बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के जब तक आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत आगे कैसे बढ़ेगा, हम कैसे तरक्की करेंगे। इसलिए सड़कों से लेकर रेल की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह सभी की रेल है। इसको आगे बढ़ाने में इनका योगदान है। इस काम को आगे बढ़ाने का प्रैशर इंडियन रेलवे पर है। मैं सभी माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं, चाहे वे मुरैना के सांसद हों या कोई और हों। हर क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि गाड़ियों का ठहराव हो। हर जगह लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी गाड़ी मिले लेकिन, वर्तमान लाइनों पर भारी भीड़-भाड़ रहती है। जो हमारी रेल है, वह कमाने वाला घोड़ा है। जो हमारा गुड्स है, जिस गुड्स को हम ढोना चाहते हैं, उसको लूप लाइन में डाल देते हैं। अब एक्सप्रेस को चलाओ, पैसेंजर गाड़ी को चलाओ, सारी गाड़ियों जाम, मालगाड़ी जाम इसलिए डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर बनाकर हम एग्जिस्टिंग लाइन से प्रैशर कम करना चाहते हैं। हम माल ढोना चाहते हैं। फर्स्ट फेज में, मैंने पहले भी कहा था कि समय आ गया है, बहुत जल्दी हम इस काम का शुभारम्भ करेंगे। जब हमारी प्रक्रिया शुरू हो जायेगी तब हम आपको बतायेंगे। लेकिन सदन से बड़ा कौन

है? सदन से बड़ा कोई नहीं है इसलिए डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के तहत हम लुधियाना से हावड़ा और कोलकत्ता सहित सारे पोर्ट्स को कवर करेंगे। सैकिंड फेज में दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई और चेन्नई से फिर हावड़ा सहित सारे पोर्ट्स को कवर करते हुए हम जो काम कर रहे हैं, वह मिरेकल होगा।

महोदय, आज जो रोड पर माल जा रहा है, कोई नहीं चाहता है कि रोड से हमारे माल की ढुलाई हो। आज हमने ट्रेड-फ्रेण्डली रिलेशन बनाया है, ट्रेडर को कान्फिडेंस में लिया है। हमने उसमें भी भाड़े में कमी की है। हमने पैसेन्जर भाड़े में भी कमी की है। हमने यह भी ऐलान किया है कि हम भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। इस पर लोग बोलते थे कि यह रेल कैसे चलेगा? हमारी आदत बन गयी थी कि घाटे में है तो पैसेन्जर का भाड़ा बढ़ा दिया, लेकिन आज भाड़ा घटाने के बाद भी पेसेन्जर से हमारी आमदनी बढ़ी है और मालगाड़ी से भी हमारी आमदनी बढ़ी है। इसलिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का हमारा सपना नहीं संकल्प है जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था। भारतीय रेल को अपने पैरों पर खड़ा करके और लोगों को इन्वॉल्व करके, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर केवल मालगाड़ी आएगी और जाएगी। इससे जो ट्रैक खाली होगी, जो रेललाइन खाली होगी, उस पर हम आपको नयी-नयी और पॉपुलर ट्रेन्स देंगे। हम डबलिंग कर रहे हैं, हम पुलों की मरम्मत कर रहे हैं। हमारे भारतीय रेल के सभी अधिकारी और पदाधिकारी सेंसिटिव हैं, कोई नहीं सोता है, कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई बात नहीं होने पाए, इसलिए संरक्षा हमारी प्रायरिटी हो गयी है। बम्बई की घटना से सारा देश ही नहीं, देश, मीडिया और सरकार सभी लोग दुखी हुए। हम लोग वहां गए थे, सोनिया जी गयीं, मैं गया था, होम मिनिस्टर जी गए। वहां हमने देखा कि किस तरह हमारे देश का कलेजा तोड़ा गया है। रेल को, हमारी लक्ष्मी को खण्डित किया गया है और हमारे भाई-बहनों को मारा गया है। इस घटना को हम भूलें नहीं। हम इसका मुकाबला करेंगे, हम सिर्फ पुलिस और खुफिया पर ही निर्भर नहीं होना चाहते हैं। इस सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों का भी दायित्व है। हमारा स्लोगन, हमारा संकल्प है—सावधानी हटी, दुर्घटना हुई। आज हमारे यहां क्या व्यवस्था है? हमारी यह व्यवस्था बिल्कुल नेकेड है। कोई भी लेकर प्लेटफार्म में चला जाता है और जाकर बांच कर लेता है। यह सदन जो कहेगा, हम वही करेंगे। हम पार्टी नहीं बनेंगे।

हमने शुरू में कहा था कि यह जो पेप्सी, कोला और दूसरे ड्रिंक्स हैं, ये तो मानकों के हिसाब से ही बनाते हैं लेकिन बीच में जाली सामान बनाकर सप्लाई हो रही है। हमने कहा था कि हम इसे बंद करेंगे तो सारा देश मुझसे उलझ गया था। जब हमने कहा था कि मट्ठा और मिल्कमेड जो बिल्कुल हाइजेनिक हैं, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए कि लालू यादव बोल रहे हैं कि पेप्सी, कोला सभी को हटा दो, यह देश को कहां ले जा रहा है। अगर आपका मैण्डेट होगा और यहां जो चर्चा हुई है, उसके आलोक में ही हम काम करेंगे। मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सभी राज्य सरकारें इसे बंद कर रही हैं। रेलवे में जहां खान-पान में और मीनू के बारे में हमने कहा है, जो लोग नए आए हैं उनसे कहा कि सुनो, हमने कहा कि खाना तो हम घर में वेजिटेरियन ही खाते हैं। जब घर में बेटी या खाना बनाने वाला कोई पूछता है कि आज क्या खाना बनाएं तो हम कह देते हैं कि मसूर की दाल और परोर का चोखा, रोटी और भात बनाओ। कब क्या मन करेगा खाने का वही खाना बनवाकर खाते हैं। लेकिन हमारे यहां रेलवे में वही ठॉक-ठाककर बनाकर, वही दाल रख देते हैं। हमने विजिट किया तो देखा कल जो कुक खाना बना रहा था, उसके शरीर से तर-तर पसीना गिर रहा है।

हमने कहा कि जितनी भी कुकिंग की जगह हैं, वे एयरकंडीशंड होंगी। वहां बैठकर रोज मैन्यू बदलकर यात्रियों को खाना दिया जाए। लेकिन यह जो इतनी पुरानी आदत है, यह एकदम से छूमंतर नहीं हो सकती इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हम इसे ठीक कर रहे हैं और आप सबके सुझावों पर ध्यान दे रहे हैं।

इसके अलावा हमें कोच की भी जरूरत पड़ेगी। अभी हम कपूरथला में इनका निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा इंजन बनाने का भी विचार है, क्योंकि इंजन की केपेसिटी पूरी नहीं हो पा रही है। हमारा जो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर का विजन है, एक संकल्प है, इसे हम जरूर पूरा करेंगे। इसलिए हम अपने कारखानों में निर्माण में इजाफा करेंगे, इसमें कोई परहेज नहीं करेंगे। इसके साथ ही यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हम विदेश से सामान बनाने में परहेज करेंगे। हम देश का पैसा विदेश नहीं जाने देंगे। कपूरथला और चेन्नई में कोच के कारखाने हैं, इनकी जितनी केपेसिटी है, ये उतने कोचेज का निर्माण करेंगे। इसी तरह से चित्तरंजन के कारखाने का विस्तार करके वहां निर्माण कार्य अधिक मात्रा में करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम कारटेल को तोड़ें इसलिए एक कोच और एक इंजन फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव है। कोच फैक्टरी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में लगाने की बात है, जिसकी 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंजन निर्माण के लिए सारण जिले में कारखाना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य राज्यों में जहां जरूरत होगी, हम ऐसी फैक्टरीज लगाएंगे और आत्मनिर्भर होकर अपने कौशल और हुनर को बढ़ाएंगे। हम नार्थ-ईस्ट के लिए भी कार्यक्रम बना रहे हैं।

[श्री लालू प्रसाद]

केरल के माननीय सदस्यों ने अपने राज्य की बात कही। केरल हमारा प्राइड है, हमारा वहां के लिए भी कार्यक्रम है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मीटिंग नहीं होती, तो मैं सदन के माध्यम से अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं और मैंने कहा भी है कि नियमित रूप से सांसदों के साथ मीटिंग होनी चाहिए और उनके सुझावों पर गौर करना चाहिए। चाहे वे विपक्ष के सांसद हों या सत्ता पक्ष के हों। अभी तमिलनाडु के कृष्णास्वामी जी कह रहे थे कि मीटिंग नहीं होती, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर जी.एम. ने मीटिंग नहीं बुलाई तो मैं उनसे स्पष्टीकरण मांगूंगा।

हमने लदान के बारे में भी कार्यक्रम बनाया है। यह भी देखा गया है कि छोटे-मोटे इंटरेस्ट के कारण ज्यादा लदान कर दिया जाता है, जो कि ओवरलोडिंग हो जाता है। मैं यह देख रहा हूं कि यह न हो। रेलवे की आमदनी बढ़ रही है, लदान भी हो रहा है, अगर किसी आदमी ने पांच-छः टन ओवरलोडिंग कर दी और उसकी वजह से रेल लाइन खराब हो गई, तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं। कई रेलवे जॉस में लदान के संबंध में गड़बड़ी पाई गई है, हमने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की है। इस बारे में पत्र भी लिखा है कि जितने लदान का मापदंड है, उसे मेनटेन करना होगा। अगर गड़बड़ होगी, तो फिर रेलवे में तुम्हारा स्थान नहीं है। इसलिए इस पर कंस्टेंट मानिटरिंग की जरूरत है। इससे और लोगों को भी प्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा। हम जो दो इकाइयां लगाना चाहते हैं, उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कार्यवाही की जाएगी। हम डीजल इंजनों का निर्यात कर रहे हैं। आज रेलवे में करीब 16 लाख लोगों को काम मिला हुआ है। हमारे इंजीनियर्स और कर्मी सभी मेहनत से काम कर रहे है। यूपीए सरकार भारतीय रेल को किसी भी कीमत पर इधर से उधर नहीं जाने देगी। भारतीय रेल हम सबके लिए प्रतिष्ठा का विषय है। मसूरी में जो आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग लेते हैं या अहमदाबाद में आईआईएम में ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों ने बतलाया कि अब वे लालू यादव से पढ़ेंगे। उनको हम क्या पढ़ाएंगे? हम तो सारी बातें न्यायपूर्ण बता देंगे। इसलिए अगर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता रहे, संकल्प रहे तो भारत सारी दुनिया का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेगा। यूपीए सरकार, माननीया सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी को, सभी जानते हैं कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। ये विपक्ष के लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* हम तो कहते हैं कि आप भी अच्छा काम कीजिए ...*(व्यवधान)* यहां लड़ते हैं। कोई साथी बोल रहे थे नरेन्द्र मोदी जी को कि बाढ़ आ गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि.....* रेलवे की तरफ से मेरे हाथ खुले हुए हैं, जितनी भी हमसे मदद होगी हम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, अपनी बात कहिये।

श्री लालू प्रसाद : .....*

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति जी, ये शब्द कार्यवाही से निकलवाइये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : 150 करोड़ रुपये की राशि नेशनल प्रोजैक्ट के लिए जो बारमूला को मिली है तो हम देश को जोड़ना चाहते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति जो पुष्कर के मंदिर में है कला और संस्कृति का संगम है।

रात्रि 8.28 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

वहां एक तरफ ख्वाजा साहब और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसे मैं पर्सनली देखूंगा कि समय-सीमा में रेल-लाइन पूरी हो। अभी माननीय यादव जी भाषण कर रहे थे। रेवाड़ी से आगे हमने विचित्र तरीके की लाइन देखी, टेढ़ी-मेढ़ी लाइन देखी। उससे खतरा हो सकता है। हमने कहा कि एलाइनमेंट ठीक करो। उड़ीसा के लिए भी जितनी मदद की जरूरत होगी हम मदद करेंगे। केवल बिहार के लिए ही नहीं सब की मदद करेंगे। बिहार सेंट्रल सेक्टर में है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, यही हाल उड़ीसा का रहा। उड़ीसा के लिए भी हम लगातार कहते थे। इसलिए भारत सरकार की नीति है कि सेंट्रल सेक्टर में होने के कारण बिहार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिहार छूटा, उड़ीसा छूटा तो फिर हम समानता की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि जितने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)* गाड़ी रुकवाने के बाद मुरैना में शांति रहती है या नहीं। अशोक जी, आपको अलग से टाइम देकर हम बुलवाएंगे। आपकी लाइन का ठीक से सर्वे हो रहा है। एक इंच भी मीटरगेज हम नहीं रहने देंगे। आपके यहां 200 किलोमीटर का सर्वे हम करवा रहे हैं। आप वहां आइए, हम कार्यवाही करेंगे।...*(व्यवधान)* कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पार्टी अपनी जगह पर है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों तथा इससे संबंधित विधेयक को स्वीकृति दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.32 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2006*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 11.8.2006 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

विधेयक में अनुसूची जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 14 अगस्त, 2006 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 14 अगस्त, 2006/23 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री गुरुदास दासगुप्त	261
2.	श्री सीता राम सिंह	262
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	263
4.	श्री वी.के. ठुम्मर डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	264
5.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	265
6.	प्रो. रासा सिंह रावत	266
7.	श्री हंसराज जी. अहीर	267
8.	श्री रामदास आठवले श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	268
9.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री अनंत कुमार	269
10.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री निखिल कुमार	270
11.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	271
12.	श्री मोहन रावले श्री कृष्णा मुरारी मोघे	272
13.	श्री काशीराम राणा श्री भर्तृहरि महताब	273
14.	श्री दुष्यंत सिंह	274
15.	श्री पी.एस. गढ़वी श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	275
16.	श्री एल. राजगोपाल	276
17.	श्री दलपत सिंह परस्ते श्री सी.के. चन्द्रप्पन	277
18.	श्री चंद्रकांत खैरे	278
19.	श्री ब्रजेश पाठक	279
20.	श्री एस. अजय कुमार	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रमांक	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2074
2.	आचार्य, श्री वसुदेव	2091
3.	आदित्यनाथ, योगी	2069
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2081, 2097, 2099, 2124, 2156

1	2	3
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2102, 2132
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2104, 2137, 2143, 2147
7.	आठवले, श्री रामदास	2124, 2132
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	2081
9.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	2051, 2093, 2106, 2133, 2145
10.	बर्मन, श्री हितेन	2058
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2132
12.	बोस, श्री सुव्रत	2144
13.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2059
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2112, 2134
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2155
16.	चावडा, श्री हरिसिंह	2110
17.	चौधरी, श्री अधीर	2121, 2141
18.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2112
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	2063, 2153
20.	धनराजू, डा. के.	2096
21.	धोत्रे, श्री संजय	2056, 2081, 2120
22.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2154
23.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2071, 2101, 2113
24.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	2081
25.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2078
26.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2086
27.	झा, श्री रघुनाथ	2066, 2122

1	2	3
28.	जिन्दल, श्री नवीन	2060
29.	कलमाडी, श्री सुरेश	2092
30.	कनोडीया, श्री महेश	2154
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2107, 2132, 2133
32.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2082, 2127
33.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2061
34.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2052, 2105, 2135, 2152
35.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2150, 2158
36.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2102, 2117, 2132, 2138
37.	महताब, श्री भर्तृहरि	2128
38.	माझी, श्री परसुराम	2157
39.	माने, श्रीमती निवेदिता	2071, 2101, 2113
40.	मनोज, डा. के.एस.	2068
41.	मसूद, श्री रशीद	2085
42.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2094
43.	मेघवाल, श्री कैलाश	2055
44.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2079
45.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2090
46.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2073
47.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2084
48.	नायक, श्री अनन्त	2141
49.	निखिल कुमार, श्री	2121, 2141
50.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	2065, 2073, 2144

1	2	3
51.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2084, 2103
52.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2073, 2098, 2156
53.	पासवान, श्री रामचन्द्र	2075
54.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2117
55.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2062, 2081, 2111
56.	पाठक, श्री ब्रजेश	2123, 2142, 2146, 2149
57.	पाटील, श्री बालासाहिब खिल्ले	2081, 2120
58.	पटले, श्री शिशुपाल	2098
59.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2138
60.	राजगोपाल, श्री एल.	2108, 2131, 2144, 2148
61.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2133
62.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2088
63.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2067, 2119, 2140, 2144
64.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2109
65.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2054, 2118, 2133
66.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2115, 2136
67.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2072
68.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2134
69.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2139
70.	रिजीजू, श्री किरेन	2095
71.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2057, 2125
72.	सेठी, श्री अर्जुन	2089
73.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2064, 2129

1	2	3
74.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2097, 2099, 2114, 2124
75.	शिवन्ना, श्री एम.	2076, 2116
76.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2098
77.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2080
78.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2083, 2133
79.	सिंह, श्री दुष्यंत	2126
80.	सिंह, श्री गणेश	2070
81.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2113
82.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2086
83.	सिंह, श्री राकेश	2073
84.	सिंह, श्री सुग्रीव	2081, 2087, 2111
85.	सिंह, श्री सूरज	2075
86.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2154
87.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2077
88.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2053, 2080, 2103, 2130, 2151
89.	थामस, श्री पी.सी.	2140
90.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2110, 2139
91.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2084
92.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2093
93.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2100
94.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2197, 2099, 2114, 2124, 2156

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	261, 262, 265, 266, 269, 270, 273, 278, 279
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	263
विद्युत	:	264, 268, 272, 274, 275, 280
ग्रामीण विकास	:	277
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	267, 271, 276
शहरी विकास	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	2079
पृथ्वी विज्ञान	:	2052, 2088
वित्त	:	2051, 2053, 2054, 2055, 2059, 2061, 2062, 2063, 2065, 2066, 2068, 2070, 2073, 2077, 2078, 2080, 2081, 2083, 2087, 2091, 2094, 2096, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2108, 2112, 2113, 2114, 2117, 2121, 2122, 2124, 2126, 2133, 2134, 2135, 2138, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2150, 2151, 2153, 2154, 2155, 2158
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2072, 2152
विधि और न्याय	:	2120, 2136, 2157
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	2056, 2060, 2085, 2128, 2144, 2156

विद्युत	:	2069, 2071, 2084, 2092, 2099, 2106, 2146, 2149
ग्रामीण विकास	:	2057, 2074, 2089, 2090, 2093, 2095, 2097, 2109, 2110, 2116, 2125, 2142
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2067, 2104, 2111, 2119, 2131, 2137, 2140, 2148
शहरी विकास	:	2056, 2064, 2075, 2076, 2082, 2086, 2105, 2107, 2115, 2118, 2123, 2127, 2129, 2130, 2132.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।